2010

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

परिनियमावली 2000

द्वितीय संस्करण-2010

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

परिनियमावली

Specimen Copy Not for Sale

Specimen Copy Not for Sale

प्रकाशन वर्ष

2010

प्रकाशकः-
वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, शाहगंज रोड, जौनपुर
प्रतिलिप्याधिकार (प्रकाशन सम्बन्धी सर्वाधिकार) सुरक्षित

वीर बहादुर सिंह
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय परिनियमावली।

प्रकाशन वर्ष 2010

कृतिस्वाम्य सुरक्षित © वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

सूची (Index)

	अध्याय	पृष्ठ संख्या
01	सरकारी गजट उत्तर प्रदेश, लखनऊ, सोमवार, 28 सितम्बर, 1987	(A-C)
02	सरकारी गजट उत्तर प्रदेश, लखनऊ, 2 नवम्बर 2000	(D)
03	**वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर प्रथम परिनियमावली**	1
04	**विश्वविद्यालय के अधिकारी और अन्य कार्यनिर्वाहक**	
	कुलाधिपति	3
	कुलपति	4
	वित्त अधिकारी	4
	कुलसचिव	6
	संकायों के संकायाध्यक्ष	
	छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष	11
	विभागाध्यक्ष	13
	पुस्तकालयाध्यक्ष	15
	कुलानुशासक (Proctor)	16
05	**कार्य–परिषद**	18
06	**सभा**	
	अध्यापकों आदि का प्रतिनिधित्व	20
	स्नातकों का रजिस्ट्रीकरण तथा सभा में उनका प्रतिनिधित्व	21
07	**विद्या–परिषद**	24
08	**वित्त समिति**	27
09	**संकाय**	
	कृषि संकाय	29
	कला संकाय	31
	वाणिज्य संकाय	33
	शिक्षा शास्त्र संकाय	35
	विधि संकाय	36
	विज्ञान संकाय	37

	प्रबन्ध अध्ययन संकाय	39
	अनुप्रयुक्त समाज विज्ञान एवं मानविकी संकाय	41
	इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संकाय	42
	औषध संकाय	44
	कृषि संकाय	45
10	**विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी तथा निकाय**	
	अनुशासनिक समिति	49
	परीक्षा समिति	50
	विभागीय समिति	50
11	**बोर्ड**	
	योजना	52
	छात्र कल्याण बोर्ड	53
	विश्वविद्यालय एथलिटिक संध	53
12	**सम्बद्ध महाविद्यालय**	**54**
	सम्बद्धता वापस लेना	66
	वित्त, संपरीक्षा तथा लेखा	68
13	**उपाधियाँ और डिप्लोमा प्रदान करना और वापस लेना**	**70**
14	**दीक्षांत समारोह**	**73**
15	**अध्यापकों का वर्गीकरण**	**74**
16	**विश्वविद्यालय के अध्यापकों की अर्हताएं और नियुक्ति भाग–1**	**77**
	सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों की अर्हतायें और नियुक्ति भाग–2	**87**

17	**विश्वविद्यालय के अध्यापकों की सेवा शर्तें भाग–1**	**93**
	विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिये छुट्टी सम्बन्धी नियम भाग–2	99
	अधिवर्षिता की आयु–भाग–3	103
	अन्य उपबन्ध भाग–4	104
18	**सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों की सेवा की शर्तें भाग–1**	**106**
	सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों के लिए छुट्टी सम्बन्धी नियम भाग–2	112
	अधिवर्षिता की आयु भाग–3	124
	अन्य उपबन्ध भाग–4	124
19	**विश्वविद्यालय के अध्यापकों की ज्येष्ठता भाग–1**	**126**
	सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अध्यापकों की ज्येष्ठता भाग–2	130
	सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों का स्थानान्तरण भाग–3	133
20	**स्वायत्त महाविद्यालय**	**136**
21	**श्रमजीवी महाविद्यालय**	**142**
22	**सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारी की** अर्हतायें व सेवा सम्बन्धी शर्तें एवं नियमावली	145
	आरक्षण	150
	शैक्षिक अर्हतायें	151
	चरित्र शारीरिक स्वास्यता	159

Specimen Copy Not for Sale

23	महाविद्यालय के मृत कर्मचारियों के आश्रित का सेवा योजना	165
24	अधिभार परिभाषायें	166
25	प्रकीर्ण	170
26	परिशिष्ट 'क' अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीयमत द्वारा निर्वान	172–185
27	परिशिष्ट 'ख' विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग के सदस्यों के साथ करार का प्रपत्र	186–188
28	परिशिष्ट 'ग' अध्यापकों के लिये आचार संहिता	189–190
29	परिशिष्ट 'घ'	191–195
30	परिशिष्ट 'ड.' वार्षिक शैक्षिक रिपोर्ट से सम्बन्धित प्रपत्र	196
31	परिशिष्ट 'छ–1'	197--205
32	परिशिष्ट 'छ–2'	206–210
33	परिशिष्ट 'ज'	211–232
34	परिशिष्ट 'झ'	233–236
35	परिशिष्ट 'ट'	237–253
36	निर्वाधन/अनापत्ति हेतु आवेदन का प्रारूप	254
37	विकल्प का प्रारूप एवम् तत्सम्बन्धी शासनादेश	255–282
38	विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षको से प्रशासनिक/ कार्यालयी तथा वित्तीय मामलों का निष्पादन न कराया जाना।	283–284

39	समस्त राजकीय/वित्तपोषित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की सूची	285–310
40	जनपदवार महाविद्यालयों की अद्यतन स्थिति जनपदवार महिला/सहशिक्षा महाविद्यालयों की अद्यतन स्थिति	311

(वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर की प्रथम परिनियमावली की अधिसूचना)

रजिस्टर्ड नं0 ए0 डी0 – 4
लाइसेन्स सं0 डब्लू पी0 – 4
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाऊट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 28 सितम्बर, 1987

अश्विन 6, 1909 शक् सम्वत

उत्तर प्रदेश सरकार

शिक्षा अनुभाग – 10

संख्या 5005/1510–87–15(15)–86 टी0 सी0

लखनऊ, 28 सितम्बर, 1987

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियम तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974) द्वारा यथापुनः अधिनियमित और संशोधित, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973) की, जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) धारा 4 की उपधारा (1क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल दिनांक 2 अक्टूबर, 1987 को ऐसा दिनांक नियत करते है, जबसे उक्त अधिनियम क़ो अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए जौनपुर में पूर्वांचल विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायगी।

2. उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (6) के अधीन शक्तियों और इस निमित्त अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल यह भी

निर्देश देते हैं कि उक्त विश्वविद्यालय की अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में स्थित किसी भी महाविद्यालय के प्रत्येक छात्र को, जो इस विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व गोरखपुर विश्वविद्यालय की उपाधि के लिए अध्ययन कर रहा था या उनके लिए परीक्षा में बैठने के लिए पात्र था, उक्त उपाधि के लिए अपना पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुज्ञा दी जायेगी और ऐसे छात्र के शिक्षण और उसकी परीक्षा के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक प्रबन्ध किया जायेगा, जो ऐसी परीक्षा का फल घोषित करेगा और तदुपरान्त पूर्वांचल विश्वविद्यालय ऐसी घोषणा के आधार पर अपनी उपाधि प्रदत्त करने के लिए सक्षम होगा।

आज्ञा से
जगदीश चन्द्र पन्त
प्रमुख सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 5005/xv-x-87-15(15)-86-T,C, Dated September 28, 1987.

NO. 5005/xv-x-15(15)-+86-T,C,

Dated Lucknow, September 28, 1987

In exercise of the power under sub-section (1-A) of section 4 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (President's Act no. 10 of 1973) as re-enacted and amended by the Uttar Pradesh University (Re-enactment and amendment) Act, 1974 (U.P. Act. no. 29 of 1974) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor is pleased to appoint October 2, 1987, as the date from which a University to be known as Purvanchal University at Jaunpur, shall be established for the concerned area specified in the Schedule to thc said Act.

2. In exercise of the powers under sub-section (6) of section 4 of the said Act. and all other powers enabling him in that behalf, the Governor is also pleased to direct that every student of any of the colleges situated in the areas failing under the Jurisdiction of the said University, who immediately before the establishment of the University, was studying for or was eligible to appear in an examination for a degree of the University of Gorakhpur shall be permitted to complete his course for that degree, and necessary arrangement for the instructions and examination of such student shall be made by the University of Gorakhpur, which shall declare the result of such examination, and thereupon, the Purvanchal University shall be competent to confer its degree on the basis of such declaraction.

By order

J.C. Pant

Pramukh Sachiv

पी0 एस0 यू0 पी0 ए0 पी0 1502 राजपत्र (हि0) (2577)—1987—1335—1335+25 (मेक0)।

क्रम संख्या—517(क)

रजिस्टर्ड नं0 एल. डब्लू/एन.पी0 890
लाइसेन्स सं0 डब्लू पी0 – 11
(लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, वृहस्पतिवार, 2 नवम्बर, 2000

कार्तिक 11, 1922 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

उच्च शिक्षा, अनुभाग – 1

संख्या 936/70—1—2000
लखनऊ, 2 नवम्बर, 2000

अधिसूचना

प0 आ0—1323

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियम तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974) द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर के लिए निम्नलिखित प्रथम परिनियमावली बनाते हैं :—

अध्याय–1

प्रारम्भिक

धारा 50 (1) 1.01–(1) यह परिनियमावली वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर की प्रथम 2000 कही जायेगी।*

(2) यह दिनांक 2 अक्टूबर, 2000 की प्रथम परिनियमावली के प्रवृत्त होगी।

1.02–विश्वविद्यालय के ऐसे सभी विद्यमान परिनियम और ऐसे सभी अध्यादेश जो इस परिनियमावली से असंगत हों, ऐसी असंगति की हों, ऐसी असंगति की सीमा तक एतद्द्वारा विखंडित किये जाते हैं और तुरन्त प्रभावहीन हो जायेंगे, सिवाय उन बातों के सम्बन्ध में, जो इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व की गई हों या की जाने से छूट गई हों।

1.03– इस परिनियमावली में, जब तक के सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

धारा 50 (1) (क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 से है जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियम तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित है और समय–समय पर संशोधित है।

---

* प्रकाशन वर्ष 2009।

(घ) ''विश्वविद्यालय'' का तात्पर्य वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से है, और

(ङ) ऐसे शब्दों तथा पदों के, जो परिनियमावली में प्रयुक्त किन्तु इस परिनियमावली में परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होंगे अधिनियम में उनके लिए दिये गये हैं।

धारा 49 और 50 1.04—इस परिनियमावली में किसी अध्यापक की आयु के सम्बन्ध में सभी निर्देश सम्बन्धित अध्यापक के जन्म दिनांक के प्रति, उसके हाई स्कूल प्रमाण—पत्र में या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य परीक्षा प्रमाण—पत्र में उल्लिखित हों, निर्देश समझे जायेंगे।

अध्याय–2

विश्वविद्यालय के अधिकारी

और अन्य कार्यनिर्वाहक

कुलाधिपति

धारा 10 (4) तथा 49 (ग)

2.01 – (1) कुलाधिपति किसी ऐसे विषय पर जो उन्हें धारा 68 अधीन निर्दिष्ट किया जाय, विचार करते समय, विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्ध पक्षकारों से ऐसे दस्तावेज अथवा सूचना, जिसे वह आवश्यक समझें, मांग सकते हैं, और किसी अन्य मामले में विश्वविद्यालय से कोई दस्तावेज या सूचना मांग सकते हैं।

(2) जहाँ कुलाधिपति खण्ड (1) के अधीन विश्वविद्यालय से कोई दस्तावेज या सूचना मांगे, वहां कुलसचिव का यह सुनिश्चित करना कर्तव्य होगा कि ऐसा दस्तावेज या सूचना तुरन्त उन्हें भेज दी जाय।

(3) यदि कुलाधिपति की राय में, कुलपति जान बूझकर इस परिनियमावली के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है और यदि कुलाधिपति को यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिये अहितकर है, तो कुलाधिपति ऐसी जांच करने के पश्चात, जिसे वह उचित समझे, कुलपति को आदेश द्वारा हटा सकते हैं।

(4) कुलाधिपति को खण्ड (3) में निर्दिष्ट किसी जांच के विचाराधीन रहने के दौरान अथवा अनुध्यात करते हुये, कुलपति को निलम्बित करने की शक्ति होगी।

कुलपति

धारा 13 (9) और 49 (ग) — 2.02— कुलपति को किसी सम्बद्ध महाविद्यालय से अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान, वित्त अथवा महाविद्यालय में अनुशासन अथवा अध्यापन की कार्यक्षमता को प्रभावित करने वाले किसी विषय के सम्बन्ध में जिस दस्तावेज या सूचना को वह उचित समझे, उसको मांगने की शक्ति होगी।

वित्त अधिकारी

धारा 49 (ङ) — 2.03— जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त हो अथवा जब वित्त अधिकारी अस्वस्थ्यता, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो उसके पद के कर्तव्यों का पालन कुलपति द्वारा संकायाध्यक्षों में से नाम निर्दिष्ट किसी एक संकायाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा और यदि किसी कारण से ऐसा करना साध्य न हो तो कुलसचिव द्वारा अथवा ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति निर्दिष्ट करें।

धारा 15 (7) और 49 (ग) — 2.04—(क) विश्वविद्यालयी निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा,
(ख) किसी वित्तीय मामलें में परामर्श या तो स्वतः या उसका परामर्श अपेक्षित होने पर दे सकता है,

(ग) नकद तथा बैंक बैलेंस की स्थिति तथा विनिधान की स्थिति पर सतत् दृष्टि रखेगा,

(घ) विश्वविद्यालय की आय का संग्रह और संदायों का वितरण करेगा और उसके लेखे रखेगा,

(ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि भवन, भूमि, फर्नीचर तथा उपस्कर के रजिस्टर अद्यतन रखे जाते हैं, और विश्वविद्यालय में उपस्कर तथा उपयोग में आने वाली अन्य सामग्रियों के स्टाक की नियमित जांच की जाती है,

(च) किसी भी अप्राधिकृत व्यय तथा अन्य वित्तीय अनियमितताओं की सम्यक परीक्षा करेगा और सक्षम प्राधिकारी को दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही विषयक सुझाव देगा,

(छ) विश्वविद्यालय के किसी विभाग अथवा इकाई से ऐसी कोई सूचना अथवा विवरणी, जिसे वह अपने कर्तव्यों के पालन के लिये आवश्यक समझें, मंगा सकेगा,

(ज) विश्वविद्यालय के लेखों की निरन्तर आन्तरिक सम्परीक्षा के संचालन का प्रबन्ध करेगा, और उन बिलों की सम्परीक्षा प्रारम्भ में ही करेगा जो तत्सम्बन्धी किसी भी स्थायी आदेश द्वारा अपेक्षित हो,

(झ) वित्तीय मामलों के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जो उसे कार्य परिषद अथवा कुलपति द्वारा सौंपे जायें,

(ञ) अधिनियम और परिनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिनियम 2.06 के खण्ड (2) और (3) के अर्थान्तर्गत विश्वविद्यालय के लेखा और सम्परीक्षा अनुभाग के सहायक कुलसचिव (लेखा) से निम्न श्रेणी के समस्त कर्मचारियों पर अनुशासनिक नियंत्रण रखेगा और उप/सहायक, कुलसचिव (लेखा) और लेखा अधिकारी के कार्य का पर्यवेक्षण करेगा।'

धारा 13 (9), 15 (7) और

2.05—यदि वित्त अधिकारी के कृत्यों का पालन करने के सम्बन्ध में किसी विषय पर कुलपति और वित्त अधिकारी के बीच कोई

49 (ग) मतभेद उत्पन्न हो जाय, तो वह प्रश्न राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा, और दोनों अधिकारी उससे बाध्य होंगे।

कुलसचिव

धारा 13, (9), 16 (4), 21 (1) (7), (8)

2.06– (1) अधिनियम तथा परिनियमावली के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कुलसचिव का अनुशासनिक नियंत्रण विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों पर होगा, जो निम्नलिखित न हों, अर्थातः–

(क) विश्वविद्यालय के अधिकारीगण,

49 (ग) और (ङ)

(ख) विश्वविद्यालय के अध्यापकगण, चाहे वह अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हो या पारिश्रमिक वाले कोई पद धारण कर रहे हों या किसी अन्य हैसियत से यथा परीक्षक या अंतरीक्षक हों,

(ग) उप कुलसचिव और सहायक कुल सचिव,

(घ) पुस्तकालयाध्यक्ष,

(ङ) विश्वविद्यालय में लेखा और संपरीक्षा अनुभाग के कर्मचारीगण,

(2) खण्ड (1) के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही करने की शक्ति के अन्तर्गत उक्त खण्ड में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी को पदच्युत करने, हटाने, प्रतिवर्तित करने, उसकी सेवा समाप्त करने अथवा उसे अनिवार्य रूप से सेवा–निवृत्त करने का आदेश देने की शक्ति होगी, और ऐसे कर्मचारी को किसी जांच के विचाराधीन या अनुध्याय रहने तक, निलम्बित करने की भी शक्ति होगी।

(3) खण्ड (2) के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा तब तक एक ऐसी जांच न कर ली जाय, जिसमें उसे अपने विरुद्ध दोषारोपों से अवगत करा दिया गया हो, और उन दोषारोपों के सम्बन्ध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया होगा, परन्तु यह कि जहाँ किसी जांच के पश्चातवर्ती पर खण्ड (2) के अधीन कोई शास्ति आरोपित करने की प्रस्थापना हों, वहां ऐसी शास्ति को जांच के दौरान दिये गये साक्ष्य के आधार पर आरोपित कर किया जा सकेगा और ऐसे कर्मचारी की प्रतिस्थापित शास्ति पर करने का कोई अवसर देना आवश्यक नहीं होगाः

परन्तु यह कि जहां खण्ड (2) के अधीन किसी कर्मचारी पर, किसी जांच के पश्चात्, कोई शास्ति आरोपित करने का सकता है और ऐसे कर्मचारी को प्रस्तावित शास्ति के प्रति प्रत्यावेदन करने का कोई अवसर दिया जाना आवश्यक न होगाः

परन्तु यह और कि यह खण्ड निम्नलिखित मामलों में नहीं लागू होगा, यद्यपि आदेश का आधार कोई आरोप हो (जिसमें दुराचरण या अक्षमता का आरोप भी सम्मिलित है), यदि ऐसे आदेश से प्रत्यक्षतः यह प्रकट न होता हो कि वह ऐसे आधार पर पारित किया गया था :—

(क) किसी स्थानापन्न प्रोन्नत व्यक्ति को उसकी मूल पंक्ति में प्रतिवर्तित करने का आदेश।

(ख) किसी अस्थायी कर्मचारी की सेवा को समाप्त करने का आदेश।

(ग) किसी कर्मचारी को, उसके पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर

लेने के पश्चात् अनिवार्य रूप से सेवा–निवृत्त करने का आदेश।

(घ) निलम्बन का आदेश।

धारा 21 तथा 49

2.07– परिनियम 2.06 में निर्दिष्ट किसी आदेश से व्यवस्थित विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी, उस पर ऐसे आदेश के तामील किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर परिनियम 8.10 के अधीन गठित अनुशासनिक समिति को (कुलसचिव के माध्यम से) अपील कर सकता है। ऐसी अपील पर समिति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

धारा 16

2.08– अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कुलसचिव का निम्नलिखित कर्तव्य होगा–

(क) विश्वविद्यालय की समस्त सम्पत्ति का अभिरक्षक होना जब तक कि कार्य परिषद् द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की गई हो।

(ख) धारा 16 (4) में निर्दिष्ट विभिन्न प्राधिकारियों के अधिवेशनों को सम्बन्धित प्राधिकारी के अनुमोदन से बुलाने के लिये समस्त सूचनायें जारी करना और ऐसे समस्त अधिवेशनों का कार्यवृत्त रखना।

(ग) सभा,कार्य परिषद तथा विद्या परिषद के अधिकृत पत्र व्यवहार का संचालन करना।

(घ) ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग करना जो कुलाधिपति, कुलपति अथवा विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों अथवा निकायों के, जिनका कार्य वह सचिव के रूप में करता हो, आदेशों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक या समीचीन हो।

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना, मुख्तारनामें पर हस्ताक्षर करना, अभिवचनों का सत्यापन करना।

धारा 27 (4) और 49 (ख)

2.09— (1) यदि किसी संकाय के संकायाध्यक्ष के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति हो तो ज्येष्ठतम् आचार्य और जहां उस संकाय में कोई आचार्य उपलब्ध न हो वहाँ संकाय का ज्येष्ठतम् उपाचार्य और यदि कोई उपाचार्य न हों तो संकाय या ज्येष्ठतम् अध्यापक संकायाध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करेगा।

(2) कोई व्यक्ति उस पद पर न रह जाने पर जिसके आधार पर वह संकायाध्यक्ष का पद धारण कर पाया, संकायाध्यक्ष नहीं बना रहेगा।

धारा 27 (4) और 64 (2)

2.10— (1) कोई ऐसा अध्यापक जिसने इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक को—

(क) तीन वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि के लिये संकायाध्यक्ष का पद धारण कर लिया हो, यह समझा जायेगा कि वह अपनी बारी पूरी कर चुका है और परिनियमों के प्रारम्भ में ज्येष्ठता—क्रम में पात्र अगला अध्यापक संकायाध्यक्ष का पद धारण करेगा।

(ख) संकायाध्यक्ष के रूप में तीन वर्ष पूरे न किये हों, तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक संकायाध्यक्ष का पद धारण किये रहेगा और ऐसी अवधि पूर्ण होने पर, ज्येष्ठता—क्रम में पात्र अगला अध्यापक संकायाध्यक्ष का पद धारण करेगा।

(2) ऐसी अवधि की जिसमें किसी अध्यापक ने संकायाध्यक्ष का पद धारण किया हो, गणना करने के प्रयोजनार्थ–

(क) जिस अवधि में ऐसे अध्यापक को विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी के या किसी न्यायालय के आदेश द्वारा संकायाध्यक्ष का पद धारण करने या उस पर बने रहने से निषिद्ध किया गया था, उसको निकाल दिया जायेगा।

(ख) जिस अवधि में किसी अध्यापक को विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी के या किसी न्यायालय के आदेश के अधीन संकायाध्यक्ष का पद धारण करने की अनुमति दी गयी हो, उस अवधि की गणना संकायाध्यक्ष की पदावधि के प्रयोजनार्थ उसकी बारी अगली बार आने पर की जायेगी, यदि अन्त में यह पाया जाय कि उस अवधि में उस पद को धारण करने का विधिक हक उसे नहीं था।

धारा 18 तथा 49 (ग)

2.11– संकायाध्यक्ष के निम्नलिखित कर्तव्य तथा शक्तियां होंगी:–

(1) वह संकाय–बोर्ड के समस्त अधिवेशनों का सभापतित्व करेगा और यह देखेगा कि बोर्ड के विभिन्न विनिश्चय कार्यान्वित किये जाते हैं।

(2) वह संकाय की वित्तीय तथा अन्य आवश्यकताओं को कुलपति की जानकारी में लाने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) वह संकाय के समाविष्ट विभागों के पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा अन्य परिसम्पत्तियों की उचित अभिरक्षा तथा अनुरक्षण के लिये आवश्यक उपाय करेगा।

(4) उसे अपने संकाय से सम्बन्धित अध्ययन बोर्डों के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने तथा बोलने का अधिकार होगा किन्तु जब तक वह उसका सदस्य न हो, उसे उसमें मतदान करने का अधिकार होगा।

छात्र–कल्याण के संकायाध्यक्ष

धारा 18 और 49 (ग)

2.12– छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति विश्वविद्यालय के उन अध्यापकों में से, जिन्हें कम से कम दस वर्ष का अध्यापन कार्य का अनुभव हो और जो उपाचार्य से निम्न पंक्ति के न हों। कार्य परिषद द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जायेगी, जिसमें कुलपति और दो ज्येष्ठतम संकायाध्यक्ष होंगे।

धारा 49

2.13–छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष के रूप में नियुक्त अध्यापक, अध्यापक के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त संकायाध्यक्ष के कर्तव्यों का भी पालन करेगा।

2.14– छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष की पदावधि तीन वर्ष होगी, जब तक कि कार्य परिषद् द्वारा पहले ही समाप्त न कर दी जाय:

परन्तु इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को संकायाध्यक्ष का पद धारण करने वाला छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष परिनियम 2–12 के अधीन नियुक्त किया गया समझा जायेगा।

धारा 18 तथा 49 (ग)

2.15– (1) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष की सहायता अध्यापकों का (जिनका चयन अध्यादेशों में निर्धारित रीति से किया जायेगा) एक दल करेगा, जो अध्यापकों के रूप में अपने सामान्य कर्तव्यों के अतिरिक्त उक्त कर्तव्यों का पालन करेगा। इस प्रकार चुने गये अध्यापक छात्र कल्याण के सहायक संकायाध्यक्ष कहलायेंगे।

(2) छात्र कल्याण के सहायक संकायाध्यक्षों में से एक सहायक संकायाध्यक्ष विश्वविद्यालय की महिला अध्यापकों में से नियुक्त किया जायेगा; जो बालिका छात्रों के कल्याण की देखभाल करेंगी।

धारा 18 तथा 49 (ग) और (घ)

2.16– (1) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष तथा छात्र कल्याण के सहायक संकायाध्यक्षों का यह कर्तव्य होगा कि वे छात्रों को ऐसे मामलों में, जिनमें सहायता तथा मार्ग दर्शन अपेक्षित है सामान्यतः सहायता प्रदान करें, तथा विशेषतम् छात्रों तथा भावी छात्रों को,

(एक) विश्वविद्यालय तथा उसके पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने,

(दो) उपयुक्त पाठ्यक्रम तथा अभिरुचि का चुनाव करने,

(तीन) निवास स्थान ढूढ़ने,

(चार) भोजन व्यवस्था करने,

(पांच) चिकित्सकीय सलाह तथा सहायता प्राप्त करने,

(छ:) छात्रवृत्तियां, वृत्तिका, अंशकालिक नियोजन तथा अन्य आर्थिक सहायता प्राप्त करने,

(सात) अवकाश के दिनों तथा भौक्षिक अध्ययन यात्राओं के लिये यात्रा–सुविधायें प्राप्त करने,

(आठ) विदेश में अग्रतर अध्ययन की सुविधायें प्राप्त करने,

(नौ) विश्वविद्यालय की परम्परायें अक्षुण्य रहे, इस उद्देश्य से उन्हें विद्या अध्ययन करने में उचित रूप से संचालित होने में सहायता करना और सलाह देना।

(2) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष आवश्यकतानुसार किसी छात्र के संरक्षक से किसी मामले के सम्बन्ध में, जिससे उसको सहायता, अपेक्षित हो, सम्पर्क कर सकता है।

धारा 49 (ग) 2.17– छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष शारीरिक शिक्षा के अधीक्षक अथवा सहायक अधीक्षक, यदि कोई हो, तो विश्वविद्यालय के चिकित्सा अधिकारी पर सामान्य नियंत्रण रखेगा। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो कार्य परिषद या कुलपति द्वारा उसे सौंपे जायें।

धारा 13 (9) 2.18– कुलपति किसी छात्र के विरुद्ध अनुशासनिक आधार पर कोई कार्यवाही करने के पूर्व छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष से परामर्श कर सकते हैं।

धारा 49 (घ) 2.19– छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष को विश्वविद्यालय की निधियों से ऐसा मानदेय दिया जा सकता है जैसा कुलपति, राज्य सरकार के अनुमोदन से नियत करे।

विभागाध्यक्ष

धारा 49 2.20– विश्वविद्यालय में अध्यापन के प्रत्येक विभाग का ज्येष्ठतम अध्यापक उस विभाग का प्रधान होगा। उपरोक्त के स्थान पर निम्नांकित शासनादेश प्रभावी होगा।

1 विभागाध्यक्ष की नियुक्ति कुलपति द्वारा यथासम्भव चक्रानुक्रम के सिद्वान्तों का अनुपालन करते हुए की जायेगी। ऐसी नियुक्तियां कार्य परिषद को संसूचित की जायेगी।

2 खण्ड(1) में किसी बात को होते हुये भी यदि किसी कारणवश किसी वरिष्ठ शिक्षक की विभागाध्यक्ष पद पर नियुक्ति संभव नहीं हो सकी, जो वर्तमान (चक्रानुक्रम) में विभागाध्यक्ष के तो

रूप में सेवा कर चुके अथवा सेवा रहे कनिष्ठ शिक्षक/शिक्षकों से वरिष्ठ हैं, तो यह कुलपति के अधीन है कि वह सम्बन्धित विभाग में जब भी विभागाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उससे वरिष्ठ शिक्षक को विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, यदि वह इस प्रकार की नियुक्ति की पात्रता रखता है।

3 विभागाध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। एक व्यक्ति सामान्यतः दूसरी क्रमिक अवधि के लिये विभागाध्यक्ष पद पर नियुक्त नही होगा।

4 खण्ड(2) में किसी बात के होते हुए भी विभागाध्यक्ष की नियुक्ति लम्बित रहने तक अथवा अवकाश पद अनुपस्थित रहने की स्थिति में, कुलपति पूर्णरूपेण स्थानापन्न आधार पर स्थिति का आकलन करते हुए विभाग के आचार्य अथवा किसी उपाचार्य को विभागाध्येक्ष का तात्कालिक कर्तव्य निर्वहन करने अथवा विभागाध्यक्ष की भाँति कार्य करने का, जैसा भी प्रकरण हो, निर्देश दे सकते हैं।

टिप्पणी:—चक्रानुक्रम का सिद्धान्त वरिष्ठता क्रम में लागू होगा, जो व्यक्ति विभागाध्यक्ष के रूप में पहले सेवा कर चुका है अथवा कर रहा है, उसके तत्काल बाद जो वरिष्ठ शिक्षक है, वही विभागाध्यक्ष पद का अधिकारी होगा।

5 प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष एक आचार्य ही होगा, परन्तु यदि किसी विभाग में केवल एक ही आचार्य है अथवा कोई आचार्य विभागाध्यक्ष बनने की पात्रता रखता है तो उपाचार्य विभागाध्यक्ष नियुक्त हो सकता है और जब विभाग में कोई आचार्य या उपाचार्य विभागाध्यक्ष होने की पात्रता नही रखता

सम्बद्ध संकायाध्यक्ष उस विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

6 जिन विभाग के विभागाध्यक्षों ने अपना तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है उन्हें परिवर्तित कर दिया जाय तथा जिन विभागाध्यक्षों ने तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया है उन्हें विभागाध्यक्ष के रूप में शेष कार्यकाल पूरा करने के बाद ही परिवर्तित किया जाय।

7 परन्तु यह भी कि औषधि विभाग संकाय एवं दन्त विज्ञान के संकाय के विभागों में नियुक्ति वही प्राध्यापक विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु अर्ह होगें जो क्रमशः भारतीय चिकित्सा परिषद अथवा दन्त परिषद द्वारा निर्धारित स्नातकोत्तर उपाधि धारित करते हों।*

पुस्तकालयाध्यक्ष

धारा 49 2.21–(1) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, एक पूर्णकालिक पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। पुस्तकाल–याध्यक्ष एक चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे, उसकी सिफारिश पर कार्य परिषद द्वारा नियुक्त किया जायेगा, अर्थात्–

(क) कुलपति, और

(ख) पुस्तकालय विज्ञान के दो विशेषज्ञ, जो कुलाधिपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(2) जब तक खण्ड (1) के अधीन नियुक्त पुस्तकालयाध्यक्ष अपने पद का कार्यभार न सम्भाले तब तक कार्य परिषद ऐसी

---

* शासनादेश संख्याः 1736/सत्तर–1–2000–2001–15(55)/82, दिनांक 24.07.2001 का संलग्नक।

अवधि के लिये जिसे वह उचित समझे, विश्वविद्यालय के आचार्यों में से किसी को अवैतनिक पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त कर सकती है।

धारा 49(ग) 2.22– पुस्तकालयाध्यक्ष की अर्हतायें ऐसी होंगी जैसी अध्यादेशों में की जाये।

2.23– पुस्तकालयाध्यक्ष की परिलब्धियों ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जायें।

2.24– विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का अनुरक्षण तथा उसकी सेवाओं को ऐसी रीति से जो अध्यापन कार्य तथा अनुसंधान कार्य के हित में सर्वाधिक सहायक हों, संगठित करना पुस्तकालयाध्यक्ष का कर्तव्य होगा।

2.25– पुस्तकालयाध्यक्ष कुलपति के अनुशासनिक नियंत्रण में रहेगा, परन्तु उसे अनुशासनिक कार्यवाहियों में अपने विरूद्ध कार्य परिषद को अपील करने का अधिकार होगा।

प्राक्टर

धारा 18 तथा तथा 49 (ग) 2.26– प्राक्टर विश्वविद्यालय के अध्यापकों में से कुलपति की सिफारिश पर, कार्य परिषद द्वारा नियुक्त किया जायेगा। प्राक्टर कुलपति को विश्वविद्यालय के छात्रों के सम्बन्ध में अनुशासनिक प्राधिकार का प्रयोग करने में सहायता देगा, और अनुशासन के सम्बन्ध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन भी करेगा जो उसे कुलपति द्वारा इस निमित सौंपे जायें।

धारा 49 (ग) 2.27– प्राक्टर की सहायता के लिये सहायक प्राक्टर होंगे जिनकी संख्या कार्य परिषद द्वारा समय–समय पर निश्चिंत की जायेगी।

2.28– कुलपति प्राक्टर के परामर्श से सहायक प्राक्टर नियुक्त करेंगे।

धारा 49 (ग) तथा (ड.) 2.29– प्राक्टर तथा सहायक प्राक्टर एक वर्ष के लिये पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होंगे।

परन्तु जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न हो जो, प्रत्येक प्राक्टर अथवा सहायक प्राक्टर पद पर बना रहेगा।

परन्तु यह और कि कार्य परिषद कुलपति की सिफारिश पर प्राक्टर को उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व हटा सकती है।

परन्तु यह भी कि कुलपति किसी सहायक प्राक्टर को उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व हटा सकते हैं।

2.30– प्राक्टर तथा सहायक प्राक्टरों को विश्वविद्यालय की निधियों से ऐसा मानदेय दिया जा सकता है जैसा कुलपति राज्य सरकार के अनुमोदन से, निश्चित करें।

अध्याय–3

कार्य–परिषद्

धारा 20(1)(ग) 3.01– संकायों के संकायाध्यक्ष, जो धारा 20 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन कार्य–परिषद के सदस्य होंगे, उसी क्रम में चुने जायेंगे जिस क्रम में विभिन्न संकायों के नाम परिनियम 7.01 में प्रगणित हैं।

धारा 20(1)(घ) 3.02– धारा 20 की उपधारा (1) के खण्ड (1) के उपखण्ड (घ) के अधीन विश्वविद्यालयों के आचार्यों, उपचार्यों, और प्राध्यापकों का प्रतिनिधित्व निम्न प्रकार से होगा:–

(क) एक आचार्य जिनका चयन ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से किया जायेगा।

(ख) एक उपाचार्य जिनका चयन ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से किया जायेगा।

(ग) एक प्राध्यापक जिनका चयन ज्येष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम से किया जायेगा।

30.3–सम्बद्ध महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य और दो अध्यापक जो, यथास्थिति, ऐसे प्राचार्य या अध्यापक के रूप में ज्येष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम से चयनित होंगे, धारा 20 की उपधारा (1) के खण्ड (2) के उपखण्ड (घ) के अधीन कार्य परिषद के सदस्य होंगे।

धारा 20(1)(च) 3.04–धारा 20 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन चुने गये व्यक्ति बाद में विश्वविद्यालय संस्थान, घटक महाविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के छात्र निवास या छात्रावास

का छात्र होने या उसकी सेवा स्वीकार कर लेने पर कार्य परिषद के सदस्य नहीं रह जायेंगे।

धारा 49 (क) तथा धारा (ख) 3.05–कोई व्यक्ति एक से अधिक हैसियत से कार्य परिषद का न तो सदस्य होगा और न सदस्य बना रहेगा, और जब कभी कोई व्यक्ति एक से अधिक हैसियत से कार्य–परिषद का सदस्य हो जाए, तो वह उसके दो सप्ताह के भीतर यह चुन लेगा कि वह किस हैसियत से कार्य–परिषद का सदस्य रहना चाहता है और दूसरा स्थान रिक्त कर देगा। यदि वह इस प्रकार चुनाव न करें, तो यह समझा जायेगा कि उसने उस स्थान को उपर्युक्त दो सप्ताह की अवधि की समाप्ति के दिनांक से रिक्त कर दिया है, जिस पर समय की दृष्टि से वह पहले से असीन था।

धारा 21 (8) 3.06–कार्य परिषद अपनी कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा पारित संकल्प से विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किसी समिति को अपनी ऐसी शक्तियां जिन्हें वह ठीक समझे, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें संकल्प में निर्दिष्ट किया जाय, प्रत्योजित कर सकती है।

धारा 20 तथा 3.07–कार्य परिषद् के अधिवेशन कुलपति को निर्देश से बुलाये जायेंगे।

49 (ख) 3.08–कार्य परिषद् ऐसे किसी प्रस्ताव पर जिसमें वित्तीय प्राविधान अन्तग्रस्त हो, विचार करने के पूर्व वित्त अधिकारी की राय प्राप्त करेगी।

अध्याय–4

सभा

अध्यापकों आदि का प्रतिनिधित्व

धारा 22(1)(सात) 4.01–विश्वविद्यालय और उसके घटक महाविद्यालयों तथा संस्थानों के, यदि कोई हों, छात्रावासों तथा छात्र निवासों के दो ऐसे प्रावोस्ट तथा वार्डेन, धारा 22 की उपधारा (1) के खण्ड (सात) के अधीन सभा के सदस्य होंगे, उनका चयन प्रोवोस्ट तथा वार्डेन के रूप में उसकी लगातार दीर्घकालिक सेवा के आधार पर चक्रानुक्रम से किया जायेगा।

धारा 22 (1)(ix) 4.02–(1) ऐसे पन्द्रह अध्यापक, जो धारा 22 की उपधारा (1) के खण्ड (9) के अधीन सभा के सदस्य होंगे, उनका चयन निम्नलिखित रीति से किया जायेगा,

(क) विश्वविद्यालय के तीन आचार्य,

(ख) विश्वविद्यालय के दो उपाचार्य,

(ग) विश्वविद्यालय के दो प्राध्यापक,

(घ) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष,

(ड.) सम्बद्ध महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य,

(च) सम्बद्ध महाविद्यालयों के चार अन्य अध्यापक,

(2) उपर्युक्त आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों, प्राचार्यों तथा अन्य अध्यापकों का चयन, यथास्थिति आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक, प्राचार्य अथवा अन्य अध्यापक के रूप में उनकी ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा।

धारा 22 (1)(x) तथा 64 (3)

4.03–(1) सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र के दो प्रतिनिधि जो धारा 22 की उपधारा (1) के खण्ड (x) के अधीन सभा के सदस्य होंगे, उनका नाम निर्देशन कुलपति द्वारा दीर्घतम अवधि वाले महाविद्यालयों से प्रारम्भ करके चक्रानुक्रम से किया जायेगा।

(2) प्रतिनिधित्व करने वाला प्रबन्धतंत्र, सभा के किसी अधिवेशन में अपने किसी सदस्य, जिसके अन्तर्गत सभापति भी हैं, को भेजने के लिए स्वतंत्र होगा।

स्नातकों का रजिस्ट्रीकरण तथा सभा में उनका प्रतिनिधित्व

धारा 16 (4) तथा 49(य)

4.04–कुलसाचिव अपने कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत स्नातकों का धारा एक रजिस्टर रखेगा जिसे आगे इस अध्याय में रजिस्टर कहा गया है।

धारा 49 (य)

4.05–रजिस्टर में निम्नलिखित विवरण होंगे–

(क) रजिस्ट्रीकृत स्नातकों का नाम तथा पता–

(ख) उनके स्नातक होने का वर्ष,

(ग) विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों का नाम जहां से स्नातक हुये,

(घ) रजिस्टर में स्नातक का नाम दर्ज किये जाने का दिनांक

(ड.) ऐसे अन्य ब्योरे, जिनके बारे में कार्य–परिषद् समय–समय पर निर्देश दें।

टिप्पणी– ऐसे रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के नाम काट दिये जायें जिनकी मृत्यु को गई हो।

धारा 49 (थ) 4.06–विश्वविद्यालयों का प्रत्येक स्नातक कार्य–परिषद् द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में आवेदन पत्र देने पर और इक्यावन रूपये की फीस देने पर रजिस्टर में अपना नाम उसे दीक्षांत समारोह के दिनांक से दर्ज कराने का हकदार होगा, जिसमें वह उपाधि प्रदान की गई थी या उसके उपस्थित रहने पद प्रदान की गई होती, जिसके आधार पर उपका नाम दर्ज करना है। आवेदन पत्र पर स्नातक द्वारा स्वयं दिया जायेगा और उसे या तो स्वयं कुलसचिव को दिया जा सकता है या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जा सकता है। यदि दो उससे अधिक आवेदन पत्र एक ही आवरण में प्राप्त हों, तो उन्हें अस्वीकार कर दिया जायेगा। परन्तु किसी अन्य विश्वविद्यालय से मूल रूप से सम्बद्ध और अब विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रत्येक स्नातक भी विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रीकृत स्नातक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकता है, यदि वह उपाधि के आधार पर किसी अन्य विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रीकृत स्नातक न हों।

4.07–आवेदन पत्र प्राप्त होने पर कुलसचिव, यदि ज्ञात हो कि स्नातक सम्यक रूप से अर्ह है और विहित फीस दे दी गयी है, आवेदक का नाम रजिस्टर में दर्ज करेगा।

4.08–कोई रजिस्ट्रीकृत स्नातक, जिसका नाम निर्वाचन की अधिसूचना के दिनांक के पूर्ववर्ती 30 जून को एक वर्ष या उससे अधिक रजिस्टर में लिखा हो, रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन में मत (वोट) देने का हकदार होगा।

धारा 22 (1)(xi) तथा 49 (थ)

4.09—कोई रजिस्ट्रीकृत स्नातक धारा 22 की उपधारा 1 के खण्ड (xi) के अधीन निर्वाचन में खड़े होने के लिये पात्र होगा, यदि उसका नाम निर्वाचन के दिनांक के पूर्ववर्ती 30 जून को कम से कम तीन वर्ष तक रजिस्टर में दर्ज हो।

4.10—धारा 22 की उपधारा (1) के खण्ड (xi) के अधीन निर्वाचन रजिस्ट्रीकृत स्नातकों का प्रतिनिधि विश्वविद्यालय या किसी, सम्बद्ध महाविद्यालय की सेवा में प्रवेश करने अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध हो जाने पर अथवा छात्र हो जाने पर सदस्य नहीं रह जायेगा, और इस प्रकार रिक्त हुए स्थान को ऐसे उपलब्ध व्यक्ति द्वारा जिसे पिछले निर्वाचन के समय ठीक बाद में पड़ने वाले अधिकतम प्राप्त हुए हों, शेष कार्यकाल के लिए भरा जायेगा।

धारा 22(1)(xi) और (xii)

4.11— कोई रजिस्ट्रीकृत स्नातक, जो पहिले से ही किसी अन्य हैसियत से सभा का सदस्य हो रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के प्रतिनिधित्व के रूप में खड़ा हो सकता है और इस प्रकार निर्वाचित हो जाने पर परिनियम 3.05 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

धारा 22(1)(xi)

4.12— इस अध्याय के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्नातकों का निर्वाचन परिशिष्ट "क" में निर्धारित आनुपातिका प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायेगा।

धारा 22(2) तथा 49 (ख)

4.13— सभा के सदस्यों का कार्यकाल सभा के प्रथम अधिवेशन के दिनांक से प्रारम्भ होगा।

अध्याय–5

विद्या–परिषद्

धारा 25(2)(vi) 5.01– सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों की ज्येष्ठताक्रम में चयनित प्राचार्य का 25 की उपधारा (2) के खण्ड (vii) के अधीन विद्या परिषद् के सदस्य होंगे।

5.02– जो 15 अध्यापक धारा 25 की उपधारा (2) के खण्ड (आठ) के अधीन विद्या परिषद् के सदस्य होंगे, उनका चयन निम्नलिखित रीति के किया जायेगा–

(क) ज्येष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय के चार उपाचार्य

(ख) ज्येष्ठताक्रम से विश्वविद्यालय के चार प्राध्यापक,

(ग) ज्येष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम से सम्बद्ध महाविद्यालयों के सात अध्यापक (जो प्राचार्य न हों)।

परन्तु ऊपर खण्ड (क) में अपेक्षित संख्या में पात्र व्यक्तियों की अनुपलब्धता की दशा में, कमी को पूरा करने के लिये सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों का चयन किया जायेगा।

टिप्पणी– (1) विश्वविद्यालय के एक संकाय के एक से अधिक उपाचार्य तथा एक से अधिक प्राध्यापक, और एक सम्बद्ध महाविद्यालय के दो से अधिक अध्यापक परिनियम के अधीन सदस्य नहीं होंगे।

(2) विश्वविद्यालय के एक संकाय के एक से अधिक उपाचार्य और प्राध्यापक तथा एक महाविद्यालय के दो से अधिक अध्यापक

विद्या परिषद् के सदस्य होने के हकदार होने की दशा में उपाचार्य, प्राध्यापक तथा अध्यापक जो इस प्रकार रह जायेंगे उनकी बारी चक्रानुक्रम से अगली बार आयेगी।

धारा 25 (2)(xi) तथा 49 (ख) 5.03–शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठतम पांच व्यक्ति, जो धारा 25 की उपधारा (2) के खण्ड (xi) के अधीन विद्या परिषद् के सदस्य होंगे। उनका सहयोजन खण्ड 1 से (x) में उल्लिखित सदस्यों द्वारा, जिनका अधिवेशन कुलसचिव बुलायेगा, उन व्यक्तियों में से किया जायेगा जो विश्वविद्यालय या सम्बद्ध **महा**विद्यालय के कर्मचारी न हों।

धारा 25 (3)5.04 तथा धारा 49(ख) धारा 25 की उपधारा (2) के खण्ड (छः), (सात),(आठ) और (ग्यारह) के अधीन सदस्य तीन वर्ष के लिये पद धारण करेंगे।

धारा 25 (1)(ग) 5.05–अधिनियम, परिनियमावली तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, विद्या परिषद् की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्

(एक) अध्ययन बोर्ड के द्वारा संकायों के माध्यम से प्रेषित पाठ्यक्रम विषयक प्रस्तावों की संवीक्षा करना और उन पर अपनी सिफारिश करना तथा कार्य परिषद् के विचारार्थ उन सिद्धान्तों और मापदण्डों की सिफारिश करना जिनके आधार पर परीक्षकों और निरीक्षकों को नियुक्त किया जाय,

(दो) सभा अथवा कार्य परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट किये गये या सौंपे गये किसी भी विषय पर रिपोर्ट देना,

(तीन) अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के डिप्लोमा तथा उपाधियों को मान्यता देने और विश्वविद्यालय के डिप्लोमा तथा उपाधियों या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित

इण्टरमीडिएट परीक्षा के प्रति उनकी समकक्षता के विषय में कार्य परिषद् को सलाह देना।

(चार) विश्वविद्यालय की विभिन्न उपाधियों तथा डिप्लोमा के लिये विषय विशेष में शिक्षण देने वाले व्यक्तियों की अपेक्षित अर्हताओं के सम्बन्ध में कार्य परिषद् को सलाह देना, और

(पाँच) शिक्षा सम्बन्धी विषयों के सम्बन्ध में ऐसे सभी कर्तव्यों का पालन करना और ऐसे सभी कृत्यों को करना जो अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों को उचित रूप से कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हों।

धारा 25 तथा धारा 49 (ख) — 5.06—विद्या परिषद का अधिवेशन कुलपति के निर्देश से बुलाया जायेगा।

अध्याय–6

वित्त समिति

धारा 49 (ख) 6.01–धारा 26 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट व्यक्ति की सदस्यता की अवधि एक वर्ष होगी, परन्तु वह अपने उत्तराधिकारी के निर्वाचन तक पद पर बना रहेगा। कोई भी ऐसा सदस्य लगातार तीन बार से अधिक पद धारण नहीं करेगा।

धारा 26 (3) तथा 49 (क) 6.02–व्यय की ऐसी नई मदें जो पहले से ही वित्तीय अनुमान में सम्मिलित न हों वित्त समिति को निर्दिष्ट की जायेगी:–

(एक) अनावर्ती व्यय की दशा में, यदि उसमें दस हजार रुपयों या उससे अधिक का व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, और

(दो) आवर्ती व्यय की दशा में, यदि उसमें तीन हजार रुपये या इससे अधिक का व्यय अन्तर्ग्रस्त हो–

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यह अनुमति न होगी कि वह किसी ऐसे मद को जो एक बजट शीर्षक के अन्तर्गत आने वाली अनेक भागों में विभाजित की गयी हो, छोटी–छोटी धनराशियों की बहुत सी मदें मानकर कार्य करे और वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत न करें।

धारा 26 (3) तथा 49 (क) 6.03 वित्त समिति ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व, जिसकी अध्यादेशों द्वारा इस निमित्त व्यवस्था की जाय, परिनियम 6.02 अथवा परिनियम 6.04 के अधीन उसको निर्दिष्ट की गई व्यय की समस्त मदों पर विचार करेगी और उन पर अपनी सिफारिशें यथा शीघ्र देगी और कार्य–परिषद् को संसूचित क

धारा 26 (3) तथा 49 (क) 6.04—यदि कार्य परिषद् वार्षिक वित्तीय अनुमान (अर्थात् बजट) पर विचार करने के पश्चात् किसी समय उसमें किसी ऐसे पुनरीक्षण का प्रस्ताव करें, जिससे परिनियम 6.02 में निर्दिष्ट या अनावर्ती धनराशि का व्यय अन्तर्ग्रस्त हो तो कार्य परिषद् वित्त समिति को प्रस्ताव निर्दिष्ट करेगी।

धारा 26 (1) तथा 49 (क) 6.05—वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किया गया विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा तथा वित्तीय अनुमान वित्त समिति के समक्ष विचार के लिए रखा जायेगा तथा तत्पश्चात कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

धारा 22 (3) तथा धारा 49(क) 6.06—वित्त समिति के किसी सदस्य को असहमति अभिलिखित करने का अधिकार होगा, यदि वह वित्त समिति के किसी विनिश्चय से सहमत न हो।

धारा 26 (3) तथा 49 (क) 6.07—लेखा की परीक्षा करने तथा व्यय के प्रस्तावों की संवीक्षा करने के लिये वित्त समिति का प्रति वर्ष कम से कम दो बार अधिवेशन होगा।

धारा 15 (7) तथा 49 (ग) 6.08—वित्त समिति के अधिवेशन कुलपति के निर्देश से बुलाये जायेंगे और वित्त अधिकारी द्वारा ऐसे अधिवेशनों को बुलाने के लिये सभी नोटिसें जारी की जायेंगी और सभी अधिवेशनों का कार्यवृत्त रखा जायेगा।

अध्याय–7

संकाय

धारा 27 (1) 7.01 विश्वविद्यालय में निम्नलिखित संकाय होंगे, अर्थात:–

(क) कृषि संकाय

(ख) कला संकाय

(ग) वाणिज्य संकाय

(घ) शिक्षा संकाय

(ङ) विधि संकाय

(च) विज्ञान संकाय

(छ) प्रबन्ध अध्ययन संकाय

(ज) अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी संकाय

(झ) इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संकाय

(ञ) औषध संकाय

कृषि संकाय

धारा 27 (3) 7.02 कृषि संकाय का बोर्ड निम्नलिखित प्रकार से गठित किया जायेगा–

(एक) संकाय का संकायाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा।

(दो) संकाय में पढ़ाये जाने वाले विषयों के विभागाध्यक्ष तथा आचार्य।

(तीन) सम्बद्ध महाविद्यालयों के सभी प्राचार्य जो संकाय को सौंपे गये विषयों के अध्यापक हों, यदि ऐसे प्राचार्य की संख्या दो से कम हो तो कृषि विज्ञान पढ़ाने वाले महाविद्यालयों के दो प्राचार्य, ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से एक वर्ष की अवधि के लिए।

(चार) संकाय में प्रत्येक विभाग से आचार्यों या विभागाध्यक्षों से भिन्न विश्वद्यिालय का एक अध्यापक ज्येष्ठता क्रम में, चक्रानुक्रम से एक वर्ष की अवधि के लिए।

(पाँच) इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक महाविद्यालय का एक अध्यापक जो बी० एस–सी० (कृषि) पढ़ाने के लिए हो, ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से एक वर्ष की अवधि के लिए।

(छः) उन विषयों के जो संकाय को सौंपे न गये हों, किन्तु जिनका विद्या परिषद् की राय में इस प्रकार सौंपे गये विषय में से महत्वपूर्ण सम्बन्ध हो, तीन अध्यापक जो विद्या परिषद् द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये जायें, जिनमें से एक सांख्यिकी पढ़ाने वाला अध्यापक हो।

(सात) जो व्यक्ति विश्वविद्यालय सम्बद्ध महाविद्यालय या छात्र निवास की सेवा में न हों, उनमें से पांच से अनधिक ऐसे व्यक्ति जिनका संकाय में सौंपे गये विषयों में विशेषज्ञ होने के कारण विद्या परिषद् नाम–निर्दिष्ट करें।

धारा 27 (3) 7.03 कृषि संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे–

1– कृषि वनस्पति विज्ञान

2– कृषि रसायन विज्ञान

3– कृषि प्राणि विज्ञान और कीट विज्ञान

4— कृषि अर्थशास्त्र

5— कृषि प्रसार

6— औद्यानिकी

7— वनस्पति रोग विज्ञान

8— पशुपालन और दुग्ध उद्योग

9— भूमि संरक्षण

10— कृषि इंजीनियरिंग

11— शस्य विज्ञान

12— आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन

कला संकाय

धारा 27 (3) 7.04 कला संकाय का बोर्ड निम्नलिखित प्रकार से गठित किया जायेगा—

(एक) संकाय का संकायाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा।

(दो) संकाय में पढ़ाये जाने वाले विषयों के विभागाध्यक्ष तथा आचार्य।

(तीन) संकाय को सौंपे गये प्रत्येक अध्यापन विभाग से प्रतिवर्ष ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से एक उपाचार्य तथा एक प्राध्यापक जो विभागाध्यक्ष न हो।

(चार) सम्बद्ध महाविद्यालयों के ऐसे प्राचार्य, जो संकाय को सौंपे गये विषयों के अध्यापक हों।

(पांच) संकाय में सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों से भिन्न ज्येष्ठता क्रम में तीन अध्यापक एक वर्ष की अवधि के लिए

परन्तु एक ही विषय को प्राध्यापित करने वाले दो अध्यापक एक महाविद्यालय के नहीं होंगे, यदि एक ही विषय के अध्यापन के लिए एक से अधिक महाविद्यालय को मान्यता प्राप्त हो। इस प्रकार छोड़ दिये गये अध्यापक की चक्रानुक्रम से, अगली बार बारी होगी।

(छः) जिस संकाय में स्नातकोत्तर उपाधि के लिये अथवा स्नातकोत्तर उपाधि की परीक्षा के भाग एक अथवा दो के लिए स्वतन्त्र पाठ्यक्रम विहित हो उस संकाय में पढ़ाये जाने वाले पाठ्य विषय की प्रत्येक शाखा का ज्येष्ठतम किसी अन्य अध्यापक, जब तक कि वह शाखा किसी अन्य शीर्षक के अन्तर्गत आने वाले सदस्य द्वारा न पढ़ाई जाती हो।

(सात) जो व्यक्ति विश्वविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालयों अथवा छात्र निवास की सेवा में न हों, उनमें से पांच से अनधिक ऐसे व्यक्ति जिनको संकाय में पढ़ाये जाने वाले विषयों में विशेषज्ञ होने के कारण विद्या परिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट करें।

धारा 27 (3) 7.05 कला संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे–

1. संस्कृत तथा प्राकृत भाषाएँ।
2. हिन्दी तथा आधुनिक भारतीय भाषाएँ।
3. अरबी, फारसी और उर्दू।
4. अंग्रेजी तथा आधुनिक यूरोपीय भाषाएँ।

5. दर्शनशास्त्र।

6. मनोविज्ञान।

7. शिक्षा विज्ञान।

8. अर्थशास्त्र।

9. राजनीति विज्ञान

10. मानवशास्त्र

11. प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति

12. मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास

13. समाज–विज्ञान

14. भूगोल

15. ललित कला तथा संगीत

16. पुस्तकालय विज्ञान

17. सामाजिक कार्य*

वाणिज्य संकाय

धारा 27 (3) 7.06 वाणिज्य संकाय का बोर्ड निम्नलिखित प्रकार से गठित किया जायेगा–

(एक) वाणिज्य संकाय का संकायाध्यक्ष जो अध्यक्ष होगा।

---

* अधिनियम की धारा 50(2) अन्तर्गत कुलाधिपति के आदेश संख्या–4544 / जी0एस0,दिनांक 04.07.2006

(दो) संकाय में पढ़ाये जाने वाले विषयों के समस्त विभागाध्यक्ष तथा आचार्य।

(तीन) संकाय को सौंपे गये प्रत्येक अध्यापन विभाग के प्रति वर्ष, ज्येष्ठता–क्रम में चक्रानुक्रम से दो उपाचार्य तथा एक प्राध्यापक, जो विभागाध्यक्ष न हो।

(चार) किस सम्बंद्ध महाविद्यालय का एक प्राचार्य जो संकाय को सौंपे गये विषय का अध्यापक हो, ज्येष्ठता–क्रम में, चक्रानुक्रम में तीन वर्ष की अवधि के लिये।

(पांच) सम्बद्ध महाविद्यालयों के दो अन्य अध्यापक जो संकाय को सौंपे गये विषयों के अध्यापक हों, ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से तीन वर्ष की अवधि के लिए।

(छ:) विश्वविद्यालय के उन विषयों के जो वाणिज्य संकाय को सौंपे न गये हों, किन्तु जिनका विद्या परिषद् की राय में इस प्रकार सौंपे गये विषयों से महत्वपूर्ण सम्बन्ध हों, दो से अनधिक अध्यापक जो विद्या परिषद् द्वारा संकाय में नाम निर्दिष्ट किये जायें।

(सात) जो व्यक्ति विश्वविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय या छात्र निवास की सेवा में न हो उनमें से पाँच से अनधिक ऐसे व्यक्ति जिनको संकाय में पढ़ाये जाने वाले विषयों में विशेषज्ञ होने के कारण परिषद् की विद्या परिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाय।

7.07 वाणिज्य संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे–

(1) वाणिज्य

शिक्षाशास्त्र संकाय

धारा 27 (3) 7.08 शिक्षा शास्त्र संकाय का बोर्ड निम्नलिखित प्रकार से गठित किया जायेगा।

(एक) संकाय का संकायाध्यक्ष अध्यक्ष होगा।

(दो) संकाय में पढ़ाये जाने वाले विषयों के समस्त आचार्य।

(तीन) विश्वविद्यालय के निम्नलिखित विषयों के जो शिक्षा शास्त्र संकाय को सौंपे न गये हों, पढ़ाने वाले अध्यापकों में से दो अध्यापक, ज्येष्ठता क्रम में, चक्रानुक्रम में एक वर्ष की अवधि के लिए–

(1) मनोविज्ञान

(2) दर्शन शास्त्र

(3) भूगोल

(4) ललित कला

(चार) संकाय को सौंपे गये विषयों के एक उपाचार्य और दो प्राध्यापक ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से एक वर्ष की अवधि के लिए।

(पांच) संकाय को सौंपे गये विषयों को पढ़ाने वाले सम्बद्ध महाविद्यालयों के तीन अध्यापक जिसमें प्राचार्य भी सम्मिलित है, ज्येष्ठताक्रम में, चक्रानुक्रम से एक वर्ष की अवधि के लिए:

परन्तु एक ही सम्बद्ध महाविद्यालय का एक से अधिक अध्यापक इस खण्ड के अधीन एक साथ ही सदस्य नहीं होंगे।

(छः) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी (पदेन)।

(सात) तीन ऐसे व्यक्ति जो संकाय को सौंपे गये विषयों में विशेष ज्ञान रखते हों, किन्तु जो विश्वविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालयों या छात्र निवास की सेवा में न हों, जिन्हें विद्या परिषद् एक वर्ष की अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट करें।

7.09 शिक्षा संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे–

(1) शिक्षा शास्त्र।

विधि संकाय

धारा 27 (3) 7.10 विधि संकाय का बोर्ड जो निम्नलिखित प्रकार से गठित किया गया हो–

(एक) संकाय का संकायाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा।

(दो) संकाय के विभागाध्यक्ष तथा समस्त आचार्य।

(तीन) निम्नलिखित विषयों, के जो विधि संकाय को सौंपे नहीं गये हैं, अर्थात् राजनीति शास्त्र, संवैधानिक इतिहास तथा वाणिज्य में दो से अनधिक विश्वविद्यालय के अध्यापक।

(चार) दो उपाचार्य तीन प्राध्यापक जो विभागाध्यक्ष न हों, प्रतिवर्ष ज्येष्ठता क्रम में, चक्रानुक्रम से।

(पांच) आठ व्यक्ति, जिनमें से चार उत्तर प्रदेश में स्थापित अन्य विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा चार गैर अध्यापक विधि विशेषज्ञ होने के कारण विद्या परिषद् नाम–निर्दिष्ट करें।

(छः) जनपद न्यायधीश, जौनपुर (पदेन)।

धारा 27 (2) 7.11 विधि संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे–

(1) विधि

विज्ञान संकाय

धारा 27 (3) 7.12 विज्ञान संकाय का बोर्ड निम्नलिखित प्रकार से गठित किया जायेगा–

(एक) संकाय का संकायाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा।

(दो) संकाय में पढ़ाये जाने वाले विषयों के समस्त विभागाध्यक्ष तथा आचार्य

(तीन) संकाय के प्रत्येक अध्यापन विभाग का, विभागाध्यक्ष से भिन्न एक उपाचार्य और एक प्राध्यापक प्रति वर्ष ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से।

(चार) सम्बद्ध महाविद्यालयों के ऐसे प्राचार्य, जो संकाय को सौंपे गये विषयों के अध्यापक हों।

(पांच) संकाय में सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों से भिन्न ज्येष्ठता क्रम में, तीन अध्यापक एक वर्ष की अवधि के लिए :–

परन्तु एक ही विषय को प्राध्यापित करने वाले दो अध्यापक एक ही महाविद्यालय के नहीं होंगे, यदि एक ही विषय के अध्यापन के लिए एक से अधिक महाविद्यालय को मान्यता प्राप्त हो। इस प्रकार छोड़ दिये गये अध्यापकों की बारी, चक्रानुक्रम से अगली बार होगी।

(3) स्नातकोत्तर उपाधि के लिए अथवा ऐसी उपाधि की परीक्षा के भाग 1 या 2 के लिये पढ़ाये जाने वाले पाठ्य विषय की प्रत्येक शाखा का ज्येष्ठतम अध्यापक जब तक कि वह शाखा

किसी अन्य शीर्षक के अन्तर्गत आने वाले सदस्य के द्वारा न पढ़ाई जाती हो।

(सात) जो व्यक्ति विश्वविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय या छात्र निवास की सेवा में न हों, उनमें से पांच से अनधिक संख्या में ऐसे व्यक्ति जिनकों संकाय में पढ़ायें जाने वाले विषयों में विशेषज्ञ होने के कारण विद्या परिषद् नाम निर्दिष्ट करें।

(1) भौतिक विज्ञान

(2) रसायन विज्ञान

(3) वनस्पति विज्ञान

(4) प्राणि विज्ञान

(5) गणित

(6) सांख्यिकी

(7) भूगर्भ भास्त्र

(8) सुरक्षा अध्ययन

(9) गृह विज्ञान

(10) कम्प्यूटर विज्ञान

(11) जैव–रसायन

(12) जैव तकनीकी

(13) आहार एवं पोषण

(14) सूक्ष्म जैविकी

(15) औद्योगिक मत्स्य एवं मत्स्य विज्ञान

(16) औद्योगिक रसायन

(17) रेशम कीट संवर्द्धन

(18) शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा एवं खेल–कूद

(19) पर्यावरण विज्ञान*1

(20) अनुप्रयुक्त सूक्ष्म जैविकी*2

(21) अनुप्रयुक्त जैव रसायन*3

प्रबन्ध अध्ययन संकाय

धारा 27 (3) 7.14 प्रबन्ध अध्ययन संकाय निम्नलिखित प्रकार से गठित किया जायेगा–

(एक) संकाय का संकायाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा।

(दो) संकाय में पढ़ाये जाने वाले विषयों के विभागाध्यक्ष एवं समस्त आचार्य।

(तीन) संकाय को सौंपे गये प्रत्येक अध्यापन विभाग से एक उपाचार्य और एक प्राध्यापक जो विभागाध्यक्ष न हों, प्रतिवर्ष ज्येष्ठताक्रम में, चक्रानुक्रम से।

(चार) सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों के ऐसे प्राचार्य/निदेशक जो संकाय को सौंपे गये विषयों के शिक्षक हों।

(पांच) संकाय में सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं के

---

*1-3 संख्या– इ. स. 2552/जी.एस., दिनांक 24.04.2006

प्राचार्यों/निदेशकों से भिन्न ज्येष्ठता क्रम में तीन अध्यापक एक वर्ष की अवधि के लिए :–

परन्तु एक ही विषय को प्राध्यापित करने वाले दो अध्यापक एक ही महाविद्यालय/संस्थान के नहीं होंगे। यदि एक ही विषय के अध्यापन के लिए एक से अधिक महाविद्यालय/संस्थान को मान्यता प्राप्त हो। इस प्रकार छोड़ दिये गये अध्यापकों की बारी, चक्रानुक्रम से, अगली बार होगी।

(छः) जिस संकाय में स्नातकोत्तर उपाधि के लिए अथवा ऐसी उपाधि की परीक्षा के भाग–1 या 2 के लिए स्वतन्त्र पाठ्यक्रम विहित हो, उस संकाय में पढ़ाये जाने वाले पाठ्य विषय की प्रत्येक शाखा को ज्येष्ठतम अध्यापक तब तक कि वह शाखा किसी अन्य शीर्षक के अन्तर्गत आने वाले सदस्य के द्वारा न पढ़ाई जाती हो।

(सात) जो व्यक्ति विश्वविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय/ संस्थान या छात्र निवास की सेवा में न हो, उनमें से पाँच से अनधिक संख्या में ऐसे व्यक्ति जिनको संकाय में पढ़ाए जाने वाले विषयों में विशेषज्ञ होने के कारण विद्या परिषद नाम निर्दिष्ट करें।

7.15 प्रबन्ध अध्ययन संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे–

(1) व्यवसाय प्रबन्ध/प्रशासन (बी0बी0ए0 एवं एम0बी0ए0 पाठ्यक्रम)

(2) मानव संसाधन विकास

(3) होटल प्रबन्ध

(4) यात्रा एवं पर्यटन प्रबन्ध

(5) कार्यालय प्रबन्ध एवं साचिविक व्यवसाय।

(6) व्यावसायिक अर्थशास्त्र*[1]

(7) वित्त एवं नियंत्रण*[2]

अनुप्रयुक्त समाज विज्ञान एवं मानविकी संकाय

धारा 27 (3) 7.16 अनुप्रयुक्त समाज विज्ञान एवं मानविकी संकाय आवश्यक परिवर्तनों के साथ परिनियम 7.18 के वर्णन के अनुसार गठित किया जायेगा।

7.17 अनुप्रयुक्त समाज विज्ञान एवं मानविकी संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे–

(1) जनसंचार एवं पत्रकारिता

(2) व्यवसायिक अर्थशास्त्र*[3]

(3) वित्त एवं नियंत्रण*[4]

(4) अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान

(5) पर्यटन।

---

*1-2 राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक संख्या ई0 5833/जी0 एस0, दिनांक 2 अक्टूबर, 2008।

*3-4 राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक संख्या ई0 5833/जी0 एस0, दिनांक 2 अक्टूबर, 2008 के आलोक में क्रम संख्या 2 एवं 3 विलुप्त किया गया।

इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संकाय

धारा 27 (3) 7.18 इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संकाय का बोर्ड निम्नलिखित प्रकार से गठित किया जायेगा।

(एक) संकाय का संकायाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा।

(दो) संकाय में पढ़ाये जाने वाले विषयों के सभी विभागाध्यक्ष और सभी आचार्य।

(तीन) विश्वविद्यालय में भौतिक, गणित और रसायन विभाग के विभागाध्यक्ष।

(चार) संकाय में प्रत्येक विभाग के उपाचार्य और एक प्राध्यापक ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से एक वर्ष की अवधि के लिए।

(पांच) विश्वविद्यालय में मानविकी के विषय जो संकाय को सौंपे न गये हों, किन्तु जिनका विद्या परिषद् की राय में इस प्रकार सौंपे गये विषयों से महत्वपूर्ण सम्बन्ध हों, के दो अध्यापक, जो विद्या परिषद् द्वारा ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से एक वर्ष की अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट किये जायें।

(छः) चार अन्य आचार्य व्यक्ति जिनमें दो अन्य विश्वविद्यालयों में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विषय के अध्यापक होंगे और दो अध्यापक से भिन्न ऐसे व्यक्ति होंगे जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में विशेष योग्यता रखते हों, जिन्हें विद्या परिषद् नाम निर्दिष्ट करें।

7.19 इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संकाय में निम्नलिखित विषय होंगे–

(1) इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग

(2) कम्प्यूटर इंजीनियरिंग

(3) सिविल इंजीनियरिंग

(4) मैकेनिकल इंजीनियरिंग

(5) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग

(6) केमिकल इंजीनियरिंग

(7) इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग

(8) इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग

(9) मैटलर्जिकल और इनवायरमेण्टर इंजीनियरिंग

(10) कम्प्यूटर्स ऐप्लिकेशन्स (बी0 सी0 ए0 और एम0 सी0 ए0—पाठ्यक्रम)

(11) आटोमोबाइल इंजीनियरिंग

(12) ऐरोस्पेस इंजीनियरिंग

(13) जैव—रासायनिक इंजीनियरिंग

(14) जैव मेडिकल इंजीनियरिंग

(15) सिरैमिक्स इंजीनियरिंग

(16) इन्स्ट्रूमेण्टेशन एवं इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग

(17) इण्डस्ट्रियल सेटी इंजीनियरिंग

(18) खाद्य प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग

(19) खनन इंजीनियरिंग

(20) इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग

(21) एनर्जी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग

(22) उर्वरक इंजीनियरिंग

(23) जेनेटिक इंजीनियरिंग

(24) माईक्रो इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग

(25) पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग

(26) पल्प एण्ड पेपर इंजीनियरिंग

औषध संकाय

धारा 27 (3)

7.20 औषध संकाय का बोर्ड निम्नलिखित प्रकार से गठित किया जायेगा।

(एक) संकाय का संकायाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा।

(दो) संकाय में पढ़ाये जाने वाले विषयों के समस्त विभागाध्यक्ष तथा आचार्य

(तीन) औषध संकाय को सौंपे गये प्रत्येक अध्यापन विभाग का, ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम में एक वर्ष के लिए एक उपाचार्य जो विभागाध्यक्ष न हो।

(चार) छः प्राध्यापक जो विभागाध्यक्ष न हों, ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से एक वर्ष के लिए।

परन्तु किसी भी विषय के एक से अधिक प्राध्यापक एक ही समय में इस शीर्षक के अधीन सदस्य न होंगे।

(पांच) संकाय में सम्मिलित पाठ्य विषय की जिस शाखा स्नातकोत्तर उपाधि या उसकी परीक्षा के भाग एक या भाग दो के लिए अलग पाठ्यक्रम विहित हो, उस प्रकार की प्रत्येक शाखा का ज्येष्ठतम अध्यापक यदि उस शाखा का प्रतिनिधित्व पूर्वोक्त शीर्षकों में से किसी के अन्तर्गत किसी सदस्य द्वारा न हुआ हो।

धारा 27 (2) 7.21 औषध संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे–

(1) शरीर रचना विज्ञान

(2) क्रिया विज्ञान

(3) औषधि प्रभाव विज्ञान तथा चिकित्सा

(4) विकृति विज्ञान और सूक्ष्म जीवन विज्ञान

(5) विधि चिकित्सा शास्त्र

(6) औषधि

(7) शल्य चिकित्सा

(8) नेत्र विज्ञान

(9) प्रसूति विज्ञान तथा स्त्री रोग विज्ञान

(10) विकिरण विज्ञान

(11) क्षय रोग

(12) दन्त चिकित्सा

(13) अस्थि शल्य चिकित्सा

(14) निःसंज्ञा विज्ञान

(15) बाल रोग विज्ञान

(16) मनोविकार विज्ञान

(17) चर्म विज्ञान, रति रोग विज्ञान और कुष्ठ

(19) हृदय विज्ञान

(20) बी0 एस–सी0 नर्सिंग पोस्ट बेसिक

(21) समाजमूलक तथा निवारक चिकित्सा विज्ञान

धारा 27 (2) 7.22 आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधि तंत्र संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे–

(1) मौलिक सिद्धान्त एवं संहिता (बेसिक प्रिन्सिपुल्स एण्ड संहिता बुनियादी उलाम तिब तेब्रियात)

(2) शरीर (रचना विज्ञान तथा जैव रसायन सहित क्रिया विज्ञान)

(3) द्रव्यगुण (औषधि प्रभाव विज्ञान) इल्मुल अदब्बिया (मुफरदात)

(4) रसशास्त्र भैषज्य कल्पना (रसशास्त्र एण्ड फारमेसी) इल्मूल किमिया और इल्मुल सैदाला)

(5) काय चिकित्सा, निदान विकृति विज्ञान, अगदतंत्र व्यवहार आयुर्वेद तथा स्वास्थ्य व्रत सहित (मेडिसिन इन्क्ल्यूडिंग पैथालाजी, टाक्सिकोलोजी, फारेन्सिंक मेडिसिन, सोसल एण्ड प्रिवेन्टिव मेडिसिन)।

(6) शल्यशालक्य (सर्जरी, आपथैलमोलाजी एण्ड ईयर, नोज, थ्रोट) जराहत, आमराज–ए–च म, उज्न आन्फा और रास।

(7) प्रसूतितंत्र, स्त्रीरोग एवं कौमारभृत्य (आब्सटेट्रिक्स, गाइनोकोलॉजी एण्ड पेडीयाट्रिक्स) पनलूल, बेलादत, अमाराजेन्स्वा और अमराजे अताफला।

धारा 27 (2) 7.23 होमियोपैथिक औषधि संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे,

(1) शरीर रचना विज्ञान

(2) क्रिया विज्ञान

(3) मेटेरियामेडिका एवं जैव रसायन

(4) आर्गेनन

(5) होम्योपैथिक फारमेसी

(6) पुरानी बीमारियाँ

(7) स्वास्थ्य विज्ञान तथा जन स्वास्थ्य

(8) होम्योपैथिक के सिद्धान्त तथा होम्योपैथिक औषधि का इतिहास।

(9) विकृति विज्ञान

(10) चिकित्सा धर्मशास्त्र एवं विष विज्ञान

(11) परिशोधन एवं रेपर्टराइजेशन

(12) नेत्र विज्ञान

(13) होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स

(14) औषधि अभ्यास

(15) शल्य चिकित्सा

(16) प्रसूतितंत्र एवं स्त्रीरोग विज्ञान

(17) होम्योपैथिक दर्शन

(18) मनोविकार एवं मानसिक बीमारियाँ

7.24 दन्त विज्ञान महाविद्यालय

7.25 परचितिक्सा पाठ्यक्रम–परिवार नियोजन, मातृ एवं बाल कल्याण आदि।

7.26 निराश्रितों हेतु स्वास्थ्य केन्द्र

7.27 यक्ष्मा निवारण एवं अंधता निवारण केन्द्र

7.28 प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग।

विशेष टिप्पणी–इस अध्याय की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि विश्वविद्यालय में अध्यापन का कोई विभाग जो इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने पर विद्यमान न हो, खोलने का प्राधिकार है, जब तक कुलाधिपति का पूर्वानुमोदन न प्राप्त कर लिया जाय और उसके लिये आवश्यक अनुदान सुनिश्चित न हो जाय।

अध्याय–8

विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी तथा निकाय अनुशासनिक समिति

धारा 49

8.01 (1) कार्य परिषद विश्वविद्यालय में ऐसी अवधि के लिए जिसे वह उचित समझे, एक अनुशासनिक समिति का गठन करेगी जिसमें कुलपति और उसके द्वारा नाम–निर्दिष्ट दो अन्य व्यक्ति होंगे।

परन्तु यदि कार्य परिषद समीचीन समझे तो वह विभिन्न मामलों या मामलों के वर्गों पर विचार करने के लिए ऐसी एक से अधिक समिति गठित कर सकती है।

(2) जिस अध्यापक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का कोई मामला विचारधीन हो, वह मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करने वाली अनुशासनिक समिति के सदस्य के रूप में कार्य करेगा।

(3) कार्य परिषद कोई मामला एक अनुशासनिक समिति से किसी दूसरी अनुशासनिक समिति को किसी प्रक्रम पर अन्तरित कर सकती है।

8.02 (1) अनुशासनिक समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे–

(क) परिनियम 2.07 के अधीन वि वविद्यालय के किसी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की गई किसी अपील का विनिश्चय करना।

(ख) ऐसे मामलों में जांच करना, जिनमें विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक या पुस्तकालयाध्यक्ष के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अन्तर्ग्रस्त हो।

(ग) उपर्युक्त उप खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी ऐसे कर्मचारी को निलम्बित करने की सिफारिश करना जिसके विरुद्ध जांच विचाराधीन या अनुध्यात हो।

(घ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो ऐसे समय–समय पर कार्य परिषद द्वारा सौंपे जाय।

(2) समिति के सदस्यों में मतभेद होने की दशा में, बहुमत का निश्चय अभिभावी होगा।

(3) अनुशासनिक समिति का निश्चय या उसकी रिपोर्ट कार्यपरिषद के समच्छ रखी जायेगी, जिसमें कार्य परिषद मामले में अपना विनिश्चय कर सके।

परीक्षा समिति

धारा 29 तथा 49 (क) — 8.03 परीक्षा समिति, धारा 29 की उप धारा (3) निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों उप समिति की सिफारिश पर किसी परीक्षार्थी को किसी भाव परीक्षा या परीक्षाओं में एक वर्ष या अधिक के लिए बैठने से वंचित कर सकती है, यदि समिति की राय में ऐसा परीक्षार्थी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा में दुर्व्यवहार या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का दोषी हो।

विभागीय समिति

धारा 49 — 8.04 परिनियम 2.20 के अधीन नियुक्त विभागाध्यक्ष की सहायता के लिए विश्वविद्यालय में प्रत्येक अध्यापन विभाग में एक विभागीय समिति होगी।

8.05 विभागीय समिति में निम्नलिखित होंगे–

(एक) विभागाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा।

(दो) विभाग के आचार्य और यदि कोई आचार्य न हो तो विभाग समस्त उपाचार्य।

(तीन) यदि किसी विभाग में आचार्य तथा उपाचार्य भी हो ज्येष्ठता के अनुसर चक्रानुक्रम से तीन वर्ष की अवधि के लिए उपाचार्य।

(चार) यदि किसी विभाग में उपाचार्य तथा प्राध्यापक भी हों तो प्राध्यापक, ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम के तीन वर्ष की अवधि के लिये।

परन्तु किसी विषय या विद्या विशेष में विशेषतः सम्बद्ध किसी मामले के लिये उस विषय या विद्या विशेष का ज्येष्ठतम किया गया हो, मामले के लिए विशेषलः आमन्त्रित किया जायेगा।

8.06 विभागीय समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे–

अध्याय–9

बोर्ड

धारा 49 9.01 विश्वविद्यालय में संकाय बोर्डों तथा अध्ययन बोर्डों के अतिरिक्त निम्नलिखित बोर्ड होंगे–

(क) योजना बोर्ड।

(ख) छात्र कल्याण बोर्ड।

(ग) विश्वविद्यालय एथलेटिक संघ।

योजना बोर्ड

9.01 (क) योजना बोर्ड में निम्नलिखित होंगे–

(1) कुलपति, जो अध्यक्ष होंगे।

(2) उच्च शिक्षा विभाग का सचिव।

(3) मण्डल के आयुक्त/सचिव, पूर्वांचल विकास बोर्ड।

(4) सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या उनके नामिती।

(5) कुलपति द्वारा तीन वर्ष के नामित विभिन्न विषयों के तीन ख्याति प्राप्त शिक्षाशास्त्री।

(6) वित्त अधिकारी।

(7) कुल सचिव, सदस्य–सचिव के रूप में।

9.01 (ख) बोर्ड का कृत्य होगा–

(1) विश्वविद्यालय के भावी विकास के लिए योजनाएं तैयार करना।

(2) विश्वविद्यालय के शैक्षिक विकास की प्रक्रिया का पुनर्विलोकन।

(3) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राज्य सरकार और देश के दूसरे राष्ट्रीय शैक्षिक संगठनों यथा– सी० एस० आई० आर०, आई० सी० ए० आर०, आई० सी० एम० आर०, आई० सी० एस० एस० आर०, डी० एस० टी०, ए० आई० सी० टी० ई०, एन० सी० टी० ई० आदि के मध्य सम्पर्क स्थापित करना।

(4) ऐसी योजनाओं को प्रारम्भ करना, जिन्हें कार्य परिषद समय–समय पर निर्देश दे।

छात्र कल्याण बोर्ड

धारा 49 और 51 9.02 छात्र कल्याण बोर्ड की शक्ति, कृत्य और गठन ऐसा होगा जैसा अध्यादेशों में विहित किया जाय।

परन्तु यह कि छात्र कल्याण बोर्ड से सम्बन्धित अध्यादेश में छात्रों के प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था होगी और ऐसे छात्र प्रतिनिधियों का कार्यकाल एक वर्ष होगा।

विश्वविद्यालय एथलेटिक संघ

9.03 विश्वविद्यालय खेल–कूद परिषद् का गठन एवं कार्य इस निमित्त विश्वद्यिालय द्वारा विहित अध्यादेशों के अनुसार होगा।

अध्याय–10

सम्बद्ध महाविद्यालय

धारा 37 — 10.01 इस परिनियमावली के प्रकाशन के दिनांक को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों की सूची परिशिष्ट 'च' में दी गयी है।

धारा 37 (2) — 10.02 किसी महाविद्यालय की सम्बद्धता के लिए प्रत्येक आवेद–

धारा 49 (ङ) — पत्र इस प्रकार दिया जायेगा कि उस सत्र के जिसके सम्बन्ध में सम्बद्धता मांगी गई है, प्रारम्भ होने के कम से कम बारह मास पूर्व कुल–सचिव के पास पहुंच जाय।

परन्तु यह कि विशेष परिस्थितियों में, कुलाधिपति उच्च शिक्षा के हित में उक्त अवधि को उस सीमा तक कम कर सकते हैं जहां तक वह आवश्यक समझें।

10.03 किसी महाविद्यालय की सम्बद्धता के लिए प्रत्येक आवेदन निम्नलिखित के साथ दिया जायेगा–

(एक) ऐसी सम्बद्धता के लिए राज्य सरकार से निर्वाधन प्रमाण पत्र, और

(दो) विश्वविद्यालय को देय दो हजार रुपये की धनराशि का एक करती है।

(ग) सम्बन्धित प्रबन्धतंत्र ने निम्नलिखित की व्यवस्था की है या व्यवस्था करने के लिए उसके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन है–

(एक) परिशिष्ट में दिये गये मानकों के अनुसार उपयुक्त और पर्याप्त भवन।

(दो) परिशिष्ट में दिये गये मानकों के अनुसार पुस्तकालय, फर्नीचर, लेखन सामग्री, उपस्कर और प्रयोगशाला की पर्याप्त सुविधाएं,

(तीन) दो हेक्टेयर भूमि (आच्छादित क्षेत्र को छोड़कर) जिसे महिला महाविद्यालय की दशा में शिथिल किया जा सकता है,

नोट : परिनियम 10.04 (ग) के (एक), (दो) तथा (तीन) उपबन्धों के लिये परिशिष्ट ''छ–1'' का 'क', 'ख' तथा 'ग' दृष्ट्व्य हैं।

(चार) छात्रों के स्वास्थ्य और मनोरंजन की सुविधाएँ,

(पांच) कम से कम तीन वर्ष के लिए महाविद्यालय के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के भुगतान, और

(छः) प्रस्तावित महाविद्यालय का मूल निकाय रजिस्ट्रीकृत निकाय है।

धारा 37 (2) तथा 49 (ङ)

10.05 प्रत्येक महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र के संविधान में यह व्यवस्था होगी कि–

(क) महाविद्यालय का प्राचार्य प्रबन्धतंत्र का पदेन सदस्य होगा।

(ख) प्रबन्धतंत्र के पच्चीस प्रतिशत सदस्य अध्यापक होंगे (जिसमें प्राचार्य सम्मिलित है)।

(ग) अध्यापक ''खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्राचार्य को छोड़कर'' चक्रानुक्रम से ज्येष्ठता क्रम में एक वर्ष की अवधि के लिए ऐसे सदस्य होंगे।

(घ) प्रबन्धतंत्र का एक सदस्य महाविद्यालय के तृतीय वर्ग के

शिक्षणेत्तर कर्मचारी में से होगा, जिसका चयन चक्रानुक्रम से ज्येष्ठताक्रम में एक वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा।

(ङ) खण्ड (ग) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रबन्धतंत्र के कोई दो सदस्य धारा 20 के स्पष्टीकरण के अर्थान्तर्गत एक दूसरे के नातेदार न होंगे और न कोई ऐसा सदस्य ही होगा जो धारा 39 के अधीन सदस्य होने के लिए अनर्ह हो। प्रबन्ध समिति का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा और कोई भी पदाधिकारी कुल मिलाकर दो पदावधियों से अधिक के लिए कोई पद धारण नहीं करेगा।

(च) उक्त संविधान में कुलपति की पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(छ) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि प्रबन्धतंत्र के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में कोई व्यक्ति सम्यक रूप से चुना गया है या नहीं अथवा उसका सदस्य या पदाधिकारी होने का हकदार है या नहीं या प्रबंधतंत्र बैधरूप से गठित है या नहीं तो कुलपति विनिश्चय अन्तिम होगा।

(ज) यदि कुलपति प्रबन्ध तंत्र की वैधता के प्रश्न का विनिश्चय करते समय इस निष्कर्श पर पहुंचे कि प्रबंधतंत्र तत्समय बैधरूप से गठित नहीं था तो वह महाविद्यालय के कार्यकलापों की व्यवस्था और नियंत्रण के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए अग्रतर कार्यवाही करेगा जब तक कि प्रबन्धतंत्र का वैध रूप से गठन न हो या राज्य सरकार धारा 57 और 58 के अधीन कार्यवाही न करे या सक्षम अधिकारिता का न्यायालय विधि के अधीन रिसीवर नियुक्त न करें तब तक के लिए प्रशासक नियुक्त करने को अग्रसर होंगे।

(घ) प्रबन्धतंत्र का एक सदस्य महाविद्यालय के तृतीय वर्ग के

(झ) महाविद्यालय कुलपति द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समक्ष या विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त निरीक्षक पैनेल के समक्ष महाविद्यालय की आय और व्यय से सम्बन्धित सभी मूल दस्तावेजों को ऐसी सोसाइटी/न्याय/बोर्ड/मूल निकाय के लेखे सहित जो महाविद्यालय को चला रही हो, रखने के लिये तैयार है।

(ञ) परिनियम 11.06 निर्दिष्ट विन्यासित निधि से प्राप्त आय महाविद्यालय के पोषण के लिए उपलब्ध रहेगी।

धारा 39 तथा 49 (घ)

10.06 (1) प्रत्येक महाविद्यालय के लिये (जो राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय न हो) एक पृथक विन्यास निधि होगी जो सम्बद्ध विश्वविद्यालय के कुलसचिव के पास गिरवी रखी जायेगी तब अन्य सक्रान्त नहीं की जायेगी जब तक महाविद्यालय विद्यमान रहे, जिसका मूल्य–

(एक) कला में 7 विषयों से अनधिक के लिए मान्यता के लिये आवेदन–पत्र देने वाले महाविद्यालय की दशा में 2.5लाख रुपया

(दो) वाणिज्य में मान्यता के लिए आवेदन–पत्र देने वाले महाविद्यालय के लिये 2.5 लाख रुपया,

(तीन) शिक्षा में मान्यता के लिए आवेदन–पत्र देने वाले महाविद्यालय की दशा में 2.5 लाख रुपया,

(चार) विधि में मान्यता के लिये आवेदन पत्र देने वाले महाविद्यालय की दशा में 2.5 लाख रुपया,

(छः) कृषि में मान्यता के लिये आवेदन पत्र देने वाले महाविद्यालय की दशा में 3 लाख रुपया जिसकी व्यवस्था अनन्य रूप से उपाधि कक्षाओं के लिये की जायेगी।

टिप्पणी :– उपाधि स्तर पर अतिरिक्त विषयों के लिये प्रयोगात्मक कार्य वाले विषय के लिये 25,000.00 रुपये और किसी अन्य विषय के लिए 20,000.00 रुपये और विज्ञान या कृषि की स्थिति में प्रति विषय 75000.00 रुपये की अतिरिक्त विन्यास निधि की व्यवस्था करनी होगी।

टिप्पणी :– (क) यदि महाविद्यालय ने इस परिनियमावली के प्रवर्तन के पूर्व विन्यास निधि की व्यवस्था कर दी थी तो उसे कला, वाणिज्य, शिक्षा या विधि की स्थिति में प्रत्येक विषय के लिये 75,000.00 रुपये और विज्ञान या कृषि की स्थिति में प्रत्येक विषय के लिए 1,22,500.00 रुपये की अतिरिक्त विन्यास निधि की व्यवस्था करनी होगी।

(ख) प्राभूत धनराशि हेतु परिशिष्ट "छ–2" द्रष्टव्य है।

(3) ऐसे विन्यास निधि को किसी अनुसूचित बैंक के सावधि निक्षेप लेखा में या ऐसे अन्य रीति से विनियोजित किया जायेगा जैसा विश्वविद्यालय निर्देश दे।

धारा 37 (2) तथा 49 (ङ)

10.07 कोई महाविद्यालय जो किसी ऐसे पाठयक्रम में सम्बद्धता चाहता हो जिसमें प्रयोगशाला कार्य अपेक्षित हो विश्वविद्यालय का निम्नलिखित के सम्बन्ध में अग्रतर समाधान करेगा–

(क) विज्ञान की प्रत्येक शाखा के लिये पृथक प्रयोगशालाओं की व्यवस्था है और उनमें से प्रत्येक उपयुक्त रूप से सुसज्जित है, और

(पांच) विज्ञान में 5 विषयों से अनधिक की मान्यता के लिये आवेदन–पत्र देने वाले महाविद्यालय की दशा में 3 लाख रुपया,

(ख) प्रयोगात्मक कार्य करने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त साधित्र और उपस्कर की व्यवस्था है।

धारा 37 (2) तथा 49 (ङ) 10.08 यदि कुलपति का पूर्ववर्ती परिनियमों के विषयों के सम्बन्ध में समाधान हो जाये, तो आवेदन पत्र कार्य परिषद के समक्ष रखा जायेगा, जो महाविद्यालय का निरीक्षण करने और सभी सुसंगत विषयों के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए एक निरीक्षक पैनेल नियुक्त करेगी। इस प्रकार नियुक्त पैनेल में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी होंगे।

धारा 37 (2) तथा 49 (ङ) 10.09 साधारणतया सभी निरीक्षण सम्बद्धता के लिए आवेदन पत्र की प्राप्ति के दिनांक से 4 मास के भीतर पूरे कर दिये जायेंगे। कार्य परिषद द्वारा सम्बद्धता के लिए कोई आवेदन–पत्र तब तक स्वीकृत नहीं किया जायेगा तब तक कि निरीक्षक पैनेल की रिपोर्ट पर मान्यता के लिए प्रस्तावित महाविद्यालय की वित्तीय सुस्थिति तथा उपलब्ध साधनों के सम्बन्ध में उसका समाधान न हो जाय। आवेदन–पत्र स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने की कार्यवाही उस वर्ष के, जिसमें कक्षाएँ प्रारम्भ करने का प्रस्ताव हो, 15 मई, के पूर्व पूरी हो जाने चाहिए।

धारा 37 (2) तथा 49 (ङ) 10.10 जहां किसी महाविद्यालय को कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए सम्बद्धता प्रदान की जाय वहां महाविद्यालय तब तक छात्रों को भर्ती या रजिस्टर नहीं करेगा जब तक कि कुलपति ने सम्यक रूप से निरीक्षण के पश्चात एक प्रमाण पत्र जारी न कर दिया हो कि विश्वविद्यालय द्वारा आरोपित शर्तें सम्यक रूप से पूरी कर ली गयी है। यदि महाविद्यालय को स्वयं निरीक्षण करने

नयी उपाधियों अथवा अतिरिक्त विषयों के लिये महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करना

धारा 37 (2) तथा 49 (ङ)

10.11 किसी सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा नयी उपाधि के लिये अथवा नये विषयों में शिक्षण का पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए प्रत्येक आवेदन–पत्र इस प्रकार दिया जायेगा कि वह उस वर्ष के जिसमें ऐसे पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का प्रस्ताव हो पूर्ववर्ती वर्ष के 15 अगस्त, के पूर्व कुलसचिव के पास पहुँच जाय।

धारा 37 (2) तथा 49 (ङ)

10.12 प्रत्येक महाविद्यालय जो किसी नयी उपाधि के लिए या नये विषय में सम्बद्धता के लिए आवेदन–पत्र दे, अपने आवेदन–पत्र के साथ प्रत्येक विषय के लिये 200 रु0 की धनराशि किन्तु कम से कम 400 रुपये तथा अधिक से अधिक 1,000 रुपये की धनराशि भेजेगा जो वापस नहीं की जायेगी।

नोट :– कला एवं विज्ञान संकाय के प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु सम्बद्धता शुल्क विश्वविद्यालय कार्य परिषद के प्रस्ताव दि0 18. 4.99 के अनुसार रु0 10,000.00 तथा रु0 20,000.00 कर दिया गया है।

धारा 37 (2) तथा 49 (ङ)

10.13 किसी नये विषय में सम्बद्धता के लिये किसी आवेदन–पत्र पर तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि कुलसचिव लिखित रूप से यह प्रमाण–पत्र न दे दें कि–

(एक) ऐसी सम्बद्धता के लिए आवेदन–पत्र के साथ राज्य सरकार से निर्वाधन प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(दो) सम्बद्धता और या पूर्व सम्बद्धता की शर्ते सम्पूर्णतः पूरी कर ली गयी हैं।

में कुलपति की व्यवहारिक कठिनाइयों हो तो वह सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण करने के लिये किसी अर्ह व्यक्ति अथवा किन्हीं अर्ह व्यक्तियों के नाम—निर्दिष्ट कर सकता है।

धारा 37 (2) तथा 49 (ङ) — 10.14 यदि कुलपति का ऐसी सम्बद्धता दिये जाने की आवश्यकता के सम्बन्द्ध में समाधान हो जाय और यदि महाविद्यालय ने पिछली सम्बद्धता की समस्त शर्तों को पूरा कर लिया हो और बराबर पूरा कर रहा हो तो आवेदन—पत्र कार्य—परिषद के समक्ष रखा जायेगा जो एक निरीक्षक पैनेल नियुक्त करेगी तथा परिनियम 10—08 के उपबन्ध लागू होंगे।

धारा 37 (2) तथा 49 (ङ) — 10.15 साधारणतया, परिनियम 10.14 में निर्दिष्ट सभी निरीक्षण अक्टूबर के अन्त तक पूरे कर लिये जायेंगे जिससे कि विश्वविद्यालय की कार्य परिषद समय से निरीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा कर सके।

धारा 37 (2) तथा 49 (ङ) — 10.16 नयी उपाधियों अथवा अतिरिक्त विषयों की सम्बद्धता के लिये आवेदन—पत्र देने वाले सम्बद्ध महाविद्यालय पर परिनियम 10.10 द्वारा आरोपित निबन्धन लागू होंगे।

धारा 37 (2) तथा 49 (ङ) — 10.17 प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय छात्रों के महाविद्यालया में प्रवेश लेने, निवास तथा अनुशासन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन करेगा।

धारा 37 (2) तथा 49 (ङ) — 10.18 प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय विश्वविद्यालय को अपनी ऐसे भवनों, पुस्तकालयों तथा उपस्कर और उपकरण सहित प्रयोगशालायें और अपने ऐसे अध्यापक वर्ग तथा अन्य कर्मचारियों की सेवायें भी उपलब्ध करायेगा जो विश्वद्यालय की परीक्षाओं के संचालन के प्रयोजनार्थ आ़वश्यक हों।

धारा 37 (2) — 10.19 प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापक वर्ग में ऐसी अर्हता

के आदेशें में निर्धारित की जायें—

परन्तु यह कि राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना वेतन श्रेणी तथा अर्हताओं से सम्बन्धित कोई भी अध्यादेश नहीं बनाया जायेगा।

धारा 37 (2) तथा 49 (ङ) — 10.20 जब किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य का पद रिक्त हो जाय, तब प्रबन्धतंत्र किसी अध्यापक को तीन मास की अवधि के लिये या जब तक किसी नियमित प्राचार्य की नियुक्ति न हो जाय, इनमें से जो भीपहले हो, प्राचार्य के रूप में स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिये नियुक्त कर सकता है। यदि तीन मास की अवधि की समाप्ति पर या उसके पूर्व कोई नियमित प्राचार्य नियुक्त न किया जाय या ऐसा प्राचार्य अपना पद ग्रहण न करें तो महाविद्यालय का ज्येष्ठतम अध्यापक ऐसे महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में तब तक स्थानापन्न रूप में कार्य करेगा जब तक कि कोई नियमित प्राचार्य नियुक्त न कर दिया जाय।

धारा 37 (2) तथा 49 (ङ) — 10.21 प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय परिनियम 10.04 से 10.07 में दी गयी शर्तों का अनुपालन करेगा चाहे वह इस परिनियमावली के पहले या बाद से विश्वविद्यालय में सम्बद्ध रहा हो।

परन्तु यह और कि यदि ऐसे महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन कुलपति द्वारा जारी की गयी अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट समय के भीतर पूरा नहीं करता तो कुलपति परिनियम 10.28 से 10.32 के अनुसार सम्बद्धता वापस लेने के लिये कार्यवाही कर सकता है।

धारा 37 (2) तथा 49 (ङ) — 10.22 प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय प्रति वर्ष 15 अगस्त तक प्राचार्य से कुलसचिव को इस आशय का एक प्रमाण—पत्र प्रस्तुत

तथा 49 (ङ) के अध्यापक होंगे जिन्हें ऐसी वेतन–श्रेणी दी जायेगी और जो सेवा की अन्य शर्तो द्वारा नियंत्रित होंगे जो समय–समय पर अध्यादेशों में अथवा उस निमित्त जारी किये गये राज्य सरकार करेगा कि सम्बद्धता के लिये निर्धारित शर्ते पूरी होती जा रही है

धारा 37 (2) तथा 49 (ङ) 10.23 प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय सम्बद्ध महाविद्यालयों के लिए अपेक्षित रजिस्टरों को रखेगा और समय – समय पर कुलसचिव को ऐसे प्रपत्र में जैसी कि विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षा की जाए विवरणी प्रस्तुत करेगा।

धारा 37 (2) तथा 49 (ङ) 10.24 (1) जहां कार्य परिषद अथवा कुलपति किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण कराये वहां वह महाविद्यालय को ऐसे निरीक्षण के परिणाम और उसके सम्बन्द्ध में अपने विचार सूचित कर सकता है और की जाने वाली कार्यवाही के बारे में प्रबन्धतंत्र को निर्देश दे सकता है।

(2) जहां किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र कार्य परिषद या कुलपति के संतोषानुसार कार्यवाही न करे वहाँ परिषद या तो स्वप्रेरणा से या कुलपति से इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत किसी स्पष्टीकरण अथवा अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निर्देश जारी कर सकता है, जो वह उचित समझे और प्रबन्धतंत्र ऐसे निर्देशों का पालन करेगा। निर्देशों का अनुपालन न करने पर कार्य परिषद् परिनियम 10.31 के अधीन अथवा उसके अनुसार कार्यवाही कर सकती है।

धारा 37 (2) तथा 49 (ङ) 10.25 महाविद्यालय के अध्यापक–वर्ग के ऐसे समस्त पदों के सम्बन्ध में जो अस्थायी अथवा स्थायी रूप से रिक्त हो, उसके रिक्त होने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर कुलसचिव को सूचना दी जायेगी।

धारा 37 (2) तथा 49 (ङ) 10.26 किसी सम्बद्ध महाविद्यालय में किसी कक्षा अथवा अनुभाग (सेक्शन) में छात्रों की संख्या, अध्ययन कक्ष में व्याख्यान के प्रयोजनार्थ बिना कुलपति की पूर्वानुज्ञा के 60 से अधिक न होगी।

किन्तु यह किसी भी दशा में 80 से अधिक न होगी।

धारा 37 (2) तथा 49 (ङ)

10.27 किसी महाविद्यालय द्वारा किसी कक्षा में कोई नया अनुभाग खोलने के पूर्व, अपेक्षित अतिरिक्त अध्यापक वर्ग, उनकी अर्हताएँ और वेतन, नये अनुभाग की अध्यापन सारिणी उपलब्ध स्थान तथा अतिरिक्त उपस्कर एवं पुस्तकालय की सुविधाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में पूरी सूचना विश्वविद्यालय को भेजी जायेगी और कुलपति की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त की जायेगी।

(क) विश्वविद्यालय अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत स्थित महाविद्यालयें एवं उनमें पढ़ाये जा रहे विषयों की स्थाई/अस्थाई सम्बद्धता अथवा मान्यता का शत–प्रतिशत परीक्षण एवं निरीक्षण करेंगे तथा इस संदर्भ में संगत नियमों के अनुसार जहां संबद्धता अथवा मान्यता की आवश्यकता हो, के विषय में आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करेंगे। निदेशक उच्च शिक्षा की पृथक रूप से सभी संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से विभिन्न महाविद्यालयों में तदनुसार सत्यापन करवायेंगे एवं आवश्यकतानुसार कार्यवाही करेंगे।

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा मात्र उन्हीं महाविद्यालयों एवं संस्थानों के छात्रों की परीक्षायें सम्पादित करायी जायेगी जिनको कुलाधिपति की स्वीकृति एवं कार्य परिषद के अनुमोदन के उपरान्त विधिवत सम्बद्धता प्रदान की जा चुकी है।

(ग) विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में स्थित असम्बद्ध संस्थानों जिनमें स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे है तथा यदि ऐसे संस्थान सम्बद्धता हेतु मध्य सत्र में प्रार्थना पत्र देते हैं विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे प्रस्तावों में नये सत्र से सम्बद्धता की संस्तुति की जाय। जिन प्रबन्धकीय पाठ्यक्रमों हेतु शासन द्वारा

धारा 37 (2) तथा 49 (ङ)

10.26 किसी सम्बद्ध महाविद्यालय में किसी कक्षा अथवा अनुभाग (सेक्शन) में छात्रों की संख्या, अध्ययन कक्ष में व्याख्यान के प्रयोजनार्थ बिना कुलपति की पूर्वानुज्ञा के 60 से अधिक न होगी, स्वीकृत राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा आयोजित कराई गई है, ऐसे पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थानों की परीक्षा मात्र उनकीं छात्रों के संबंध में आयोजित करायी जायेगी जो इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित किये गये हों। स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों की स्थिति में विभिन्न विषयों में सामान्य कोटा, (फ्री), भुगतानकोटा (पेड) तथा 15 प्रतिशत एन0 आर0 आई0 कोटे में निर्धारित सीटों तथा अर्हता के आधार पर जिनकी सूची विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराई गयी है, से अधिक परीक्षार्थियों को अनुमति नहीं दी जायेगी तथा इसके अतिरिक्त यदि इन संस्थानों द्वारा अपने स्तर से प्रवेश दिये गये हैं तो इन छात्रों की परीक्षाएं सम्पादित नहीं कराई जायेंगी। महाविद्यालय/संस्थाओं द्वारा छात्रों के फोटो सहित फार्म भी निर्धारित फीस के साथ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार जमा करायें जायें तथा कलेन्डर के अनुसार निर्धारित समय के अन्तर्गत छात्रों की 75 प्रतिशत उपस्थिति एवं शिक्षण दिवसों के पूर्ण होने पर ही परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कराई जाये।

(घ) चिकित्सा शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में ऐसे महाविद्यालय/संस्थान के छात्रों की परीक्षा सम्बद्धता के बाद ही आयोजित की जाए। शासन द्वारा किसी महाविद्यालय/संस्थान को दी गयी क्लीयरेन्स अथवा किसी सांविधिक निकाय (STATUTARY BODY) की मान्यता को छात्र

(ङ) बिना सम्बद्धता के परीक्षा आयोजित कराने के किसी न्यायालय के आदेश पर विश्वविद्यालय अपने स्तर से सक्षम कार्यवाही करते हुए मामले को शासन एवं कुलाधिपति कार्यालय को भेजकर यथोचित निर्देश प्राप्त करेंगे।

(च) विश्वविद्यालय अपने क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के नाम पर भ्रमात्मक विज्ञापन प्रकाशित कराने वाली संस्थाओं के विरुद्ध विधि के अन्तर्गत कार्यवाही तत्परता से करायेंगे ताकि किसी भी दशा में छात्रों का शोषण एवं उत्पीड़न न हो। इसके लिए प्रमुख समाचार पत्रों में की गयी कार्यवाही भी प्रकाशित कराई जाए।

सम्बद्धता वापस लेना

धारा 37 (8) तथा 49 (ङ)

10.28 सम्बद्धता का बना रहना इस बात पर निर्भर करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों का बराबर पालन किया जा रहा है।

धारा 37 (8) तथा 49 (ङ)

10.29 किसी सम्बद्ध महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त समझी जायेगी, यदि वह लगातार तीन वर्षों तक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षा में कोई अभ्यर्थी न भेजे।

धारा 37 (8) तथा 49 (ङ)

10.30 कार्य–परिषद किसी महाविद्यालय को किसी विशिष्ट कक्षा में छात्रों को प्रवेश न करने का निर्देश दे सकती है। यदि कार्य–परिषद की राय में सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा उस कक्षा को प्रारम करने के लिए निर्धारित शर्तों की उपेक्षा की गयी हो। जब कार्य परिषद् के संतोषानुसार शर्तें पूरी कर दी जाय तब कार्य परिषद् की पुर्वानुज्ञा से कक्षायें पुनः प्रारम्भ की जा सकती है।

आवंटित करने के आधार न बनाय जाए। अतः गैर सम्बद्धता प्राप्त संस्थानों के किसी भी संकाय की राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा अथवा विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा द्वारा छात्र आवंटित नहीं किये जायें।

धारा 37 (8) तथा 49 (ङ)

10.31 यदि कोई महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की अपेक्षाओं की उपेक्षा करे और विश्वविद्यालय द्वारा नोटिस जारी किये जाने के बावजूद भी शर्तों को पूरा न करे तो कार्य–परिषद्, कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति से तब तक के लिए मान्यता निलम्बित कर सकती है जब तक कि कार्य परिषद् के संतोषानुसार शर्ते पूरी न कर दी जाय।

धारा 37 (8) तथा 49 (ङ)

10.32 (1) कार्य परिषद् कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति से किसी सम्बद्ध महाविद्यालय को या तो पूर्णतः अथवा किसी उपाधि या विषय में सम्बद्धता के विशेषाधिकारों से वंचित कर सकती है यदि वह कार्य परिषद के निर्देशों का अनुपालन न करे अथवा सम्बद्धता की शर्तों को पूरा न करें या घोर कुप्रबन्ध के कारण अथवा किसी अन्य कारण से कार्य परिषद् की यह राय हो कि महाविद्यालय को ऐसी सम्बद्धता से वंचित किया जाना चाहिए।

(2) यदि कर्मचारी वर्ग के वेतन का भुगतान नियमित रूप से न किया जाय, अथवा अध्यापकों को उनका वह वेतन न दिया गया हो जिसके लिये वे परिनियमों अथवा अध्यादेशों के अधीन हकदार थे, तो सम्बद्ध महाविद्यालय की सम्बद्धता इस परिनियम के अन्तर्गत वापस ली जा सकेगी।

धारा 37 (8) तथा 49 (ङ)

10.33 कार्य परिषद पूर्ववर्ती परिनियमों के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व किसी महाविद्यालय से, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, सम्बद्धता आदि की शर्तों में निर्दिष्ट किन्हीं विषयों के सम्बन्ध में

सम्बन्ध में कुलपति द्वारा यह पाया जाय कि महाविद्यालय की सम्पत्ति वस्तुतः किसके कब्जे और नियंत्रण में हैं, इस अधिनियम तथा इन परिनियमों के प्रयोजनार्थ ऐसे महाविद्यालय का, जब तक कि सक्षम अधिकारिता का न्यायालय कोई अन्यथा आदेश न दे, प्रबन्ध तंत्र गठित होने की मान्यता दी जा सकती है।

परन्तु इस परिनियम के अधीन कोई आदेश देने के पूर्व, कुलपति विरोधी दावेदारों को लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर देगा।

स्पष्टीकरण— इस बात का अवधारण करने के लिये कि महाविद्यालय की सम्पत्ति वस्तुतः जिसके कब्जे तथा नियंत्रण में है, कुलपति संस्था की निधियों और उसके वास्तविक प्रशासन पर संस्थान की सम्पत्ति से होने वाली आय की प्राप्ति पर नियंत्रण तथा ऐसी अन्य सुसंगत परिस्थितियों को जिनका अवधारणार्थ प्रश्न के लिये महत्व हो, ध्यान में रखेगा।

वित्त, सपंरीक्षा तथा लेखा

धारा 49 10.35 (क) प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र की सहायता के लिये एक वित्त समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे—

(एक) प्रबन्धतंत्र का सभापति अथवा सचिव, जो अध्यक्ष होगा।

(दो) प्रबन्धतंत्र के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित दो अन्य सदस्य।

(तीन) प्राचार्य (पदेन)।

(चार) प्रबन्धतंत्र का ज्येष्टतम अध्यापक सदस्य (पदेन)।

ऐसी कार्यवाही करने की अपेक्षा करेगी जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।

धारा 49 (ढ) 10.34 जब कभी किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो उन व्यक्तियों के द्वारा जिनके

(ख) महाविद्यालय का प्राचार्य वित्त समिति का सचिव होगा और वह अधिवेशन बुलाने का हकदार होगा।

धारा 49 10.36 वित्त समिति महाविद्यालय का वार्षिक बजट (छात्र निधि को छोड़कर) तैयार करेगी जो प्रबन्धतंत्र के समक्ष विचार तथा अनुमोदन के लिये रखा जायेगा।

धारा 49 10.37 ऐसा नया व्यय, जो महाविद्यालय के बजट में पहिले से ही सम्मिलित न हो, वित्त समिति को निर्दिष्ट किये बिना नहीं किया जायेगा।

धारा 49 10.38 बजट में व्यवस्थित आवर्ती व्यय का नियंत्रण किन्हीं विनिर्दिष्ट निर्देशों के अधीन रहते हुए, जो वित्त समिति द्वारा दिये जाये, प्राचार्य द्वारा किया जायेगा।

धारा 49 10.39 सभी छात्र निधि प्राचार्य द्वारा विभिन्न समितियों की, जैसे कि खेलकूद समिति, पत्रिका समिति, अध्ययन कक्ष समिति आदि जिसमें सम्बद्ध महाविद्यालयों के छात्रों के प्रतिनिधि भी होंगे, सहायता से प्रशासित होंगी।

धारा 49 10.40 छात्र निधि के लेखों की संपरीक्षा प्रबन्धतंत्र द्वारा नियुक्त किसी अर्ह संपरीक्षक द्वारा, जो इसके सदस्यों में से न होगा, की जायेगी। संपरीक्षण फीस महाविद्यालय की छात्र निधियों पर विधि संगत प्रभाव होगी, संपरीक्षा रिपोर्ट प्रबन्धतंत्र के समक्ष रखी जायेगी।

अध्याय—11

उपाधियाँ और डिप्लोमा प्रदान करना और वापस लेना

धारा 7(6) 10(2) तथा 49 (ज)

11.01 (क) डाक्टर आफ लेटर्स (डी0 लिट0) अथवा महामहोपाध्याय की सम्मानार्थ उपाधि ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने साहित्य, दर्शनशास्त्र, कला, संगीत, चित्रकारी अथवा कला संकाय को सौंपे गये किसी अन्य विषय की प्रगति में पर्याप्त रूप से योगदान किया हो, अथवा जिन्होंने शिक्षा के लिये उल्लेखनीय सेवा की हो, प्रदान की जायेगी।

(ख) डाक्टर आफ साइन्स (डी0 एस–सी0) की सम्मानार्थ उपाधि ऐसे व्यक्तियों, को, जिन्होंने विज्ञान अथवा टेक्नोलॉजी की किसी शाखा की प्रगति अथवा देश में विज्ञान और टेक्नोलॉजी संस्थाओं के आयोजन, संगठन अथवा विकास में पर्याप्त योगदान किया हो, प्रदान की जायेगी।

(ग) डाक्टर आफ लाज (एल0 एल0 डी0) का सम्मानार्थ उपाधि ऐसे व्यक्तियों, जो विख्यात वकील, न्यायाधीश, अथवा विधिवेत्ता, राजनयज्ञ हों, अथवा जिन्होंने लोक कल्याण के लिये महत्त्वपूर्ण योगदान किया हो, प्रदान की जायेगी।

धारा 7(6) 10(2) तथा 49 (ज)

11.02 कार्य परिषद् स्वप्रेरणा से अथवा विद्या परिषद की सिफारिश पर जो उसकी कुल सदस्यता के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो–तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा किया जाय, सम्मानित उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव कुलाधिपति को धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन पुष्टि के लिये प्रस्तुत कर सकती है।

धारा 49 — 10.41 छात्र निधि तथा छात्रावासों से फीस सम्बन्धी आय अन्य निधि में अन्तरित नहीं की जायेगी और इन निधियों से कोई ऋण किसी भी प्रयोजन के लिये नहीं लिया जायेगा।

परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में, जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का सदस्य हो, ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

धारा 49 (1) तथा 67 — 11.03 विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या स्वीकृत किसी उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र को वापस लेने के लिये धारा 67 के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व, सम्बद्ध व्यक्ति को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों को स्पष्ट करने के लिए अवसर दिया जायेगा। कुलसचिव उसके विरुद्ध निर्मित आरोपों की सूचना रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजेगा और सम्बद्ध व्यक्ति से अपेक्षा की जायेगी कि वह आरोपों की प्राप्ति से कम से कम पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

धारा 49 (1) तथा 67 — 11.04 सम्मानार्थ उपाधि को वापस लेने के प्रत्येक प्रस्ताव पर कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित होगी।

धारा 49 (1) तथा 67 — 11.05 (क) कार्य–परिषद द्वारा सम्बन्धित संकाय बोर्ड की सहमति और विद्या परिषद की संस्तुति के पश्चात किसी संस्थान को ऐसी संस्था के रूप में जहां अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (4) के बाद (ख) की अपेक्षाओं की पूर्ति में शोध कार्य किये जायें, संस्थान के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकेगी। इस प्रकार प्रदत्त मान्यता सम्बन्धित संकाय बोर्ड की सहमति से विद्या परिषद की संस्तुति पर कार्यपरिषद् द्वारा वापस ली जा सकती है।

(ख) इस प्रकार मान्यता प्राप्त संस्थान की प्रबन्ध समिति :–

(दो) संस्थान का अनुरक्षण करने वाले निकाय या व्यक्ति द्वारा नियुक्त निदेशक में निहित होगी।

(ग) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में शोध कार्य का, निदेशक और संस्थान के अन्य अध्यापकों, जो विश्वविद्यालय की डी0 लिट0 या डी0 एस–सी0 या एल0 एल0 डी0 या डी0 फिल0 उपाधियों हेतु मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षक या सलाहकार हैं, द्वारा निर्देशन कार्य किया जायेगा।

(घ) संस्थान के निदेशक और अन्य अध्यापक, यदि वे ऐसे सहमत हों, सम्बन्धित विभागाध्यक्ष की सहमति से विश्वविद्यालय के शोध छात्रों के लिये उच्च व्याख्यानमाला प्रस्तुत कर सकते हैं

(ङ) कोई भी व्यक्ति जो आवश्यक अर्हता रखता है और विश्वविद्यालय की शोध उपाधि हेतु संस्थान में शोध कार्य करने को इच्छुक हो, कुलसचिव को संस्थान के निदेशक के माध्यम से आवेदन करेगा। इस प्रकार प्राप्त प्रार्थना–पत्र अध्यादेशों के अन्तर्गत गठित शोध उपाधि समिति के समकक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, यदि समिति द्वारा अनुमोदित होता है तो आवेदक को ऐसा शुल्क जो अध्यादेशों में विहित हो अदा करने पर कार्य प्रारम्भ करने के लिये अनुमत किया जायेगा।

(च) किसी संस्थान के लिये प्राप्त कोई विशिष्ट अनुदान या दान संस्थान के लिये सुरक्षित होगा और संस्थान पर खर्च किया जायेगा। विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अध्यापन विभाग के अनुदान का कोई भी अंश दूसरे संस्थान पर व्यय नहीं किया जायेगा।

(एक) संस्थान का अनुरक्षण करने वाले व्यक्ति या निकाय द्वारा नियुक्त प्रबन्ध समिति या दूसरा समकक्ष निकाय, में जिसका संविधान कार्यपरिषद् को सूचित किया जायेगा, या

अध्याय–12

दीक्षांत समारोह

धारा 49 (द) 12.01 (1) विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि, डिप्लोमा और विद्या सम्बन्धी अन्य विशिष्टतायें प्रदान करने के लिए वर्ष में एक बार ऐसे दिनांक को और ऐसे समय पर जैसा कार्य परिषद नियत करे, एक दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जा सकता है।

(2) कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा कोई विशेष दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जा सकता है।

(3) दीक्षान्त समारोह में धारा 3 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट व्यक्ति होंगे जिनसे विश्वविद्यालय का निगमित निकाय गठित हो।

धारा 49 (द) 12.02 प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय में स्थानीय दीक्षान्त समारोह में ऐसे दिनांक को और ऐसे समय पर जैसा प्राचार्य कुलपति के लिखित पूर्वानुमोदन से नियम करें, आयोजित किया जा सकता है।

धारा 49 (द) 12.03 दो या अधिक महाविद्यालयों द्वारा संयुक्त दीक्षान्त समारोह परिनियम 12.02 में विहित रीति से आयोजित किया जा सकता है।

धारा 49 (द) 12.04 इस अध्याय में निर्दिष्ट दीक्षान्त समारोह में पालन की जाने वाली प्रक्रिया और इससे सम्बन्धित अन्य विषय ऐसे होंगे जैसा अध्यादेशों में निर्धारित हो।

धारा 49 (द) 12.05 जहाँ विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के लिये परिनियम 12.01 से परिनियम 12.04 के अनुसार दीक्षान्त समारोह आयोजित करना सुविधाजनक न हो वहां उपाधि, डिप्लोमा और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टता सम्बद्ध अभ्यर्थियों

अध्याय—13

अध्यापकों का वर्गीकरण

धारा 31 तथा 49 (घ)

13.01 विश्वविद्यालय के अध्यापकों के निम्नलिखित वर्ग होंगे—

(1) आचार्य

(2) उपाचार्य, और

(3) प्राध्यापक।

धारा 31 तथा 49 (घ)

13.02 विश्वविद्यालय के अध्यापक विषयों के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वेतनमान में पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किये जायेंगे—

परन्तु अंशकालिक प्राध्यापक उन विषयों के लिये नियुक्त किये जा सकते हैं जिनमें विद्या परिषद की राय में ऐसे प्राध्यापकों की, अध्यापन कार्य के हित में अथवा अन्य कारण से, आवश्यकता हो। ऐसे अंशकालिक प्राध्यापक उतना वेतन पा सकते हैं जो सामान्यतया उस पद के जिस पर वे नियुक्त किये जायें, प्रारम्भिक वेतन के आधे से अधिक न हो। अनुसंधान सहचर अथवा अनुसंधान सहायक के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों को अंशकालिक प्राध्यापक के रूप में कार्य करने के लिए कहा जा सकता है।

धारा 31 तथा 49 (घ)

13.03 कार्यपरिषद विद्यापरिषद की सिफारिशों पर निम्नलिखित को नियुक्त कर सकती है—

(1) उस निमित्त अध्यादेशों के अनुसार विशिष्ट शर्तों पर शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठित और उत्कृष्ट योग्यता के आचार्य।

को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकती है।

(2) अवैतनिक सेवा–मुक्त आचार्य–

(क) जो विशिष्ट विषयों पर व्याख्यान देंगे,

(ख) जो अनुसंधान कार्य का मार्ग–दर्शन करें,

(ग) जो सम्बद्ध संकाय बोर्ड के अधिवेशों में उपस्थित होने तथा उसे विचार–विमर्श में भाग लेने के हकदार होंगे, किन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा,

(घ) जिन्हें यथासम्भव विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं में अध्ययन तथा अनुसंधान कार्य करने की सुविधायें प्रदान की जायेगी, और

(ङ) जो समस्त दीक्षान्त समारोह में उपस्थित होने के हकदार होंगे–

परन्तु कोई व्यक्ति केवल विभाग में अवैतनिक सेवा मुक्त आचार्य के रूप में, आचार्य का पद धारण करने के आधार पर विश्वविद्यालय में या उसके किसी प्राधिकारी या निकाय में कोई पद धारण करने का पात्र नहीं होगा।

धारा 21(1)(xvii) 31 तथा 49 (ण) — 13.04 शिक्षक अथवा अध्यापन अनुसंधान सहायक ऐसी शर्तों तथा निबन्धों पर जिनकी अध्यादेशों में व्यवस्था की गयी हो, कार्य परिषद द्वारा नियुक्त किये जा सकते हैं।

धारा 31 तथा 49 (ण) — 13.05 (क) सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य तथा अन्य अध्यापक राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वेतनमान में पूर्णकालिक आधार पर नियोजित किये जायेंगे।

(ख) परिनियम 13.02 के खण्ड (चार) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सम्बद्ध विभाग में किसी समय पूर्ण कालिक अध्यापकों की

कुल संख्या के एक चौथाई से अधिक अंशकालिक अध्यापकों का अनुपात न होगा–

परन्तु यदि किसी विभाग में अध्यापकों की संख्या चार से कम हो तो कुलपति एक अंशकालिक अध्यापक नियुक्त करने की अनुज्ञा दे सकते हैं।

परन्तु यह और कि विधि विभाग में अंशकालिक अध्यापकों का अनुपात उस विभाग में पूर्णकालिक अध्यापकों की संख्या का आधा हो सकता है।

धारा 49 (ण) 13.06 किसी सम्बद्ध महाविद्यालय में कोई अंशकालिक अध्यापक उस महाविद्यालय में कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा।

अध्याय—14

भाग—1

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की अर्हताएं और नियुक्ति

धारा 49 (ण) 14.01 (1) कला, ललित कला और संगीत विभागों के सिवाय वाणिज्य, कृषि, विज्ञान और टेक्नोलॉजी संकायों की स्थिति में विश्वविद्यालय में किसी प्राध्यापक के पद के लिये न्यूनतम अर्हताएं सुसंगत विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंक सहित या उसके समकक्ष श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या किसी विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि और अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख—

(2) शिक्षा संकाय की स्थिति में, विश्वविद्यालय में किसी प्राध्यापक के पद के लिए न्यूनतम अर्हताएं कम से कम 55 प्रतिशत अंक सहित या उसके समकक्ष श्रेणी में शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधियाँ किसी विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि (अर्थात् एम0 एड0 की उपाधि) और अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख—

(3) विधि संकाय की स्थिति में विश्वविद्यालय में किसी प्राध्यापक के पद के लिये न्यूनतम अर्हता 55 प्रतिशत अंक सहित या उसके समकक्ष श्रेणी में विधि में स्नातकोत्तर उपाधि या किसी विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि और अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख—

(4) कला संकाय में ललित कला और संगीत विभागों की स्थिति में, विश्वविद्यालय में किसी प्राध्यापक के पद के लिये न्यूनतम अर्हताएं निम्नलिखित होंगी, अर्थात्—

या/तो

सुसंगत विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंक सहित या उसके समकक्ष श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि या डिप्लोमा और अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख।

या

सम्बद्ध विषय में अत्यन्त प्रशंसनीय वृत्तिक उपलब्धि सहित परम्परागत या वृत्तिक कलाकार।

(5) इस परिनियमावली के प्रयोजनों के लिये–

(क) कोई ऐसा अभ्यर्थी, (शिक्षा और विधि संकायों में प्राध्यापक के पद के लिये किसी अभ्यर्थी से भिन्न) जिसने या तो स्नातक की उपाधि परीक्षा में 55 प्रतिशत अंक और इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में द्वितीय श्रेणी में या दोनों परीक्षाओं में से प्रत्येक में पृथक–पृथक 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया हो, अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख वाला कहा जायेगा–

शिक्षण प्रशिक्षण (प्रवक्ता बी0 एड़0/एम0 एड0) की शाखा को छोड़कर अन्य विज्ञान की शाखाओं में प्रवक्ता या प्राध्यापक या लेक्चरर पद हेतु न्यूनतम अर्हता निम्नवत् होगी–

"उत्तम शैक्षिक अभिलेख के साथ सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55% प्राप्तांक स्नातकोत्तर स्तर पर, अथवा उसके समतुल्य सात सूत्रीय वर्ग माप में बी ग्रेड के साथ राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो।"*[1]

(ख) शिक्षा संकाय में प्राध्यापक के लिये कोई ऐसा

अभ्यर्थी जिसने या तो बी0 एड0 की उपाधि परीक्षा में 55 प्रतिशत अंक और किसी अन्य स्नातक उपाधि परीक्षा में द्वितीय श्रेणी या दोनों परीक्षाओं में से प्रत्येक में पृथक–पृथक 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया हो, अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख वाला कहा जायेगा।

"शिक्षण प्रशिक्षण (बी0 एड़0/एम0 एड0) पाठ्यक्रमों में प्रवक्ता या प्राध्यापक या लेक्चरर हेतु न्यूनतम अर्हता निम्नवत् होगी–

(अ) उत्तम शैक्षिक अभिलेख के साथ एम0 एड0 मे न्यूनतम् 55% प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि अथवा समतुल्य वर्गमाप में बी0 ग्रेड।

(ब) किसी स्कूल विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।

(स) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अथवा उ0 प्र0 राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण।[* 2]

(ग) विधि संकाय में प्राध्यापक के पद के लिये कोई ऐसा अभ्यर्थी जिसने या तो एल–एल0बी0 उपाधि परीक्षा में 55 प्रतिशत अंक और किसी अन्य स्नातक की उपाधि परीक्षा में द्वितीय श्रेणी या दोनों परीक्षाओं में पृथक–पृथक 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया हो, अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख वाला कहा जायेगा।

विश्वविद्यालय मे सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद/प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा (महाविद्यालय) के पद हेतु न्यूनतम अर्हता निम्नवत् होगी–

उत्तम शैक्षिक अभिलेखों के साथा शारीरिक विज्ञान त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम अथवा खेलकूद मे स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक अथवा यू0 जी0 सी0 के सात्र [(II)]

सूत्रीय वर्गमाप में बी0 ग्रेड।

अन्तर्विश्वविद्यालयी / अन्तर्महाविद्यालयी क्रीड़ा तथा खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं में विश्वविद्यालय / महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने अथवा राष्ट्रीय क्रीडा तथा खेलकूद प्रति–स्पर्धाओं में राज्य का प्रतिनिधित्व करने का प्रमाण पत्र।

शारीरिक स्वस्थता प्रमाण–पत्र राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अथवा उत्तर प्रदेश समतुल्य राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण–पत्र।

नोटः– उपयुर्क्त क, ख तथा ग श्रेणी में प्रवक्ता या प्राध्यापक या लेक्चरर के रूप में नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) या राज्य पात्रता परीक्षा (स्लेट) उत्तीर्ण होना अनिवार्य अर्हता होगी। परन्तु यदि कोई अभ्यर्थी सम्बन्धित विषय में डाक्टर आफ फिलासफी की उपाधि धारित करता हो तो उसे नेट या स्लेट परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

स्नातक स्तर पर अध्ययन के लिये सम्बन्धित विषय में मास्टर आफ फिलासफी उपाधि धारित करने वाले अभ्यर्थी भी अर्ह होंगे तथा इनके लिए नेट या स्लेट परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं होगा।*[3]

---

* 1, 2, 3 संख्या 1684 / सत्तर–1–2006 / 15(14) / 92 टी0 सी0

A - स्टाफ (शैक्षणिक संख्या)

(I) 100 छात्रों की एक यूनिट के लिये

प्राचार्य / अध्यक्ष –1, प्रवक्ता 7

दाखिले किये जाने वाले अतिरिक्त छात्र, जैसा कि प्रदेश सरकार निर्धारित करेगी, 100 गे गुणकों में होंगे और पूर्ण कालिक अध्यापक शिक्षकों की सख्या में 100 मूल यूनिट में प्रत्येक वर्षद्वि के साथ 7 प्रवक्ताओं की वर्षद्वि कर दी जायेगी।

(III) अध्यापकों की नियुक्ति, इस प्रकार की जायेगी जिससे शिक्षण के समस्त आधारिक एवं प्रविद्दि ा पाठ्क्रमों जैसे–कला विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग में शिक्षण के लिये विशेशज्ञता की उपलब्धिया सुनिश्चित हो सके।

B – प्राचार्य / विभागाध्यक्ष तथा प्रवक्ता पद की अर्हतायें–

(I) प्राचार्य / विभागाध्यक्ष (बहुसंकाय संस्थानों में):–

(a) शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हताए जो प्रवक्ता पद के लिए निर्धारित है।

(b) किसी माध्यमिक स्तर के शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में अध्यापन का 05 वर्श कर अनुभव।

नोटः– प्रात्रता के उपुर्यक्त मानदण्डों के अनुसार पात्र एव उपयुर्क्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में प्राचार्य / विभागाध्यक्ष के पद पर शिक्षा विशय से सेवा निवक्त आचार्य / विभागाध्यक्ष की 05 वर्श की आयु सीमा पूर्ण कर लेने तक एक समय में अधिकतम एक वर्श के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति की जा सकेगी।

(II) प्रवक्ता :–

एम0 एड0 के साथ मास्टर डिग्री अ

अथवा

बी0 एड0 में 55: अंकों के साथ मास्टर डिग्री।

नोटः– (I) पी–एच0 डी0 / एम0 फिल0 (विशेशतायें शिक्षा / शैक्षणिक नियोजन तथा प्रबन्ध मे पी–एच0 डी0) को विशेश वरियता दी जायेगी।

(II) जिन अभ्यर्थियों ने दो वर्शीय बी0 एड0 पाठ्यक्रम पूर्ण किया है उन्हे विशेश वरियता दी जायेगी। 1

(1) (ख) अन्य अभ्यर्थियों के मामलें में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ विधि द्वारा स्पापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि एवं बी0 एड0 पाठ्क्रम में प्रवेश चाहने वाले दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में स्नातक स्तर पर पाँच प्रतिशत की छूट दी जायेगी।*[2]

(6) प्राध्यापक के पद नियुक्ति के लिये केवल ऐसे अभ्यर्थी का हों जिन्होंने प्राध्यापाक के पद के लिये विहित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं पूरी करने के अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना के अनुसार संचालित किये जाने वाले किसी व्यापक परीक्षण, यदि कोई हो, अर्हता प्राप्त कर ली हो।

परन्तु यह कि ऐसे किसी अभ्यर्थी से–

(1) जिसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद या जूनियर रिसर्च फेलोशिप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या

(2) जिसे पी–एच0 डी0 या एम0 फिल0 की उपाधि पहले से प्रदान की गई हो, ऐसे किसी व्यापक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(3) (क) उत्तम शैक्षिक अभिलेख के साथ स्नातकोत्तर परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक एवं

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या सी0 एस0 आई0 आर0 की राष्ट्रीयता योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा 31 दिसम्बर

---

[1] शासनादेश संख्या–2104 / सत्तर–1–08, दिनांक 12 अगस्त, 2008

[2] शासनादेश संख्या–7078 / सत्तर–2–08–3(58) / 79, दिनांक 05 सितम्बर, 2008

1993 के पहले पी–एच0डी0 उपाधि हेतु थीसिस जमा की हो अथवा 31 दिसम्बर, 1992 के पहले एम0 फिल0 की उपाधि प्राप्त की हो।

धारा 49 14.02 (।।) कला संकाय (ललित कला और संगीत विभाग को छोड़कर) और वाणिज्य, विज्ञान, विधि, शिक्षा और कृषि संकायों की स्थित में निम्नलिखित पद के लिये निम्नलिखित न्यूनतम अर्हतायें होंगी'

(क) विश्वविद्यालय में उपाचार्य–

(एक) डाक्टरेट की उपाधि या समकक्ष प्रकाशित रचना सहित उत्तम शैक्षणिक अभिलेख और अनुसंधान कार्य या अध्ययन पद्धति में अभिनवीकरण या अध्यापन सामग्री के उत्पादन में सक्रिय रूप से कार्यरत और

(दो) अध्यापन या अनुसंधान कार्य का पांच वर्ष का, जिसमें कम से कम तीन वर्ष प्राध्यापक के रूप में या किसी समकक्ष स्थिति में, कार्य करने का अनुभव–

परन्तु ऐसे अभ्यर्थी के मामले में जिसने चयन समिति की राय में, उत्कृष्ट अनुसंधान कार्य किया हो, उपखण्ड (दो) में दी गयी अपेक्षायें शिथिल की जा सकती है।

(ख) विश्वविद्यालय में आचार्य अर्थात्–

या/तो

उच्च कोटि की प्रकाशित रचना सहित प्रख्यात विद्वता और अनुसंधान कार्य में सक्रिय रूप से कार्यरत और अध्यापन का दस वर्ष का अनुभव या अनुसंधान कार्य और डाक्टरेट की उपाधि के स्तर पर अनुसंधान कार्य के मार्गदर्शन का अनुभव।

या

विद्या के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिये संस्थापित प्रतिष्ठा सहित विशिष्ट विद्वता।

(2) कला संकाय में, ललित कला और संगीत विभाग की स्थिति में, विश्वविद्यालय में उपाचार्य पद के लिये न्यूनतम अर्हतायें निम्नलिखित होंगी, अर्थात्–

या/तो

(क) प्रथम या उच्च द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि या डिप्लोमा सहित अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख और

(ख) दो वर्ष का अनुसंधान कार्य या वृत्तिक अनुभव या अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में सजनात्मक कार्य और उपलब्धियां या विशिष्ट प्रतिभाशाली कलाकार के रूप में उस क्षेत्र मे संयुक्त रूप में तीन वर्ष का अनुसंधान कार्य और वैत्तिक अनुभव।

या

सम्बद्ध विषय में उच्च स्तरीय सराहनीय वैत्तिक उपलब्धि सहित परम्परागत या वैत्तिक कलाकार, और

(ग) उपाधियां स्नातकोत्तर कक्षा को उस विषय में पढ़ाने का पांच वर्ष का अनुभव

धारा 31 और 49 (घ)

14.03 धारा 31 की उपधारा (10) में निर्दिष्ट रिक्ति का विज्ञापन सामान्यतया अभ्यर्थियों को कम से कम तीन सप्ताह का समय उस दिनांक से देगा जिस दिनांक को समाचार पत्र का अंक निकाला गया, जिसमें विज्ञापन छापा है।

धारा 31 (9) और 49 (घ) 14.04 (क) विश्वविद्यालय में अध्यापक की नियुक्ति के लिये चयन समिति का अधिवेशन कुलपति के आदेश से बुलाया जायेगा।

(ख) चयन समिति विश्वविद्यालय के अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिये किसी व्यक्ति के नाम पर विचार नहीं करेगी जब तक कि उसने इसके लिये आवेदन पत्र न दिया हो।

परन्तु किसी आचार्य की नियुक्ति की स्थिति में समिति कुलपति के अनुमोदन से, उन व्यक्तियों के जिन्होंने आवेदन पत्र का न दिये हों, नाम पर विचार कर सकती है।

धारा 30 और 31 14.05 (क) यदि चयन समिति नियुक्ति के लिये एक से अधिक अभ्यर्थियों के नाम की सिफारिश करे तो वह स्वविवेकानुसार उनके नाम अधिमान क्रम में रखेगी। जहाँ समिति सदस्यों के नाम अधिमानक्रम में रखने का विनिश्चय करेगी, वहाँ यह समझा जायेगा कि उसने इंगित कर दिया है कि प्रथम अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में द्वितीय अभ्यर्थी नियुक्त किया जाएगा, और द्वितीय अभ्यर्थी के भी उपलब्ध न होने की दशा में तृतीय अभ्यर्थी नियुक्त किया जायेगा और यही क्रम आगे भी चलेगा।

(ख) चयन समिति यह सिफारिश कर सकती है कि यदि कोई उपयुक्त अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये उपलब्ध न हो, तो ऐसी दशा में पद का विज्ञापन पुनः किया जायेगा।

धारा 49 (ख) 14.06 चयन समिति की सिफारिशों और उनसे सम्बन्धित कार्यपरिषद की कार्यवाहियाँ अत्यन्त गोपनीय मानी जायेगी।

सिफारिश पर कार्य परिषद् ऐसे अध्यापकों को जो असाधारण रूप से उच्च योग्यता एवं अनुभव रखते हों, प्रारम्भिक नियुक्ति के समय पांच तक अग्रिम वेतन वृद्धि दे सकती है। यदि किसी

धारा 21 (1) (XVII)14.07 यदि धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किसी अध्यापक का कार्य और आचरण–

(क) सन्तोषजनक समझा जाय तो कार्य परिषद परिवीक्षा अवधि (जिसके अन्तर्गत बढ़ाई गयी अवधि यदि कोई भी हो) के अन्त में अध्यापक को स्थायी कर सकती है।

(ख) सन्तोषजनक न समझा जाय तो कार्य परिषद परिवीक्षा अवधि (जिसके अन्तर्गत बढ़ाई गयी अवधि यदि कोई हो, भी है) के दौरान या उसकी समाप्ति पर, अध्यापक की सेवायें, धारा–31 के उपबन्धों के अनुसार समाप्त कर सकती है।

धारा 31 तथा 49 (घ)	14.08 चयन समिति के सदस्यों का अधिवेशन विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर होगा।
धारा 31 तथा 49 (घ)	14.09 चयन समिति के सदस्यों को अधिवेशन की सूचना, जो पन्द्रह दिन से कम नहीं होगी, दी जायेगी और उसकी गणना सूचना भेजे जाने के दिनांक से की जायेगी। नोटिस की तामीली या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर्ड डाक द्वारा की जायेगी।
धारा 31 तथा 49 (घ)	14.10 अभ्यर्थियों को चयन समिति का अधिवेशन होने के पूर्व कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जायेगी और उसकी गणना सूचना भेजे जाने के दिनांक से की जायेगी। सूचना की तामीली या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर्ड डाक द्वारा की जायेगी।
धारा 31 तथा 49 (घ)	14.11 चयन समिति के सदस्यों को यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता विश्वविद्यालय द्वारा अध्यादेशों में विहित दरों पर दिया जायेगा।

धारा 31 तथा ञ 14.12 अत्यधिक विशेष परिस्थितियों में और चयन समिति की

सिफारिश पर कार्य परिषद ऐसे अध्यापकों को जो असाधारण रूप से उच्च योग्यता एवं अनुभव रखतें हों, प्रारम्भिक नियुक्ति के समय पांच तक अग्रिम वेतन वृद्धि दे सकती है। यदि किसी मामले में पांच से अधिक वेतन वृद्धि देना आवश्यक हो तो नियुक्ति करने के पूर्व राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

भाग-2

सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों की अर्हतायें और नियुक्ति

धारा 49 (घ) 14.13 (1) किसी महाविद्यालय की स्थिति में जो विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो, कला संकाय (ललित कला और संगीत विभाग के सिवाय) और कृषि, वाणिज्य और विज्ञान संकायों में प्राध्यापक के पद के लिये न्यूनतम अर्हतायें सुसंगत विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंक या उसके समकक्ष श्रेणी सहित स्नातकोत्तर उपाधि या किसी विदेशी विश्वविद्यालय के समकक्ष उपाधि और अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख होगी।

(2) किसी महाविद्यालय की स्थिति में, जो विश्वविद्यालय से समबद्ध हो, शिक्षा संकाय में, प्राध्यापक के पद के लिये न्यूनतम अर्हतायें कम से कम 55 प्रतिशत अंक या उसके समकक्ष श्रेणी सहित शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि या किसी विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि अर्थात् एम0 एड0 उपाधि और अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख होगी।

(3) किसी महाविद्यालय की स्थिति में, जो विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो, विधि संकाय में प्राध्यापक के पद के लिए न्यूनतम अर्हताएं कम से कम 55 प्रतिशत अंक या उसके समकक्ष श्रेणी

सहित विधि में स्नातकोत्तर की उपाधि या किसी विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि या डिप्लोमा और अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख होगी।

(4) किसी महाविद्यालय की स्थिति में जो विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो, ललितकला और संगीत विभागों में प्राध्यापक के पद के लिये न्यूनतम अर्हतायें निम्नलिखित होंगी अर्थात्–

या/तो

कम से कम 55 प्रतिशत अंक या उसके समकक्ष श्रेणी सहित सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि या डिप्लोमा और अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख–

या

सम्बद्ध विषय में उच्च स्तरीय सराहनीय वृत्तिक उपलब्धि सहित परम्परागत या वृत्तिक कलाकार।

(5) इस परिनियम के प्रयोजनों के लिये, शिक्षा संकाय या विधि संकाय या अन्य संकायों के सम्बन्ध में पद अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख का वही अर्थ होगा जो परिनियम 14.01 के खण्ड (5) के, यथास्थिति उपखण्ड (क) या उपखण्ड (ख) या उपखण्ड (ग) में उसके लिये दिया गया है।

(6) प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिये केवल वे ही अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिन्होंने प्राध्यापक के पद के लिये विहित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें पूरी करने के अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना के अनुसार संचालित किये जाने वाले किसी व्यापक परीक्षण, यदि कोई हो, में अर्हता प्राप्त की हो–

सम्बद्ध हो, विधि संकाय में प्राध्यापक के पद के लिए न्यूनतम अर्हताएं कम से कम 55 प्रतिशत अंक या उसके समकक्ष श्रेणी

परन्तु यह कि किसी अभ्यर्थी से–

(एक) जिसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद या जूनियर रिसर्च फेलोशिप की परीक्षा उत्तीण की हो, या

(दो) जिसे पी–एच0डी0 या एम0 फिल0 की उपाधि पहले से प्रदान की गयी हो, ऐसे किसी व्यापक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(7) जहाँ कम से कम पांच वर्ष के अध्यापन का अनुभव रखने वाला इस या किसी अन्य विश्वविद्यालय के किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय का कोई स्थायी अध्यापक, जो उस महाविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय, यथास्थिति, इस या किसी अन्य विश्वविद्यालय के परिनियमों या अध्यादेशें में विहित अर्हताओ को पूरा करता हो, इस विश्वविद्यालय के किसी सम्बद्ध महाविद्यालय में प्राध्यापक के पद के लिये अभ्यर्थी हो, या इस या किसी अन्य विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय से जहां उसने कार्य किया, छंटनी किये जाने के पश्चात् उसी या इस विश्वविद्यालय के किसी अन्य सम्बद्ध महाविद्यालय में प्राध्यापक पद के लिये अभ्यर्थी हो, वहां उसके सम्बन्ध में इस परिनियम में निर्धारित अर्हताओं पर बल नहीं दिया जायेगा और उसके बारे में यह समझाा जायेगा कि वह ऐसी नियुक्ति के लिये अपेक्षित अर्हतायें रखता है।

धारा 49 (घ) 14.14 किसी महाविद्यालय की दशा, जो विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो, प्राचार्य के पद के लिये न्यूनतम अर्हतायें निम्नलिखित होंगी–

(1) उपाधि महाविद्यालय के लिए–

(क) महाविद्यालय में प्राध्यापित किसी विषय या उससे सम्बद्ध या अन्तः सम्बद्ध किसी विषय में प्रथम श्रेणी या उच्च द्वितीय श्रेणी में (अर्थात् अंकों के पूर्ण योग के 54 प्रतिशत से अधिक अंकों सहित) स्नातकोत्तर उपाधि या उस विषय में किसी विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि सहित अविच्छिन्न उत्तम शैक्षिक अभिलेख (अर्थात् अभ्यर्थी के शिक्षा काल में आद्योपान्त सभी मूल्यांकनों का सम्पूर्ण अभिलेख) और–

(ख) महाविद्यालय में प्राध्यापित किसी विषय में डाक्टरेट की उपाधि और स्नातक कक्षाओं को पढ़ाने का सात वर्ष का अनुभव–

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी को स्नातक कक्षाओं के अध्यापन का बारह वर्ष या उससे अधिक का अनुभव है या स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्यापन का सात वर्ष या उससे अधिक का अनुभव है या यदि वह किसी उपाधि महाविद्यालय का चार वर्ष या उससे अधिक समय से स्थायी प्राचार्य है या रहा है तो चयन समिति डाक्टरेट की उपाधि की अपेक्षा को शिथिल कर सकती है–

परन्तु यह और कि यदि चयन समिति का यह विचार हो कि किसी अभ्यर्थी का अनुसंधान कार्य, जैसा कि उसके शोध निबन्ध या उसकी प्रकाशित रचना से सुस्पष्ट हो, अत्यधिक उच्च स्तर का है, तो वह उपखण्ड (क) में विहित किसी अर्हता को शिथिल कर सकती है।

(2) स्नातकोत्तर महाविद्यालय के लिए–

(क) महाविद्यालयों में प्राध्यापित किसी विषय में प्रथम श्रेणी या उच्च द्वितीय श्रेणी में (अर्थात् अंको के पूर्णयोग के 54 प्रतिशत से अधिक अंकों सहित) स्नातकोत्तर उपाधि या उस विषय में किसी विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि सहित अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख अर्थात् अभ्यर्थी के शिक्षा काल में आद्योपान्त सभी मूल्यांकनों का सम्पूर्ण अभिलेख, और

(ख) महाविद्यालय में प्राध्यापित किसी एक विषय में डाक्टरेट की उपाधि और स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन का 7 वर्ष का अनुभव या किसी उपाधि महाविद्यालय में प्राचार्य के पद का 5 वर्ष का अनुभव–

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी को स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्यापन का 10 वर्ष का अनुभव या किसी उपाधि कक्षाओं के अध्यापन का 20 वर्ष का या उससे अधिक का अनुभव या किसी महाविद्यालय के प्राचार्य के पद का 7 वर्ष का अनुभव है या किसी स्नातकोत्तर महाविद्यालय का 5 वर्ष या उससे अधिक समय से स्थायी प्राचार्य है या रहा है, तो चयन समिति डाक्टरेट की उपाधि की अपेक्षा को शिथिल कर सकती है–

परन्तु यह और कि यदि चयन समिति का यह विचार हो कि किसी अभ्यर्थी का अनुसंधान कार्य जैसा कि जो उसके शोध निबन्ध या उसकी प्रकाशित रचना से सुस्पष्ट हों, अत्यधिक उच्च स्तर का है, तो वह उपखण्ड (क) में विहित किसी अर्हता को शिथिल कर सकती है।

धारा 31 और 49 (ण)

14.15 परिनियम 14.03 से 14.11 (परिनियम 14.07 को छोड़कर) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अध्यापकों की नियुक्ति के मामलें में उसी

लागू होंगे जिस प्रकार वे विश्वविद्यालय के अध्यापकों पर लागू होते हैं।

धारा 31 और 49 (ण) — 14.16 सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अध्यापकों की नियुक्ति के लिये चयन समिति के सदस्यों की यात्रा और दैनिक भत्ते का वहन सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

नोट :–

(1) कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के लिए परिशिष्ट ''ज'' द्रष्टव्य है।

(2) महाविद्यालय के प्राचार्य एवं विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के प्रवक्ता पद हेतु ''उत्तम शैक्षणिक अभिलेख'' के लिये परिशिष्ट ''झ'' द्रष्टव्य है।

अध्याय–15

भाग–1

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की सेवा शर्तें

धारा 49 (घ) 15.01 परिनियम 13.03 (1) में निर्दिष्ट नियुक्ति या किसी अध्यापक को दस मास से अनधिक अवधि के छुट्टी स्वीकृत किये जाने के कारण हुयी रिक्ति में धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्ति को या धारा 13 की उपधारा (6) के अधीन नियुक्ति को छोड़कर विश्वविद्यालय के अध्यापक परिशिष्ट (ख) में दिये गये प्रपत्र में लिखित संविदा द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

धारा 49 (घ) 15.02 विश्वविद्यालय का अध्यापक सर्वदा पूर्ण सत्यनिष्ठ एवं कर्तव्यनिष्ठ रहेगा और परिशिष्ट "ग" में दी गयी आचरण संहिता का पालन करेगा, जो नियुक्ति के समय अध्यापक द्वारा हस्ताक्षर किये जाने वाले करार का एक भाग होगा।

धारा 49 (घ) 15.03 परिशिष्ट "ग" में दी गयी आचरण संहिता के उपबन्धों में से किसी का उलंघन परिनियम 15.04 (1) के अर्थान्तर्गत दुराचरण समझा जायेगा।

धारा 49 (घ) 15.04 (1) निम्नलिखित कारणों में से किसी एक या अधिक कारण से विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक पदच्युत किया या हटाया जा सकता है या उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है–

(क) कर्तव्य की जानबूझकर उपेक्षा,

(ख) दुराचरण

(ग) सेवा संविदा की किसी शर्तों का उल्लंघन,

(घ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के सम्बन्ध में बेईमानी,

(ङ) लोकापवादयुक्त आचरण या नैतिकदृष्टि से अधम अपराध के लिये दोषसिद्धि

(च) शारीरिक या मानसिक अनुपयुक्तता

(छ) अक्षमता

(ज) पद की समाप्ति।

(2) धारा 31 की उपधारा (2) में की गयी व्यवस्था के सिवाय, संविदा समाप्त करने के लिये, किसी भी पक्ष द्वारा कम से कम तीन मास की नोटिस (या जब नोटिस अक्टूबर मास के पश्चात् दी जाय, तब तीन मास की नोटिस या सत्र समाप्त होने तक की नोटिस जो भी अधिक हो) दी जायेगी या किसी ऐसी नोटिस के बदले में, तीन मास या ऐसी उपर्युक्त अधिक अबधि का वेतन दिया जायेगा–

परन्तु जहां विश्वविद्यालय खण्ड (1) के अधीन विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करे या हटाये या उसकी सेवायें समाप्त करे या यदि कोई अध्यापक संविदा को विश्वविद्यालय द्वारा उसकी शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण समाप्त करे, तो ऐसी नोटिस की आवश्यकता न होगी।

परन्तु यह भी कि पक्षकार आपस के समझौते द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से नोटिस की शर्त का परित्याग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

धारा 32 (2) और 49 (घ)

15.05 धारा 32 में निर्दिष्ट नियुक्ति की मूल सविदा नियुक्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिये कुलसचिव के यहां सुरक्षित रखी जायेगी।

धारा 32(1)(xvii) और 49 (घ)

15.06 (1) परिनियम 15.04 के खण्ड (1) उल्लिखित किसी कारण से विश्वविद्यालय के किसी प्राध्यापक को पदच्युत करने, हटाने या उसकी सेवायें समाप्त करने का कोई आदेश (सिवाय ऐसे अपराध के लिये जिसमें नैतिक दृष्टि से अधम अपराध का दोष सिद्ध होने पर या पद समाप्ति की स्थिति में) तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि अध्यापक को, उसके विरुद्ध आरोप लगाया गया हो और उसकी सूचना जिस आधार पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव हो, उसके विवरण सहित न दे दी जाय, और उसको–

(एक) अपने प्रतिवाद के लिये लिखित बयान प्रस्तुत करने का,

(दो) व्यक्तिगत सुनवाई का, यदि वह ऐसा चाहे और

(तीन) अपने प्रतिवाद में ऐसे साक्षियों को बुलाने और परीक्षण करने का जिन्हें वह चाहे, पर्याप्त अवसर न दे दिया जाय,

परन्तु कार्य परिषद् या जांच करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पर्याप्त कारणो से अभिलिखित करते हुए किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकता है।

(2) कार्य परिषद किसी समय, जाँच अधिकारी की रिपोर्ट के दिनांक से साधारणतया दो मास के भीतर सम्बद्ध अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने या हटाने या उसकी सेवायें समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर सकता है, जिसमें पदच्युत करने, हटाने या सेवा समाप्त करने के कारण उल्लिखित किये जायेंगे।

(3) प्रस्ताव की सूचना सम्बद्ध अध्यापक को तुरन्त दी जायेगी।

(4) कार्यपरिषद् अध्यापक की सेवा से पदच्युत करने, हटाने या उसकी सेवा समाप्त करने के बजाय तीन वर्ष से अनधिक विनिर्दिष्ट अवधि के लिये अध्यापक का वेतन कम करके या विनिर्दिष्ट अवधि के लिये उसकी वेतन वृद्धियाँ रोक करके अपेक्षाकृत हल्का दण्ड देने का संकल्प पारित कर सकती है या अध्यापक को उसके निलम्बन की अवधि के, यदि कोई हो, वेतन से वंचित कर सकती है।

धारा 21(1)(xvii) और 49 (घ)

15.07 (1) यदि किसी अध्यापक के विरुद्ध कोई जांच चल रही है या जांच प्रारम्भ करने का विचार हो तो परिनियम 8.01 में निर्दिष्ट अनुशासनिक समिति उसको परिनियम 15.04 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) से (ङ) तक में उल्लिखित आधार पर निलम्बित करने की सिफारिश कर सकती हैं यदि इस आधार पर निलम्बन का आदेश दिया जाय कि अध्यापक के विरुद्ध जांच प्रारम्भ करने का विचार है, तो निलम्बन आदेश उसके प्रवर्तन के चार सप्ताह बीत जाने पर समाप्त हो जायेगा जब तक कि इस बीच अध्यापक को उस आरोप या उन आरोपों की संसूचना न दे दी जाय, जिनके बारे में जांच कराने का विचार था।

(2) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को—

(क) यदि किसी अपराध के लिये दोषसिद्धि की स्थिति में उसे 48 घण्टे से अधिक अवधि का कारावास का दण्ड दिया जाये और उसे इस प्रकार दोषसिद्धि के परिणाम स्वरूप तुरन्त पदच्युत या सेवा से हटाया न जाये तो उसकी दोषसिद्धि के दिनांक से,

(ख) किसी अन्य स्थिति में यदि वह अभिरक्षा में निरुद्ध किया

जाय, चाहे निरोध किसी अपराधिक आरोप के कारण हो या अन्यथा उसके निरोध की अवधि तक के लिये, निलम्बित समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण– उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट 48 घन्टे की अवधि की गणना दोषसिद्धि के पश्चात् कारावास के प्रारम्भ होने से की जायेगी और इस प्रयोजन के लिये कारावास की सविराम अवधिक पर भी, यदि कोई हो, विचार किया जायेगा।

(3) जहां विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करने का या सेवा से हटाने का आदेश अधिनियम या इस परिनियमावली के अधीन किसी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप या अन्यथा अपास्त? कर दिया जाय या शून्य घोषित कर दिया जाय या हो जाय, और विश्वविद्यालय का समुचित अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय उसके विरुद्ध अग्रतर जांच करने का विनिश्चय करे, वहां यदि अध्यापक पदच्युत होने या हटाने के ठीक पूर्व निलम्बित था, तो वह समझा जायेगा कि निलम्बन का आदेश पदच्युति या हटाने के मूल आदेश के दिनांक को और दिनांक से प्रवृत्त है।

(4) विश्वविद्यालय का अध्यापक अपने निलम्बन ही अवधि में समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकार के फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड 2 के भाग 2 के अध्याय–8 के उपबन्धों के अनुसार जो आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे, जीवन निर्वाह भत्ता पाने का हकदार होगा।

धारा 21(1)(xvii) और 49 (घ) — 15.08 परिनियम 15.06 के खण्ड 2 या परिनियम 15.07 के खण्ड (1) के प्रयोजनार्थ अधिकतम अवधि की गणना करने में इस अवधि ा को जिसमें किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रवर्तन में हो, सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

धारा 34 (1)

15.09 विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक किसी कैलेण्डर वर्ष में ध ाारा 34 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी परीक्षा के सम्बन्धाा में सम्पादित किसी कर्तव्य के लिए उस विशिष्ट कलेण्डर वर्ष में अपने दो मास के औसत वेतन से अधिक कोई पारिश्रामिक नहीं लेगा।

धारा 49 (घ)

15.10 इस परिनियमावली में किसी बात के होते हुए भी–

(एक) विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक जो संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य हो, अपनी सदस्यता की अवधि पर्यन्त विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या पारिश्रामिक पद धारण नहीं करेगा।

(दो) यदि विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक जो संसद या राज्य विधानमण्डल के सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन या नाम निर्देशन के दिनांक के पूर्व से विश्वविद्यालय में कोई प्राशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण किये हो, तो वह ऐसे निर्वाचन या नाम निर्देशन के दिनांक से या, इस परिनियमवाली के प्रारम्भ होने के दिनांक से, जो भी पश्चातवर्ती हो, उस पद पर नहीं रह जायेगा।

(तीन) विश्वविद्यालय के ऐसे अध्यापक से जो संसद या राज्य विधान मण्डल के लिये निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट किया जाय, अपनी सदस्यता की अवधि में या परिनियम 15.11 के द्वारा जैसा उपबन्धित है, उसके सिवाय किसी सदन या उसकी समिति के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिये विश्वविद्यालय से त्यागपत्र देने या छुट्टी लेने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

स्पष्टीकरण– इस परिनियम के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय की सदस्यता या संकाय के

संकायाध्यक्ष के पद या किसी महाविद्यालय के प्राचार्य के पद को और प्रशासनिक पद नहीं समझा जायेगा।

धारा 49 (घ) 15.11 कार्य परिषद दिवसों की न्यूनतम संख्या नियत करेगी, जब कि ऐसा अध्यापक अपने शैक्षिक कर्तव्यों के लिये विश्वविद्यालय में उपलब्ध होगा–

परन्तु जहां विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधान मण्डल के सत्र के कारण इस प्रकार उपलब्ध न हो, वहां उसे ऐसी छुट्टी पर समझा जायेगा, जो उसे देय हो और कोई छुट्टी देय न हों तो उसे बिना वेतन के छुट्टी पर समझा जायेगा।

भाग–2

विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिये छुट्टी सम्बन्धी नियम

धारा 49 (घ) 15.12 छुट्टी निम्नलिखित प्रकार की होगी–

(क) आकस्मिक छुट्टी

(ख) विशेषाधिकार की छुट्टी

(ग) बीमारी की छुट्टी

(घ) कर्तव्य (ड्यूटी) छुट्टी

(ङ) दीर्घ कालीन छुट्टी

(च) असाधारण छुट्टी

(छ) प्रसूति छुट्टी

धारा 49 (घ) 15.13 आकस्मिक छुट्टी पूर्ण वेतन पर दी जायेगी जो एक मास

में सात दिन अथवा एक सत्र में चौदह दिन से अधिक न होगी और यह संचित नहीं होगी। यह साधारणतया अवकाश के दिन के साथ मिलायी नहीं जा सकेगी, किन्तु विशेष परिस्थितियों में कुलपति उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, इस शर्त को अधित्यजित कर सकता है।

धारा 49 (घ) 15.14 एक सत्र में दस कार्य–दिवस तक ही विशेषाधिकार छुट्टी पूर्ण वेतन पर होगी, और यह 60 कार्य–दिवस तक संचित की जा सकती है।

धारा 49 (घ) 15.15 बीमारी की छुट्टी वेतन की चालू दर और यदि छुट्टी के समय के लिए कोई प्रबन्ध किया जाये तो उसके कुल व्यय के अन्तर पर किन्तु कम से कम आधे वेतन पर, एक सत्र में एक मास के लिये दी जायेगी और संचित नहीं होगी।

धारा 49 (घ) 15.16 विश्वविद्यालय के ऐसे निकायों, तदर्थ समितियों तथा सम्मेलनों के जिसमें कोई अध्यापक पदेन सदस्य हो या जिसमें वह विश्वविद्यालय द्वारा नाम–निर्दिष्ट किया गया हो, किसी अधिवेशन में सम्मिलित होने तथा विश्वविद्यालय की परीक्षायें संचालित करने के लिये 15 कार्य दिवस तक की कर्तव्यस्थ (ड्यूटी) छुट्टी पूर्ण वेतन पर दी जायेगी।

धारा 49 (घ) 15.17 किसी एक सत्र में एक मास के लिए दीर्घ कालीन छुट्टी जो आधे वेतन पर होगी, और जो बारह मास तक संचित की जा सकती है, उन कारणों से, यथा लम्बी बीमारी, आवश्यक कार्य, अनुमोदित अध्ययन या निवत्ति पूर्वता के लिये दी जा सकती है।

परन्तु ऐसी छुट्टी लम्बी बीमारी को छोड़कर केवल पांच वर्ष की लगातार सेवा के पश्चात दी जा सकती है।

परन्तु यह और कि लम्बी बीमारी की स्थिति में छुट्टी कार्य परिषद् के विवेकानुसार छः मास से अधिक अवधि के लिये पूर्ण वेतन पर दी जा सकती है।

परन्तु यह कि ऐसे अध्यापकों को जिनका चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा "अध्यापक अधिछात्रवृत्ति के लिये या आयोग द्वारा प्रायोजित किसी अन्य योजना के अधीन विदेश में प्रशिक्षण या अध्ययन के लिये किया गया हो, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, ऐसी अधिछात्रवषत्ति शिक्षण या अध्ययन की अवधि के लिये पूर्ण वेतन छुट्टी दी जा सकती है।"

धारा 49 (घ) 15.18 असाधारण छुट्टी बिना वेतन के होगी। यह प्रारम्भ में ऐसे कारणों से जिन्हें कार्य–परिषद् उचित समझे तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिये दी जा सकती है, किन्तु परिनियम 15.10 में उल्लिखित परिस्थितियों को छोड़कर यह विशेष परिस्थितियों के अधीन दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिये बढ़ाई जा सकती है।

स्पष्टीकरण 1– कोई अध्यापक जो कोई स्थायी पद धारण करता हो या जो निम्न पद पर स्थायी होने पर तीन वर्ष से अधिक अवधि से किसी उच्च पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो, राज्य सरकार की सहमति के अधीन रहते हुए, उच्च वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन के लिये स्वीकृत की गयी असाधारण छुट्टी की अवधि की गणना समय–मान में अपनी वेतन वषद्धि में किये जाने का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण–2 राज्य सरकार की सहमति के अधीन रहते हुए कोई अध्यापक जो अस्थाई पद धारण करता हो, और जिसे ऐसी छुट्टी स्वीकृत की गयी हो, ऐसी छुट्टी से वापस आने पर

फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड 2, भाग 2 से 4 के फण्डामेन्टल नियम 27 के अनुसार अपना वेतन समयमान में ऐसे प्रक्रम पर निर्धारित कराने का हकदार होगा जो उसे उस समय मिलता यदि वह ऐसी छुट्टी पर न गया होता, परन्तु यह कि वह अध्ययन जिसके लिये छुट्टी स्वीकृत की गयी थी लोकहित में रहा हो।

धारा 49 (घ) 15.19 अध्यापिकाओं को ऐसी अवधि के लिये प्रसूति छुट्टी जो प्रसूति के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन मास तक या प्रसवावस्था के दिनांक से छः सप्ताह तक जो भी पहले हो, पूर्ण वेतन पर दी जा सकती है।

परन्तु ऐसी छुट्टी अध्यापिका की सम्पूर्ण सेवा अवधि में तीन बार से अधिक नहीं दी जायेगी।

धारा 49 (घ) 15.20 छुट्टी अधिकार स्वरूप नहीं मांगी जा सकती है। परिस्थिति की आवश्यकता को देखते हुए स्वीकृत अधिकारी किसी भी प्रकार की छुट्टी स्वीकार करने से इन्कार कर सकता है और पहले से स्वीकृत की गयी छुट्टी को भी रद्द कर सकता है।

धारा 49 (घ) 15.21 किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर बीमारी की छुट्टी या लम्बी बीमारी के कारण दीर्घ कालिक छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। यदि ऐसी छुट्टी 14 दिन से अधिक हो तो कुलपति किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक का, जो उसके द्वारा अनुमोदित हो, द्वितीय प्रमाण पत्र मांगने के लिये सक्षम होगा।

धारा 49 (घ) 15.22 दीर्घ कालिक छुट्टी और असाधारण छुट्टी को छोड़कर जो कार्य परिषद् द्वारा स्वीकृत की जायेगी, छुट्टी स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी कुलपति होगा।

भाग–3

अधिवर्षिता की आयु

धारा 49

15.23 (1) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष होगी।

(2) किसी अध्यापक की अधिवर्षिता का दिनांक उसके साठवें जन्म दिनांक के ठीक पूर्व का दिनांक होगा।

(3) 04.02.2004 से पूर्व सत्रांत लाभ पर चल रहे शिक्षकों को उनके द्वारा पूर्व से घावित प्रशासनिक पद यदि कोई हो तो स्थापित नहीं किया जायेगा अर्थात् दिनांक 04.02.2004 से पूर्ववर्ती तिथि को जो भी अध्यापक की प्रस्थिति थी वही प्रस्थिति बनी रहेगी। *

धारा 49

15.24 इस परिनियमावली के प्रारम्भ के दिनांक के पश्चात् किसी अध्यापक की सेवा में अधिवर्षिता की आयु के उपरान्त कोई वृद्धि नहीं की जायेगी। परन्तु यदि किसी अध्यापक की अधिवर्षिता का दिनांक 30 जून को न हो तो वह अध्यापक शिक्षा सत्र के अन्त तक अर्थात् अनुवर्ती 30 जून तक सेवा में बना रहेगा और वह अपनी अधिवर्षिता के दिनांक के ठीक अनुवर्ती दिनांक से आगामी 30 जून तक फिर से नियोजित समझा जायेगा।

परन्तु यह और कि राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त ऐसे शिक्षक जिनकी अधिवर्षिता आयु दिनांक 30.06.2006 थी तथा जो उक्त पुरस्कार के फलस्वरूप सेवा विस्तार के आधार पर सेवा निवृत्त नहीं हुए है, उनके शारीरिक एवं मांसिक रूप से स्वस्थ होने की दशा में अधिवर्शिता आयु 62 वर्ष तत्पश्चात् दो वर्ष का सेवा विस्तार का लाभ प्राप्त होगा।*

---

* राज्यपाल सचिवालय पत्र संख्या–ई.5134/जी.एस.दिनांक 14.10.2005

परन्तु यह और कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ ऐसे अध्यापकों को जिन्हें 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण कारावास का दण्ड दिया गया हो और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन मिल रही हो, उनकी अधिवर्षिता के दिनांक से आगामी 30 जून के पश्चात् दो वर्ष की अग्रतर अवधि के लिये पुनर्नियुक्त किया जायेगा।

भाग–4
अन्य उपबन्ध

धारा 32 एवं 49 15.25 इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी अध्यापक और विश्वविद्यालय के बीच की गयी कोई नियुक्ति संविदा इस अध्याय मं दिये गये परिनियमों के उपबन्धों के अधीन होगी, और इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार परिशिष्ट ''ग'' के साथ पठित परिशिष्ट ''ख'' में दिये गये प्रपत्र की शर्तों के अनुसार परिष्कृत समझी जायेगी।

धारा 49 15.26 परिनियम 15.04 (1) के खण्ड (ख), खण्ड (ग), खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) में उल्लिखित किसी कारण से सेवा से पदच्युत किया गया विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक किसी विश्वविद्यालय में या ऐसे किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में किसी भी रूप में फिर से नियोजित नहीं किया जायेगा।

धारा 49 15.27 (1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक परिशिष्ट ''ङ'' में दिये गये प्रपत्र में अपनी वार्षिक शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट दो प्रतियों में तैयार करेगा। मूल रिपोर्ट कुलपति के पास रखी जायेगी और उसकी प्रति अध्यापक अपने पास रखेगा।

(2) मूल रिपोर्ट पर, उसे कुलपति को देने के पूर्व विभागाध्यक्ष से भिन्न अध्यापक की दशा में सम्बद्ध विभागाध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(3) किसी शिक्षा सत्र के सम्बन्ध में रिपोर्ट उक्त सत्र के अनुवर्ती जुलाई के अन्त तक या सत्र समाप्त होने के एक मास के भीतर जो भी पश्चातवर्ती हो, दी जायेगी।

धारा 49 — 15.28 विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के अधिकारियों और प्राधिकारियों के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

धारा 49 — 15.29 जहां अधिनियम या इस परिनियमावली या अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन किसी अध्यापक पर कोई नोटिस तामील करना अपेक्षित हो, और ऐसा अध्यापक नगर में हो, वहां ऐसी नोटिस उसे उसके अन्तिम ज्ञात पते पर रजिस्टर्ड डाक से भेजी जा सकती है।

अध्याय–16

भाग–1

सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापकों की सेवा की शर्तें

धारा 49 (ण) 16.01 इस अध्याय के उपबन्ध राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से घोषित किसी महाविद्यालय के अध्यापकों पर लागू नहीं होगी।

धारा 49 (ण) 16.02 किसी अध्यापक को दस मास से अनधिक अवधि के लिये छुट्टी दिये जाने के कारण हुई किसी रिक्ति में धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्ति को छोड़कर सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापक, यथास्थिति परिशिष्ट ''घ'' में दिये गये प्रपत्र (1) या प्रपत्र (2) में लिखित संविदा पर नियुक्त किये जायेंगे।

धारा 49 (ण) 16.03 (1) सम्बद्ध महाविद्यालय का अध्यापक सर्वदा सत्यनिष्ठ एवं कर्तव्यनिष्ठ रहेगा और परिशिष्ट ''ग'' में दी गयी आचार संहिता का पालन करेगा, जो नियुक्ति के समय अध्यापक द्वारा हस्ताक्षर किये जाने वाले करार का एक भाग होगा।

(2) परिशिष्ट ''ग'' में दी गयी आचार संहिता के किसी उपबन्ध का उल्लंघन परिनियम 16.04 (1) के अर्थान्तर्गत दुराचरण समझा जायेगा।

धारा 49 (ण) 16.04 (1) सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक प्राचार्य को छोड़कर निम्नलिखित कारणों में से किसी एक या उससे अधिक कारण से पदच्युत किया या हटाया जा सकता है या उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है–

(क) कर्तव्य की जान बूझकर उपेक्षा,

(ख) दुराचरण जिसके अन्तर्गत प्राचार्य के आदेशों की अवज्ञा भी है,

(ग) संविदा की किसी शर्त का उल्लंघन,

(घ) विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की परीक्षाओं के सम्बन्ध में बेईमानी,

(ङ) लोकापवादयुक्त आचरण अथवा नैतिक दृष्टि से अधम अपराध के लिये सिद्ध दोष होना,

(च) शारीरिक या मानसिक अनुपयुक्तता,

(छ) अक्षमता,

(ज) कुलपति के पूर्वानुमोदन से पद का समाप्त किया जाना।

(2) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्राचार्य खण्ड (1) में उल्लिखित कारणों से या महाविद्यालय के निरन्तर कुप्रबन्ध के कारण पदच्युत किया या हटाया जा सकता है या उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(3) सिवाय खण्ड (4) में की गयी व्यवस्था के संविदा समाप्त करने के लिये किसी भी पक्ष द्वारा कम से कम तीन मास की नोटिस (या जब नोटिस अक्टूबर मास के पश्चात् दी जाय तब तीन मास की नोटिस या सत्र समाप्त होने की नोटिस, जो भी अधिक हो) दी जायेगी, या ऐसी नोटिस के बदले में तीन मास (या उपयुक्त दीर्घावधि) का वेतन दिया जायेगा।

परन्तु प्रबन्धतंत्र खण्ड (1) या खण्ड (2) के अधीन किसी अध्यापक को पदच्युत करे अथवा हटाये या उसकी सेवायें समाप्त करे या जब कोई अध्यापक प्रबन्धतंत्र द्वारा संविदा की शर्तों में से किसी का उल्लंघन किये जाने के कारण उसे समाप्त करे तो ऐसी नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी।

परन्तु यह भी कि पक्षकार आपसी समझौते द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से नोटिस की शर्त की अधित्यजित करने के लिये स्वतंत्र होंगे।

(4) अस्थायी या स्थानापन्न रूप में नियुक्त किसी अन्य अध्यापक की स्थिति में, उसकी सेवायें किसी भी पक्ष द्वारा एक मास की नोटिस या उसके बदले में वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।

धारा 49 (ण) 16.05 किसी प्राचार्य या अन्य अध्यापकों की नियुक्ति की मूल संविदा नियुक्ति के दिनांक के तीन मास के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिये विश्वविद्यालय के पास जमा की जायेगी।

धारा 49 (ण) 16.06 (1) परिनियम 16.04 के खण्ड (1) या खण्ड (2) में उल्लिखित किसी कारण में किसी अध्यापक को पदच्युत करने, हटाने या उसकी सेवायें समाप्त करने का कोई आदेश (सिवाय नैतिक दृष्टि से अधम अपराध के लिये सिद्ध दोष होने या पद के समाप्त किये जाने की दशा में) तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि अध्यापक के विरुद्ध आरोप लगा न दिया जाय और जिस आधार पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव है उसका विवरण उस अध्यापक को न दे दिया जाय और उसे–

(1) अपने प्रतिवाद के लिये लिखित बयान प्रस्तु करने का,

(2) व्यक्तिगत सुनवाई का, यदि वह ऐसा चाहे और

(3) अपने प्रतिवाद में ऐसे साक्षियों को बुलाने और परीक्षण करने के लिये, जिन्हें वह चाहे, पर्याप्त अवसर न दे दिया जाय,

परन्तु प्रबन्धतंत्र या उसके द्वारा जांच करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी अभिलिखित किये जाने वाले पर्याप्त कारणों से किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकता है।

(2) प्रबन्धतंत्र किसी समय, साधारणतया जांच अधिकारी की रिपोर्ट के दिनांक से दो मास के भीतर, सम्बद्ध अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने या हटाने या उसकी सेवायें समाप्त करने का संकल्प पारित कर सकता है, जिसमें पदच्युत करने, हटाने या सेवा समाप्त करने का कारण उल्लिखित होगा।

(3) संकलप की सूचना सम्बद्ध अध्यापक को तुरन्त दी जायेगी और अनुमोदन के लिये कुलपति को उसकी रिपोर्ट की जायेगी और वह तब तक प्रवर्तनीय न होगा जब तक कि कुलपति उसका अनुमोदन न कर दे।

(4) प्रबन्धतंत्र अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने, हटाने या उसकी सेवा समाप्त करने के बजाय निम्नलिखित एक या अधिक अपेक्षाकृत हल्का दण्ड देने का प्रस्ताव पारित कर सकता है, अर्थात्–

(एक) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये वेतन कम करना

(दो) तीन वर्ष से अनधिक की विनिर्दिष्ट अवधि के लिये वेतन वृद्धि रोकना।

(तीन) उसकी निलंबन की अवधि के दौरान, यदि कोई हो, निर्वाह भत्ता छोड़कर वेतन से वंचित करना है।

ऐसा दण्ड देने के प्रबंधतंत्र के संकल की सूचना कुलपति को दी जायेगी और वह तभी प्रवर्तनीय होगा, जब और जिस सीमा तक कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाय।

धारा 49 (ण) 16.07 यदि किसी अध्यापक के विरुद्ध कोई जांच चल रही है या जांच प्रारम्भ करने का विचार हो, तो प्रबन्धतंत्र उसको परिनियम 16.04 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) से (ङ) तक में उल्लिखित आधार पर निलम्बित करने के लिये शक्ति सम्पन्न होगा। किसी आपातस्थिति में (प्राचार्य से भिन्न किसी अध्यापक की स्थिति में) इस शक्ति का प्रयोग प्रबंधतंत्र के अनुमोदन की प्रत्याशा में प्राचार्य द्वारा किया जायेगा। प्राचार्य ऐसे मामले की सूचना प्रबन्धतंत्र को शीघ्र देगा। यदि इस आधार पर निलम्बन का आदेश दिया जाय कि अध्यापक के विरुद्ध जांच प्रारम्भ करने का विचार है तो निलम्बन आदेश जारी किये जाने के पश्चात चार सप्ताह की समाप्ति पर भंग हो जायेगा, जब तक कि इस बीच अध्यापक को उन आरोपों की संसूचना न दे दी जाय जिनके बारे में जांच कराये जाने का विचार था।

धारा 49 (ण) 16.08 परिनियम 16.06 के खण्ड (2) और परिनियम 16.07 के प्रयोजनार्थ अधिकतम अवधि की गणना करने में, ऐसी कोई अवधि जिसमें किसी न्यायालय का स्थगन आदेश कायम हो, सम्मिलित नहीं की जायेगी।

धारा 49 (ण) 16.09 सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक, किसी कलेण्डर वर्ष में धारा 34 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी परीक्षा के सम्बन्ध में सम्पादित किसी कर्तव्य के लिये उस कलेण्डर वर्ष में अपने वेतन के छठे भाग या तीन हजार रुपये से, जो भी कम हो अधिक कोई पारिश्रमिक नहीं लेगा।

16.10 इस परिनियमावली में किसी बात के होते हुए भी–

(1) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक जो संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य हो, अपनी सदस्यता की अवधि पर्यन्त महाविद्यालय में या उस विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक का पद धारण नहीं करेगा।

(2) यदि सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधान मण्डल के सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन या नाम निर्देशन के दिनांक के पूर्व से महाविद्यालय में या उस विश्वविद्यालय में, कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण किये हो तो वह ऐसे निर्वाचन या नाम निर्देशन के दिनांक से या इस परिनियमावली के आरम्भ होने के दिनांक से जो भी पश्चातवर्ती हो, उस पद पर नहीं रह जायेगा।

(3) सम्बद्ध महाविद्यालय के ऐसे अध्यापक से जो संसद या राज्य विधान मण्डल के लिये निर्वाचित या नाम–निर्दिष्ट किया जाय, अपनी सदस्यता की अवधि में या, परिनियम 16.11 द्वारा उपबन्धित होने के सिवाय किसी सदन या उसकी समिति के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिये महाविद्यालय से त्याग–पत्र देने या छुट्टी लेने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

स्पष्टीकरण– इस परिनियम का प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय की सदस्यता या किसी संकाय के संकायाध्यक्ष का पद या किसी महाविद्यालय के प्राचार्य का पद कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक का पद नहीं समझा जायेगा। 16.11 किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र कुलपति के पूर्वानुमोदन से उतने न्यूनतम दिन नियत करेगा, जितने दिन ऐसा अध्यापक

अपने शैक्षणिक कर्तव्यों के लिये महाविद्यालय में उपलब्ध होगा।

परन्तु जहां महाविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधान मण्डल के सत्र के कारण इस प्रकार उपलब्ध न हो वहां उसे ऐसी छुट्टी पर समझा जायेगा जो उसे देय हो, और यदि कोई छुट्टी देय न हो तो उसे बिना वेतन के छुट्टी पर समझा जायेगा।

भाग—2

सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों के लिये छुट्टी सम्बन्धी नियम

धारा 49 — 16.12 विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिये छुट्टी सम्बन्धी नियमों से सम्बद्ध परिनियम 15.12 से 15.22 के उपबन्ध सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापकों के सम्बन्ध में इस प्रकार लागू होंगे मानों क्रमशः शब्द "कार्य परिषद" और "कुलपति" के स्थान पर शब्द "प्रबन्धतंत्र" और "प्राचार्य" रखे गये हों।

विश्वविघालयो / कालेजो के प्राध्यपकों हेतु यू0 जी0 सी0 द्वारा

संस्तुत छुट्टी नियम—

1 स्थायी प्राध्यपको को देय छुट्टी

स्थायी प्राध्यपकों को निम्न प्रकार की छुट्टीया देय होंगीः—

(I) छुट्टी जिसे ड्यूटी की तरह माना जाय जैसे—

आकस्मिक अवकाशः

विशेष आकस्मिक छुट्टी तथा

ड्यूटी छुट्टी।

(II) ड्यूटी या अदेय ड्यूटी जैसे अर्जित अवकाश छुट्टीः अर्द्धवेतन छुट्टी तथा परिवर्तित छुट्टी

(III) ड्यूटी पर अर्जित न की गई छुट्टी, जैसे असाधारण छुट्टी तथा अदेय छुट्टी

(IV) छुट्टी खाते से डेबिट न की जाने वाली छुट्टी

(क) शिक्षा प्राप्ति छुट्टी जैसे अध्ययन छुट्टी तथा विश्राम छुट्टी/शैक्षणिक छुट्टी

(ख) स्वास्थ्य आधारित छुट्टी जैसे

प्रसूति छुट्टी

संगरोध छुट्टी

अपवादित मामलों में, अन्य प्रकार की छुट्टी, उन कारणें से जिनका उल्लेख किया जाए, कार्यकारी परिषद/सिंडीकेट द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन स्वीकृत की जा सकती है जिन्हें लागू करना ठीक समझा जाय।

ड्यूटी छुट्टी

(i) ड्यूटी छुट्टी निम्न कारणों से ली जा सकती है।

(क) विश्वविद्यालय की ओर से अथवा विश्वविद्यालय को अनुमति से सम्मेलनों, बैठकों, गोष्ठियों एवं संगोष्ठियों में भाग लेने हेतु।

(ख) संस्थाओं, विश्वविद्यालयों से विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त तथा उपकुलपति द्वारा स्वीकृत आमंत्रण पर ऐसी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों में भाषण देने हेतु

(ग) अन्य भारतीय अथवा विदेशी विश्वविद्यालय, किसी अन्य एजेन्सी, संस्था अथव संगठन में कार्य करते हुए यदि ऐसी प्रतिनियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की गई हो।

(घ) भारत सरकार, राज्य सरकार, अनुदान आयोग, सम्बद्ध विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य शैक्षणिक निकाय द्वारा नियुक्त समिति में कार्य करने अथवा डेलीगेशन में भाग लेने हेतु तथा

(ड़) विश्वविद्यालय के किसी अन्य कार्य के निष्पादन हेतु।

(ii) प्रत्येक अवसर पर छुट्टी की अवधि इस प्रकार होगी, जैसा कि स्वीकृत प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाये।

(iii) यह छुट्टी पूर्ण वेतन पर स्वीकृत की जायेगी, वशर्ते कि यदि प्राध्यापक सामान्य खर्चो हेतु आवश्यक राशि से अधिक शिक्षावृत्ति अथवा मानदेय अथवा कोई अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करता है, तो उसे घटाए हुए वेतन एवं भत्तों पर ड्यूटी छुट्टी स्वीकृत की जायेगी।

(iv) ड्यूटी छुट्टी अर्जित छुट्टी, अर्द्ध वेतन छुट्टी अथवा असाधारण छुट्टी के साथ ली जा सकती है।

5 अर्जित छुट्टी

(i) एक प्राध्यापक को देय अर्जित छुट्टी इस प्रकार हैः–

(क) वोकेशन अवकाशों सहित वास्तविक सेवा अवधि का 30

वां हिस्सा अर्थात (1/3)

(ख) ऐसी अवधि, जिसमें उसे वेकेशन अवकाश के दौरा ड्यूटी करना अपेक्षित हो, यदि कोई हो तो, का एक तिहाई हिस्सा अर्थात (1/3)

नोटः– वास्तविक सेवा अवधि की गणना करने के उद्देश्य से आकस्मिक, विशेष आकस्मिक एवं ड्यूटी छुट्टीयों के अतिरिक्त सभी प्रकार की छुट्टियों की अवधि को शामिल नही किया जायेगा।

(ii) एक प्राध्यापक के खाते में 300 से अधिक दिन की अर्जित छुट्टीयां संचित नहीं हो सकती। एक बार मे अधिकतम 60 दिन की अर्जित छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। फिर भी उच्चतर अध्ययन अथवा प्रशिक्षण अथवा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर आधारित छुट्टी अथवा यदि पूरी छुट्टी अथवा उसका कोई भाग भारत में बाहर बिताया हो तो ऐसे मामले में 60 दिन से अधिक अर्जित छुट्टी भी स्वीकृत की जा सकती है।

नोट–1

यदि एक प्राध्यापक वेकेशन अवकाश के साथ अर्जित छुट्टी लेता है तो औसत वेतन छुट्टी की अधिकतम मात्र की गणना करते समय वेकेशन की अवधि को छुट्टी की तरह गिना जायेगा, जिसे छुट्टी की अमुक अवधि में भी शामिल किया जायेगा।

नोट–2

यदि छुट्टियों का सिर्फ एक हिस्सा भारत के बाहर बिताया गया हो तो 120 दिन से अधिक दिन की छुट्टी इस शर्त के अधीन

स्वीकृत होगी कि भारत में बितायी गई छुट्टीयों की कुल अवधि 120 दिन से अधिक न हो।

नोट–3

केन्द्रीय स्टाफ के गैर–वेकेशन सदस्यो को अर्जित छुट्टी का नगदीकरण केन्द्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू नियमों के अनुसार देय होगा।

6 अर्द्ध वेतन छुट्टी

एक स्थाई प्राध्यापक को सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु 20 दिन की अर्द्ध वेतन छुट्टी देय है। ऐसी छुट्टी निजी मामलों अथवा शैक्षणिक उद्देश्यों से एक पंजीकुत चिकित्सक के चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत की जा सकती है।

नोट–

"सेवा के पूर्ण वर्ष" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की सतत सेवा से है तथा ड्यूटी से अनुपस्थिति एवं असाधारण छुट्टियों सहित छुट्टियों की अवधि इसमें शामिल होंगी।

7 परिवर्तित छुट्टी

एक स्थायी प्राध्यापक को पंजीकृत चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर निम्नलिखित शत्र्ाे। के अधीन परिवर्तित छुट्टियां देय अर्द्ध वेतन छुट्टीया की मात्रा के आधे से अधिक नही होगी।

(i) पूरी सेवा के दौरान परिवर्तित छुट्टियों की अधिकतम संख्या 240 दिन होगी।

(ii) जब परिवर्तित छुट्टी स्वीकृत की जाय तो देय अर्द्ध वेतन छुट्टी खाते में से ऐसी छुट्टी की दोगुनी घटा दी जायेगी।

(iii) एक बार में संयुक्त रूप से ली गई अर्जित एवं परिवर्तित छुट्टियों का कुल अवधि 240 दिन से अधिक नहीं होगी, बशर्ते कि इन नियमों के अन्तर्गत कोई परिवर्तित छुट्टी स्वीकृत नही की जायेगी, जब जक कि छुट्टी स्वीकृत करने वले संक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास न हो जाये कि प्राध्यापक इसकी समाप्ति पर ड्यूटी पर लौट आयेगा/आयेगी।

8 असाधारण छुट्टी

(i) एक स्थायी प्रायापको को असाधारण छुट्टी तभी स्वीकष्त की जा सकती है जब कि–

(क) कोई अन्य छुट्टी देय न हो अथवा

(ख) कोई अन्य छुट्टी देय न हो तथा प्राध्यापक असाधारण छुट्टी स्वीकृति हेतु लिखित में आवेदन करें।

(ii) असाधारण छुट्टी हमेशा बिना वेतन एवं भत्तों के होगी। असाधारण छुट्टी को निम्नलिखित मामलों के अतिरिक्त वेतन वृद्धि हेतु नहीं गिना जायेगा।

(क) चिकित्सा प्रमाण पत्र के अधार पर ली गई छुट्टी।

(ख) ऐसे मामले जिनमें उपकुलपति/प्रिन्सिपल संतुष्ट हो जये कि यह छुट्टी प्राध्यापक के नियंत्रण से परे, नागरिक उपद्रव अथवा प्राकृतिक आपदा के कारण कार्य ग्रहण करने में असमर्थता जैसे कारणों से ली गई हो, बशर्ते कि प्राध्यापक के खातें में किसी अन्य प्रकार की छुट्टी शेष न हो।

बशर्ते कि किसी अन्य मामलें में, कार्यकारी परिषद अर्जित की जाने वाली छुट्टी की अवधि के छुट्टी वेतन की वापसी से उल्लिखित कारणों से छूट दी जा सकती है।

9/10 अध्ययन छुट्टी

(i) अध्ययन छुट्टी कम से कम तीन साल की सतत सेवा पूरी करने पर विश्वविद्यालय में उसके कार्य से रूप से संबद्ध अध्ययन अथवा शोध की विशेष लाइन अथवा विश्वविद्यालय संगठन के विभिन्न क्षेत्रों एवं शिक्षा के तरीकों का विशेष अध्ययन करने हेतु स्वीकृत की जा सकती है। अध्ययन छुट्टी की भुगतान अवधि 3 वर्ष होगी, परन्तु पहली बार में दो साल होगी, अनुसंधान मार्ग दर्शक (गाइड) की रिपोर्ट के अनुसार पर्याप्त प्रगति होने पर एक वर्श और बढ़ाई जा सकती है। इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि किसी भी विभाग में अध्ययन छुट्टी पर जाने वाले प्राध्यापकों की संख्या प्राध्यापकों के निर्धारित प्रतिशत से अधिक न हो, वशर्ते कि किसी मामले की विशेष परिस्थिति में कार्यकारी परिषद/रिंडीकेट तीन वर्ष की सेवा की निरंतता की शर्त से छूट दे सकती है।

स्पष्टीकरण– सेवा अवधि की गणना करते समय एक व्यक्ति की परीविक्षा अवधि अथवा अनुसंधान सहायक के रूप में कार्य की अवधि को भी गिना जाएगा बशर्ते किः–

(क) आवेदन की तारीख को वह व्यक्ति एक प्राध्यापक हो तथा

(ख) सेवा में कोई ब्रेक न हो।

(ii) अध्ययन छुट्टी सवंधित विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर कार्यकारी परिषद/सिंडीकेट द्वारा स्वीकृत की जाएगी। एक बार

में तीन साल से अधिक छुट्टी स्वीकृत नहीं की जा सकती। बहुत अपबादित मामले को छोड़कर जिनमें कार्यकारी परिषद/सिंडीकेट आश्वस्त हों जाए कि शैक्षणिक आधार पर ऐसा विस्तार परिहार्य तथा विश्वविद्यालय के हित में आवश्यक है।

(iii) अध्ययन छुट्टी ऐसे प्राध्यापक को स्वीकृत नहीं की जाएगी, जो अध्ययन छुट्टी की समाप्ति के बाद उसके ड्यूटी पर लौठने की प्रत्याशित तारीख से 5 वर्ष के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाला/वाली हो।

(iv) अध्ययन छुट्टी पूरे सेवा काल के दौरान दो बार से अधिक स्वीकृत नहीं की जा सकती है। फिर भी पूरे सेवाकाल के दौरान अधिकतम 5 वर्ष की अध्ययन छुट्टी देय होगी।

(v) अध्ययन छुट्टी की स्वीकृति के बाद कोई प्राध्यापक कार्यकारी परिाद/सिंडीकेट की अनुमति के बिना अध्ययन के क्षेत्र अथवा शोध कार्यक्रम में वास्तविक परिवर्तन नहीं कर सकता। यदि अध्ययन कोर्स की अवधि स्वीकृत अध्ययन छुट्टी से कम हो जाती है तो अध्यापक को अध्ययन कोर्स के समापन पर कार्यग्रहण करना पड़ेगा एवं कार्यकारी परिषद/सिंडीकेट के पूर्व अनुमोदन को कम पड़ने वाली अवधि को साधारण छुट्टी स्वीकृति की तरह माना जाएगा।

(vi) (क) निम्न उपअनुच्छेद vii व viii के प्रावधानों के अधीन दो साल की अध्ययन छुट्टी पूर्ण वेतन पर स्वीकृत की जा सकती है, जिन्हें विश्वविद्यालय के विवेक से एक साल और बढ़ाया जा सकता है।

(vii) एक प्राध्यापक, जिसे अध्ययन छुट्टी स्वीकृत की गई है, को दी

गई छात्रवृत्ति, शिक्षावृत्ति अथवा अन्य वित्तीय सहायता की राशि को जिन वेतन एवं भत्तों पर छुट्टी स्वीकृत की जा रही है, में शामिल किया जाएगा। परन्तु वेतन एवं भत्ते, जिन पर अध्ययन छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है, के निर्धारण हेतु इस प्रकार प्राप्त छात्रवृत्ति आदि को शामिल किया जाएगा। विदेशी छात्रवृत्ति / शिक्षावृत्ति वेतन की क्षतिपूर्ति होगी यदि शिक्षावृत्ति एक विनिर्दिष्ट राशि जिसे, उस देश में जहाँ अध्ययन किया जाना है, एक परिवार के जीवन यापन की लागत के आधार पर समय–समय पर निध ारित किया जाए, से अधिक न हो। भारतीय शिक्षावृत्ति के मामले में यदि वह प्राध्यापक के वेतन से अधिक हो तो वेतन को जब्त कर लिया जाएगा।

(viii) छुट्टी पर ड्यूटी से अनुपस्थित की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होने के अधीन अध्ययन छुट्टी अर्जित छुट्टी, अर्द्ध वेतन छुट्टी असाध ारण छुट्टी अथवा वेकेशन अवकाश के साथ ली जा सकती है, यह भी कि प्राध्यापक के खाते में अर्जित छुट्टी के दौरान यदि एक अध्यापक का उच्च पद पर चयन हो जाता है तो उसे उसी अवस्था में रखा जाएगा तथा उच्च पद का वेतनमान उस पद पर कार्यग्रहण करने के बाद ही प्राप्त कर सकेगी।

(ix) एक प्राध्यापक, जिसे अध्ययन छुट्टी स्वीकृत की गई है, विश्वविद्यालय की सेवा में उसके लौटने तथा फिर से कार्यग्रहण करने पर इस अवधि में अर्जित की गई वेतन वृद्धियों का लाभ प्राप्त कर सकेगा/सकेगी, जिन्हें वह अध्ययन छुट्टी पर न जाने पर अर्जित करता/करती, फिर भी, कोई प्राध्यापक ऐसी वेतन वद्वियों को एरीयर प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।

(x) अध्ययन छुट्टी को पेंशन/अंशदायी भविष्य निधि हेतु सेवा की तरह माना जाएगा, बशर्ते कि प्राध्यापक अपनी अध्ययन छुट्टी की

समाप्ति पर विश्वविद्यालय में कार्यग्रहण कर लें।

(xi) एक प्राध्यापक, को स्वीकृत अध्ययन छुट्टी यदि इसकी स्वीकृति के 12 माह के अन्दर न ली जाए, तो उन्हें निरस्त समझा जाएगा। बशर्ते कि यदि स्वीकृत अध्ययन छुट्टी इस तरह निरस्त कर दी गई हो तो प्राध्यापक ऐसी छुट्टी हेतु फिर से आवेदन करें।

(xii) अध्ययन छुट्टी लेने वाले प्राध्यापक को यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि वह कम से कम 3 वर्ष, जिसकी गणना अध्ययन छुट्टी की समाप्ति पर उसके कार्य ग्रहण करने की तारीख से की जाएगी, की सतत सेवा विश्वविद्यालय को देगा।

(xiii) यह छुट्टी स्वीकृत होने के बाद, प्राध्यापक को छुट्टी पर जाने से पहले उप–अनुच्छेद (xiii) व (xiv) में निर्धारित शर्तों को पूरा करने हेतु स्वयं को बंधित करते हुए विश्वविद्यालय के पक्ष में बांड भरना होगा तथा वित्त अधिकारी/कोशाध्यक्ष की संतुष्टि हेतु अचल संपत्ति की प्रतिभू अथवा किसी बीमा कंपनी का निष्ठा बांड अथवा अनुसूचित बैंक की गारंटी अथवा उप अनुच्छेद (xiv) के अनुसार विश्वविद्यालय को वापस की जाने वाली राशि हेतु दो स्थायी प्राध्यापकों की जमानत देनी होगी।

(xiv) प्राध्यापक अपने अध्ययन की छःमाही प्रगति रिपोर्ट अपने पर्यवेक्षक अथवा संस्था प्रधान से प्राप्त कर रजिस्टार को प्रस्तुत करेगा। यह रिपोर्ट अध्ययन छुट्टी की प्रत्येक छःमाही की समाप्ति के एक माह के अन्दर रजिस्टार के पास पहुँच जानी चाहिए। यदि रिपोर्ट विनिर्दिष्ट समय तक रजिस्टार के पास नहीं पहुँचती है, तो छुट्टी वेतन का भुगतान ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने तक टाला जा सकता है।

11. विश्राम छुट्टी/शैक्षणिक छुट्टी

(i) विश्वविद्यालय के स्थायी, पूर्णकालिक प्राध्यापक, जिन्होंने लेक्चरर चयन ग्रेड/रीडर अथवा प्रोफेसर के रूप में सात साल की सेवा पूर्ण कर ली हो, को सिर्फ अपनी दक्षता तथा विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा प्रणाली की उपयोगिता बढ़ाने के उद्देश्य से अध्ययन अथवा शोध अथवा अन्य शैक्षणिक उद्देश्य से पढ़ाई करने हेतु विश्राम छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है।

(ii) एक बार में ली गई छुट्टियों की अवधि एक वर्ष तथा एक प्राध्यापक के पूरे सेवाकाल 2 वर्ष से अधिक नही होगी।

(iii) एक प्राध्यापक जिसने अध्ययन छुट्टी ले ली है, वह विश्राम छुट्टी का हकदार नहीं होगा/होगी और यह भी कि विश्राम छुट्टी तभी स्वीकृत होगी जब कि पहले ली गई अध्ययन छुट्टी अथवा किसी अन्य प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्राध्यापक के लौटने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि समाप्त न हो जाए।

(iv) विश्राम छुट्टी की अवधि के दौरान एक प्राध्यापक को विश्राम छुट्टी पर जाने से ठीक पहले उसे देय दरों पर पूर्ण वेतन एवं भत्तों भुगतान (निर्धारित शर्ते पूरी करने पर) किया जायेगा।

(v) विश्राम छुट्टी लेने पर एक प्राध्यापक उस छुट्टी अवधि के दौरान भारत अथवा विदेश में अन्य संगठन के अधीन कोई नियमित नियुक्ति प्राप्त नहीं करेगा/करेगी। फिर भी उसे एक उच्च अध्ययन संस्था में नियमित नौकरी से इतर शिक्षावृत्ति अथवा शोध छात्रवृत्ति अथवा मानदेय पर तदर्थ अध्यापन एवं शोध कार्य अथवा किसी अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त करने की अनुमति होगी। बशर्ते कि ऐसे मामालों में कार्यकारी परिषद/ सिंडीकेट यदि चाहे तो घटे हुए वेतन एवं भत्तों पर विश्राम छुट्टी स्वीकृत कर सकती है।

(vi) विश्राम छुट्टी की अवधि के दौरान प्राध्यापक को नियत तारीख पर वेतन वृद्धि मिलती रहेगी। छुट्टी की अवधि पेंशन/अंशदायी भविष्य निधि के उद्देश्यों से सेवा की तरह मानी जाएगी। बशर्ते कि प्राध्यापक अपनी छुट्टी की समाप्ति पर विश्वविद्यालय में फिर से कार्यग्रहण कर लें।

नोट I :– विश्राम छुट्टी के दौरान निष्पादित किए जाने वाले कार्यक्रम छुट्टी स्वीकृत के आवेदन के साथ अनुमोदन हेतु विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।

नोट II :– छुट्टी से लौटने पर प्राध्यापक की छुट्टी की अवधि के दौरान किये गये अध्ययन की प्रकृति शोध एवं अन्य कार्यों की रिपोर्ट विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

12. **प्रसूति छुट्टी/मातृत्व छुट्टी**

(i) एक महिला प्राध्यापक को अधिकतम 135 दिन की मातृत्व छुट्टी पूर्ण वेतन पर स्वीकार की जा सकती है, पूरे सेवा काल मे दो बार ली जा सकती है। मातृत्व छुट्टी गर्भपात सहित अपरिपक्व प्रसव के मामले मे भी इस शर्त के अधीन स्वीकृत की जा सकती है कि पूरे सेवा काल में एक महिला प्राध्यापक को इस सम्बन्ध में स्वीकृत कुल छुट्टियाँ 45 दिन से अधिक न हो तथा छुट्टी हेतु आवेदन के साथ चिकित्सा प्रमाण–पत्र संलग्न हो

(ii) मातृत्व छुट्टी अर्जित छुट्टी अर्द्ध वेतन छुट्टी अथवा असाधारण छुट्टी के साथ ली जा सकती है परन्तु यदि आवेदन के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न हो तो मातृत्व छुट्टी के साथ अन्य छुट्टी भी स्वीकृत की जा सकती है।

पितृत्व छुट्टी

पुरुष प्राध्यापक को उनकी पत्नियों के घर की चारदिवारी में रहने

के दौरान 15 दिन पितृत्व छुट्टी स्वीकार की जा सकती है। बशर्ते कि इसे दो बच्चों तक सीमित रखा जाय।

एडांप्शन छुट्टी

एडांप्शन छुट्टी केन्द्रीय सरकार के नियमों के अनुसार दी जा सकती है।

ड्यूटी छुट्टी

ड्यूटी छुट्टी यू0 जी0 सी0, डी0 एस0 टी0 आदि की बैठकों में भाग लेने हेतु भी दी जा सकती है। जहाँ एक प्राध्यापक को शैक्षणिक निकायों, सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यालयों के विशेशज्ञों के साथ सहभागिता हेतु आमंत्रित किया गया हो।

भाग—3

अधिवर्षिता की आयु

धारा 49 16.13 विश्वविद्यालय के अध्यापकों की अधिवर्षिता से सम्बद्ध परिनियम 15.23 और 15.24 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापकों पर लागू होंगे।

भाग—4

अन्य उपबन्ध

धारा 32 और 49 16.14 इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य या अन्य अध्यापक और प्रबन्धतंत्र के बीच की गयी कोई नियुक्ति संविदा इस अध्याय में दिये गये परिनियमों के उपबन्धो के अधीन होगी, और इस अध्याय के उपबन्धो के अनुसार तथा परिशिष्ट (ग) के साथ पठित परिशिष्ट

(घ) में दिये गये यथास्थिति प्रपत्र (1) तथा (2) की शर्तों के अनुसार परिष्कृत समझी जायेगी।

धारा 49 — 16.15 परिनियम 16.04 (1), खण्ड (ख), खण्ड (ग), खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) में उल्लिखित किसी कारण से सेवा से पदच्युत किया गया सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक किसी विश्वविद्यालय अथवा ऐसे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में किसी भी रूप में फिर से नियोजित नहीं किया जाएगा।

धारा 49 (ण) — 16.16 परिनियम 15.07 के खण्ड (2) से (4), परिनियम 15.27, 15.28 और 15.29 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रत्येक अध्यापक पर निम्नलिखित परिष्कार के साथ लागू होंगे, अर्थात्–

(क) परिनियम 15.07 के खण्ड (2) से (4) में शब्द ''कुलपति'' और ''कार्य परिषद'' के स्थान पर क्रमशः शब्द ''प्राचार्य'' और ''प्रबन्धतंत्र'' रखे जाय।

(क) परिनियम 15.27 में, शब्द ''कुलपति'' और ''विभागाध्यक्ष'' के स्थान पर क्रमशः ''प्राचार्य'' और ''विभाग का ज्येष्ठतम प्राध्यापक'' रखे जाय।

अध्याय—17

भाग—1

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की ज्येष्ठता

धारा 16 (4) तथा 49 (घ) — 17.01 इस अध्याय के परिनियमों से इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व से विश्वविद्यालय में नियोजित अध्यापकों की परस्पर ज्येष्ठता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

17.02 कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह आगे आये हुए उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के प्रत्येक श्रेणी के अध्यापकों के सम्बन्ध में एक पूर्ण और अद्यावधि ज्येष्ठता सूची तैयार करे।

धारा 49 (घ) — 17.03 संकायों के संकायाध्यक्षों में ज्येष्ठता का निर्धारण उनके द्वारा संकाय के संकायाध्यक्ष के रूप में की गयी सेवा की कुल अवधि से किया जायेगा।

परन्तु जब दो या इससे अधिक संकायध्यक्षों का उक्त पद पर सेवाकाल समान अवधि का हो, तो आयु में ज्येष्ठ संकायध्यक्ष को इस अध्याय के प्रयोजनार्थ ज्येष्ठ समझा जायेगा।

धारा 49 (घ) — 17.04 विभागाध्यक्षों में ज्येष्ठता का अवधारण उनके द्वारा विभागाध्यक्ष के रूप में की गयी कुल अवधि से किया जायेगा।

परन्तु जब दो या इससे अधिक विभागाध्यक्ष उक्त पद पर समान समयावधि तक रहे हो तो आये में ज्येष्ठ विभागाध्यक्ष इस अध्याय के प्रयोजनार्थ ज्येष्ठ समझा जायेगा।

धारा 49 (घ) — 17.05 विश्वविद्यालय के अध्यापकों की ज्येष्ठता अवधारित करने में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगा—

(क) किसी आचार्य को प्रत्येक उपाचार्य से ज्येष्ठ समझा जायेगा, और किसी उपाचार्य को प्रत्येक प्राध्यापक से ज्येष्ठ समझा जायेगां

(ख) एक ही संवर्ग में वैयक्तिक पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अध्यापकों की पारस्परिक ज्येष्ठता ऐसे संवर्ग में निरन्तर सेवा की अवधि के अनुसार अवधारित की जायेगी।

परन्तु जहां सीधी भर्ती द्वारा एक से अधिक नियुक्तियां एक ही समय में की गयी हों और यथास्थिति चयन समिति या कार्यपरिषद् द्वारा अधिमानता या योग्यता क्रम इंगित किया गया हो, वहां इस प्रकार से नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता इस प्रकार इंगित क्रम द्वारा नियन्त्रित होगी।

परन्तु यह और कि जहां एक से अधिक नियुक्तियां एक ही बार में पदोन्नति द्वारा की गयी हों, वहां इस प्रकार नियुक्त अध्यापकों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी जो पदोन्नति के समय उनके द्वारा धारित थी।

(ग) जब किसी विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय या किसी संस्थान में चाहे वह उत्तर प्रदेश राज्य में या उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित हो, मौलिक पद धारण करने वाला कोई अध्यापक विश्वविद्यालय में तत्स्थानी पंक्ति या श्रेणी के पद पर परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात नियुक्त किया जाय, तब उस अध्यापक द्वारा ऐसे विश्वविद्यालय में उस श्रेणी या पंक्ति में की गयी सेवा अवधि को उसके सेवाकाल में सम्मिलित किया जायेगा।

(घ) जब किसी विश्वविद्यालय से संम्बद्ध या सहयुक्त किसी

महाविद्यालय में मौलिक पद धारण करने वाला कोई अध्यापक चाहे इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके पश्चात् विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त किया जाये तब उस अध्यापक की ऐसे महाविद्यालय में मौलिक रूप में की गयी सेवा अवधि की आधी अवधि को उसकी सेवा अवधि में सम्मिलित किया जायेगा।

(ङ) किसी विश्वविद्यालय या संस्था में प्रशासनिक नियुक्ति के प्रति की गयी सेवा की गणना ज्येष्ठता के प्रयोजनार्थ नहीं की जायेगी।

स्पष्टीकरण– इस अध्याय में पद "प्रशासनिक नियुक्ति" का तात्पर्य धारा 13 की उपधारा (6) के अधीन की गयी नियुक्ति से है।

(च) ऐसे अस्थायी पद पर अनवरत सेवा की जिस पर कोई अध्यापक चयन समिति को निर्देश किये जाने के पश्चात नियुक्त किया जाय, और यदि उसके पश्चात् धारा 31 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन उस पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किया जाय, गणना ज्येष्ठता के लिए की जायेगी

धारा 49 (घ) 17.06 जहां एक ही संवर्ग के एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की अनवरत सेवा की गणना किये जाने के हकदार हो, तो ऐसे अध्यापकों के सापेक्ष ज्येष्ठता निम्नलिखित प्रकार से अवधारित की जायेगी–

(1) आचार्यों की स्थिति में उपाचार्य के रूप में की गई मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायेगा।

(2) उपाचार्यों की स्थिति में प्राध्यापक के रूप में की गयी मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायेगा।

(3) उन आचार्यों की स्थिति में जिनकी उपाचार्य के रूप में भी सेवा अवधि उतनी ही हो, तो प्राध्यापक के रूप में उनकी सेवा अवधि पर विचार किया जायेगा।

धारा 49 (घ) 17.07 जहां एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों और उनके सापेक्ष ज्येष्ठता किन्हीं पूर्ववर्ती उपबन्धों के अनुसार अवधारित नहीं की जा सकती है, तो ऐसे अध्यापकों की ज्येष्ठता वयोवृद्धता के आधार पर अवधारित की जायेगी।

धारा 49 (घ) 17.08 (1) किसी अन्य परिनियम में किसी बात के होते हुए भी यदि कार्य परिषद्–

(क) चयन समिति की सिफारिश से सहमत हो, और एक ही विभाग में अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिये दो या अधिक व्यक्तियों के नाम को अनुमोदित, करे तो वह ऐसा अनुमोदन अभिलिखित करते समय ऐसे अध्यापकों की योग्यता क्रम अवधारित करेगी।

(ख) चयन समिति की सिफारिशों से सहमत न हो और धारा 31 की उपधारा (8) के खण्ड (क) के अधीन मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट करे, तो कुलाधिपति उन मामलों में जहां एक ही विभाग में दो या अधिक अध्यापकों की नियुक्ति अन्तर्ग्रस्त हो, ऐसे निर्देश का अवधारण करते समय ऐसे अध्यापकों की योग्यता क्रम अवधारित करेंगे।

(2) ऐसे योग्यता क्रम की जिसमें खण्ड (1) के अधीन दो या

अधिक अध्यापक रखे जायं, सूचना सम्बन्धित अध्यापकों को उसकी नियुक्ति के पूर्व दी जायेगी।

धारा 49 (घ) 17.09 (1) कुलपति समय–समय पर एक या अधिक ज्येष्ठता समिति गठित करेंगे। जिसमें/जिनमें अध्यक्ष के रूप में कुलपति और कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने वाले दो संकायाध्यक्ष होंगे–

परन्तु उस संकाय का जिससे अध्यापकों का (जिनकी ज्येष्ठता विवादग्रस्त हो) सम्बन्ध हो, संकायाध्यक्ष सापेक्ष ज्येष्ठता समिति का सदस्य नहीं होगा।

(2) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की ज्येष्ठता के बारे में प्रत्येक विवाद ज्येष्ठता समिति को निर्दिष्ट किया जायेगा जो विनिश्चय के कारण उल्लिखित करते हुए उसे विनिश्चय करेगी।

(3) ज्येष्ठता समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई अध्यापक ऐसा विनिश्चय संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर कार्यपरिषद् को अपील कर सकता है। यदि कार्य परिषद् समिति से सहमत न हो तो वह ऐसी असहमति के कारण बतायेगी।

भाग–2

सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अध्यापकों की ज्येष्ठता

धारा 49 17.10 सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अध्यापकों की ज्येष्ठता अवधारित करने में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगा–

(क) प्राचार्य महाविद्यालय के अन्य अध्यापकों से ज्येष्ठ समझा

जायेगा।

(ख) स्नातकोत्तर महाविद्यालय का प्राचार्य उपाधि महाविद्यालय के प्राचार्य से ज्येष्ठ समझा जायेगा।

(ग) सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अध्यापकों की ज्येष्ठता मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने के दिनांक से अनवरत सेवा काल के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(घ) प्रत्येक हैसियत से (उदाहरणार्थ प्राचार्य या अध्यापक के रूप में) की गयी सेवा की गणना मौलिक नियुक्ति के अनुसार कार्य भार ग्रहण करने के दिनांक से की जायेगी।

(ङ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या अन्य उपाधि या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में, चाहे वह इस विश्वविद्यालय या विधि द्वारा स्थापित किस अन्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त हो, किसी प्राचार्य या किसी अध्यापक द्वारा मौलिक रूप में की गयी सेवा को उसके सेवा काल में सम्मिलित किया जायेगा।

धारा 49

17.11 जहां विश्वविद्यालय के प्राधिकारी में प्राचार्य के रूप में प्रतिनिधित्व करने या नियुक्ति के प्रयोजनार्थ, प्राचार्य के रूप में किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता अवधारित की जानी हो, वहां केवल प्राचार्य के रूप में की गयी उसकी सेवा अवधि पर ध्यान दिया जायेगा।

धारा 49

17.12 जहां विश्वविद्यालय के प्राधिकारी में अध्यापक के रूप में प्रतिनिधित्व करने या नियुक्ति के प्रयोजनार्थ किसी प्राचार्य की ज्येष्ठता अवधारित की जानी हो, वहां उसकी दोनों प्राचार्य और अध्यापक के रूप में उसकी सेवा अवधि पर ध्यान दिया जायेगा।

धारा 49 — 17.13 जहां एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की अनवरत सेवा की गणना किए जाने के हकदार हो, वहां ऐसे अध्यापकों की सापेक्षिक ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप में अवधारित की जायेगी

(1) प्राचार्यों की स्थिति में प्राध्यापक के रूप में की गयी मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायेगा।

(2) प्राध्यापकों की स्थिति में आयु की ज्येष्ठता का विचार किया जायेगा।

धारा 49 — 17.14 (1) जब दो या अधिक व्यक्ति एक ही समय में एक विभाग में या एक ही विषय के लिए अध्यापक नियुक्त किये जाये तो उनकी सापेक्ष ज्येष्ठता उस अधिमानता या योग्यता क्रम में, जिसमें चयन समिति द्वारा उनके नाम की सिफारिश की गयी थी, अवधारित की जायेगी।

(2) यदि दो या अधिक अध्यापकों की ज्येष्ठता खण्ड (1) अधीन अवधारित की गयी हो तो उसकी सूचना सम्बन्धित अध्यापकों को उनकी नियुक्ति के पूर्व दी जायेगी।

धारा 49 — 17.15 अध्यापकों (प्राचार्य से भिन्न) की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में समस्त विवाद महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे, जो विनिश्चय के कारण उल्लिखित करेगा। प्राचार्य के विनिश्चय से व्यथित कोई अध्यापक ऐसा विनिश्चय उसे संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर कुलपति को अपील कर सकता है। यदि कुलपति, प्राचार्य से सहमत न हों, तो वह ऐसी असहमति का कारण उल्लिखित करेंगे।

धारा 49 — 17.16 सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में समस्त विवाद कुलपति द्वारा विनिश्चित किये जायें तो विनिश्चय

के कारण उल्लिखित करेंगे। कुलपति के विनिश्चय से व्यथित कोई प्राचार्य ऐसा विनिश्चय उसे संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर कार्य परिषद् को अपील कर सकता है। यदि कार्य परिषद् कुलपति से सहमत न हो तो वह ऐसी असहमति के कारण उल्लिखित करेगी।

धारा 49 17.17 परिनियम 17.01, 17.02, 17.05 और 17.08 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों और प्राचार्यों पर उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार से विश्वविद्यालय के अध्यापकों पर लागू होते है।

भाग–3

सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों का स्थानान्तरण

17.18 (1) अल्पसंख्यक महाविद्यालयों को छोड़कर राज्य से सहायता प्राप्त महाविद्यालयों का स्थायी अध्यापक जो स्थानान्तरण के लिए उत्सुक हो तो उसे दोनों महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र की लिखित सहमति प्राप्त करनी होगी।

(2) स्थानान्तरण की सुविधा अध्यापकों को मात्र पारस्परिक या एकल स्थानान्तरण के आधार पर ही उसी विषय में प्रदान की जायेगी।

(3) यह सुविधा अध्यापक के सेवा काल में मात्र एक बार दस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद उपलब्ध होगी।

(4) पूर्ववर्ती संस्था का प्रबन्धक जिला विद्यालय निरीक्षक/उपनिदेशक/संयुक्त निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा प्रति हस्ताक्षरित सामूहिक बीमा खाता, सेवा पुस्तिका, चरित्र पंजी,

अवकाश लेखा, भविष्य निधि/सामान्य भविष्य निधि और अन्तिम वेतन आहरण प्रमाण पत्र पर महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में स्थानान्तरण के एक माह के भीतर भेजेगा। स्थानान्तरण की यह सूचना उच्च शिक्षा के क्षेत्रीय निदेशक और शिक्षा निदेशक को भेजी जायेगी।

(5) ऐसे स्थानान्तरण के लिए अध्यापकों को कोई यात्रा और दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

(6) स्थानान्तरित अध्यापक उस महाविद्यालय का कर्मचारी हो जायेगा, जिसमें वह स्थानान्तरित हुआ है। उसका वेतन और सेवा शर्ते वही होगी जिसके लिए वह स्थानान्तरित न होने की दशा में हकदार होता।

(7) पद भार ग्रहण करने के दिनांक को स्थानान्तरित अध्यापक उस महाविद्यालय में, जहां स्थानान्तरित हुआ है, कनिष्ठतम अध्यापक से कनिष्ठ हो जायेगा।

(8) पूर्ववर्ती महाविद्यालय की सेवा अवधि को उस महाविद्यालय की सेवा अवधि माना जायेगा, जिसमें उसे स्थानान्तरित किया गया है। ज्येष्ठता के निर्धारण के लिए वह पूर्ववर्ती महाविद्यालय की सेवाओं के लाभ का हकदार नहीं होगा।

(9) यह सुविधा असहायता प्राप्त महाविद्यालयों तथा नगर निगमों द्वारा संचालित महाविद्यालयों के अध्यापकों को उपलब्ध नहीं होगी।

(10) पारस्परिक या एकल स्थानान्तरण की सुविधा प्राचार्यों को अनुमन्य नहीं होगी।

(11) यदि दोनों महाविद्यालय एक ही विश्वविद्यालय के अन्तर्गत

नहीं है, तो दोनों महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्रों की लिखित सहमति के साथ स्थानान्तरण आवेदन प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक उच्च शिक्षा निदेशक एक मास के भीतर अपनी संस्तुति राज्य सरकार को भेजेगा। राज्य सरकार उस पर प्रत्येक वर्ष 30 जून तक निर्णय लेगी।

(12) स्थानान्तरण पर निर्णय लेने का अधिकार शासन में निहित होगा। निर्णय के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्देश निर्गत किये जायेंगे और तद्नुसार उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।

(13) यदि दोनों महाविद्यालय एक ही विश्वविद्यालय के अन्तर्गत है तो स्थानान्तरण आवेदन विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा और स्थानान्तरण के अनुमोदन का अधिकार, उच्च शिक्षा निदेशक से पद की भावी उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कुलपति में निहित होगा।

अध्याय–18

स्वायत्त महाविद्यालय

धारा 42 18.01 किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र जो स्वायत्त महाविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त करने का इच्छुक हो, निम्नलिखित बातों को स्पष्टतया विनिर्दिष्ट करते हुए कुलसचिव को आवेदन–पत्र देगा।

(क) विश्वविद्यालय द्वारा विहित शिक्षा पाठ्यक्रम में या उससे प्रस्तावित परिवर्तन जिसके अन्तर्गत ऐसे विषय में, जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा व्यवस्था न की गई हो, पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना तथा विश्वविद्यालय द्वारा विहित पाठ्यक्रम के स्थान पर किसी अन्य पाठ्यक्रम का प्रतिस्थापन भी है–

(ख) वह रीति जिसके अनुसार महाविद्यालय का इस प्रकार परिवर्तित पाठ्यक्रमों में परीक्षायें लेने का प्रस्ताव है–

(ग) अपने वित्त तथा आस्तियों के ब्योरे, अपने अध्यापक वर्ग की संख्या तथा अर्हतायें, उच्च अनुसंधान कार्य के लिए उपलब्ध सुविधायें तथा किया गया उच्च अनुसंधान कार्य, यदि कोई हो।

धारा 42 18.02 परिनियम 18.01 के अधीन कोई भी आवेदन–पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा, जबतक कि महाविद्यालय निम्नलिखित शर्तों को पूरा न करे–

(क) उसमें कम से कम दो संकायों में स्नातकोत्तर स्तर तक कम से कम छः विषयों में शिक्षण देने के लिए सुस्थापित अध्यापन विभाग है–

(ख) उसमें पर्याप्त तथा उत्तम अर्हतासम्पन्न अध्यापक वर्ग है या होने की सम्भावना है–

(ग) उसका प्राचार्य असाधारण योग्यता का अध्यापक अथवा विद्वान है तथा उसे प्रशासनिक अनुभव है,

(घ) उसके पास समस्त शैक्षणिक प्रयोजनों तथा पुस्तकालय, वाचनालय, प्रयोगशालाओं के निमित्त पर्याप्त तथा संतोष जनक भवन है और भविष्य में उसके प्रसार के लिए भूमि है,

(ङ) उसके पास एक अच्छा पुस्तकालय है और उसके नियमित विकास के लिए व्यवस्था है अथवा होने की सम्भावना है,

(च) उसके पास उसमें पढ़ाये जाने वाले विषयों के निमित्त यदि आवश्यक हो, सुसज्जित प्रयोगशालायें हैं और उसमें नवीन उपलब्धियों तथा उनके प्रतिस्थापनार्थ पर्याप्त व्यवस्था है अथवा होने की सम्भावना है,

(छ) महाविद्यालय को स्वायत्त महाविद्यालय की स्थिति प्राप्त करने में अन्तर्ग्रस्त अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिये प्रबन्धतंत्र के पास पर्याप्त संसाधन है।

धारा 42 — 18.03 परिनियम 18.01 के अधीन प्रत्येक आवेदन–पत्र के साथ विश्वविद्यालय को देय 2,000 रुपये की धनराशि का एक बैंक ड्राफ्ट संलग्न होगा, जो लौटाया नहीं जायेगा।

धारा 42 — 18.04 (1) परिनियम 18–01 के अधीन प्रत्येक आवेदन–पत्र संवीक्षार्थ प्रत्येक सम्बद्ध संकाय की स्थायी समिति को निर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) प्रत्येक सम्बद्ध संकाय की स्थायी समिति में निम्नलिखित

सदस्य होंगे–

(क) संकाय का संकायाध्यक्ष (संयोजक)

(ख) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किन्हीं दो विश्वविद्यालयों से कार्य परिषद द्वारा चयन किये गये तत्स्थानी प्रत्येक संकाय का एक प्रतिनिधि।

(3) यदि समिति की रिपोर्ट पक्ष में हो तो कार्य परिषद् महाविद्यालय का निरीक्षण करने तथा उसे स्वायत्त महाविद्यालय घोषित किये जाने की उपयुक्तता पर रिपोर्ट देने के लिये (छः सदस्यों से अनधिक का) एक निरीक्षक बोर्ड नियुक्त करेगी।

(4) निरीक्षक बोर्ड में संयोजक के रूप में कुलपति, तथा सदस्यों के रूप में शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) और विषयों के ऐसे अन्य विशेषज्ञ होंगे, जिन्हें परिषद नियुक्त करना उचित समझे।

धारा 42 — 18.05 निरीक्षक–बोर्ड की रिपोर्ट पर सम्बद्ध संकाय के बोर्ड तथा विद्या–परिषद द्वारा भी विचार किया जायेगा, और उसे इन निकायों के दृष्टिकोण सहित कार्य परिषद् के समक्ष रखा जायेगा।

धारा 42 — 18.06 (1) निरीक्षक बोर्ड की सिफारिश और परिनियम 18–05 में निर्दिष्ट दो निकायों की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यदि कार्य परिषद की राय हो कि महाविद्यालय धारा 42 में उल्लिखित विशेषाधिकारों का हकदार है तो वह अपना प्रस्ताव कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

(2) खण्ड (1) के अधीन प्रस्ताव और अन्य सम्बद्ध पत्रादि प्राप्त होने पर और ऐसी जांच जिसे कुलाधिपति आवश्यक समझे, करने

के पश्चात् कुलाधिपति प्रस्ताव का अनुमोदन कर सकते है या उसे अस्वीकृत कर सकते है,

परन्तु किसी ऐसे प्रस्ताव का अनुमोदन करने के पूर्व कुलाधिपति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श कर सकते हैं।

धारा 42 — 18.07 परिनियम 18.06 के अधीन कुलाधिपति द्वारा कार्य परिषद की सिफारिश का अनुमोदन कर लेने के पश्चात् कार्य परिषद् महाविद्यालय को स्वायत्त महाविद्यालय घोषित करेगी और ऐसे विषयों को विनिर्दिष्ट करेगी जिनके सम्बन्ध में तथा जिस सीमा तक महाविद्यालय स्वायत्त महाविद्यालय के विशेषाधिकारों का प्रयोग कर सकता है।

धारा 42 — 18.08 (1) धारा 42 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए स्वायत्त महाविद्यालय निम्नलिखित का हकदार होगा–

(क) अपने विशेषाधिकारों के अन्तर्गत आने वाले विषयों का पाठ्यक्रम तैयार करना।

(ख) ऐसे विषयों में आन्तरिक या बाह्य परीक्षकों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अर्हता सम्पन्न व्यक्तियों की नियुक्ति करना,

(ग) परीक्षायें आयोजित करना और परीक्षा तथा अध्यापन कार्य की विधि में ऐसे परिवर्तन करना, जो शिक्षा के स्तर को बनाये रखने में सहायक हो।

(2) सम्बद्ध निकाय–बोर्ड, विद्या–परिषद और परीक्षा समिति

खण्ड (1) के अधीन स्वायत्त महाविद्यालय द्वारा दी गयी कार्यवाही पर विचार कर सकती है और किसी परिवर्तन का, यदि आवश्यक हो, सुझाव दे सकती है।

धारा 42

18.09 (1) स्वायत्त महविद्यालय का परीक्षाफल विश्वविद्यालय द्वारा घोषित तथा प्रकाशित किया जायेगा जो उस महाविद्यालय का नाम उल्लिखित करेगा, जिसने घोषणा और प्रकाशन के लिये परीक्षाफल प्रस्तुत किया हो।

(2) प्रत्येक स्वायत्त महाविद्यालय ऐसी रिपोर्ट विवरणी और अन्य सूचना देगा जिसकी कार्य परिषद महाविद्यालय की दक्षता का अनुमान लगाने के लिए समय–समय पर अपेक्षा करे।

(3) विश्वविद्यालय स्वायत्त महाविद्यालय का सामान्य पर्यवेक्षण करता रहेगा और महाविद्यालय के ऐसे छात्रों को उपाधियाँ प्रदत्त करता रहेगा जो विश्वविद्यालय की किसी उपाधि के लिए कोई अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करें।

धारा 42

18.10 कार्य परिषद किसी भी समय निरीक्षक बोर्ड द्वारा किसी स्वायत्त महाविद्यालय का निरीक्षण करा सकती है, और यदि ऐसे निरीक्षण की रिपोर्ट का अवलोकन करने के पश्चात् उसकी यह राय हो कि महाविद्यालया अपेक्षित स्तर को बनाये रखने में या अपेक्षित संसाधनों से सम्पन्न होने में असफल रहा है या यह है कि शिक्षा के हित में, धारा 42 द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों को वापस लेना आवश्यक है तो कार्य परिषद कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से, ऐसे विशेषाधिकारों को वापस ले सकती है और तदुपरान्त सम्बन्धित महाविद्यालय सम्बद्ध महाविद्यालय की स्थिति में प्रतिवर्तित हो जायेगा।

धारा 42

18.11 (क) अपने कार्य के सुनियोजन तथा संचालन के लिए प्रत्येक स्वायत्त महाविद्यालय की एक विद्या परिषद और प्रत्येक संकाय में समाविष्ट विषयों के सम्बन्ध में एक संकाय बोर्ड होगा।

(ख) विद्या परिषद में समस्त विभागाध्यक्ष पदेन और स्नातकोत्तर उपाधि के लिए पढ़ाये जाने वाले प्रत्येक विषय के दो अन्य अध्यापक तथा प्रथम उपाधि के लिए पढ़ाये जाने वाले प्रत्येक विषय के एक अध्यापक होंगे, जिनका अध्यक्ष प्राचार्य होगा। अध्यापक एक बार में तीन वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रम से परिषद के सदस्य होंगे, परन्तु चार वर्ष से कम की अवस्थिति का कोई भी अध्यापक सदस्य न होगा।

(ग) विद्या परिषद तिमाही अधिवेशनों में महाविद्यालय के शैक्षिक कार्य का पुनर्विलोकन करेगी और पाठ्यक्रम परीक्षा आदि के सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा किये गये समस्त प्रस्ताव उक्त परिषद के माध्यम से पारित होंगे।

(घ) संकाय के बोर्ड में, संकाय में समाविष्ट विषयों के ऐसे सभी अध्यापक होंगे जिनकी उपाधि कक्षाओं के अध्यापक के रूप में तीन वर्ष की अवस्थिति हो। शैक्षिक मामलों पर विचार करने के लिए संकाय बोर्ड का अधिवेशन नियमित अन्तरालों पर (यदि संभव हों, मास में एक बार होगा) और संकाय बोर्ड प्राचार्य को सलाह देगा। इन संकाय के बोर्डों में पाठ्यक्रम, परीक्षा आदि से सम्बन्धित प्रस्ताव या तो व्युत्पन्न होंगे अथवा उन पर विचार किया जायेगा।

धारा 42

18.12 धारा 42 की उपधारा (2) और इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी स्वायत्त महाविद्यालय से सम्बन्धित– पाठ्यक्रम तथा अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि अध्यादेशों में निर्धारित की जाय।

अध्याय–19

श्रमजीवी महाविद्यालय

धारा 43 19.01 (1) किसी महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र जो श्रमजीवी महाविद्यालय का विशेषाधिकार प्राप्त करने का इच्छुक हो, उस क्षेत्र में उस प्रकार के महाविद्यालय की मांग को इंगित करते हुए तथा उस उपाधि को जिसके लिए मान्यता मांगी जाय, विनिर्दिष्ट करते हुए कुलसचिव को आवेदन–पत्र देगा।

(2) किसी महाविद्यालय को विज्ञान, विधि और औषधि (मेडिसिन) के संकायों में श्रमजीवी महाविद्यालय के रूप में मान्यता नहीं दी जायेगी।

धारा 43 19.02 परिनियम 19.01 के अधीन कोई भी आवेदन–पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि महाविद्यालय निम्नलिखित शर्तों को पूरा न करें–

(1) उस क्षेत्र में ऐसे महाविद्यालयों के लिए युक्ति–युक्ति मांग है और प्रबन्धतंत्र के पास ऐसे महाविद्यालय के पोषण तथा उसे चलाने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त व्यय वहन करने के पर्याप्त संसाधन हैं।

(2) श्रमजीवी महाविद्यालय में प्रवेश का विशेषाधिकार केवल ऐसे व्यक्तियों तक सीमित होगा जो कारोबार, व्यापार, कृषि या उद्योग में लगे होने या किसी अन्य प्रकार की सेवा में नियोजित होने के कारण पूर्णकालिक छात्रों के रूप में नाम लिखवाने में असमर्थ हों।

(3) महाविद्यालय ऐसे समय में कक्षायें लगायेगा जो सामान्यतः छात्रों की सुविधा के अनुरूप हो और कामकाज के प्रचलित

समय के समवर्ती न हो।

(4) श्रमजीवी विद्यालय का कर्मचारीवर्ग पृथक होगा और यथासम्भव, उन्हें पूर्णकालिक आधार पर नियोजित किया जायेगा। फिर भी, महाविद्यालय, अपने विकल्प से, अंशकालिक अध्यापक भी नियोजित कर सकता है, परन्तु उनकी संख्या अध्यापकों की कुल संख्या के आधे से अधिक न हो। महाविद्यालय के पूर्णकालिक कर्मचारी उसी वेतनमान के हकदार होंगे जो सम्बद्ध महाविद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य हो। अंशकालिक अध्यापक का वेतन प्रत्येक व्यक्ति विशेष के मामले में प्रबन्धतंत्र द्वारा अलग–अलग नियत किया जायेगा और ऐसे वेतन पूर्णकालिक अध्यापकों की तुलना में ऐसे अध्यापक द्वारा प्रति सप्ताह पढ़ाये जाने के लिए अपेक्षित घंटों की संख्या पर विचार करके नियत किया जायेगा, किन्तु किसी भी दशा में वह उस समयमान के न्यूनतम के दो–तिहाई से अधिक न होगा जिसका हकदार वह पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किये जाने की दशा में होता। अध्यापकों की नियुक्ति अधिनियम के अध्याय 6 के उपबन्धों के अधीन होंगी।

(5) महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे महाविद्यालय के लिए बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार है।

धारा 43

19.03 (1) परिनियम 19.01 के अधीन प्रत्येक आवेदन–पत्र के साथ विश्वविद्यालय को देय 2,000 रुपये की धनराशि का एक बैंक ड्राफ्ट संलग्न होगा जो लौटाया नहीं जायेगा।

(2) आवश्यक पत्रादि सहित आवेदन पत्र कुलसचिव के पास उस

सत्र के जब से मान्यता मांगी गई हो, पूर्ववर्ती सत्र के 15 अगस्त के पूर्व पहुंच जाना चाहिए।

धारा 43 — 19.04 (1) ऐसा प्रत्येक आवेदन–पत्र कार्य परिषद के समक्ष रखा जायेगा और यदि आवेदन पत्र ग्रहण कर लिया जाय तो कार्य परिषद महाविद्यालय का निरीक्षण करने तथा श्रमजीवी महाविद्यालय के रूप में मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में उसकी उपयुक्तता और उन शर्तों के सम्बन्ध में जिन पर ऐसी मान्यता दी जाय, रिपोर्ट देने के लिए एक निरीक्षक बोर्ड नियुक्त करेगी।

(2) निरीक्षक बोर्ड की रिपोर्ट पर सम्बद्ध संकाय के बोर्ड द्वारा तथा विद्या परिषद् द्वारा भी विचार किया जायेगा और उसे इन निकायों के दृष्टिकोण सहित कार्य परिषद के समक्ष रखा जायेगा।

धार 43 — 19.05 अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कार्य परिषद निरीक्षक बोर्ड सम्बद्ध संकाय के बोर्ड और विद्या परिषद की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से किसी भी सम्बद्ध महाविद्यालय को श्रमजीवी महाविद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान कर सकती है।

धारा 43 — 19.06 धार 43 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए श्रमजीवी महाविद्यालय से सम्बन्धित अध्ययन पाठ्यक्रम और अन्य शर्तें वही होगी जो अध्यादेश में निर्धारित की जाये।

धारा 43 — 19.07 परिनियम 18.9 के खण्ड (2) और (3) और परिनियम 18.10 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित, श्रमजीवी महाविद्यालय पर भी लागू होंगे।

भाग—2

सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की अर्हतायें व सेवा सम्बन्धी शर्तें एवं नियमावली

धारा 49 (ण) 20.01 जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अध्याय में उत्तरवर्ती परिनियमों में परिभाषित पदों का अर्थ तदनुसार लगाया जायेगा।

(1) "चतुर्थ वर्ग का पद" का तात्पर्य नैत्यिक लिपिक के वेतनमान से कम वेतनमान के पद से है और "चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी वर्ग" का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा।

(2) "महाविद्यालय" का तात्पर्य अधिनियम या विश्वविद्यालय के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय से है, किन्तु इसमें राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से अनुरक्षित महाविद्यालय सम्मिलित नहीं है।

(3) "कर्मचारी" का तात्पर्य किसी महाविद्यालय के वेतन भोगी कर्मचारी, जो अध्यापक न हो, से है और इसके व्याकर्णिक रूप भेद तथा सजातीय पदों का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा।

(4) "संघ की सशस्त्र सेना" का तात्पर्य संघ की नौसेना, सेना या वायुसेना से है और इसके अन्तर्गत भूतपूर्व भारतीय राज्यों की सशस्त्र सेना भी है।

(5) "अंगहीन भूतपूर्व सैनिक" का तात्पर्य ऐसे भूतपूर्व सैनिक से है जो संघ की सशस्त्र सेना में सेवा करते हुए शत्रु के विरुद्ध कार्यवाही के दौरान या उपद्रव ग्रस्त क्षेत्रों में अंगहीन हुआ हो।

(6) "भूतपूर्व सैनिक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने संघ की सशस्त्र सेना में किसी कोटि में चाहे योद्धक के रूप में या अनायोद्धक के रूप में कम से कम छः मास की अवधि के लिये लगातार सेवा की हो, और जिसे–

(एक) दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवोन्मुक्त किये जाने के भिन्न रूप में निर्मुक्त किया गया हो या

(दो) इस प्रकार निर्मुक्त किये जाने या रिजर्व में स्थानान्तरित किये जाने का हकदार होने के लिये अपेक्षित सेवा की अवधि पूरी करने के लिए छः मास से अनधिक सेवा करनी पड़ी हो।

धारा 49 (ण) 20.02 (1) इस परिनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियम 20.03 में निर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति महाविद्यालय के प्रबन्ध तंत्र द्वारा की जायेगी और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के पदों पर प्राचार्य द्वारा की जायेगी।

चतुर्थ वर्ग में किसी पद पर नियुक्ति के लिए रिक्ति कम से कम दो ऐसे समाचार पत्रों में विज्ञाप्ति की जायेगी, जिसका उत्तर प्रदेश में पर्याप्त परिचालन हो।

(2) खण्ड (1) में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी को उस वर्ग के कर्मचारियों के विरुद्ध जिसका वह नियुक्ति प्राधिकारी है, अनुशासनिक कार्यवाही करने और दण्ड देने की शक्ति होगी।

(3) खण्ड (2) में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी के प्रत्येक विनिश्चय की सूचना कर्मचारी को संसूचित किये जाने के पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक को दी जायेगी और वह तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उसका अनुमोदन लिखित रूप में न कर दिया जाय।

परन्तु इस खण्ड की कोई बात उस अवधि के, जब तक के लिये कर्मचारी नियुक्त किया गया हो, व्यतीत हो जाने पर सेवा समाप्त करने पर लागू नहीं होगी।

परन्तु यह और कि इस खण्ड की कोई बात ऐसे निलम्बन के आदेश पर जिसमें जाँच विचाराधीन हो, लागू नहीं होगी, किन्तु ऐसा कोई आदेश जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा स्थगित, प्रतिसंहृत या उपान्तरित किया जा सकता है।

(4) खण्ड (3) के अधीन जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध कोई अपील सम्भागीय उपशिक्षा निदेशक को की जायेगी

धारा 49 (ण) 20.03 (1) पुस्तकालयाध्यक्ष, उप–पुस्तकालयाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा अनुदेशक, औषधकारक, लिपिक या खण्ड (2) या खण्ड (3) में उल्लेखित पदों से भिन्न नैत्यिक लिपिक के वेतनमान में या उससे उच्चतर वेतनमान में किसी अन्य पद पर नियुक्ति समाचार पत्रों में रिक्ति का विज्ञापन करने के पश्चात् खण्ड (6) में उपबन्धित रीति से चयन समिति की संस्तुति पर सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।

परन्तु पुस्तकालयाध्यक्ष का पद उन उप–पुस्तकालयाध्यक्ष में से पदोन्नत द्वारा भरा जायेगा, यदि पश्चात्वर्ती पद का पदधारी पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के लिये न्यूनतम अर्हतायें रखता हो।

(2) सहायक के पद पर नियुक्ति लिपिक में से उपयुक्तता और योग्यता के अधीन रहते हुए ज्येष्ठता के अनुसार पदोन्नति द्वारा की जायेगी।

(3) मुख्य लिपिक एवं लेखाकार, मुख्य लिपिक, कार्यालय अधीक्षक और बर्सर पद पर नियुक्ति अपेक्षित अर्हता रखने वाले

वर्तमान कर्मचारियों में से उपयुक्तता और योग्यता के अधीन रहते हुए, ज्येष्ठता के अनुसार पदोन्नति द्वारा की जायेगी और सहायक लेखाकार के पद पर नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी। वर्तमान कर्मचारी वर्ग में से अर्ह एवं उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में, मुख्यलिपिक एवं लेखाकार, मुख्य लिपिक, कार्यालय अधीक्षक और बर्सर के पदों पर नियुक्ति समाचार पत्रों में रिक्ति को विज्ञापित करने के पश्चात् चयन के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।

(4) कर्मचारियों की नियुक्ति शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन से की जायेगी। यदि अनुमोदन प्राधिकारी अनुमोदन का प्रस्ताव प्राप्त होने के दो मास के भीतर नियुक्ति प्राधिकारी को अनुमोदन न करने की सूचना न दे या ऐसे प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई सूचना न भेजे तो यह समझा जायेगा कि अनुमोदन प्राधिकारी ने नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया है।

(5) स्थायी पदों पर नियुक्ति एक वर्ष के लिये परिवीक्षा पर की जायेगी, यदि अभ्यर्थी का कार्य सन्तोषजनक न पाया गया तो परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकती है, परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि तीन वर्ष से अधिक न होगी। परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिये मान्य नहीं होगी।

(6) (क) पुस्तकालयाध्यक्ष, उपपुस्तकालयाध्यक्ष या शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक के पद पर नियुक्ति के लिये चयन समिति में निम्नलिखित होंगे–

(एक) प्रबन्धतंत्र का प्रधान या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रबन्धतंत्र का कोई सदस्य जो अध्यक्ष होगा,

(दो) महाविद्यालय का प्राचार्य,

(तीन) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला एक अधिकारी।

(ख) खण्ड (1) या (3) में निर्दिष्ट शेष सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये चयन समिति में निम्नलिखित होंगे—

(एक) प्रबन्धतंत्र का प्रधान या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रबन्धतंत्र का कोई सदस्य, जो अध्यक्ष होगा,

(दो) महाविद्यालय का प्राचार्य,

(तीन) जिला विद्यालय निरीक्षक,

(चार) जिला नियोजन अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी।

(ग) खण्ड (1) और (3) में निर्दिष्ट पदों पर सीधी भर्ती के प्रयोजनार्थ, रिक्ति कम से कम दो ऐसे समाचार पत्रों में विज्ञापित की जायेगी, जिनका उत्तर प्रदेश में पर्याप्त परिचालन हो और उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम सम्बद्ध जिला नियोजन अधिकारी से भी प्राप्त किये जायेंगे।

(घ) चतुर्थ वर्ग में किसी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के नाम सम्बद्ध जिला नियोजन अधिकारी से प्राप्त किये जायेंगे। ऐसी रीति से उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में पद को विज्ञापित किया जा सकता है।

(ङ) कोई कर्मचारी वेतन भुगतान लेखा से वेतन के भुगतान के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि अधिनियम की धारा

60—क के खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) द्वारा अनुध्यात अनुज्ञा न दी गयी हो।

(च) यदि प्रबंधतंत्र चयन समिति की संस्तुतियों से सहमत न हो तो वह मामले को अपनी सहमति के कारणों सहित अनुमोदन प्राधिकारी को निर्दिष्ट करेगा, उक्त प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

आरक्षण

धारा 49 (ण) 20.04 (1) परिनियम (20.06) में निर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) के उपबंधों के अनुसार या किसी अन्य विधि या तत्समय प्रवष्त्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

धारा 49 (ण) 20.05 महाविद्यालय में नियोजन के लिए अभ्यर्थी का—

(क) भारत का नागरिक या

(ख) तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्‌भव का व्यक्ति, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के लिए अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका और केनिया, उगान्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया जिसका पहले तांगानिका और जंजीबार नाम था, के पूर्वी अफ्रीका देशों से प्रव्रजन किया जो, होना आवश्यक है,

परन्तु श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह उपपुलिस महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले।

शैक्षिक अर्हतायें

धारा 49 (ण) 20.06 किसी महाविद्यालय में नीचे विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता वही होगी जो प्रत्येक श्रेणी के सामने उल्लिखित है,

(एक) लिपिक वर्ग नैत्यिक लिपिक, सहायक, मुख्य लिपिक एवं लेखाकार और मुख्य लिपिक पद के लिए इण्टरमीडिएट या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा,

परन्तु मुख्य लिपिक एवं लेखाकार और मुख्य लिपिक की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि किसी स्नातकोत्तर या उपाधि या इण्टरमीडिएट महाविद्यालय में नैत्यिक लिपिक या सहायक के पद पर कार्यकरने का कम से कम दस वर्ष की अवधि का अनुभव हो।

परन्तु यह और कि–

(एक) तृतीय वर्ग की सेवाओं और पदों की आरक्षित रिक्तियों में से किसी भूतपूर्व सैनिक की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता जहाँ कहीं इस परिनियम में विहित अर्हता किसी विश्वविद्यालय की उपाधि हो, वहाँ इण्टरमीडिएट होगी और जहाँ कहीं इस परिनियम में विहित अर्हता इण्टरमीडिएट हो, वहाँ हाईस्कूल या

उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता हाईस्कूल या उसके समकक्ष कोई अर्हता हो, वहां कोई शिथिलता नहीं दी जायेगी।

(दो) प्रयोगशाला सहायक– उन विषयों में जिनसे प्रयोगशाला का संबंध हो इण्टरमीडिएट या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा या हाईस्कूल या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष प्राप्त कोई परीक्षा और सम्बद्ध विषय की प्रयोगशाला में प्रयोगशाला बेयरर के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव।

(तीन) (क) पुस्तकालयाध्यक्ष श्रेणी (क) और (ख) अधिस्नातक की उपाधि और पुस्तकालय विज्ञान में उपाधि और तीन वर्ष का अनुभव

(ख) पुस्तकालयाध्यक्ष श्रेणी "ग" स्नातक की उपाधि और पुस्तकालय विज्ञान में उपाधि और दो वर्ष का अनुभव।

(ग) उप पुस्तकालयाध्यक्ष श्रेणी "क" और "ख" स्नातक उपाधि और पुस्तकालय विज्ञान में उपाधि और दो वर्ष का अनुभव।

(घ) उप पुस्तकालयाध्यक्ष श्रेणी "ग" स्नातक उपाधि और पुस्तकालय विज्ञान में उपाधि।

(तीन) (क) उत्तम शैक्षिक अभिलेख के साथ पुस्तकालयी विज्ञान/सूचना विज्ञान/डाक्यूमेन्टेशन पाठ्यक्रम मे स्थनातक स्तर पर न्यूनतम 55% प्राप्तांक अथवा समतुल्य परीक्षा में सात सूत्रीय वर्ग माप मे बी0 ग्रेड।

विश्वविद्यालय पुस्तकालय में उपपुस्तकालयाध्यक्ष पद पर न्यूनतम 13 वर्ष के कार्य का अनुभव अथवा महाविद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर न्यूनतम 18 वर्ष के कार्य का अनुभव।

पुस्तकालयी सेवा में अविनवीकरण तथा प्रकाशित रचना को संगठित करने का प्रमाण।

वांछित अर्हता–

पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान डाक्यूमेन्टेश संग्रहालय तथा हस्तलेखों के रख–रखाव में एम0 फिल0 अथवा पी–एच0 डी0 उपाधि।

(ख) उपपुस्तकालयाध्यक्ष (विश्वविद्यालय) अनिवार्य अर्हता

(अ) उत्तम शैक्षिक अभिलेख के साथ पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/डाक्यूमेन्टरी में स्नातक स्तर पर न्यूनतम 55% अंक अथवा समतुल्य उपाधि में यू0जी0सी0 के साथ सात सूत्रीय वर्ग माप में बी. ग्रेड।

(ब) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (विश्वविद्यालय) पुस्तकालयाध्यक्ष (महाविद्यालय) के पद पर 5 वर्ष के कार्य का अनुभव।

(स) पुस्तकालय सेवा में अविनवीकरण का प्रमाण प्रकाशित रचनाओं और व्यावसायिक प्रतिबद्धता, पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण का प्रमाण।

वांछित पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/डाक्यूमेन्टेशन /संग्रहालय तथा हस्तलेखों के रख–रखाव पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण में एम.फिल. अथवा पी–एच.डी. की उपाधि।

नोट– उप पुस्तकालयाध्यक्ष (विश्वविद्यालय) के पदों के लिए उत्तम शैक्षिक अभिलेख वही होगा, जो कि प्रवक्ता पद हेतु निर्धारित है।

(ग) <u>सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (विश्वविद्यालय)/पुस्तकालयाध्यक्ष (महाविद्यालय)</u>

अनिवार्य– उत्तम शैक्षिक अभिलेख के साथ पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/डाक्यूमेन्टेशन अथवा समतुल्य व्यावसायिक उपाधि में न्यूनतम 55% प्राप्तांक अथवा यू.जी.सी. के सात सूत्रीय वर्ग माप में बी.ग्रेड अथवा पुस्तकालय के कम्प्यूटराइजेशन का ज्ञान।

सुसंगत पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/डाक्यूमेन्टेशन में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण।

नोटः– उपर्युक्त सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (विश्वविद्यालयों) एवं पुस्तकालयाध्यक्ष (महाविद्यालय) के पदों के लिए उत्तम शैक्षिक अभिलेख वही होगा जो प्रवक्ता पद हेतु निर्धारित है।*

(1) राज्य के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में जिन पदों पर पूर्व से यू.जी.सी. वेतनमान लागू रहा है, उन्हीं पदों पर यू.जी.सी. द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमान लागू किया जायेगा।

(2) पुनरीक्षित वेतनमान में पी–एच0डी0/एम0फिल0 एवं अन्य उच्च डिग्री धारकों को वर्तमान में देय राशि (यदि वे यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित वेतनमान से इतर है) पर यू.जी.सी. द्वारा स्वीकृत प्राविधान लागू नहीं होंगे।

(3) पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिनांक 01–01–2006 से काल्पनिक रूप से स्वीकृत करते हुए वेतनमान निर्धारित करते हुए पुनरीक्षित वेतनमान का वास्तविक लाभ/नगद भुगतान दिनांक 01–12–2008 से देय होगा तथा अन्य भत्ते उसी प्रकार दिये जायेंगे जैसा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को स्वीकृत किया जाता है।

---

* यू.जी.सी. द्वारा अधिसूचना संख्या– एफ 1–1–2002 (पी.एस.) इक्जेम्प दिनांक– 31.07.2007 प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा पत्र संख्या–91/सत्तर–1–2002/दिनांक–06.01.03।

2. पुनरीक्षित वेतनमान के कारण होने वाले अतिरिक्त व्यय भार का 80 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा एवं 20 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। दिनांक 01–04–2010 से सम्पूर्ण व्ययभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

3. नवीन वेतनमानों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त धनराशि की गणना का विवरण विश्वविद्यालयों के मामले में संबंधित वित्त अधिकारी द्वारा और महाविद्यालयों के मामले में उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा तय किया जायेगा और सूचना शासन को अतिशीघ्र भेजी जायेगी ताकि उसके अनुसार वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जा सके।

4. दिनांक 01 जनवरी, 2006 को पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण हेतु इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर उपलब्ध विकल्प पत्र के प्रारूप (संलग्नक 2) में संबंधित कार्मिकों को विकल्प देना होगा। निर्धारित 90 दिन की अवधि के अन्तर्गत विकल्प प्रस्तुत न करने पर यह मान लिया जायेगा कि संबंधित कार्मिक को पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकार है और तद्नुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से संबंधित कार्मिक का वेतन पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित कर दिया जायेगा।

5. दिनांक 01 जनवरी, 2006 को या उसके बाद नियुक्त किसी कार्मिक को विकल्प देने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम माना जायेगा।

6. जिन कार्मिकों की सेवायें दिनांक 01 जनवरी, 2006 को या उसके बाद समाप्त कर दी गयी हों, जो स्वीकृत पदों की समाप्ति के फलस्वरूप सेवा मुक्त कर दिये गये हों, सेवा त्याग (इस्तीफा), अनुशासनहीनता के कारण सेवा मुक्त या बर्खास्त किये गये हों, को भी विकल्प की सुविधा अनुमन्य होगी।

7. जो कार्मिक दिनांक 01 जनवरी, 2006 को या उसके बाद दिवंगत हो गये और इस कारण निर्धारित समय सीमा के अन्दर पुनरीक्षित वेतनमान के लिए विकल्प नहीं दे सकें, के मामले में दिनांक 01 जनवरी, 2006 या उसके बाद की किसी तिथि से, जो भी आश्रितों के लिए लाभप्रद हो, पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण संबंधित प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा और बकाया राशि के भुगतान के लिए उचित कार्यवाही की जायेगी।

8. कोई कार्मिक, जो वर्तमान लागू वेतनमान में दिनांक 01 जनवरी, 2006 के तुरन्त पहले संवर्ग में अपने कनिष्ठ कार्मिक की तुलना में अधिक वेतन पा रहा है तथा पुनरीक्षित वेतनमान में उसका वेतन यदि कनिष्ठ कार्मिक के वेतन से कम निर्धारित होता है तो, वरिष्ठ कार्मिक का पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन उस कनिष्ठ कार्मिक के वेतन के बराबर कर दिया जायेगा।

9. पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का निर्धारण, छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार ''वेतन निर्धारण सूत्र'' के अनुसार किया जायेगा।

10. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों, नियमों, विनियमों आदि में इस आदेश के निर्गमन की तिथि से तीन माह के भीतर वेतनमानों के पुनरीक्षण में भारत सरकार द्वारा दी गयी योजना को उपर्युक्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अनुसार आवश्यक प्राविधान कर लिये जायेंगे।

स्पष्टीकरण– इन परिनियमों के प्रयोजनों के लिए पुस्तकालयाध्यक्ष/ उप पुस्तकालयाध्यक्ष श्रेणी ''क'' और ''ख'' का तात्पर्य ऐसे किसी महाविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष से

है जहां दो हजार या अधिक छात्र अध्ययन कर रहे हो और पुस्तकालयाध्यक्ष उप पुस्तकालयाध्यक्ष श्रेणी ''ग'' का तात्पर्य किसी ऐसे उपाधि महाविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष से हैं जहां दो हजार से कम छात्र अध्ययन कर रहे हों।

(चार) कार्यालय अधीक्षक विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि और किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में या इसी प्रकार की किसी अन्य संस्था में मुख्य लिपिक या लेखाकार के रूप में कार्य करने का दस वर्ष का अनुभव।

(पांच) सहायक लेखाकार विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की लेखाशास्त्र/लेखा परीक्षा के साथ वाणिज्य में स्नातक की उपाधि।

(छः) बर्सर–विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि और किसी उपाधि या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कार्यालय अधीक्षक या लेखाकार के रूप में कार्य करने का कम से कम दस वर्ष का अनुभव।

(सात) चतुर्थ सर्ग के कर्मचारी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा पांच उत्तीर्ण परन्तु सफाईकार के पद के लिए कोई शैक्षिक अर्हता अपेक्षित न होगी, किन्तु उस व्यक्ति को अधिमानता दी जायेगी, जो शिक्षित हो या कम से कम देवनागरी लिपि में हिन्दी पढ़ने और लिखने में समर्थ हो,

परन्तु यह और कि चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं और पदों के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई शैक्षिक अर्हता ऐसी सेवाओं और पदों में आरक्षित रिक्तियों में उपयुक्त पाये जाने पर अपेक्षित न

होगी।

(आठ) अन्य पद– किसी अन्य पद के लिये जो पूर्ववर्ती खण्डों के अन्तर्गत न आते हो ऐसी न्यूनतम अर्हता जैसी राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय।

(2) ऐसा कोई कर्मचारी जिसके पास इस परिनियमावली के प्रारम्भ के पश्चात् खण्ड (1) में विहित अर्हता न हो, पदोन्नति या स्थायी किये जाने के लिए तब तक पात्र न होगा जब तक कि वह उपयुक्त अर्हताएं प्राप्त न कर लें,

परन्तु खण्ड (1) की किसी बात का प्रभाव इस परिनियमावली के प्रारम्भ के पूर्व की गई पदोन्नति और स्थायीकरण पर नहीं पड़ेगा।

धारा 49 (ण) 20.07 (1) किसी महाविद्यालय में सीधी भर्ती द्वारा किसी कर्मचारी की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी और नैत्यिक लिपिक या समकक्ष वेतनमान के किसी पद के लिए अधिकतम आयु 32 वर्ष होगी और परिनियम 20.03 के खण्ड (1) और खण्ड (3) में निर्दिष्ट किसी अन्य पद के लिए 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की स्थिति में अधिकतम आयु पांच वर्ष अधिक होगी।

परन्तु शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा की पूर्व सहमति से ऊपर निर्दिष्ट 40 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा की शर्त को विशेष परिस्थितियों में पांच वर्ष तक शिथिल किया जा सकता है–

परन्तु यह और कि परिनियम 20.06 में निर्दिष्ट कर्मचारी पर अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।

परन्तु यह भी कि भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित रिक्ति पर

नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु उतनी अधिक होगी जितनी अभ्यर्थी द्वारा सशस्त्र सेना में की गयी सेवा की अवधि में तीन वर्ष और जोड़कर हो।

(2) जिस वर्ष भर्ती की जाय उस वर्ष जुलाई के प्रथम दिनांक को आयु खण्ड (1) के प्रयोजनार्थ आयु होगी।

(3) चतुर्थ वर्ग के किसी ऐसे कर्मचारी की स्थिति में जिसने तीन वर्ष या इससे अधिक की निरन्तर सेवा की हो और जो सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले नैत्यिक लिपिक के पद या उसके समकक्ष पद पर नियुक्ति के लिए विहित अर्हता रखता हो, अधिकतम आयु सीमा को शिथिल करके 40 वर्ष तक किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में, निदेशक उच्च शिक्षा के पूर्वानुमोदन से 40 वर्ष की आयु सीमा के पश्चात्–शिथिलीकरण किया जा सकता है।

चरित्र

20.08 नियुक्ति प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपना समाधान कर ले कि सीधी भर्ती द्वारा नियोजन के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह महाविद्यालय में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो।

टिप्पणी– राज्य सरकार, संघ सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पदच्युत व्यक्ति पात्र नहीं समझे जायेंगे।

शारीरिक स्वस्थता

20.09 कोई व्यक्ति किसी महाविद्यालय में तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से

उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो, नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से स्वस्थता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।

वेतनमान और भत्ते

20.10 कर्मचारी को वही वेतनमान और भत्ता दिया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

स्पष्टीकरण– भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किसी रिक्ति में नियुक्त कोई भूतपूर्व सैनिक केवल संघ की सशस्त्र सेना में अपनी पिछली सेवा के कारण कोई उच्च वेतन पाने का हकदार नहीं होगा।

आचरण तथा अन्य विषय

20.11 (1) प्रत्येक कर्मचारी अपने कार्य और आचरण के संबंध में उच्चतम कोटि की सत्यनिष्ठा बनाये रखेगा।

(2) प्रत्येक कर्मचारी प्रबंधतंत्र प्राचार्य के आदेशों या निर्देशों का जिसमें राज्य सरकार के या विश्वविद्यालय के आदेशों के कार्यान्वयन में जारी किये गये आदेश या निर्देश भी सम्मिलित हैं, अनुपालन करेगा।

(3) महाविद्यालय का प्राचार्य प्रत्येक कर्मचारी की चरित्रपंजी रखेगा, जिसमें उसके कार्य और आचरण के संबंध में गोपनीय रिपोर्ट, प्रतिवर्ष लिखी जायेगी। सम्बद्ध कर्मचारी को प्रतिकूल

प्रविष्टि की सूचना यथाशीघ्र दी जायेगी, जिससे कि वह अपना कार्य और आचरण तदनुसार सुधार सके।

(4) प्रतिकूल प्रविष्टि से व्यथित कोई कर्मचारी प्रतिकूल प्रविष्टि को हटाने के लिए प्राचार्य के माध्यम से महाविद्यालय के प्रबंधक को अभ्यावेदन कर सकता है। प्रतिकूल प्रविष्टि को निकालने की शक्ति सम्बद्ध महाविद्यालय की प्रबंध समिति में निहित होगी।

(5) प्रत्येक कर्मचारी की सेवा पुस्तिका प्राचार्य के नियंत्रण में रखी जायेगी।

अनुशासनिक कार्यवाही

धारा 49 (ण) 20.12 कोई कर्मचारी जो परिनियम 20.11 के खण्ड (1) और खण्ड (2) में से किसी एक या दोनों उपबंधों का पालन नहीं करता है अनुशासनिक कार्यवाही का भागी होगा।

सेवा की समाप्ति और पद त्याग

धारा 49 (ण) 20.13 (1) किसी कर्मचारी को निम्नलिखित किसी एक या अधिक कारण से सेवा से हटाया जा सकेगा, अर्थात्–

(क) कर्तव्यों की घोर उपेक्षा,

(ख) दुराचरण,

(ग) अनधीनता या अवज्ञा,

(घ) कर्तव्यों के पालन में शारीरिक या मानसिक दृष्टि से अनुपयुक्तता,

(ङ) सरकार या सम्बद्ध विश्वविद्यालय या महाविद्यलय के विरुद्ध प्रतिकूल आचरण या कार्यकलाप,

(च) नैतिक पतन समन्वित आरोप किसी विधि न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि।

(2) यदि कोई अस्थायी कर्मचारी सेवा से त्यागपत्र देता है तो वह महाविद्यालय के प्रबंधतंत्र को एक मास पहले इस आशय की लिखित नोटिस देगा अन्यथा उसे नोटिस के बदले में एक मास का वेतन महाविद्यालय के पास जमा करना होगा। उसी प्रकार यदि महाविद्यालय का प्रबंधतंत्र किसी कर्मचारी की सेवा समाप्त करने का विनिश्चय करता है, तो प्रबंधतंत्र कर्मचारी को एक मास की नोटिस या उसके बदले में एक मास का वेतन देगा।

(3) किसी स्थायीं कर्मचारी की सेवा से, पद समाप्त किये जाने के आधार पर उसे तीन मास की लिखित नोटिस देने या उसके बदले में तीन मास का वेतन देने के पश्चात् मुक्त किया जा सकता है। किसी पद को निम्नलिखित आधार पर समाप्त किया जा सकता है–

(क) वित्तीय कठिनाई के कारण छटनी,

(ख) छात्रों की भर्ती में कमी,

(ग) उस विषय में जिसमें पद संबंधित हो अध्यापन कार्य को बंद किया जाना।

अधिवर्षिता की आयु

धारा 49 (ण) 20.14 किसी कर्मचारी की अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष होगी। जिस कर्मचारी ने इस परिनियमावली के प्रारम्भ में दिनांक पर या उसके पूर्व 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो उसे तुरन्त सेवा निवष्त्त कर दिया जायेगा।

छुट्टी

धारा 49 (ण) 20.15 (1) समान स्तर के सरकारी सेवकों पर प्रयोज्य छुट्टी संबंधी नियम, आवश्यक परिवर्तन सहित, कर्मचारी पर लागू होंगे।

(2) प्राचार्य को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश तथा अन्य कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का प्राधिकार होगा।

(3) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों को आकस्मिक छुट्टी से भिन्न छुट्टी के लिए कर्मचारी के आवेदन पत्र को प्राचार्य अपनी सिफारिश के साथ महाविद्यालय के प्रबंधक को भेजेगा, जिसे छुट्टी स्वीकृत करने का प्राधिकार होगा।

(4) छुट्टी से संबंधित समस्त अभिलेख प्राचार्य द्वारा रखे जायेंगे जो (आकस्मिक छुट्टी से भिन्न) छुट्टी स्वीकृत किये जाने के आदेश की प्रतियां संभागीय उप शिक्षा निदेशक या उस प्राधिकारी को, जो उसके द्वारा कर्मचारी के वेतन का संवितरण करने के लिए प्राधिकृत हो, भेजेगा। प्राचार्य वेतन बिल में छुट्टी की अवधि और उसका प्रकार भी उल्लिखित करेगा।

प्रकीर्ण

धारा 49 (ण) 20.16 राज्य सरकार से अनुरक्षण अनुदान पाने वाले किसी एक महाविद्यालय का पूर्णकालिक कर्मचारी जो किसी दूसरे महाविद्यालय में नियुक्त किया जाय, नियमित चयन के पश्चात उस वेतन से जो वह उस महाविद्यालय में पा रहा था, जिसमें वह पहले कार्य कर रहा था, कम वेतन पाने का हकदार नहीं होगा। यदि कर्मचारी–

(क) पूर्ववर्ती महाविद्यालय में अपने पद पर स्थायी था और ऐसा महाविद्यालय सहायता अनुदान सूची में था,

(ख) नये महाविद्यालय में सेवा के लिए पूर्ववर्ती महाविद्यालय के प्रबंधक की अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो और पूर्ववर्ती महाविद्यालय के प्रबंधतंत्र को उसे अवमुक्त करने में कोई आपत्ति न हो,

(ग) पूर्ववर्ती महाविद्यालय के प्रबंधक से इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे कि ऐसी कोई असामान्य और प्रतिकूल परिस्थितियाँ नहीं थी, जिसमें कर्मचारी ने उस महाविद्यालय को छोड़ा।

(घ) पूर्ववर्ती महाविद्यालय से अंतिम वेतन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे जो सम्बद्ध जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सम्यक रूप से प्रतिहस्ताक्षरित हो।

स्पष्टीकरण– (1) नये महाविद्यालय में नियुक्ति किये जाने पर, पूर्ववर्ती महाविद्यालय में की गयी सेवा की गणना ज्येष्ठता के लिए *नहीं की जायेगी। नये महाविद्यालय में ज्येष्ठता की गणना* नये महाविद्यालय में कार्यभारत ग्रहण करने के दिनांक से उस महाविद्यालय में एक वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् देय होगी।

(2) कर्मचारी नये महाविद्यालय में अपना कार्यभारत ग्रहण करने के लिए की गई यात्रा के लिए कोई यात्रा भत्ता पाने का हकदार नहीं होगा। फिर भी उसे निम्नलिखित दरों पर यात्रा अवधि अनुमन्य होगी।

(क) रेल यात्रा से संबंधित स्थानों के लिए प्रति 500 किलोमीटर पर एक दिन।

(ख) उन स्थानों के लिए जो रेल से संबंधित नहीं है, परन्तु बस से सम्बद्ध है प्रति 150 किलोमीटर पर एक दिन,

(ग) उन स्थानों के लिए जो न तो रेल से सम्बद्ध है और न बस से सम्बद्ध है प्रति 25 किलोमीटर पर एक दिन।

अध्याय—21

महाविद्यालय के मृत कर्मचारियों के आश्रित का सेवायोजन

धारा 39 (2) 21.01 यदि किसी स्थायी कर्मचारी या ऐसे कर्मचारी की जो कम से कम लगातार तीन वर्ष से किसी अस्थायी पद पर हो, सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाये तो ऐसे मृत कर्मचारी के एक आश्रित को जो महाविद्यालय में किसी शिक्षणेत्तर पद के लिए आवेदन पत्र देता है और ऐसे पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता रखता हो, प्रबंधतंत्र द्वारा निदेशक उच्च शिक्षा के पूर्वानुमोदन से चयन की प्रक्रिया और अधिकतम आयु सीमा को शिथिल करके नियुक्त किया जा सकता है।

परन्तु यदि कोई रिक्ति न हो, तो अधिसंख्य पद के विरुद्ध तत्काल नियुक्ति कर दी जायेगी जो इस प्रयोजनार्थ सृजित किया गया समझा जायेगा और वह जब तक कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होगी, जारी रहेगा।

स्पष्टीकरण— इस परिनियम के प्रयोजनों के लिए—

(1) ''आश्रित'' का तात्पर्य मृतक के पुत्र, उसकी अविवाहित या विधवा पुत्री, उसकी विधवा या उसके विधुर से है,

(2) ''कर्मचारी'' के अन्तर्गत संस्था में नियोजित अध्यापक भी है।

नोट :— परिनियम की धारा 21.01 के सम्बन्ध में शासन द्वारा किया गया अद्यतन संसोधन परिशिष्ट ''ञ'' दृष्टव्य है।

अध्याय–22

अधिभार
परिभाषायें

धारा 55 (क) 22.01 जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस परिनियमावली में–

(1) ''निदेशक'' का तात्पर्य निदेशक स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश से है।

(2) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

(3) विश्वविद्यालय का अधिकारी का तात्पर्य अधिनियम की धारा 9 के खण्ड (ग) से (ज) तक के किसी भी खण्ड में उल्लिखित अधिकारी और परिनियम 2.20 के अधीन इस रूप में घोषित अधिकारियों से है,

धारा 55 (क) 22.02 (1) किसी भी ऐसे मामले में जिसमें निदेशक की राय हो कि किसी अधिकारी की उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति को हानि, अपव्यय या दुरुपयोग जिसके अन्तर्गत दुर्विनियोज या अनुचित व्यय भी है, हुआ है तो वह अधिकारी से लिखित रूप से स्पष्टीकरण देने के लिए कह सकता है कि क्यों न ऐसे अधिकारी पर ऐसी धनराशि की हानि, धन के अपव्यय या दुरुपयोग के लिए या ऐसी धनराशि के लिए जो सम्पत्ति की हानि, अपव्यय या दुरुपयोग के बराबर हो, अधिभारत लगाया जाये और ऐसा स्पष्टीकरण सम्बद्ध व्यक्ति को ऐसी अध्यपेक्षा के संसूचित किये जाने के दिनांक से दो मास से अनधिक अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा।

परन्तु कुलपति से भिन्न किसी भी अधिकारी से स्पष्टीकरण कुलपति के माध्यम से मांगा जायेगा।

टिप्पणी– (1) निदेशक द्वारा या इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा प्रारंभिक जांच के लिए अपेक्षित कोई सूचना और समस्त संबंधित पत्रादि और अभिलेख अधिकारी द्वारा या (यदि ऐसी सूचना पत्रादि या अभिलेख उक्त अधिकारी से भिन्न व्यक्ति के कब्जे में हों, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा) किसी भी स्थिति में दो सप्ताह से अनधिक युक्तियुक्त समय के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा और दिखाया जायेगा।

(2) खण्ड (1) में दिये गये उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निदेशक निम्नलिखित मामलों में स्पष्टीकरण मांग सकता है–

(क) जहां व्यय इस परिनियमावली के या अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये अध्यादेशों के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया है,

(ख) जहां हानि पर्याप्त अभिलिखित कारणों के बिना कोई उच्च टेण्डर स्वीकार करने से हुई हो,

(ग) जहां विश्वविद्यालय को देय किसी धनराशि का परिहार इस परिनियमावली के या अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये अध्यादेशों या विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया हो,

(घ) जहां विश्वविद्यालय को अपने देयों को वसूल करने में उपेक्षा के कारण हानि हुई हो।

(ङ) जहां विश्वविद्यालय की निधि या सम्पत्ति को ऐसे धन या सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिये युक्तियुक्त सावधानी न बरतने के कारण हानि हुई हो।

(3) उस अधिकारी को जिससे स्पष्टीकरण मांगा गया हो,

लिखित अध्यापेक्षा पर विश्वविद्यालय उसे संबंधित अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए आवश्यक सुविधाएं देगा। निदेशक सम्बद्ध अधिकारी के आवेदन–पत्र पर उसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए समय को युक्तियुक्त अवधि तक बढ़ा सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि आरोपित अधिकारी अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के प्रयोजन के लिए संबंधित अभिलेखों का निरीक्षण अपने नियंत्रण से परे कारणों से नहीं कर सका।

स्पष्टीकरण– अधिनियम या इसके अधीन बनायी गयी परिनिमयमावलियां अध्यादेशों का उल्लंघन करके की गयी कोई नियुक्ति अवचार करना समझा जायेगा और ऐसी अनियमित नियुक्ति के कारण सम्बद्ध व्यक्ति को वेतन या अन्य देयों का भुगतान विश्वविद्यालय के धन की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग समझा जायेगा।

धारा 55 (क) 22.03 विहित अवधि की समाप्ति के पश्चात और स्पष्टीकरण पर यदि समय के भीतर प्राप्त हो अवचार करने के पश्चात निदेशक, अधिकारी पर सम्पूर्ण धनराशि या उसके किसी भाग के लिये, जिसके लिये ऐसा अधिकारी उसकी राय में उत्तरदायी हो, अधिभार लगा सकता है।

परन्तु यदि दो या अधिक अधिकारियों की उपेक्षा या अवचार के परिणाम स्वरूप हानि दुर्व्यय या दुरुपयोग हो तो प्रत्येक ऐसा अधिकारी संयुक्ततः और पृथकतः देनदार होगा।

परन्तु यह भी कि कोई अधिकारी किसी ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग के दिनांक से दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात या उसके ऐसा अधिकारी न रह जाने के दिनांक से छः वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इसमें जो भी पश्चातवर्ती हो, किसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी न होगा।

धारा 55 (क) 22.04 निदेशक द्वारा दिये गये अधिभार के आदेश से व्यथित अधिकारी, उस मण्डल के आयुक्त को जिसमें विश्वविद्यालय स्थित हो, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील कर सकता है। आयुक्त निदेशक द्वारा दिये गये आदेश को पुष्ट–विखण्डित या परिवर्तित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे। इस प्रकार किया गया आदेश अंतिम होगा और इसके विरुद्ध कोई अपील न हो सकेगी।

धारा 55 (क) 22.05 (1) अधिकारी जिस पर अधिभार लगाया गया हो, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनों से साठ दिन के भीतर या ऐसे अग्रतर समय के भीतर जो उक्त दिनांक से एक वर्ष से अधिक न हो, जैसी निदेशक द्वारा अनुमति दी जाये, अधिभार की धनराशि का भुगतान करेगा,

परन्तु यदि निदेशक द्वारा दिये गये अधिभार के आदेश के विरुद्ध परिनियम 22.04 के अधीन कोई अपील प्रस्तुत की गई हो, तो अपील प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति से धनराशि की वसूली के लिए समस्त कार्यवाहियाँ आयुक्त द्वारा रोकी जा सकती है, जब तक कि अपील का अंतिम रूप से विनिश्चय न हो जाय।

(2) यदि अधिभार की धनराशि का भुगतान खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता हे तो वह भू–राजस्व को बकाया के रूप में वसूल किये जाने योग्य होगी।

धारा 55 (क) 22.06 जहां अधिभार के किसी आदेश पर आपत्ति करने के लिए किसी न्यायालय में कोई वाद संस्थित किया जाये और ऐसे वाद में निदेशक या राज्य सरकार प्रतिवादी हो, वहां वाद का प्रतिवाद करने में उपगत समस्त खर्चों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा और विश्वविद्यालय का यह कर्तव्य होगा कि वह इसका भुगतान बिना किसी विलम्ब से करे।

अध्याय–23

प्रकीर्ण

धारा 7, 12 तथा 49 (त)

23.01 विश्वविद्यालय अध्यादेशों में निर्धारित उपबंधों के अनुसार छात्रवृत्तियां, अधिछात्रवृत्तियां (जिनके अन्तर्गत यांत्रिक यात्रा सम्बन्ध अधिछात्रवृत्तियां भी है।) विद्यावृत्तियां, पदक पारितोषिक संस्थित कर सकता है और उन्हें प्रदान कर सकता है।

धारा 49 तथा 64

23.02 विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या निकाय के सभी निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा परिशिष्ट ''क'' में निर्धारित रीति से होगा।

धारा 7

23.03 धारा 7 के उपबंधों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा में प्राइवेट अभ्यर्थी के रूप में बैठने की अनुमति दे सकता है,परन्तु–

(क) ऐसा व्यक्ति अध्यादेशों में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करता हो, और,

(ख) ऐसी परीक्षा ऐसे विषय या शिक्षा पाठ्यक्रम से संबंधित न हो जिसमें व्यवहारिक परीक्ष पाठ्यक्रम का भाग हो।

धारा 7

23.04 परिनियम 23.03 का उपबंध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, पत्राचार पाठ्यक्रम पर लागू होगा।

23.05 इस परिनियमावली या विश्वविद्यालय के अध्यादेश में दी गयी किसी बात के होते हुए भी–

(एक) किसी विद्या वर्ष में 31 अगस्त के पश्चात् कोई प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(दो) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सभी परीक्षायें 30 अप्रैल तक पूरी हो जायेंगी और

(तीन) 15 जून तक परीक्षाफल घोषित कर दिये जायेंगे।

23.04 परीक्षाफल में सुधार करने की दृष्टि से किसी अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय की अगली नियमित परीक्षा में पूर्व स्नातक परीक्षा के किसी भाग के एक विषय में और बी.एड. परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में या एल.एल.बी परीक्षा के किसी एक वर्ष के एक प्रश्नपत्र में या स्नातकोत्तर परीक्षा के एक भाग के एक प्रश्न पत्र में बैठने की अनुमति दी जा सकती है।

परिशिष्ट ''क''

(परिनियम 4.12 और 23.02 देखिये)

आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन।

भाग–1

सामान्य

1– जब तक कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किसी निर्वाचन के प्रति निर्देश से विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो,

(एक) ''अभ्यर्थी का तात्पर्य'' निर्वाचन लड़ने के लिए सम्यक रूप से अर्ह ऐसे व्यक्ति से है जो सम्यक रूप से नाम निर्दिष्ट किया गया हो,

(दो) ''अनवरत अभ्यर्थी'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो न तो निर्वाचित हुआ हो और न किसी समय विशेष पर मतदान से अपवर्जित हुआ हो,

(तीन) ''निर्वाचक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निर्वाचन में अपना मत देने के लिए सम्यक रूप से अर्ह हो,

(चार) निःशेष पत्र का तात्पर्य ऐसे मत पत्र से है जिस पर किसी अनवरत अभ्यर्थी के लिए कोई अग्रतर अधिमान अभिलिखित न हो, परन्तु कोई पत्र तब भी निःशेषित समझा जायेगा, यदि–

(क) उसमें दो अथवा अधिक अभ्यर्थियों के नाम चाहे वह अनवरत हों या न हों, उसी अंक से चिन्हित हों और उनका स्थान अधिमान क्रम में अगला हो या

(ख) अधिमान क्रम में अगले अभ्यर्थी का नाम चाहे वह अनवरत हो या न हो–

(1) ऐसे अंक से चिन्हित हो जो मतपत्र में किसी अन्य अंक के पश्चात् क्रमानुसार न हों या

(2) दो अथवा अधिक अंकों से चिन्हित हो।

(पांच) ''प्रथम अधिमान मत'' का तात्पर्य ऐसे अभ्यर्थी के पक्ष में मत से है जिसके नाम के सामने मतपत्र में अंक 1 लिखा हो, द्वितीय अधिमान मत का तात्पर्य ऐसे अभ्यर्थी के पक्ष में मत से है जिसके नाम के सामने अंक '2' लिखा हो, तृतीय अधिमान मत का तात्पर्य ऐसे अभ्यर्थी के पक्ष में मत से है जिसके नाम के सामने अंक '3' लिखा हो और उसी प्रकार क्रम में आगे भी लिखा हो,

(छः) किसी अभ्यर्थी के संबंध में मूल मत का तात्पर्य ऐसे मतपत्र द्वारा प्राप्त मत से है जिस पर उस अभ्यर्थी के लिए प्रथम अधिमान अभिलिखित हो,

(सात) ''कोटा'' का तात्पर्य मतों के उस न्यूनतम मूल्यांकन से है जो किसी अभ्यर्थी को निर्वाचित होने के लिए पर्याप्त हो,

(आठ) ''आधिक्य'' का तात्पर्य उस संख्या से है जितने से किसी अभ्यर्थी के मूल और संक्रमित मतों का मूल्यांकन कोटा से अधिक हो,

(नौ) किसी अभ्यर्थी के संबंध में ''संक्रमित मत'' का तात्पर्य ऐसे मतपत्र द्वारा प्राप्त मत से है जिस पर उस अभ्यर्थी के लिए द्वितीय अथवा उसके बाद वाला कोई अधिमान लिखा हो और जिसका मूल्यांकन भाग उस अभ्यर्थी के पक्ष में जोड़ा जाय,

(दस) ''अनिःशेष पत्र'' का तात्पर्य ऐसे मत पत्र से है जिस पर किसी अनवरत अभ्यर्थी के लिए अग्रतर अधिमान अभिलिखित हो,

2— कुलसचिव रिटर्निंग आफिसर होगा जो सभी निर्वाचन के संचालन के लिए उत्तरदायी होगा।

3— कुलपति—

(एक) प्रत्येक निर्वाचन के विभिन्न प्रक्रमों के लिए परिनियमों के उपबंधों के अनुरूप दिनांक नियत करेगा तथा उस आपातिक स्थिति में इन दिनांकों में परिवर्तन करने की सिवाय उस दशा के जब ऐसे परिवर्तन से परिनियम के उपबंधों का उल्लंघन होता हो, शक्ति होगी।

(दो) संदेह की दशा में, किसी अभिलिखित मत की वैधता अथवा अवैधता का विनिश्चय करेगा।

4— सभा के रजिस्ट्रीकृत स्नातकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का निर्वाचन तथा (अन्य ऐसे निर्वाचन विषय में कुलपति सुविधा तथा मितव्ययता के कारण निर्देश दे) डाक द्वारा मतपत्र से किया जायेगा। अन्य निर्वाचन संबंधित प्राधिकारियों अथवा निकायों के अधिवेशन में किये जायेंगे।

5— मतपत्र निम्नलिखित प्रपत्र में होगा—

विश्वविद्यालय का नाम:...

निर्वाचन क्षेत्र द्वारा निर्वाचन:...

अभ्यर्थियों के नाम तथा अधिमान क्रम 1, 2, 3 इत्यादि (अंकों द्वारा रिक्त स्थान में इंगित किये जायेंगे।)

....

....

....

6— निर्वाचक अपना मत देने में—

(एक) अपने मतपत्र पर अंक 1 उस अभ्यर्थी के नाम के सामने लिखेगा, जिसको कि व अपना मत दे और

(दो) इसके अतिरिक्त जितने अन्य अभ्यर्थियों को वह चाहे, अपनी पसन्द या अधिमानता को उन अभ्यर्थियों के नाम के सामने क्रमशः 2, 3, 4 तथा इसी प्रकार अविछिन्न अंकों द्वारा लिख कर व्यक्त कर सकता है।

7— वह मत पत्र अविधिमान्य होगा—

(एक) जिस पर अंक 1 न लिखा हों, या

(दो) जिस पर एक से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के आगे अंक (1) लिखा हो, या

(तीन) जिस पर अंक (1) तथा कोई अंक एक ही अभ्यर्थी के नाम के आगे लिखा हो या (चार) जिस पर अंक (1) ऐसा लिखा हो जिससे यह संदेह हो कि वह किसी अभ्यर्थी के लिए अभिप्रेत है, या

(पांच) मतपत्र द्वारा निर्वाचन की दशा में, जिस पर कोई ऐसा चिन्ह बना हो जिससे कि मतदाता बाद में पहिचाना जा सके, या

(छ:) जिस पर मतदाता के अधिमान का व्यक्त करने वाला अंक मिटाया गया हो या उसमें परिवर्तन किया गया हो, या

(सात) जो उक्त प्रयोजन के लिए व्यवस्थित प्रपत्र में न हों।

भाग—2

डाक मत द्वारा संचालित निर्वाचन

8— डाक मतपत्र द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां होने के कम से कम तीन

मास पहले कुलसचिव प्रत्येक अर्ह मतदाता के पास उसके रजिस्ट्रीकृत पते पर, रजिस्ट्रीकृत डाक से नोटिस भिजवायेगा, जिसमें उससे नोटिस भेजे जाने के पन्द्रह दिन के भीतर नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने को कहा जायेगा। नोटिस

के साथ निर्वाचकों की एक सूची होगी।

9— कुलसचिव को मतदाताओं की सूची की प्रत्येक ऐसी अशुद्धि तथा लोप को, जो उसकी जानकारी में लाया जाय, ठीक करने की शक्ति होगी। यदि किसी व्यक्ति का नाम सूची से निकाल दिया जाय तो उसके मत की गणना नहीं की जायेगी, भले ही उसे मतपत्र मिल गया हो और उसने अपना मत दे दिया हो और एक प्रमाणपत्र कि ऐसा किया गया है, कुलसचिव तथा निर्वाचन तैयार करने में उससे सम्बद्ध व्यक्तियों द्वारा यदि कोई हो, अभिलिखित किया जायेगा।

10— प्रत्येक निर्वाचक को भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अनधिक अभ्यर्थियों का नाम निर्देशन करने का विकल्प होगा।

11— प्रत्येक नाम निर्देशन पत्र पर प्रस्तावक द्वारा जो स्वयं निर्वाचक होगा, हस्ताक्षर किया जायेगा, और उसके साथ निर्वाचन के लिए नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थी की सहमति होगी जो या तो लिखित होगी या नाम निर्देशन पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा की गई होगी। उसमें नाम निर्देशन के समर्थकों के रूप में अन्य निर्वाचकों के हस्ताक्षर हो सकते हैं। किन्तु कोई भी अभ्यर्थी किसी ऐसे नाम निर्देशन पत्र पर, जिसमें उसका नाम अभ्यर्थी के रूप में लिखा हो, प्रस्तावक या अनुमोदक के रूप में हस्ताक्षर नहीं करेगा।

12— नाम निर्देशन पत्र नोटिस में उल्लिखित समय के भीतर कुलसचिव को बंद लिफाफे में या तो स्वयं प्रस्तावक या किसी ऐसे निर्वाचक द्वारा दिया जायेगा जो नाम निर्देशन का समर्थन करता हो या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जायेगा।

13— कोई अभ्यर्थी निर्वाचन से अपना नाम वापस लेने की लिखित सूचना, जिस पर उसके हस्ताक्षर होंगे और जो किसी वैतनिक मजिस्ट्रेट/राजपत्रित अधिकारी या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अनुप्रमाणित होगा, कुलसचिव को इस प्रकार भेजकर कि वह नाम निर्देशन की प्राप्ति के लिए अंतिम दिन के रूप में निश्चित दिन तथा समय के पूर्व पहुँच जाय, निर्वाचन से

अपना नाम वापस ले सकते है, अनुप्रमाणन पर संबंधित अधिकारी की मुहर लगी होनी चाहिए।

14— कुलसचिव नाम निर्देशन पत्रों के लिफाफों को खोलने का स्थान, दिनांक और समय अधिसूचित करेगा। ऐसे अभ्यर्थी या निर्वाचक जो उपस्थित होना चाहे, उस अवसर पर उपस्थित हो सकते हैं।

15— कुलसचिव विधिमान्य नाम निर्देशनों की एक सूची तैयार करेगा। यदि कोई नाम निर्देशन पत्र कुल सचिव द्वारा अस्वीकृत किया जाय तो वह अस्वीकृत करने के कारणों की सूचना अभ्यर्थी को दो दिन के भीतर देगा। यह अभ्यर्थी पर निर्भर होगा कि वह ऐसी संसूचना की प्राप्ति के तीन दिन के भीतर आवेदन पत्र भेजे कि मामला कुलपति को निर्दिष्ट किया जाय। तत्पश्चात वह मामला कुलपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

16— यदि सम्यक रूप से नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों की संख्या भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अधिक न हो तो कुलसचिव उन्हें निर्वाचित घोषित कर देगा। यदि कोई स्थान भरने से रह जाय तो उसे भरने के लिए पूर्वोक्त रीति से नया निर्वाचन किया जायेगा और ऐसा निर्वाचन सामान्य निर्वाचन का भाग समझा जायेगा।

17— यदि सम्यक रूप से नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों की संख्या भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अधिक हो तो निर्वाचन कराया जायेगा।

18— कुलसचिव संवीक्षा पूरी होने के 15 दिन के भीतर प्रत्येक निर्वाचक को रजिस्ट्रीकृत डाक से उसके रजिस्ट्रीकृत पते पर एक मतपत्र के साथ एक लिफाफा भेजेगा, जिस पर केवल निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखा होगा और एक बड़ा लिफाफा भी भेजेगा जिसके बाँई ओर निर्वाचन नामावली में निर्वाचक की संख्या निर्वाचक क्षेत्र का नाम और दाहिनी ओर विश्वविद्यालय के कुलसचिव का पता लिखा अथवा छपा होगा। कुलसचिव अभिन का एक प्रमाण पत्र भी संलग्न करेगा।

19— (एक) निर्वाचक अभिज्ञान के प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करेगा और उसे निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी से सम्यक रूप से अनुप्रमाणित करायेगा—

(क) तत्समय भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कुलसचिव

(ख) किसी ऐसे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय का प्राचार्य अथवा उस विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग का अध्यक्ष,

(ग) सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी।

(घ) अनुप्रमाणक अधिकारी अपने पूर्ण हस्ताक्षर और अपनी मुहर से अनुप्रमाणित करेगा। (तीन) निर्वाचक मत पत्र को बिना अपने नाम अथवा हस्ताक्षर के सम्यक रूप से भरकर छोटे लिफाफे में बंद करेगा और तब उसे सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और अनुप्रमाणित अभिज्ञान के प्रमाणपत्र के साथ बड़े लिफाफे में बंद कर देगा और उसे सम्यक रूप से मुहर बंद करके या तो रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा कुलसचिव के पास भेज देगा या उन्हें स्वयं देगा।

20— मतपत्र कुलसचिव के पास निश्चित समय और दिनांक तक अवश्य पहुंच जाना चाहिए। यदि नियत समय और दिनांक के पश्चात् प्राप्त हो तो वह उसके द्वारा अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

21— यदि दो या उससे अधिक मतपत्र एक ही लिफाफे में भेजे जाय तो उनकी गणना नहीं की जायेगी।

22— कोई मतदाता जिसे अपने मत पत्र तथा अन्य संबंधित पत्रादि प्राप्त न हुए हो अथवा जिससे वे खो गये हो अथवा जिसके पत्रादि कुलसचिव को वापस किये जाने के पूर्व अनवधानतावश विकृत हो गये हों इस आशय का स्वहस्ताक्षरित घोषणा—पत्र कुलसचिव को भेजकर उनसे प्राप्त न हुए, खो गये अथवा विकृत पत्रादि के स्थान पर पत्रादि की दूसरी प्रति भेजने का अनुरोध कर सकता है।

कुलसचिव प्राप्त न हुए खो गये या विकृत पत्रादि के स्थान पर यदि उसका समाधान हो जाये, ''द्वितीय प्रति'' अंकित करके दूसरी प्रति जारी कर सकता है।

23— कुलसचिव मत पत्रों को उनकी संवीक्षा के लिए निश्चित दिनांक और समय तक मुहरबंद तथा बिना खोले सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

24— संवीक्षा के दिनांक, समय तथा स्थान की सम्यक सूचना कुलसचिव द्वारा सभी अभ्यर्थियों को दी जायेगी, जिन्हें संवीक्षा के समय उपस्थित होने का अधिकार होगा—

परन्तु किसी अभ्यर्थी को किसी मत पत्र का निरीक्षण करने की मांग करने का हक न होगा।

25— कुलसचिव को यदि आवश्यक हो, ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा सहायता दी जायेगी जिन्हें कुलपति संवीक्षा कार्य में सहायता देने के लिए नियुक्त करें।

26— नियत दिनांक, समय तथा स्थान पर कुलसचिव मत पत्रों के लिफाफे खोलेगा तथा उनकी संवीक्षा करेगा और जो विधिमान्य न हों उन्हें अलग कर देगा।

27— विधिमान्य मत पत्रों को छांटकर उनका पार्सल बनाया जायेगा। एक पार्सल में वे समस्त मत पत्र होंगे, जिसमें किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए प्रथम अधिमान अभिलिखित हो।

28— इस परिनियमावली द्वारा विहित प्रक्रिया को सुगम बनाने के प्रयोजन से प्रत्येक मत—पत्र का मूल्यांक एक सौ समझा जायेगा।

29— परिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए कुलसचिव—

(1) सभी भिन्नों की उपेक्षा करेगा,

(2) निर्वाचित हो चुके अथवा मतदान से अपवर्जित अभ्यर्थियों के लिए अभिलिखित सभी अधिमानों पर ध्यान न देगा।

30– कुलसचिव तब समस्त पार्सलों के मत पत्रों के मूल्यांक का योग निकालेगा। उस योग को ऐसी संख्या से भाग देगा जो कि भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से एक अधिक हो, तथा भागफल में एक जोड़ेगा। इस प्रकार प्राप्त संख्या ''कोटा'' होगी।

31– यदि किसी समय उतनी संख्या में अभ्यर्थी कोटा प्राप्त कर लें जितने कि निर्वाचित होने है तो ऐसे अभ्यर्थियों को निर्वाचित समझा जायेगा और आगे कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

32–(1) प्रत्येक ऐसा अभ्यर्थी जिसके पार्सल का मूल्यांक प्रथम अधिमान गिनने पर कोटा के बराबर अथवा उससे अधिक हो, निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा।

(2) यदि किसी ऐसे पार्सल में मत पत्रों का मूल्यांक कोटा के बराबर हो तो वे मतपत्र अंतिम रूप से बरते गये के रूप में अलग रख दिये जायेंगे।

(3) यदि किसी ऐसे पार्सल में मत पत्रों का मूल्यांकन कोटा से अधिक हो तो आधिक्य उन अनवरत अभ्यर्थियों को इस परिनियम में आगे दी गई हुई रीति से संक्रमित कर दिया जायेगा जो कि मतपत्रों में निर्वाचक के अधिमान क्रम में निकटतम अनुगामी के रूप में इंगित हो।

33–(1) यदि उपर्युक्त परिनियम द्वारा विहित किसी प्रयोग के फलस्वरूप कभी किसी अभ्यर्थी को कुछ आधिक्य प्राप्त हो तो वह आधिक्य इस परिनियम के उपबंधों के अनुसार संक्रमित किया जायेगा।

(2) यदि एक से अधिक अभ्यर्थी को आधिक्य प्राप्त हो तो अधिकतम आधिक्य पहले बरता जायेगा तथा परिणाम के न्यूनतम क्रम के अनुसार दूसरों से बरता जायेगा, परन्तु मतों की प्रथम गणना में अद्भूत प्रत्येक आधिक्य दूसरी गणना में अद्भूत आधिक्य से पहले बरता जायेगा और यही क्रम आगे भी चलेगा।

(3) यदि दो अथवा उससे अधिक आधिक्य बराबर हो तो कुलसचिव उपखण्ड

(2) में विहित शर्तों के अनुसार विनिश्चय करेगा।

(4) (क) यदि किसी अभ्यर्थी का संक्रमित किया जाने वाला आधिक्य केवल मूलमतों से उद्भूत हो तो कुलसचिव उस अभ्यर्थी के जिसका कि आधिक्य संक्रमित किया जाने वाला हो, पार्सल के सब मतपत्रों की जांच करेगा और अनिःशेष पत्रों को उनमें अभिलिखित निकटतम अनुगामी अधिमानों के अनुसार उप–पार्सल में विभाजित करेगा। वह निःशेष पत्रों का भी एक पृथक उप पार्सल बनायेगा।

(ख) वह प्रत्येक उस पार्सल के मत पत्रों का तथा अनिःशेष मत पत्रों का मूल्यांक अभिनिश्चित करेगा।

(ग) यदि अनिःशेष मत पत्रों का मूल्यांक आधिक्य के बराबर अथवा उससे कम हो तो वह सब अनिःशेष मत पत्रों को उस मूल्यांक पर जिस पर कि वे उस अभ्यर्थी को प्राप्त हुए थे जिसका आधिक्य संक्रमित किया जा रहा हो, संक्रमित करेगा।

(घ) यदि अनिःशेष पत्रों का मूल्यांक आधिक्य से अधिक हो तो वह अनिःशेष पत्रों के उप पार्सलों का संक्रमण करेगा और वह मूल्यांक जिस पर प्रत्येक मत पत्र संक्रमित किया जायेगा, आधिक्य को अनिःशेष पत्रों की कुल संख्यध से विभाजित करके अभिनिश्चित किया जायेगा।

(5) यदि किसी अभ्यर्थी का संक्रमित किया जाने वाला आधिक्य संक्रमित तथा मूलमतों से उद्भूत हुआ हो तो कुलसचिव अभ्यर्थी की सबसे अन्त में संक्रमित उप पार्सल के समस्त मत पत्रों की पुनः जांच करेगा तथा अनिःशेष पत्रों को उन पर अभिलिखित अनुगामी अधिमानों के अनुसार उप पार्सल में विभाजित करेगा। तदुपरान्त वह उप पार्सलों से उसी रीति से बरतेगा जैस कि पूर्वगामी अंतिम उपखण्ड में निर्दिष्ट उप पार्सल के संबंध में व्यवस्थित है।

6– प्रत्येक अभ्यर्थी को संक्रमित मत पत्र ऐसे अभ्यर्थी के पहले के ही मतपत्रों

में उप–पार्सल के रूप में मिला दिये जायेंगे।

7– निर्वाचित अभ्यर्थी के पार्सल अथवा उप पार्सलों के वे सब मत पत्र जो इस खण्ड के अधीन संक्रमित न किये गय हों, अंतिम रूप से बरते गये रूप में अलग रख दिये जायेंगे।

34–(1) यदि उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार सब आधिक्यों के संक्रमित कर दिये जाने के पूर्व अपेक्षित संख्या से कम अभ्यर्थी निर्वाचित हुए हों तो कुलसचिव मतदान के निम्नतम अभ्यर्थी को मतदान से अपवर्जित कर देगा और उसके अनिःशेष पत्रों को अनवरत अभ्यर्थियों में उन अनुगामी अधिमानो के अनुसार वितरित कर देगा जो उन पर अभिलिखित हो। कोई निःशेष पत्र अंतिम रूप से बरते गये के रूप में अलग रख दिया जायेगा।

2– उन पत्रों को जिनमें अपवर्जित अभ्यर्थी का मूलमत अन्तर्विष्ट हो, सर्वप्रथम संक्रमित किया जायेगा। प्रत्येक मत पत्रों का संक्रमित मूल्यांक एक सौ होगा।

3– फिर उन पत्रों को जिनमें किसी अपवर्जित अभ्यर्थी के संक्रमित मत को संक्रमण के उसी क्रम में संक्रमित किया जायेगा जिस क्रम में और जिस मूल्यांक पर उसे प्राप्त हुए हैं।

4– ऐसा प्रत्येक संक्रमण पृथक संक्रमण समझा जायेगा।

5– मतदान में एक के बाद दूसरे निम्नतम अभ्यर्थियों के अपवर्जन पर इस खण्ड द्वारा निदेशित प्रक्रिया तब तक दोहराई जायेगी तब कि अंतिम रिक्ति की पूर्ति किसी अभ्यर्थी के कोटा प्राप्त कर लेने पर निर्वाचन द्वारा अथवा आगे के उपबंधों के अनुसार न हो जाय।

35– यदि मत पत्रों के संक्रमण के फलस्वरूप अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मतों का मूल्यांक कोटा के बराबर अथवा उससे अधिक हो जाय तो संक्रमण की कार्यवाही पूरी की जायेगी, किन्तु अग्रतर कोई मत पत्र उसे संक्रमित नहीं किया जायेगा।

36–(1) यदि उक्त खण्ड के अधीन किसी संक्रमण के पूरा होने के पश्चात् किसी अभ्यर्थी के मतों का मूल्यांक कोटा के बराबर अथवा उससे अधिक हो जाये तो उसे निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

2– यदि किसी ऐसे अभ्यर्थी के मतों का मूल्यांक कोटा के बराबर हो जाय तो सभी मत पत्र, जिन पर ऐसे मत अभिलिखित हो, अंतिम रूप से बरते गये के रूप में अलग रख दिये जायेंगे।

3– यदि किसी ऐसे अभ्यर्थी के मत पत्रों का मूल्यांक कोटा से अधिक हो जाय तो तदुपरान्त किसी अन्य अभ्यर्थी को अपवर्जित करने के पूर्व उसका आधिक्य एतद्पूर्व व्यवस्थित रीति से वितरित कर दिया जायेगा।

37–(1) जब अनवरत अभ्यर्थियों की संख्या घट कर अपूर्त रिक्त स्थानों की संख्या के बराबर रह जाये तो अनवरत अभ्यर्थियों को निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

2. जब केवल एक रिक्त स्थान अपूर्त रह जाये और किसी अनवरत अभ्यर्थी के मत पत्रों का मूल्यांक अन्य अनवरत अभ्यर्थियों के सभी मतों के मूल्यांक के पूर्ण योग तथा असंक्रमित आधिक्य से अधिक हो जाय तो वह अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

3. जब केवल एक ही रिक्ति अपूर्त रह जाय और केवल दो अनवरत अभ्यर्थी हों और उन दोनों अभ्यर्थियों में से प्रत्येक के मतों का मूल्यांक एक बराबर हो और संक्रमण के योग्य कोई आधिक्य होकर न रह जाये तो अगले खण्ड के अधीन एक अभ्यर्थी को उपवर्जित तथा दूसरे को निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

38. जब कभी एक से अधिक आधिक्य वितरण के लिये हो और दो या उससे आधिक्य बराबर हो अथवा यदि किसी समय किसी अभ्यर्थी को अपवर्जित करना आवष्यक हो जाय और दो या उससे अधिक अभ्यर्थ मतदान में निम्नतम हों और उनके मत पत्रों का मूल्यांक बराबर हो तो प्रत्येक अभ्यर्थी के मूल मतों पर ध्यान दिया जायेगा, और जिस अभ्यर्थी के सबसे कम मूल मत हों तो यथास्थिति उसका

आधिक्य पहले वितरित किया जायेगा अथवा उसको पहले अपवर्जित किया जायेगा। यदि उनके मूल मत पत्र के बराबर हो तो कुलसचिव पर्ची डालकर यह निश्चय करेगा कि किस अभ्यर्थी का आधिक्य वितरित किया जाय अथवा किसको अपवर्जित किया जाय।

39. पुनर्गणना यदि कुलसचिव पूर्वतन गणना की शुद्धता के विषय में संतुष्ट न हो तो वह या तो स्वतः या किसी अभ्यर्थी के अनुरोध पर मतों की पुनर्गणना एक या उससे अधिक बार करा सकता है।

परन्तु यहाँ दी गयी किसी बात से कुलसचिव के लिए यह बाध्यकारी नहीं होगा कि वह उन्हीं मतों की एक से अधिक बार पुनर्गणना कराये।

40. संवीक्षा पूरी हो जाने के पश्चात् कुलसचिव निर्वाचन परिणाम की रिपोर्ट कुलपति को तुरन्त देगा।

41. कुलसचिव नाम निर्देशन पत्र तथा मत पत्रों को मुहरबन्द पैकेट में रखेगा, जिन्हें एक वर्ष की अवधि तक सुरक्षित रखा जायेगा।

भाग–3

अधिवेशनों में निर्वाचनों का किया जाना

42. विश्वविद्यालय प्राधिकारी के किसी अधिवेशन में आयोजित किसी निर्वाचन की स्थिति में दावा तथा आपत्तियां आमन्त्रित करने के प्रयोजन से पहले से निर्वाचक नामावली को प्रकाशित करना अथवा नाम निर्देशन आमंत्रित करना आवश्यक नहीं होगा। सम्यक रूप से बुलाये गये अधिवेशन में सम्बद्ध प्राधिकारी के उपस्थित सदस्यगण निर्वाचन में भाग लेंगे। निर्वाचन के लिए नाम अग्रिम रूप से अथवा अधिवेशन में प्रस्तावित किये तथा वापस लिए जा सकते है। मतदाताओं को दिये गये मत पत्रों में वे नाम होंगे जिनकी सूचना छपने के लिए ठीक समय पर प्राप्त हो गयी थी तथा उसमें अन्य नाम जिनके अन्तर्गत अधिवेशन में प्रस्तावित नाम भी हैं, बढ़ाने के लिए रिक्त स्थान होगा। कुलसचिव प्रत्येक सदस्य को ऐसे

अधिवेशन की जिसमें निर्वाचन होना है, सूचना भेजेगा, और उसमें सदस्यों की सूची के साथ ऐसे अधिवेशन का समय, दिनांक और स्थान का उल्लेख होगा। सूचना की अवधि कुलपति द्वारा निश्चित की जायेगी।

परिशिष्ट ''ख''

(परिनियम 15.01 देखिये)

विश्वविद्यालय के अध्यापक – वर्ग के सदस्यों के साथ करार का प्रपत्र

यह करार आज दिनांक ....20...... को श्री ....प्रथम पक्ष तथा बीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर जिसे आगे विश्वविद्यालय कहा गया है, दूसरे पक्ष के मध्य किया गया, एतद् द्वारा निम्नलिखित करार किया जाता है–

1– विश्वविद्यालय एतद् द्वारा, श्री/श्रीमती/कुमारी.. को दिनांक......................से जब प्रथम पक्ष का पक्षकार अपने पद के कर्तव्यों पक्ष का पक्षकार एतद् द्वारा नियुक्ति स्वीकार करता है और विश्वविद्यालय के ऐसे कार्यों में भाग लेने तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करने का वचन देता है जिनकी उससे अपेक्षा की जाय, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय की सम्पत्ति या निधियों का प्रबन्ध और संरक्षण, शिक्षण का संगठन, औपचारिक या अनौपचारिक अध्यापन और छात्रों का परीक्षण, अनुशासन बनाये रखने और किसी पाठ्यचर्या या नैवासिक कार्य–कलाप के सम्बन्ध में छात्र–कल्याण की प्रोन्नति और विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य पाठ्यचर्यातिरिक्त कर्तव्यों का पालन करना भी है जो उसे सौपें जायं, तथा ऐसे अधिकारियों की अधीनता स्वीकार करता है जिनके अधीन वह विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा तत्समय रखा जाय और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित, अध्यापकों की आचरण संहिता का जैसा कि समय–समय पर उसे संशोधित किया जाय, पालन करेगा और उसके अनुरूप चलेगा।

परन्तु अध्यापक, प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा और कार्य परिषद् स्वविवेकानुसार परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।

2– प्रथम पक्ष का पक्षकार विश्वविद्यालय के परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा–निवृत्त होगा।

3— अध्यापक के पद का, जिस पर प्रथम पक्ष का पक्षकार नियुक्त किया गया है, वेतनमान.......................होगा। प्रथम पक्ष के पक्षकार को उस दिनांक से जब से वह अपने उक्त कर्तव्यों का भार ग्रहण करता है, उपर्युक्त वेतनमान में................ रुपया प्रतिमास की दर से वेतन दिया जायेगा और वह जब तक कि परिनियमों के उपबन्धों की दर से वेतन दिया जायेगा और वह जब अनुवर्ती प्रक्रमों पर वेतन प्राप्त करेगा।

परन्तु जहां समयमान में कोई दक्षता–रोक विहित है, वहां दक्षता रोक के ऊपर अगली वेतन वृद्धि प्रथमपक्ष के पक्षकार को वेतन वृद्धि रोकने के लिए सशक्त प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना नहीं दी जायगी।

4— प्रथम पक्ष का पक्षकार विश्वविद्यालय के किसी ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय के जिसकी प्राधिकारिता के अधीन वह जब यह करार प्रवृत्त हो, उक्त अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किन्हीं परिनियमों के अधीन हो, विधिपूर्ण निर्देशों का पालन करेगा और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से उन्हें कार्यान्वित करेगा

5— प्रथम पक्ष का पक्षकार एतद् द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्यापकों को आचरण संहिता का जैसा कि समय समय पर उसे संशोधित किया जाय, पालन करने और उसके अनुरूप चलने का वचन देता है।

6— किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति पर प्रथम पक्ष का पक्षकार विश्वविद्यालय की समस्त पुस्तकें, साधित्र, अभिलेख और अन्य वस्तुयें जो उसके कब्जे में हो, विश्वविद्यालय को दे देगा।

7— समस्त मामलों में इन पक्षकारों के आपसी अधिकार और दायित्व तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा जिन्हें जिसमें समाविष्ट और उसी प्रकार से इस करार का भाग समझा जायेगा मानों व इसमें प्रत्युत्पादि किये गये हो, और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होंगे।

जिसके साक्ष्य में इन पक्षकारों ने प्रथम उपरिलिखित दिनांक तथा वर्ष को अपने हस्ताक्षर किये और मुहर लगाई।

....	....
अध्यापक के हस्ताक्षर	विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले वित्त अधिकारी के हस्ताक्षर

साक्षी

1..

2..

परिशिष्ट "ग"

(परिनियम 15.02, 15.25, 16.03 और 16.14 देखिये)

अध्यापकों के लिए आचार संहिता

अतः जो अध्यापक अपने उत्तरदायित्व के प्रति तथा युवकों के चरित्र निर्माण एवं ज्ञान, बौद्धिक स्वतंत्रता और सामाजिक प्रगति को अग्रसर करने के सम्बन्ध में, जो विश्वास उसमें निहित किया गया है उसके प्रति जागरूक है, उस अध्यापक से इस बात का अनुभव रखने की आशा की जाती है कि वह नैतिकता सम्बन्धी नेतृत्व की अपनी भूमिका का निर्वाह, समर्पण, नैतिक निष्ठा तथा मन, वचन एवं कर्म में पवित्रता की भावना से ओत–प्रोत रह कर उपदेश की अपेक्षा आचरण द्वारा अधिक कर सकता है,

अतः उसकी वृत्ति की गरिमा के अनुरूप यह आचरण संहिता बनाई जाती है कि इसका पालन व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक दोनों प्रकार के आचरण में वस्तुतः निष्ठापूर्वक किया जाय,

1– प्रत्येक अध्यापक अपने शैक्षिक कर्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा एवं कर्तव्य परायता से करेगा।

2– कोई भी अध्यापक छात्रों का अभिनिर्धारण करने में न तो कोई पक्षपात यां पूर्वाग्रह प्रदर्शित करेगा न उन्हें उत्पीड़ित करेगा।

3– कोई भी अध्यापक किसी छात्र को अन्य छात्र के विरुद्ध अपने साथी या विश्वविद्यालय के विरुद्ध नहीं उत्तेजित करेगा।

4– कोई भी अध्यापक जाति, मत, पंथ, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता या भाषा के आधार पर शिष्यों में भेद–भाव न करेगा। वह अपने साथियों, अधीनस्थ व्यक्तियों तथा छात्रों में भी ऐसी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करेगा और अपने भविष्य की उन्नति के लिए उपयुक्त विचारों का प्रयोग करने की चेष्टा नहीं करेगा।

5– कोई भी अध्यापक यथास्थिति विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के समुचित निकायों तथा कृत्यकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने से इन्कार नहीं करेगा।

6– कोई भी अध्यापक यथास्थिति विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के कार्यकलाप से सम्बन्धित कोई गोपनीय सूचना किसी ऐसे व्यक्ति पर प्रकट नहीं करेगा जो उसके सम्बन्ध में प्राधिकृत न हो।

7– कोई भी अध्यापक किसी महिला के कार्य स्थल पर, उसके यौन उत्पीड़न के किसी कार्य में संलिप्त नहीं होगा।

स्पष्टीकरण– ''यौन उत्पीड़न'' में, प्रत्यक्षतः या अन्यथा काम वासना से प्रेरित कोई ऐसा अशोभनीय व्यवहार सम्मिलित है, जैसा कि–

क– शारीरिक स्पर्श और कामोदीप्त प्रणय सम्बन्धी चेष्टाएं।

ख– यौन स्वीकृति की मांग या प्रार्थना।

ग– काम वासना प्रेरित फब्तियां।

घ– किसी कामोत्तेजक कार्य व्यवहार या सामग्री का प्रदर्शन।

ङ– यौन सम्बन्धी कोई अन्य अशोभनीय, मौखिक या सांकेतिक आचरण। यौन उत्पीड़न रोकने के लिए विश्वविद्यालय का प्रतिकुलपति इसका प्रभारी होगा।

परिशिष्ट "घ"

(परिनियम 16.02 तथा 16.14 देखिये)

प्रपत्र

सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्राचार्य से भिन्न अध्यापक के साथ करार का प्रपत्र

यह करार आज दिनांक..........................20....................को........................प्रथम पक्ष तथा प्राचार्य/सचिव के माध्यम से................................महाविद्यालय................के प्रबन्धतंत्र द्वितीय पक्ष के मध्य किया गया।

महाविद्यालय ने प्रथम पक्ष के पक्षकार को आगे दी गयी शर्तों और निबन्धनों पर महाविद्यालय में कार्य करने के लिए............................के रूप में नियुक्त किया है। अतः अब यह करार इस बात का साक्षी है कि प्रथम पक्ष के पक्षकार और महाविद्यालय एतद् द्वारा संविदा करते है और निम्नलिखित के लिए सहमत हैं–

(1) नियुक्ति दिनांक............................से प्रारम्भ होगी और एतद् द्वारा व्यवस्थित रीति से समाप्त की जा सकेगी।

(2) प्रथम पक्ष का पक्षकार प्रथमतः एक वर्ष परिवीक्षा अवधि पर नियोजित है और उसे............................रुपये का मासिक वेतन दिया जायेगा। परिवीक्षा अवधि उतनी ओर अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है जितनी कि द्वितीय पक्ष का पक्षकार उचित समझे, किन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि किसी भी स्थिति में दो वर्ष से अधिक न होगी।

(3) परिवीक्षा अवधि के पश्चात् स्थायी किये जाने पर महाविद्यालय प्रथम पक्ष के पक्षकार को उसकी सेवाओं के लिए..रुपये (केवल. ....रुपये) प्रतिमास की दर से देगा जिसे...............................रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धियों से बढ़कर.............................रुपये प्रति मास कर दिया जायेगा। वेतन मान ऐसे पुनरीक्षण के अधीन होगा जो समय–समय पर राज्य सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा किया जाय।

(4) उक्त मासिक वेतन जिस मास में वह अर्जित किया जाय, उसके अगले मास के प्रथम दिनांक को देय है और प्रबन्धतंत्र प्रत्येक मास के अधिक से अधिक पन्द्रहवें दिनांक तक अध्यापक को उसका भुगतान कर देगा।

(5) प्रथम पक्ष का पक्षकार विश्वविद्यालय या प्रबन्धतंत्र के किसी सदस्य को कोई अभ्यावेदन नहीं देगा सिवाय प्राचार्य के माध्यम से जो उसे उच्च प्राधिकारियों के पास भेज देगा।

(6) प्रथम पक्ष का पक्षकार, साधारण कर्तव्यों के अतिरिक्त ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय के आन्तरिक प्रशासन या कार्य कलापों के सम्बन्ध में सौंपे जाये।

(7) अन्य समस्त मामलों में इन पक्षकारों के आपसी अधिकार और दायित्व समय समय पर यथा संशोधित विश्वविद्यालय के परिनियमों द्वारा और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होंगे।

आज दिनांक..........................20.................को.............................द्वारा प्रबंधतंत्र की ओर से हस्ताक्षरित, ...की उपस्थिति में अध्यापक द्वारा।

साक्षी

1......................................

2......................................

प्रपत्र – दो

सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रपत्र प्राचार्य के साथ करार का प्रपत्र यह करार आज दिनांक..................................20...................को जिसे एतत्पश्चात् प्राचार्य कहा गया है। प्रथम पक्ष, तथा सभापति के माध्यम से......................................महाविद्यालय के............................जिसे एतत्पश्चात् प्रबन्धतंत्र कहा गया है द्वितीय पक्ष के मध्य किया गया।

प्रबन्धतंत्र ने प्रथम पक्ष के पक्षकार को एतत्पश्चात् दी गयी शर्तों पर महाविद्यालय के प्राचार्य का कार्य करने के लिए नियुक्त किया है। अब यह करार इस बात का साक्षी है कि प्रथम पक्ष के पक्षकार और प्रबन्धतंत्र एतद्द्वारा निम्नलिखित संविदा करते है और उसके लिए सहमत हैं–

1– यह करार दिनांक....................................20........................से प्रारम्भ होगा और तत्पश्चात् व्यवस्थित रीति से समाप्त किया जा सकेगा।

2– प्राचार्य, प्रथमतः एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियोजित है और उसे ....रुपये का मासिक वेतन दिया जायेगा। परिवीक्षा– अवधि, प्रबन्धतंत्र के स्वविवेक से और एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है।

3– परिवीक्षा–अवधि के पश्चात स्थायी किये जाने पर प्रबन्धतंत्र प्राचार्य को .... रुपये के वेतनमान में केवल..रुपये (......................रुपये) प्रतिमास की दर से देगा। वेतनमान ऐसे पुनरीक्षण के अधीन होगा जो समय समय पर राज्य सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा किया जाये।

4– उक्त मासिक वेतन, जिस मास में वह अर्जित किया जाय, उसके अगले मास के प्रथम दिनांक को देय है, और प्रबन्धतंत्र प्रत्येक मास के अधिक से अधिक पन्द्रहवें दिनांक तक प्राचार्य को उसका भुगतान कर देगा।

5— प्राचार्य ऐसे समस्त कर्तव्यों का पालन करेगा जो किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य से सम्बन्धित हो तथा ऐसे समस्त कर्तव्यों के सम्यक रूप से पालन के लिए उत्तर दायी होगा। प्राचार्य उक्त महाविद्यालय के आन्तरिक प्रबन्ध तथा अनुशासन के लिए पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा जिसके अन्तर्गत ऐसे मामले भी है, जैसे कि सम्बन्धित विभाग के ज्येष्ठतम अध्यापक के परामर्श से पाठ्यक्रम पुस्तकों का चयन, महाविद्यालय की अध्यापन सारणी की व्यवस्था, महाविद्यालय के अध्यापक वर्ग के समस्त सदस्यों का कार्य विवरण वार्डनों, प्राक्टरों, खेल—कूद अधीक्षकों आदि की नियुक्तियां, कर्मचारी वर्ग की छुट्टी स्वीकृत करना, निम्न श्रेणी के कर्मचारी वर्ग तथा चपरासी, दफ्तरी, माली, तकनीशियन आदि की नियुक्ति, पदोन्नति उन पर नियंत्रण तथा उन्हें हटाना, प्रबन्धतंत्र द्वारा स्वीकृत संख्या के भीतर छात्रों को निःशुल्कता एवं अर्ध निःशुल्कता करना, वार्डनों के माध्यम से महाविद्यालय के छात्रावास अथवा छात्रावास का नियंत्रण करना, छात्रों को प्रवेश करना, उन पर अनुशासन करना और उन्हें दण्ड देना तथा खेल कूद और अन्य, कार्यक्रमों को संगठित करना, छात्रों की समस्त निधियों, यथा खेल—कूद निधि, संघ यूनियन निधि, वाचनालय निधि, परीक्षा निधि आदि का प्रबन्ध और संचालन अपने द्वारा नियुक्त समिति की सहायता से तथा समय समय पर विश्वविद्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार तथा प्रबन्धतंत्र द्वारा नियुक्ति किसी अर्ह लेखाकार द्वारा जो प्रबन्धतंत्र के सदस्यों में से न होगा उक्त लेखों की सम्परीक्षा तथा संवीक्षा के अधीन रहते हुए करेगा। लेखाकार की फीस महाविद्यालय की छात्र निधियों पर वैध आदेय होगी।

उसको इस प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक शक्तियां होगी जिसमें आपत्तिकाल में अध्यापकों या कर्मचारियों सहित कर्मचारीवर्ग के सदस्यों को प्रबन्धतंत्र को सूचित किये जाने और उसके द्वारा विनिश्चय करने तक निलम्बित करने की शक्ति भी सम्मिलित है। वह अपने निजी उत्तरदायित्व के क्षेत्र में महाविद्यालय के प्रशासन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अथवा सरकार से प्राप्त निर्देशों का पालन करेगा। वित्तीय तथा अन्य मामलों में जिसके लिए केवल वही उत्तरदायी नहीं है, प्राचार्य प्रबन्धतंत्र के निर्देशों का, जैसा उसे सचिव के माध्यम

से लिखित रूप से जारी किया जाय पालन करेगा। प्रबन्धतंत्र या सचिव द्वारा कर्मचारी वर्ग के सदस्यों को समस्त अनुदेश प्राचार्य के माध्यम से जारी किये जायेंगे और कर्मचारी वर्ग को कोई भी सदस्य सिवाय प्राचार्य के माध्यम से प्रबन्धतंत्र के किसी सदस्य से सीधे भेंट नहीं करेगा।

प्राचार्य को लिपिकीय तथा प्रशासकीय कर्मचारी वर्ग के सम्बन्ध में नियंत्रण तथा अनुशासन की समस्त शक्तियां होगी, जिसके अन्तर्गत वेतन– वृद्धियां रोकने की शक्ति भी है। प्राचार्य के कार्यालय में समस्त नियुक्तियां उसकी सहमति से की जायेगी।

6– प्राचार्य, प्रबन्धतंत्र तथा प्रबन्धतंत्र द्वारा नियुक्त किसी अन्य समिति का पदेन सदस्य होगा और उसे मत देने की शक्ति होगी–

परन्तु वह ऐसी समिति का सदस्य न होगा जो उसके आचरण की जांच करने के लिए नियुक्त की जाय।

7– प्रथम पक्ष के पक्षकार के जन्म का दिनांक..........................है जिसके प्रमाण में उसने हाई स्कूल का प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल प्रमाण पत्र के समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य परीक्षा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है और उसकी एक प्रमाणिक प्रतिलिपि संलग्न की है।

8– अन्य समस्त मामलों में इन पक्षकारों के आपसी अधिकार और दायित्व समय समय पर यथा संशोधित विश्वविद्यालय के परिनियमों तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होंगे।

प्रबन्धतंत्र की ओर से.............................द्वारा आज दिनांक........................20 को हस्ताक्षरित।

निम्नलिखित की उपस्थिति में प्राचार्य द्वारा

साक्षी 1

पता...

साक्षी 2

पता...

परिशिष्ट "ङ"

(परिनियम 15.27 और 16.16 देखिये)

वार्षिक शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट से सम्बन्धित प्रपत्र

शैक्षिक सत्र................................की वार्षिक शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट–

(1) अध्यापक का नाम...

(2) विभाग जिससे वह सम्बद्ध हो...

(3) क्या प्राध्यापक उपाचार्य, आचार्य, प्राचार्य आदि है ?...................................

(4) सत्र में प्राप्त शैक्षिक अर्हताएं या विशिष्टतायें यदि कोई हो......................

....

(5) अध्यापक की प्रकाशित रचनायें या उसके द्वारा किये गये अनुसंधान कार्य और/या किसी राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पढ़े गये पत्रादि का विवरण

....

(6) सत्र के दौरान उसके मार्गदर्शन में कार्य करने वाले अनुसंधान छात्रों की संख्या और क्या उनमें से किसी को अनुसंधान कार्य के लिए उपाधि प्रदान की गयी...

(7) सत्र के दौरान विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में दिये गये व्याख्यानों (पाठन कक्षा को छोड़कर) की संख्या...

(8) अभ्युक्ति..

मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि इस शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट की अन्तर्वस्तुएं मेरी व्यक्तिगत जानकारी में सत्य हैं।

दिनांक .... अध्यापक के हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षरित पद नाम

परिशिष्ट ''छ—1''

संख्या 4557/15-62 (11)-3 (30)/90

प्रेषक:

डॉ0 एस0 एस0 खन्ना

उपसचिव,

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

कुलसचिव

....विश्वविद्यालय

शिक्षा अनुभाग— 11 दिनांक लखनऊ 14 मार्च, 1984

विषय— नये महाविद्यालयों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों के प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के परामर्श पर शासन द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों पर समुचित विचारोपरान्त नये महाविद्यालयों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषय प्रारम्भ किये जाने हेतु शासन में निम्नलिखित मानक निर्धारित करने का निर्णय लिया है—

(1) नये महाविद्यालयों की स्थापना

(क) औचित्य निर्धारण–जिस स्थान पर नवीन महाविद्यालय स्थापित करना प्रस्तावित है, उस स्थान पर महाविद्यालय स्थापित करने का औचित्य निर्धारित हेतु यह देखना आवश्यक है कि–

(1) उस क्षेत्र में अन्य विकसित महाविद्यालय कितने है।

(2) प्रस्तावित स्थान से उनकी दूरी क्या है।

(3) उस क्षेत्र की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति विद्यमान विद्यालयों को देखते हुए किस सीमा तक अपूर्ण रह जाती है तथा

(4) क्या प्रार्थित स्थान पर महाविद्यालय खुलने पर अन्य महाविद्यालयों पर विषय कुप्रभाव के कारण 300 तक छात्र उपलब्ध हो सकेंगे।

(ख) प्राभूत–

(i) कला संकाय के स्नातक स्तर के 7 विषयों के आप के महाविद्यालय की सम्भावना हेतु प्राभूत की धनराशि 2.50 लाख।

(ii) स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु रु0 20,000/– अतिरिक्त।

(iii) स्नातक स्तर के अतिरिक्त प्रयोगात्मक कार्य के नियम हेतु रु0 25,000/– अतिरिक्त।

2– (i) विज्ञान संकाय के स्नातक स्तर के 5 विषयों की सम्बद्धता हेतु अपेक्षित प्राभूति की धनराशि रु0 3.00 लाख।

(ii) स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु रु0 25,000/– अतिरिक्त।

3– स्नातकोत्तर स्तर के कला, वाणिज्य, शिक्षा तथा विधि संकाय के प्रत्येक

विषय के लिये रु0 30,000/– प्रयोगात्मक कार्य वाले कला, विज्ञान एवं .शिक्षा संकाय के प्रत्येक स्नातकोत्तर विषय के लिये रु0 50,000/– अतिरिक्त।

यदि प्रार्थी का महाविद्यालय ऐसा हो जहां प्राभूति की व्यवस्था नये परिनियमों के पूर्व प्रभावी नियमों के अनुसार हुई हो, तो ऐसे स्नातकोत्तर सम्बद्धता के लिए उपर्युक्त दरों से 50 प्रतिशत अधिक दर से प्राभूत निधि की व्यवस्था करनी होगी।

(ग) भूमि– नये सम्बद्धता के लिये महाविद्यालय के पास निजी भूमि का होना अनिवार्य है। स्नातकोत्तर महाविद्यालय के लिये भूमि का मानक निम्नवत होगा–

(1)	महिला महाविद्यालय हेतु–	10,000 वर्ग मीटर
(2)	अन्य महाविद्यालय हेतु–	20,000 वर्ग मीटर

(घ) भवन– महाविद्यालय के पास आवश्यकतानुसार अपना निजी भवन होना अनिवार्य है। जो इण्टर कालेज से पृथक होना चाहिए। कला संकाय के सात स्नातक विशयों के लिये न्यूनतम 3 व्याख्यान कक्ष, पुस्तकालय–वाचनालय कक्ष, अध्यापक कक्ष, छात्र कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, प्राचार्य कक्ष, परीक्षा व मीटिंग कक्ष अनिवार्य होना चाहिए। प्रतयेक प्रयोगात्मक विषय के लिये एक पृथक प्रयोगशाला होनी चाहिए। वाणिज्य संकाय के प्रत्येक सेक्शन के लिये एक अतिरिक्त व्याख्यान कक्ष की आवश्यकता होगी। इसका एक उदाहरण शासनादेश के परिशिष्ट ''क'' में दिया गया है।

(ङ) पुस्तकालय– स्नातक स्तर के प्रत्येक विषय के लिये पुस्तकों तथा पत्रिकाओं पर न्यूनतम आवर्तक तथा अनावर्तक व्ययो के मानक संलग्न परिशिष्ट ''ख'' में अंकित है।

(च) प्रयोगात्मक– स्नातक स्तर के प्रत्येक प्रयोगात्मक कार्य वाले विषय की प्रयोगशाला हेतु अपेक्षित आवर्तक तथा अनावर्तक व्ययों के मानक संलग्न परिशिष्ट ''ग'' में अंकित है।

नोट– पुस्तकालय तथा प्रयोगशालाओं हेतु ऊपर (ङ) व (च) में निर्धारित मानकों के अतिरिक्त पाठ्यक्रम की विशिष्टताओं में आवश्यकताओं के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा अतिरिक्त मानक व शर्तें निर्धारित की जा सकती है।

(छ) अन्य वित्तीय संसाधन– 7 विषयों वाले एक नये महाविद्यालय में प्रथम तीन वर्षों तक संचालित करने के लिये प्रबन्धतंत्र के पास आवश्यक भौतिक व वित्तीय साधनों की संतोषजनक व्यवस्था होनी चाहिए।

(2) स्नातकोत्तर स्तर की सम्बद्धता हेतु मानक– स्नातकोत्तर स्तर की सम्बद्धता के लिये वही महाविद्यालय अर्ह होगा, जो निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति करना हो–

(क) महाविद्यालय का समस्त स्नातक स्तर के विषयों में स्थायी सम्बद्धता प्राप्त हुए पांच वर्ष बीत चुके हो।

(ख) विगत पांच वर्षों का परीक्षाफल अविच्छिन्न रूप से उच्च कोटि का रहा हो (प्रत्येक विषय में 60 प्रतिशत से अधिक) तथा महाविद्यालय में परीक्षा कार्य संचालन विश्वविद्यालय के नियमानुसार होता रहा है।

(ग) विकास की दृष्टि से प्रार्थी महाविद्यालय वायबिल हो, छात्रों की न्यूनतम संख्या महिला महाविद्यालय की दशा में 400 तथा सहशिक्षा युक्त महाविद्यालय की दशा में 700 हो चुकी हो। पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं से वार्षिक आवर्तक व्यय न्यूनतम रूप से क्रमशः रु0 15/– तथा रु0 60/– प्रतिशत की दर से व्यय किया जा रहा हो।

(घ) महाविद्यालय में उच्च शैक्षिक उपलब्धियों वाले शिक्षक नियुक्त किये गये हो, जिनके शोध कार्य का स्तर उत्तम हो और वे प्रार्थित विषय में शोध कार्यक्रमों को संचालित करने में भली–भांति सक्षम हो।

(ङ) महाविद्यालय के पुस्तकालय में प्रार्थित विषय से सम्बन्धित उपर्युक्त स्तर के अन्य तथा कम से कम तीन–चार पत्रिकायें पिछले 10 वर्षों के अंकों वाली

उपलब्ध हों, तथा महाविद्यालय प्रार्थित विषय में शोध कार्य हेतु प्रति वर्ष न्यूनतम रु0 5,000/– व्यय करने में समर्थ हो,

(च) कला, वाणिज्य, शिक्षा तथा विधि संकाय की दशा में न्यूनतम 25 छात्र और विज्ञान संकाय में न्यूनतम 15 छात्र प्रार्थित स्नातकोत्तर विषय की कक्षा के लिये उपलब्ध हों,

(छ) प्रार्थित स्नातकोत्तर विषय के लिये व्याख्यान कक्ष तथा पृथक शिक्षक कक्ष और प्रयोगात्मक विषयों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानको के अनुसार भवन की व्यवस्था कर ली गई हो, तथा

(ज) पुस्तकालय और प्रयोगशाला के सम्बन्ध में संलग्न परिशिष्ट ''ख'' तथा ''ग'' में स्नातकोत्तर स्तर के लिये उल्लिखित न्यूनतम मानक की पूर्ति कर ली गई हो और इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों को पूर्ति करने के प्रबन्ध तंत्र समर्थ हो।

अतएव नये सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालय खोले जाने तथा वर्तमान सम्बन्ध सहायक महाविद्यालय में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषय प्रारम्भ किये जाने हेतु उपर्युक्त मानकों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय और सभी सम्बन्धित महाविद्यालयों को अवगत करा दिया। ये मानक तत्काल प्रभावी होंगे।

2– मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त मानकों का विश्वविद्यालय के परिनियमों में समावेश करने हेतु अलग से कार्यवाही की जा रही है।

3– उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई– XII 173/दस–84 दिनांक 24–01–84 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(एस0 एस0 खन्ना)

उपसचिव

संख्या, 4557 (1)/15–82 (11) 3 (30)/80 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद)।

2– सचिवालय का शिक्षा (10) अनुबन्ध–1 तथा उक्त मानकों के अनुसार परिनियमों में अपेक्षित संशोधन की कार्यवाही शीघ्र करें।

3– सचिवालय का शिक्षा (15) अनुभाग–1

4– सचिवालय का (वित्त व्यय नियन्त्रण–11) अनुभाग–1

आज्ञा से,
(एस0 एस0 खन्ना)
उपसचिव

शासनादेश संख्या, 4557/15–82 (11)–3 (30)/80 में संदर्भित

परिशिष्ट "क"

एक नये डिग्री कालेज के लिए, जहाँ कला संकाय के सात विषय चलाये जाने हो, भूमि और भवन को न्यूनतम आवश्यकताओं का मानक।

3 व्याख्यान कक्ष संख्या (प्रत्येक कक्ष 900 वर्ग फीट)	–2,700 वर्ग फीट
1 पुस्तकालय–वाचनालय कक्ष	–2,000 वर्ग फीट
1 अध्यापक कक्ष	–200 वर्ग फीट
1 छात्रा कक्ष	–200 वर्ग फीट
प्रशासनिक कक्ष, प्राचार्य कक्ष, कार्यालय कक्ष, परीक्षा व मीटिंग कक्ष और लेखा कक्ष	–900 वर्ग फीट
बरामदा	–1,000 वर्ग फीट
	योग–7,000 वर्ग फीट

भवन हेतु भूमि लगभग	–	700 वर्ग मीटर
खुली भूमि व क्रीड़ा स्थल	–	19,300 वर्ग मीटर
कुल भूमि लगभग	–	20,000 वर्ग मीटर

शासनादेश संख्या, 4557/15–82 (11)–3 (30)/80 दिनांक 14 मार्च 1984 में संचालित

परिशिष्ट "ख"

स्नातक स्तर के महाविद्यालय में पुस्तकालय हेतु आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय का सामान्य मानक

		अनावर्तक व्यय (दो वर्षों में)	आवर्तक व्यय (प्रति वर्ष)
1–	पुस्तकालय, फर्नीचर, कोर्ड, स्टेशनरी, रख–रखाव आदि (500 छात्र संख्या तक)	10,000	500
2–	रसायन, भौतिकी, प्राणि एवं वनस्पति विज्ञान प्रति विषय	10,000	1,000
3–	सांख्यिकी, भूगर्भ, गणित, भूगोल, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, सैन्य विज्ञान गृह विज्ञान प्रति विषय	7,000	1,000
4–	कला संकाय के शेष प्रति विषय	5,000	750
5–	वाणिज्य कुल	15,000	1,500
6–	विधि कुल (500 तक छात्र सं0)	25,000	1,500
7–	कृषि कुल	50,000	5,000
8–	शिक्षा प्रशिक्षण	1,500	2,000
9–	पुस्तकालय में शब्द कोष व विविध पुस्तकों व शोध पत्रिकाओं हेतु (500 तक छात्र संख्या)	5,000	500

नोट–यदि छात्र संख्या 500 से अधिक बढ़ जाती है तो आवर्तक व्यय उसी अनुपात से बढ़ जायेगी।

स्नातकोत्तर स्तर के महाविद्यालय में पुस्तकालय हेतु आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय का सामान्य मानक

		अनावर्तक (दो वर्षों में)	आवर्तक व्यय (प्रति वर्ष)
1—	विज्ञान तथा कृषि का प्रत्येक विषय	50,000	8,000
2—	भूगोल, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, सैन्य विज्ञान, गृह विज्ञान प्रत्येक विषय	30,000	5,000
3—	कला संकाय में शेष प्रति विषय	25,000	3,000
4—	वाणिज्य विधि प्रत्येक	30,000	5,000
5—	शिक्षा प्रशिक्षण	25,000	3,000

शासनादेश संख्या, 4557/15–82 (11)–3 (30)/80 दिनांक 14 मार्च 1984 में संदर्भित

परिशिष्ट "छ-2"

संख्या-2090 / सत्तर-2-2000-3 (30) / 80 टी0सी0

प्रेषक,

श्री हेमन्त राव,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ): दिनांक 11 अप्रैल, 2000

विषय- नये महाविद्यालयों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों में स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों के प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि नये महाविद्यालयों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों में स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों के प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण शासनादेश संख्या, 4557 / 15-82 (11)-3 (30) / 80 दिनांक 14 मार्च, 1984 द्वारा किया गया है। इस शासनादेश द्वारा अभ्यर्थी सम्बद्धता हेतु प्राभूति की राशि का निर्धारण किया गया है। उक्त शासनादेश को समय-समय संशोधित करते हुए स्ववित्त पोषित

पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु मानकों का भी निर्धारण किया गया है, परन्तु प्राभूति की राशि को संशोधित नहीं किया गया है शासनादेश दिनांक 14 मार्च, 1984 द्वारा प्राभूति की राशि की निम्नवत, निर्धारित किया गया है:-

(1) कला संकाय के स्नातक स्तर के सात विषयों के साथ नये महाविद्यालय की सम्बद्धता हेतु अपेक्षित प्राभूत की राशि रु0 2.50 लाख।

(2) स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु रु0 20,000 अतिरिक्त।

(3) स्नातक स्तर के अतिरिक्त प्रयोगात्मक कार्य से युक्त विषय हेतु रु0 25,000 अतिरिक्त।

2- (1) विज्ञान संकाय के स्नातक स्तर के पांच विषयों की सम्बद्धता हेतु प्राभूति की धनराशि रु0 3.00 लाख।

(2) स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु रु0 25000/- अतिरिक्त।

3- स्नातकोत्तर स्तर के कला, वाणिज्य, शिक्षा, विधि संकाय के प्रत्येक विषय के लिए रु0 30,000/- प्रयोगात्मक कार्य वाले कला, विज्ञान एवं कृषि संकाय के प्रत्येक स्नातकोत्तर विषय के लिए रु0 50,000/- अतिरिक्त।

यदि प्रार्थित महाविद्यालय ऐसा हो, जहाँ प्राभूत की व्यवस्था नये परिनियमों से पूर्व प्रभावी नियमों के अनुसार हुई हो, तो ऐसे स्नातकोत्तर स्तर की सम्बद्धता के लिए उपर्युक्त दरों से 50 प्रतिशत अधिक दर से प्राभूत निधि की व्यवस्था करनी होगी।

(2) प्राभूत की उक्त धनराशि पिछली बार वर्ष 1984 में निर्धारित की गयी थी, तब से वस्तुओं की लागत एवं आवश्यकता में बहुत परिवर्तन हो चुका है। ऐसी दशा में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त नये महाविद्यालयों के खोले जाने तथा पूर्व से स्थापित महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों को

प्रारम्भ किये जाने हेतु निम्नवत प्राभूत की राशि निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है–

1– (1) कला संकाय के स्नातक स्तर के सात विषयों के साथ नये महाविद्यालय को सम्बद्धता हेतु अपेक्षित प्राभूत की राशि रु0 4.00 लाख।

(2) स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु रु0 50,000 अतिरिक्त।

(3) स्नातक स्तर के अतिरिक्त प्रयोगात्मक कार्य से मुक्त विषय हेतु रु0 75,000 अतिरिक्त।

2– विज्ञान संकाय के पांच विषयों हेतु प्राभूत रु0 5.00 लाख, प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु 75,000 प्रति विषय।

3– स्नातकोत्तर के स्तर के कला एवं शिक्षा के प्रत्येक विषय हेतु रु0 1.00 लाख स्नातकोत्तर स्तर के प्रयोगात्मक विषय हेतु रु0 2.00 लाख।

अतएव नये सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालय खोले जाने तथा वर्तमान सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर के अतिरिक्त विषय प्रारम्भ किये जाने हेतु उपर्युक्त मानकों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा सभी सम्बन्धित महाविद्यालयों को अवगत कराया जाये। ये मानक तत्काल प्रभावी होंगे।

भवदीय

(हेमन्त राय)
विषेश सचिव

संख्या–4228 ए/सत्तर–2–99–2 (85)/97

प्रेषक,

श्री आर0 एन0 त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक–30 अक्टूबर, 1999

विषयः उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण।

(5) भूमि के सम्बन्ध में मानक निम्नवत् होगाः–

(अ)	पर्वतीय क्षेत्र	5000 वर्ग मीटर
(ब)	नगर निगम क्षेत्र	5000 वर्ग मीटर
(स)	नगर पालिका परिषद क्षेत्र	10000 वर्ग मीटर
(द)	अन्य क्षेत्र	20000 वर्ग मीटर

महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु उक्त मानक का 50 प्रतिशत भूमि पर्याप्त होगी। कृपया दिनांक– 11–11–97 का शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

संख्या–2090 (1)/सत्तर–2–2000 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

(2) सचिव, महामहिम कुलाधिपति।

(3) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद्।

(4) निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0 प्र0, इलाहाबाद।

(5) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

(6) उच्च शिक्षा के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग।

(7) निजी सचिव, उच्च शिक्षा मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

आज्ञा से

(हेमन्त राव)
विशेष सचिव

परिशिष्ट – ''ज''

संख्या 636/सत्तर–1–2001 3/3/1996

प्रेषक,

सतीश कुमार अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलपति,
   समस्त राज्य विश्वविद्यालय
   उत्तर प्रदेश।

2. शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा,
   उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

उच्च शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 13 मार्च 2001

विषयः– कैरियर ऐडवांसमेंट स्कीम लागू करने के संबंध में परिनियम बनाया जाना।

महोदय,

प्रदेश के शिक्षक महासंघों द्वारा शसन के संज्ञान में लाया गया है कि शासनादेश संख्या 2243/सत्तर–1–2001–3.31996 दिनांक 07 नवम्बर, 2000 द्वारा कैरियर एडवांसमेंट योजना संबंधी शासन के पूर्वादेशों को अवक्रमित किये जाने एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चयन वेतनमान/रीडर (प्रोन्नत) वेतनमान तथा प्रोफेसर (प्रोन्नत) वेतनमान अनुमान्य किये जाने के आदेशों के फलस्वरूप प्राध्यापकों को कैरियर ऐडवान्समेंट योजना के अन्तर्गत समुचित लाभ प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है। श्री राज्यपाल/माननीय कुलाधिपति की अध्यक्षता में सम्पन्न कुलपति सम्मेलन, दिनांक 26 फरवरी, 2001 में भी कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा यह माँग की गई है कि कैरियर ऐडवान्समेंट योजना के अन्तर्गत राज्य विश्वविद्यालयों/सहायता प्राप्त अशासकीय एवं शासकीय महाविद्यालयों के प्राध्यापकों को उच्च वेतनमानों में अर्हता की तिथि से वेतनमान अनुमन्य कराने की व्यवस्था की जाय तथा दिनांक 27.07.98 से पूर्व

वरिष्ठ/चयन/रीडर/प्रोफेसर पदों हेतु प्राध्यापकों को शासनादेश संख्या – 91 जी0 आई0/14.11.88–14151/87 दिनांक–7 जनवरी, 1998 एवं तत्संबंधी परिनियमों से अच्छादित किये जाने की व्यवस्था की जाय।

2– उक्त प्रकारण पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों के प्राध्यापकों के लिए प्रवृत्त कैरियर ऐंडवांसमेंट योजना के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–2253/सत्तर–13.13.2000 दिनांक – 07 नवम्बर 2000 के संलग्नक को इस शासनादेश के अनुलग्नक में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार प्रतिस्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3– अतः मुझे यह कहने को निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 50 (6) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश देते हैं कि प्रत्येक विश्वविद्यालय इस शासनादेश के अनुलग्नक में उल्लिखित व्यवस्था को 15 दिन के भीतर विश्वविद्यालय की नियमावली में संसंगल स्थान पर समावेशित/प्रतिस्थापित करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। श्री राज्यपाल महोदय यह आदेश भी देते हैं कि 15 दिन के भीतर यदि विश्वविद्यालय उपर्युक्तनुसार कार्यवाही नहीं करते हैं, तो इस शासनादेश के अनुलग्नक में उल्लिखित प्राविधान स्वतः ही परिनियम मान लिये जायेंगे।

अनुलग्नक : उक्तवत

भवदीय

(सतीश कुमार अग्रवाल)

सचिव

पृष्ठांकन संख्या – 636/1/सत्तर – 1 – 2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल/मा0 कुलाधिपति, राजभवन, लखनऊ।

सचिव, विश्वविद्य ालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।

आज्ञा से

बी0 डी0 जोशी

संयुक्त सचिव।

Annexure to G.O. No. 636/Sattar-1-2000-3(3)2000

Dated 13th of March, 2001

CAREER ADVANCEMENT (SCHEME)

This Career Advancement Scheme applies to the State Universities and Associated/Affiliated College (except the college affiliated to Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi). It shall be come into force from July 27, 1998. Teachers who have become eligible for Senior Scale/Selection Grade/Reader (Promotion) Professor (Promotion) under the Career Advancement Scheme in force, prior to July 27, 1998 shall be covered by the provisions of Govt. order 91-G.I/14.11.88-14(5)/87 dated 7th of January, 1989 and status made earlier in this behalf.

With effect from 27th of July, teachers shall have the opportunities for Career Advancement Scheme (Promotion) as given hereafter:

1. A Lecture in a University or in an affiliated/associated college will be eligible for placement in Senior Scale. A Lecturer (Senior Scale) may move into the grade of the Lecturer (Selection Grade) or Reader. Minimum length of service for elegibility, to move in to the grade of lecturer (Senior Scale)

would be four years for those with Ph.D. degree, five years for those with M.phil, degree, Six years for other at the level of Lecturer and for eligibility to move in to the Grade of Lecturer (Selection Grade) Reader, the minimum lenght of service as Lecturer (Senior Scale) shall be uniformly five years.

2. For promotion to the posts of Reader and Professors, the minimum eligibility criteria would be Ph.D.

3. Only a Reader in the University with a minimum of eight years of service in that grade will be eligible to be considered for appointment as a Professor. Redears in degree and Post Graduate college will not be eligible for the post of Professor under Career Advancement Schemes in the college.

4. In the case of University, Selection Committee for Lecturer (Selection Grade) Reader and Professor shall be constituted under clause (a) of nul-section 4 of section-31 of the U.P. State University Act. 1973.

SENIOR SCALE : CONSTITUTION OF SCREENING COMMITTEE

Placement in Senior scale will be through a process of screening Committee to be constituted as under:-

(A) In the case of University, the Screening Committee shall consist of-

(1) Vice Chancellor Chairman

(2) Dean of Faculty concerned Member

(3) Two expert of the subject to be Member

nominated by the Chancellor

(4) Head of Department concerned Member Convener

(B) In the case of affiliated/associated colleges (other than colleges maintained exclusively by the State Government), the Screening Committee shall consist of-

(1) Director of Higher Education or his Nominee not below rank of Professor of University or Principal of Post-graduate College.

(2) Two expert of the subject to be nominated by the Vice-Chancellor (not below the rank of Professor of University/ Principal of Post-graduate college).

(3) Head of the management or a member

of the management nominated by him. Member

(4) Principal of the College Member Convener

(C) In the case of the college maintained exclusively by the State Govt. the Screening Committee shall consist of:

(1) Director of Higher Education Chairman

(2) Two expert of the subject to

nominated by the Vice-Chancellor

(not below the rank of Professor of University/

Principal of Post-graduate College)

Member

(3) One nominee of Director of Higher Education (not below the rank of Professor of University/ Principal of Post-graduate College).

(4) Principal of the college. Member-Convener

6. LECTURER (SENIOR SCALE)

A Lecturer will be eligible for placement in a senior scale through the procedure of selection, if she/he has.

a. completed 6 years of service after for regular appointment with relaxation of one year for those having M.Phil, degree and relaxation of two years for those with Ph.D. degree.

b. participated in one orientation course and one refresher course each of three to four weeks duration or engaged in other appropriate continuing education programmes of comparabale quality, as may be specified or approved by the University Grants Commission.

Provided that these lecturers who have Ph.D. Degree would be exempted from one refresher course. Consistently satisfactory Annual Academic Progress Report

and Performance Appraisal Report as per Appendix A & B.

7. LECTURER (SELECTION GRADE)

Lecturers after completion of five years in the senior scale who do not have Ph.D. degree or equivalent published work and who do not meet the scholarship and research standards, but fulfill the other criteria for the post of reader by direct recruitment given in these statutes, and have a good record in teaching and, preferably, have contributed in various ways such as to the corporate, life of the institution, examination work or through each extension activities and have completed two refresher courses each of at least three to four weeks duration will be placed in the selection grade, subject to the recommendations of the selection committee which is the same, as for promotion to the post of Reader. They will be designated as lecturers in the Selection Grade.

Provided that a lecturer in the Selection Grade could offer himself/herself for fresh assesment after obtaining Ph.D. degree and fulfilling other requirements for promotion as Reader and if found suitable could be given the designation of Reader.

8. READER (PROMOTION)

A Lecturer in the senior scale will be eligible for promotion to the post of Reader if she/he has.

(i) completed 5 year of service in the senior scale.

(ii) obtained a Ph.D. degree or has equivalent published work.

(iii) made some mark in the areas of scholarship research as evidenced by self assessment, reports of referees, quality of publicatio, contribution to educational innovation, design of new courses and curricula and extension activities.

(iv) participated in two refresher courses/summer institutes of three to four weeks duration after placement in the Senior scale or engaged in other appropriate continuing education programmes of comparable quality as may be specified or approved by the University Grants Commission.

(v) possesses consistently good Annual Academic Progress Report and Performance Appraisal Report as per appendix A & B respectively.

9. CONSTITUTION OF SELECTION COMMITTEE.

Promotion as reader will be through a process of selection by a Selection committee to be constituted as under.

(A) In the case of University Selection Comittee shall be constituted under clause (a) of Sub-section (4) of section-31 of the U.P. State Universities Act. 1973.

(B) In the case of affiliated associated colleges (other than the colleges exclusively maintained by the State Government) the selection committee shall consist of:

(1) Director of higher education or his nominee not below the ran of Professor of University/ Principal of Post-Graduate College

Chairman

(2) Three expert of the subject to be nominated by te Vice-Chancellor (not below the rank of Professor of University/Principal of Post Graduate College out of which one shall be from other University) Member

(3) The Head of the Management or a member of the management nominated by him. Member

(4) Principal of the College Member-Convener

In the case of affiliated or associated college, maintained exclusively by the State Government, the Selection Committee shall consist of:

(1) Director of Higher Education Chairman

(2) Three expert of the subjects to be nominated by the Vice-Chancellor (not below the rank of Professor of University/ Principal of P.G. College out which one shall be from other

University).

(3) Principal Member-Convener

10. PROFESSOR (PROMOTION)

(1) In addition to the sanctioned position of professors promotions may be made from the post Reader in the University to that of Professor after 8 years of service as Reader.

(2) For the promotion, the candidate should present herself/himself before the selection committee with the following-

(a) Consistently good Annual Academic progress report and performance Appraisal Report as per appendix A & B respectively.

(b) Research contribution Books/Articles published. The best three written contributions of the teacher (as defined by her/him) may be sent by the University in advance to the experts to review before coming for the selection. The candidate will have to submit these in three sets.

(c) Certificates of the Seminar/Conference attended.

(d) Details of contributions to teaching/academic environment/institutional corporate life.

(e) Certificates of extension and field outreach activities.

EXPLANATIONS:

The requirement of participation in orientation refresher course summer institutes each of at least 3 or 4 weeks. duration and consistently satisfactory Annual Progress Report and Performance Appraisal Report, Shall be mandatory requirement for Career Advancement from Lecturer to Lecturer (Senior Scale) and from Lecturer (Senior scale) to Lecturer (Selection Grade).

Whereever the requirement of orientation/ Refresher courses has remained incomplete, the promotion would not be held up, but these requirements must be completed by 31.12.2000.

The requirement for completing these course would be as follows:

1. For the Lecturer to Lecturer (Senior Scales) one orientation course would be compulsory for University and College teachers. Those without Ph.D. would be required to do one refresher course in addition.

2. Two refresher courses for Lecturer (Senior Scale) to Lecturer (Selection Grade).

3. The Senior teacher like Reader/Lectures (Selection Grade) and Professors may opt to attend two seminars/ conference in their subject areas and present papers as one aspect of their subject areas and present papers as one aspect

of their promotion/selection to higher level or attend refresher course offered by academic staff colleges for this level.

11. If the number of years required in a feeder cadre are less than those stipulated here above, thus entailing hardship to those who have completed more than the total number of years in their entire service for eligibility in the cadre may be placed in the next higher cadre, if found suitable by the selection committee after adjusting the total number of years in the just preceding grade in the cadre but this facility shall be available only once provided that the incumbent-

(a) was appointed to an existing regular post of the equivalent grade of Lecturer/Reader in the feeder cadre in the University/the College on the recommendation of the duly constituted Selection committee in accordance with the prescribed selection procedure as laid down by the university or the government, and

(b) was not found misfit for career advancement promotion by the duly constituted screening/ selection committee at any instance prior to 27th of July, 1998 and

(c) has rendered continuous service for the stipulated period in the feeder cadre and drawn his salary int he respective pre-revised and revised grade in the feeder cadre in the University/the college.

12. A teacher of the University who is eligible for career

advancement/promotion shall submit his application in triplicate along with the Annual Academic Progress Report and the Performance Appraisal Report containing information about his satisfactory work to the Registrar of the University through the Head of the department and in the case of teachers of Associated/ Affiliated College to the head of the Managment/ Direc-tor Higher Education thorough the Principal of the College in the proform a given in appendix A & B, annexed herewith.

Explanation-

Satisfactory work shall mean the work done with reference to the work expected from a teacher of the University under the university status ordinance or regulations.

(i) The Selection committee constituted under section 31 of U.P. State Universities Act for career advancement/promotion shall consider all relevant material and record required under the status to be placed before it.

(ii) In case of University, the recommendations of screening/selection committee which shall be submitted to the Executive Council for decision which shall refer the matter to the Chancellor along with the reasons of such disagreement and the Chancellor's decision shall be final. If the Executive Council does not agree with the recommendations made by the screening/selection committee the executive council shall refer the matter to the Chancellor along with the reasons of

such disagreement and the Chancellor's decision shall be final. If the Executive Council does not take a decision on the recommendation of the Screening/Selection Committee wiht a period of four months from the date of meeting of such Committee, then also the matter shall stand referred to the Chancellor, and his decision shall be final.

(iii) In case of affiliated or associated colleges (other than Colleges maintained exclusively by state govt.) the recommendations of the screeing/select-ion committee shall be submitted to the head of management of the college for decision of the management. If the management does not agree with the recommendation made by the screening/ selection committee, the management shall refer the matter to the Director Higher Education along with the reasons of such disagreement and the decision of the Director Higher Education shall be final. If the Management does not take a decision on the recommendation of the screening/selection committee within a period of four months, then also the matter shall stand referred to the Director Higher Education and his decision shall be final.

(iv) In the case of College maintained exclusively by the state govt. the recommendations of the screening/selection committee shall be submitted to the state govt for decision and its decision shall be final.

14. If an incumbent lecturer lecturer in senior scale. lecturer in selection grade/reader (promotion) is found suitable and

recommended accordingly for promotion to the next higher senior scale, selection grade/ reader grade/ professor grade would be admissible to him from the date of eligibility or 27th July 1998 whichever is later, but the designation (if any) shall be given to him from the date of taking over charge.

15. In case the incumbent Lecturer/Lecturer in Senior Scale /Lecturer in selection grade/reader is not found suitable for Carreer Advancement Promotion in the first instance, he may offer himself again for such advancement/promotion after everyone year, and he shall be considered by the screening/ selection committ-ee along with other candidates who have since become eligible. If he is recommended for promotion in the second or subsequent attempts he will be given the grade as well as the designation (if any) from the date of taking over charge as Lecturer in senior scale/lectu-rer in selection grade/ reader (promotion/professor (promotion), as the case may be.

16. The Post of Reader or Professor, to which promotion is made shall be deemed to be in addition to the cadre of reader or professor as the case may be up to the date of retirement of the incumbent, and thereafter the post will revert back to its original.

17. No selection of any teacher of the University under the then existing statutes through the duly constituted selection committee for making appintment/promotion to teaching post by director recruitment or by personal promotion or by career

advancement prior to the coming into force of the present statutes, having had the then requisite minimum qualification as was prescribed at that time, shall be affected by the present statutes.

18.(i) Subject experts and the nominee (if any) for the screening/selection committee shall be nominated for each calendar year by the Vice-Chancellors. The Director Higher Education will in time facilitate the member conveners to initiate the process of convening the meeting of the committee, constituted under Career Advancement Scheme, the screening/ selection committee shall usually meet within six months and in all cases be converted at least within a year of the date a teacher is eligible for promotion.

(ii) Screening/selection committee shall meet at the head quarters of the University in the case of the teachers of the University and its affiliated/associated college (other than the college maintained exclusively by the State Govt. In case of teaching of the college maintained by the state govt. the committee shall meet in the office of the Director. Higher Education, U.P.

(iii) The majority of the total membership of the screening/ selection committee shall from the quorum of the Committee, but the presence of the chairman and at least one expert shall be necessary.

(iv) No recommendation made by the screening/selection

committee shall be considered to be valid unless one of the expert has agreed to the selection.

19. Members of the selection committee shall be given not less than 15 days notice of the meeting reckoned from the date of despatch of such notice. The notice shall be either personally or by registered post.

20. As least 15 days notice reckoned from the date of despatch shall be given to the candidates, prior to the meeting of the selection committee. The notice shall be served either personally or by registered post.

21. The work load of lecturer placed in selection grade or promoted as reader or professor under Carreer Advancement Scheme shall remain unchanged.

परिशिष्ट–ए

भाग – 1

शैक्षणिक सत्र...हेतु विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षकों का वार्षिक शैक्षणिक प्रगति प्रतिवेदन।

1. शिक्षक का नाम
2. विभाग..........
3. पद नाम.......
4. सत्र के दौरान प्राप्त की गयी शैक्षणिक योग्यता या विशिष्ट उपलब्धियां।
5. सत्र के दौरान प्रकाशनों या किए गये शोध का विवरण (शोधजर्नल पत्रिका) का नाम लिखे।

(1) प्रकाशित पुस्तकें

(i) पाठ्य पुस्तक

(ii) संदर्भ पुस्तक

2. राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित पत्र।

(i) स्वलेखन independent authorship

(ii) सह–लेखन (co-authorship)

3. प्रकाशनार्थ स्वीकृत शोध पत्र

4. परिसंवाद/सम्मेलनों में प्रस्तुत शोध पत्र

5. राज्य राष्ट्रीय आयोग/समितियों/राज्य निकायों के समक्ष प्रस्तुत भेजे गये ज्ञापन।

6. शिक्षक के मार्गदर्शन में शोध छात्रों का दिवरण:

(1) पंजीकृत शोध छात्रों की कुल संख्या

(2) शोध उपाधि प्राप्त छात्रों की संख्या

दिये गये विशेष व्याख्यानों का विवरण :

(1) विश्वविद्यालय स्तरीय

(2) अन्य संस्थान/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तरीय

शैक्षणिक उपलब्धियों के संदर्भ में अन्य कोई सूचना।

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि शैक्षणिक प्रगति प्रतिवेदन में दी गयी सूचनाएं मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सही है।

दिनांक

शिक्षक का हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षर

(विभागाध्यक्ष/प्रधानाचार्य)

भाग – दो

1. शैक्षणिक योग्यताओं का विस्तृत विवरण

परीक्षा	विषय	वर्ग	श्रेणी
हाईस्कूल			
इण्टर			
स्नातक			
स्नातकोत्तर			
शोध उपाधि			
डिप्लोमा या प्रमाण पत्र			

2. प्रकाशित शोधपत्र, पुस्तक, एकल विषय पर लेख (मोनोग्राफ) पुस्तक संख्या, पुस्तकों के अध्याय, अनुदान तथा रचनात्मक लेखन आदि, यदि कोई हो, का विस्तृत विवरण।

3. पूर्ण की गई/चल रही शोध परियोजनाओं का विवरण :

परियोजना का शीर्षक	निधि प्रदान करने वाले अभिकरण का नाम	अवधि	अभ्युक्ति

4. शैक्षणिक सम्मेलनों/परिसंवाद तथा कार्यशालाओं में भागीदारी का विवरण (प्रस्तुत किये गये शोध पत्रों तथा धारित पदों का पूरा विवरण)

5. ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम, पुनश्चर्या या अभिविन्यास पाठ्यक्रम के भागीदारी (पूरा विवरण दें)

6. किसी शोध पत्रिका के सम्पादकीय मण्डल/शैक्षणिक निकायों की सदस्यता का विवरण:

भाग – तृतीय

अपनी संस्था के निगमित जीवन में आप जीवन में आप द्वारा दिए गये योगदान का विवरण

1. (क) पाठ्यक्रम विकास
   (ख) सांस्कृतिक/पाठ्येत्तर गतिविधियां
   (ग) खेलकूद/सामुदायिक एवं प्रसाद सेवाएं
   (घ) प्रशासनिक समनुदेशन
   (ङ) प्रवेश परीक्षा कार्यों में भागीदारी
   (च) अन्य कोई।

2. जो उपर्युक्त प्रपत्र (प्रोफार्मा) में आच्छादित न हुई है। (कोई अन्य सूचना) मैं सत्यापित करता हूँ कि उपर्युक्त दी गयी सूचना सही एवं तथ्यात्मक है।

हस्ताक्षर

पद नाम

परिशिष्ट – बी

स्वमूल्यांकन हेतु प्रपत्र

मूल्यांकन वर्ष

भाग – 1

1. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का पूरा नाम
2. प्राध्यापक का नाम
3. पदनाम.........
4. जन्मतिथि......
5. वर्तमान विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्राध्यापक पद पर नियुक्ति आदेश सं0 सहित
6. कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
7. स्थायीकरण की तिथि
8. शिक्षण अनुभव

संस्था का नाम	धारित पद	नियुक्ति की प्रकृति	कब से	कब तक	कुल अवधि
		अंशमालिक /अवकाश प्रबन्ध /तदर्थ/अस्थायी /स्थायी स्पष्ट उल्लेख किया जाय			

9. विभिन्न स्तरों पर पढ़ाये गये विषय एवं प्रश्नपत्रों का विवरण–

(क) स्नातक..

(ख) स्नातकोत्तर..

परिशिष्ट – "झ"

संख्या–905/सत्तर–1–2001–15 (14)/92

प्रेषक,

हेमन्त राव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊ: दिनांक–03 अप्रैल, 2001

विषय :– उत्तम शैक्षिक अभिलेख के सम्बन्ध में।

महोदय,

विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं के निर्धारण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1594 (1)/92, दिनांक–03 मई, 2000 द्वारा उत्तम शैक्षिक अभिलेख की परिभाषा निर्धारित की गई थी, जिसमें संशोधन करते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त "उत्तम शैक्षिक अभिलेख" की निम्नलिखित परिभाषा निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है–

(1) महाविद्यालय के प्राचार्य एवं विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के प्रवक्ता पद हेतु अभ्यर्थी "उत्तम शैक्षिक अभिलेख" का धारक माना जायेगा, जिसने–

(क) यदि पद हेतु अर्हताओं में स्नातकोत्तर उपाधि से पूर्व केवल एक वृत्तिक (प्रोफेशनल) या अन्य स्नातक उपाधि का धारण अपेक्षित है, सम्बन्धित स्नातक उपाधि में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त किया हो।

(ख) यदि पद हेतु अर्हताओं में स्नातकोत्तर उपाधि से पूर्व वृत्तिक एवं अन्य स्नातक उपाधि का धारण अपेक्षित है, तो दोनों उपाधियों में पृथक–पृथक 55 प्रतिशत अंक प्राप्त किया हो।

(2) परन्तु अभ्यर्थी यदि पी–एच0डी0 डिग्री धारक है तो उसे 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

(3) अतएव उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया ''उत्तम शैक्षिक अभिलेख'' की उक्त परिभाषा का प्राविधान 02 माह में आपके विश्वविद्यालय के परिनियमावली में सुसंगत स्थान पर समाहित करने के सम्बन्ध में आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(हेमन्त राव)

विशेष सचिव

संख्या–905 / सत्तर–1–2001–15 (14) / 92

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
2. सचिव, उत्तर प्रदेश, उच्चत शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद।
3. सचिव, श्री कुलाधिपति, राजभवन, लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक, (उच्च शिक्षा) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य, उच्च शिक्षा परिषद।
6. निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7. समस्त अधिकारी / अनुभाग / अनुभाग, उच्च शिक्षा।

आज्ञा से,

(बी० डी० जोशी)
संयुक्त सचिव

महाविद्यालय में मृत कर्मचारियों के आश्रित के सेवायोजन के सम्बन्ध में

परिशिष्ट ''अ''

''यदि किसी स्थायी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाय और मृत कर्मचारी की पत्नी या पति (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम (जिसमें विश्वविद्यालय भी शामिल है) के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एकल सदस्य को जो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम (जिसमें विश्वविद्यालय भी शामिल है।) के अधीन पहले सेवायोजित न हो, महाविद्यालय में सीधी भर्ती के तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी के रिक्त शिक्षणेत्तर पद पर, नियुक्ति के लिए, कर्मचारी की मृत्यु के दिनांक से 05 वर्ष के भीतर आवेदन पत्र देता है और ऐसे रिक्त शिक्षणेत्तर पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता रखता हो, प्रबन्ध तंत्र द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा के पूर्व अनुमोदन से, चयन की प्रक्रिया और अधिकतम आयु सीमा को शिथिल करके नियुक्त किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण :– इस परिनियम के प्रयोजन के लिए–

(1) ''आश्रित'' का तात्पर्य मृतक के पुत्र उसकी अविवाहित या विधवा पुत्री, पुत्र उसकी विधवा या उसका विधुर।

(2) ''कर्मचारी'' के अन्तर्गत संस्था के कार्यरत अध्यापक भी है।

परिशिष्ट ''ट''

संख्या– यू0 ओ0 176/सत्तर–1–2001–16 (119)/2001

प्रेषक,

बी0 डी0 जोशी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 28 दिसम्बर, 2001

विषयः– कार्यालय अधीक्षक पद पर पदोन्नति हेतु अर्हता का निर्धारण विश्वविद्यालय परिनियमावली में परिवर्धित/समावेशित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–4208/सत्तर–2–2000–16 (119)/99, दिनांक–09 अगस्त, 2000 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 24.03 में कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु निम्नलिखित अर्हता को एक माह में परिनियमावली में परिवर्तित/परिवर्धित करने के निर्देश दिये गये थे–

''कार्यालय अधीक्षक पद के लिए विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक उपाधि और किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में या इस प्रकार की किसी अन्य संस्था में वरिष्ठ लिपिक या सहायक लेखाकार के रूप में कार्य करने का दस वर्ष का अनुभव हो।''

2– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त प्राविधान के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही से यथाशीघ्र शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बी0 डी0 जोशी)
संयुक्त सचिव

उत्तम शैक्षिक अभिलेख के साथ पुस्तकालयी विज्ञान/सूचना विज्ञान/विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष/डाक्यूमेन्टेशन पाठ्यक्रम मे स्नातक स्तर पर न्यूनतम 55% प्राप्तांक अथवा समतुल्य परीक्षा में सात सूत्रीय वर्ग माप मे बी0 ग्रेड।

विश्वविद्यालय पुस्तकालय में उपपुस्तकालयाध्यक्ष पद पर न्यूनतम 13 वर्ष के कार्य का अनुभव अथवा महाविद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर न्यूनतम 18 वर्ष के कार्य का अनुभव।

पुस्तकालयी सेवा में अविनवीकरण तथा प्रकाशित रचना को संगठित करने का प्रमाण।

वांछित अर्हता–

पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान डाक्यूमेन्टेशन संग्रहालय तथा हस्तलेखों के रख–रखाव में एम0 फिल0 अथवा पी–एच0 डी0 उपाधि।

संख्या : 3075/सत्तर–2–2002–2(166)/2002

प्रेषक,

आर0 रमणी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुल सचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय/प्राविधिक विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 27 सितम्बर, 2002

विषय : उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये महाविद्यालयों/संस्थाओं के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों के प्रारम्भ करने आदि के सम्बन्ध में मानकों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने सम्यक विचारोपरान्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों को खोलने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु सामान्य प्रक्रिया, औचित्य निर्धारण, प्राभूत की राशि, भूमि, भवन, पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं के अनावर्तक तथा आवर्तक व्यय एवं स्नातकोत्तर स्तर पर नये पाठ्यक्रमों को संचालित करने हेतु मानकों एवं सम्बन्धित पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने में फर्नीचर एवं उपकरण हेतु आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त सेक्शन/सीटों की वृद्धि किये जाने आदि के सम्बन्ध में पूर्ण में निर्गत विभिन्न शासनादेशों द्वारा की गयी व्यवस्था में संशोधन करते हुए नये मानक निर्धारित करने का निर्णय लिया है। मानक निम्नवत हैं :–

1– सामान्य प्रक्रिया

रजिस्ट्रार सोसाइटीज अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत कोई

संस्था या ट्रस्ट जिसके संविधान के पंजीकृत बायलाज में शिक्षा प्रचार/प्रसार/उन्नयन प्रबन्धन स्पष्टतः अंकित हों, प्रदेश के किसी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा/गैर तकनीकी शिक्षा/विधि शिक्षा/शिक्षा–शिक्षण के महाविद्यालय स्थापित करने हेतु प्रस्ताव सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में आनेवाले ऐसे विश्वविद्यालय, जिसे उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यलाय अधिनियम की धारा–37 एवं धारा–38 के अन्तर्गत सहयुक्तता/सम्बद्धता प्रदान करने का अधिकार हो, के माध्यम से शासन से अनापत्ति प्रमाण–पत्र अथवा निर्वाधन (क्लीयरेंस) प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव कर सकती है। आवेदक समिति/ट्रस्ट महाविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव करने से पूर्व महाविद्यालय स्थापित करने हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानकों का सम्यक रूप से अध्ययन कर लेवें तथा स्वयं यह सुनिश्चित कर लें कि जिस क्षेत्र में नये महाविद्यालय की स्थापना/पूर्व में संचालित महाविद्यालय में नीवन पाठ्यक्रमों हेतु प्रस्ताव किया जा रहा है, वहां मानकों के अनुसार महाविद्यालय स्थापित करने का समुचित औचित्य बनता है अथवा नहीं? आवेदक संस्था यह भी देख ले कि मानकानुसार वे सभी अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने में सर्वथा सक्ष्म है अथवा नहीं?

आवेदक संस्था द्वारा नये महाविद्यालय खोलने अथवा वर्तमान महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम में सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु शासन से अनापत्ति प्रमाण–पत्र/निर्वाधन (क्लीयरेंस) प्राप्त करने हेतु आवेदन समान्यतः प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई तक प्रस्तुत किये जायेंगे। आवेदन सम्बन्धित क्षेत्र के विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर कुलसचिव के माध्यम से शासन को प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित प्रारूप पर नये महाविद्यालय की स्थापना/वर्तमान में संचालित महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम हेतु मानकानुसार औचित्य पाये जाने पर विश्वविद्यालय आवेदक संस्था के प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति शासन को प्रेषित करेगा। शासन द्वारा विश्वविद्यालय के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण करने के उपरान्त सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा आवेदक संस्था को शासन द्वारा निर्वाधन/अनापत्ति प्रदान किये जाने सम्बन्धी निर्णय से अवगत कराया जायेगा। शासन की अनापत्ति निर्वाधन (क्लीयरेंस) प्राप्त होने की दशा में आवेदक संस्था द्वारा निर्धारित प्राभूत की धनराशि जमा करने तथा उसे विश्वविद्यालय के कुल सचिव के नाम प्लेज्ड कराने से पूर्व

निम्नलिखित को सुनिश्चित कर लिया जाये।

1– प्रस्तावित महाविद्यालय के नाम मानकानुसार भूमि राजस्व अभिलेखों में अंकित करायी जाये।

2– महाविद्यालय के नाम अंकित भूमि पर मानकानुसार भवन/अतिरिक्त शिक्षण कक्षों का निर्माण पूर्ण करा लिया जाये।

3– शैक्षिक अवस्थापना सुविधाओं यथा पुस्तकों, प्रयोशालाओं हेतु उपकरणों/संयंत्रों/फर्नीचर आदि मानकानुसार क्रय करने हेतु पर्याप्त धनराशि संस्था के बैंक खातों में उपलब्ध हो तथा वे आगामी वर्षों में संस्था महाविद्यालय में शैक्षिक सुविधाऐं उपलब्ध कराने हेतु आवर्तक व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध कराने में समर्थ हों।

उपर्युक्त सुनिश्चित कर लेने के उपरान्त संस्था सावधि जमा राशि के प्रमाण–पत्र में प्रस्तावित संकाय/नवीन पाठ्यक्रम का उल्लेख करते हुए प्राभूत की धनराशि कुलसचिव के नाम प्लेज्ड करायेंगे तथा निरीक्षण हेतु निर्धारित प्रपत्र पर सभी प्रविष्टियां अंकित करेंगे। आवेदन पत्र के साथ महाविद्यालय/संस्थान के लिए प्रस्तावित भवन का चारों दिशाओं से लिया गया बड़े साइज का फोटो संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

उक्त प्रारूप के साथ महाविद्यालय के प्रबन्ध तंत्र द्वारा रूपये पचास मूल्य के स्टैम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित कराकर यह शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उन्होंने आवेदन–पत्र में जो भी विवरण/प्रविष्टियां अंकित की हैं, वे तथ्यों पर आधारित हैं और सही हैं। आवेदन–पत्र में कोई भी तथ्य न तो उनके द्वारा छिपाया गया है और न ही असत्य घोषित किया है। यदि उनके द्वारा की गयी घोषणा में कोई भी तथ्य गलत, असत्य या छिपाया हुआ पाया जाय तो उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

विश्वविद्यालय में निर्धारित प्राभूत की धनराशि जमा होने के उपरान्त विश्वविद्यालय प्रस्तावित नये महाविद्यालय/वर्तमान महाविद्यालय में प्रस्तावित नये पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की संस्तुति करने से पूर्व स्थलीय निरीक्षण हेतु एक निरीक्षण

मण्डल गठित करेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे–

1– विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि, जो आचार्य/स्नातकोत्तर प्राचार्य स्तर का हो,

2– प्रत्येक सम्बन्धित विषय का एक विषय विशेषज्ञ जो न्यूनतम उपाचार्य स्तर का हो, किन्तु कृषि संकाय के विषयों हेतु विशेषज्ञ प्रदेश में अवस्थित कृषि विश्वविद्यालय से नामित किये जाएं।

3– सम्बन्धित क्षेत्र का क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी

निरीक्षण मण्डल के गठन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक महाविद्यालय के निरीक्षण हेतु विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि अथवा विषय विशेषज्ञ के रूप में पृथक–पृथक महाविद्यालयों के निरीक्षण मण्डल में भिन्न–भिन्न व्यक्ति नामित हों।

विश्वविद्यालय द्वारा गठित उक्त निरीक्षण मण्डल के सभी सदस्य एक साथ किसी एक निर्धारित तिथि को महाविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण करेंगे तथा महाविद्यालयों के लिए शासन द्वारा निर्धारित/राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा निर्धारित मानकानुसार सभी अवस्थापना सुविधाऐं उपलब्ध होने अथवा नहीं होने, जैसी भी स्थल पर स्थिति हो, का तथ्यात्मक उल्लेख अपनी निरीक्षण आख्या में अंकित करते हुए अपनी आख्या/संस्तुति विश्वविद्यालय को निर्धारित समयावधि के भीतर प्रस्तुत करेंगे। निरीक्षण के दौरान निरीक्षक मण्डल प्रस्तावित महाविद्यालय भवन के साथ अपनी फोटो भी खिचाएंगे जिसे निरीक्षण आख्या के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। तदोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान करने के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित कुलाधिपति एवं शासन को अग्रसारित की जायेगी। शासन उक्त आख्या/संस्तुति का पूर्ण रूप से परीक्षण कर प्रस्ताव उपयुक्त पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित महाविद्यालय को प्रस्तावित पाठ्यक्रमों में अस्थायी/स्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की संस्तुति महामहिम कुलाधिपति को प्रेषित करेगा महामहिम कुलाधिपति द्वारा अस्थायी/स्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने के उपरान्त ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश, शिक्षण, परीक्षा एवम् शिक्षणेत्तर क्रिया कलाप विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवम् नियमों के अनुसार सुनिश्चित कराये जायेंगे।

2— औचित्य निर्धारण

(अ) जिस स्थान पर नया महाविद्यालय/संस्थान स्थापित करना प्रस्तावित है वहां औचित्य निर्धारण हेतु यह देखना आवश्यक होगा :—

1. जिस स्थान पर महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है उसके पास 15 किमी. की परिधि में कितने महाविद्यालय हैं?

2. प्रस्तावित स्थान से उनकी दूरी क्या है?

3. उस क्षेत्र में 15 किलोमीटर की परिधि में स्थित महाविद्यालयों में क्या—क्या पाठ्यक्रम संचालित हैं?

4. उस क्षेत्र में 15 उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति विद्यमान महाविद्यालयों को देखते हुए किस सीमा तक अपूर्ण रह जाती है?

5. क्या प्रस्तावित स्थान पर नवीन महाविद्यालय खोलने से उस क्षेत्र में विद्यमान महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु स्वीकृत छात्र संक्ष्या पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव के प्रस्तावित नये महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में न्यूनतम अर्हता युक्त पर्याप्त छात्र उपलब्ध हो सकेंगे?

6. क्या विद्यमान महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की संस्तुति करने पर क्षेत्र के अन्य महाविद्यालय पर बिना किसी कुप्रभाव के स्नातक स्तर पर 60 छात्र स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 30 छात्र मानक योग्यतानुसार उपलब्ध हो सकेंगे?

7. संस्था/समिति/ट्रस्ट का पंजीकरण अद्यावधिक विधिमान्य है अथवा नहीं?

8. प्रस्तावित महाविद्यालय के नाम के साथ राष्ट्रीय, अखिल भारतीय या इसके

3— <u>प्राभूत की राशि</u>

क्र.सं.	संकाय/विषय	बुन्देलखण्ड क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों के लिए निर्धारित प्राभूत की धनराशि	बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए निर्धारित प्राभूत की धनराशि
1	स्नातक स्तर पर कला संकाय के सात विषयों	रू0 2.00 लाख	रू0 1.50 लाख
2	स्तानतक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु	रू0 50,000/—	रू0 20,000/—
3	स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त प्रयोगात्मक कार्य से युक्त विषय हेतु	रू0 50,000/—	रू0 20,000/—
4	विज्ञान संकाय के स्नातक स्तर के पांच परमपरागत विषयों हेतु	रू0 3.00 लाख	रू0 2.5 लाख
5	विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर पर बी0एस—सी0 (कम्प्यूटर साइंस), बी0एस—सी0 (इनफारमेशन टेक्नोलॉजी) आदि नवीन पाठ्यक्रमों में प्रत्येक उपाधि पाठ्यक्रम के लिए प्राभूत	रू0 3.00 लाख क्रम 4 के अतिरिक्त	रू0 2.50 लाख क्रम 4 के अतिरिक्त
6	विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु	रू0 55,000/—	रू0 25,000/—
7	स्नातकोत्तर स्तर के कला एवं शिक्षा के प्रत्येक विषय हेतु	रू0 75,000/—	रू0 30,000/—
8	स्नातकोत्तर स्तर पर एम0काम0 अथवा प्रत्येक प्रयोगात्मक विषयों हेतु	रू0 2.00 लाख	रू0 50,000/—
9	एल0एल0बी0 (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु	रू0 4.00 लाख	रू0 3.00 लाख
10	एल0एल0बी0 (पांच वर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु	रू0 6.00 लाख	रू0 4.00 लाख
11	बी0बी0ए0/बी0सी0ए0 पाठ्यक्रमों हेतु	रू0 3.00 लाख	रू0 1.50 लाख
12	एम0सी0ए0 पाठ्यक्रमों हेतु	रू0 5.00 लाख	रू0 5.00 लाख
13	एम0बी0ए0 पाठ्यक्रमों हेतु	रू0 3.00 लाख	रू0 3.00 लाख

समतुल्य नाम अंकित न हो। महाविद्यालय का नाम जीवित व्यक्ति के नाम पर न हो अथवा जाति विशेष के नाम न हो।

9. भूमि मानकानुसार संस्था/महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित हो अथवा कम से कम 30 वर्ष के लिए लीज पर हों तथा लीज डीड पंजीकृत हो।

10. क्या महाविद्यालय/संस्थान को संचालित करने वाली संस्था/ट्रस्ट की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है?

(ब) इसी प्रकार पूर्व से संचालित महाविद्यालय/संस्थान में नये पाठ्यक्रमों में अनापत्ति/निर्बाधन देने हेतु औचित्य निर्धारण हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाना आवश्यक होगा।

1. पूर्व में संचालित महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कितने विषयों/पाठ्यक्रमों में शिक्षण हो रहा है तथा प्रत्येक पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की संख्या क्या है?

2. पूर्व में संचालित महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर स्वीकृत पाठ्यक्रमों में विगत तीन वर्ष का विषयवार परीक्षाफल क्या था?

3. क्या पूर्व में संचालित पाठ्यक्रमों में निर्धारित अर्हता धारक शिक्षक नियुक्त हैं? नियुक्त शिक्षकों में से कितने तथा किस–किस विषय के शिक्षक आयोग से नियुक्त/विनियमितीकृत हैं अथवा वर्तमान में संचालित किन–किन पाठ्यक्रम में कितने शिक्षकों की नियुक्ति पर कुलपति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

4. महाविद्यालय के पास खेलकूद आदि प्रतिस्पर्धाओं के लिए पर्याप्त क्रीड़ा सामग्री तथा भूमि उपलब्ध है।

4– भूमि का मानक

(1.1) नये महाविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि का मानक निम्नवत होगा :–

(क)	नगर निगम क्षेत्र	5000 वर्ग मीटर
(ख)	नगर पालिका क्षेत्र	7000 वर्ग मीटर

(ग) अन्य क्षेत्र 20000 वर्ग मीटर

किन्तु महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु उक्त मानक की 50 प्रतिशत भूमि पर्याप्त होगी।

(1.2) विधि महाविद्यालयों (लॉ कालेज) हेतु भूमि का मानक :–

(क) तीन वर्षीय एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम के लिए संस्था/प्रबन्धतंत्र के पास कम से कम 1200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की भूमि अपेक्षित है।

(ख) पांच वर्षीय एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम के लिए 1500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की भूमि होनी चाहिए। यदि लॉ कालेज में दोनों पाठ्यक्रम, लॉ तीन वर्षीय तथा लॉ पाँच वर्षीय संचालित हो तो उस स्थिति में महाविद्यालय में कम से कम 2000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की भूमि होनी चाहिए।

(1.3) कृषि महाविद्यालय के लिए उपर्युक्त मानकानुसार भूमि के अतिरिक्त न्यूनतम 15 एकड़ भूमि कृषि प्रायोगिक कार्य के लिए उपलब्ध होना अनिवार्य है।

(1.4) ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकानुसार अतिरिक्त भूमि का होना अनिवार्य है।

5– **भवन का मानक**

प्रत्येक महाविद्यालय के पास आवश्यकतानुसार अपना निजी भवन होना अनिवार्य है जिसमें केवल उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में ही शिक्षण प्रदान किया जायेगा। कला/विज्ञान संकाय के सात स्नातक स्तरीय विषयों तक के लिए न्यूनतम छः व्याख्यान कक्ष तथा पुस्तकालय–वाचनालय, अध्यापक कक्ष, छात्र/छात्रा कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, प्राचार्य कक्ष, परीक्षा एवं मीटिंग कक्ष होना आवश्यक है। प्रत्येक कक्ष के लिए आवश्यकतानुसार फर्नीचर का होना आवश्यक होगा। यदि महाविद्यालय द्वारा किसी प्रयोगात्मक विषय के पाठ्यक्रम के लिए आवेदन किया गया हो तो उसके लिए एक पृथक प्रयोगशाला कक्ष होना अनिवार्य है। इसी भांति विज्ञान तथा वाणिज्य संकाय के प्रत्येक सेक्शन के लिए एक अतिरिक्त व्याख्यान कक्ष का होना आवश्यक है

एवं विज्ञान संकाय के प्रत्येक विषय में पृथक–पृथक प्रयोगशालाएं निर्मित होने की अनिवार्यता होगी। नये महाविद्यालय के लिए प्रारम्भ में भूमि और भवन की न्यूनतम आवश्यकताओं का मानक निम्नवत् होगा :–

1–	व्याख्यान कक्ष – प्रत्येक कक्ष	85 वर्ग मीटर से 90 वर्गमीटर
2–	प्रत्येक प्रायोगिक विषय हेतु प्रयोगशाला कक्ष	80 वर्ग मीटर
3–	पुस्तकालय – वाचलनालय कक्ष	80 वर्ग मीटर
4–	एक अध्यापक कक्ष	20 वर्ग मीटर
5–	एक छात्रा कक्ष	20 वर्ग मीटर
6–	प्रशासनिक कक्ष जिसमें प्राचार्य कक्ष, कार्यालय कक्ष, परीक्षा एवं मीटिंग कक्षा तथा लेखा कक्ष	80 वर्ग मीटर
7–	बरांबदा	100 वर्ग मीटर
8–	शौचालय (छात्र/छात्रा हेतु पृथक) दो प्रत्येक 4 वर्ग मीटर	8 वर्ग मीटर
		योग – 828 वर्ग मीटर

6– **पुस्तकालय का मानक**

स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के प्रत्येक विषय के लिए पुस्तकें तथा पत्रिकाओं पर न्यूनतम आवर्तक तथा अनावर्तक व्ययों का मानक निम्नवत् होगा :–

स्तानक स्तर

	विषय / मद	अनावर्तक व्यय	आवर्तक व्यय (प्रति वर्ष)
1–	पुस्तकालय फर्नीचर, कार्ड स्टेशनरी रखा–रखाव आदि (500 छात्र संख्या तक)	50,000/–	5,000/–
2–	रसायन, भौतिक, जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान तथा आई0टी0 पाठ्यक्रम प्रति विषय हेतु पुस्तकों पर व्यय	20,000/–	3,000/–
3–	सांख्यिकी, भूगर्भ, गणित, भूगोल, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, सैन्य वज्ञान, गृह विज्ञान प्रति विषय पुस्तकों पर व्यय	15,000/–	2,000/–
4–	कला संकाय के शेष प्रति विषय	10,000/–	2,000/–
5–	वाणिज्य कुल	50,000/–	5,000/–
6–	विधि संकाय	50,000/–	5,000/–
7–	कृषि कुल	75,000/–	7,000/–
8–	शिक्षा प्रशिक्षण	25,000/–	4,000/–
9–	पुस्तकालय में शब्द कोष व विविध पुस्तकों व शोध, पत्रिकाओं हेतु (500 छात्र संख्या तक)	10,000/–	5,000/–

स्नातकोत्तर स्तर

	विषय	अनावर्तक व्यय	आवर्तक व्यय (प्रति वर्ष)
1–	विज्ञान तथा कृषि का प्रत्येक विषय	75,000/–	5,000/–
2–	भूगोल, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, सैन्य विज्ञान, गृह विज्ञान प्रत्येक विषय	45,000/–	5,000/–
3–	कला संकाय के शेष प्रति विषय	35,000/–	4,000/–
4–	वाणिज्य, विधि प्रत्येक	50,000/–	7,000/–
5–	शिक्षा प्रशिक्षण	35,000/–	5,000/–

नोट :– यदि छात्र संख्या से अधिक बढ़ जाती है तो आवर्तक व्यय उसी अनुपात में बढ़ जायेगा।

ए.आई.सी.टी.ई./एन.सी.टी.ई./बार काउन्सिल आफ इण्डिया की परिधि में आने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित राष्ट्रीय संस्था द्वारा निर्धारित मानक प्रभावी होंगे।

7– **प्रयोगशाला के मानक**

स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के प्रत्येक प्रयोगात्मक कार्य वाले विषय की प्रयोगशाला हेतु अपेक्षित आवर्तक/अनावर्तक व्ययों का मानक निम्नवत् होगा :–

स्नातकोत्तर स्तर

क्र. सं.	विषय	प्रथम वर्ष में फर्नीचर पर व्यय रू0	प्रथम वर्ष में उपकरण/चार्ट माडल पर अनावर्तक व्यय रू0	आवर्तक व्यय प्रतिवर्ष 20 रू0	प्रति अतिरिक्त छात्र रू0
1	विज्ञान तथा कृषि प्रत्येक विषय एक ब्रांच के साथ	50,000/–	2.0 लाख	25,000/–	3,000/–
2	कला/शिक्षा संकाय के प्रत्येक विषय	8,000/–	25,000/–	4,000/–	500/–

स्नातक स्तर

क्र. सं.	विषय	प्रथम वर्ष में फर्नीचर पर व्यय (रू0)	प्रथम वर्ष में उपकरण/चार्ट माडल पर अनावर्तक व्यय (रू0)	आवर्तक व्यय प्रतिवर्ष (60 से 75 छात्र स्नातक तक भाग–1 में) रू0	आवर्तक व्यय में वृद्धि प्रति 20 छात्र पर (रू0)
1	ड्राइंग पेंटिंग	10,000/–	12,000/–	2,000/–	500/–
2	संगीत	2,000/–	15,000/–	2,000/–	500/–
3	भूगोल, मनोविज्ञान, सांख्यिकी, गृह विज्ञान, सैन्य विज्ञान, में प्रति विषय	15,000/–	20,000/–	2,500/–	500/–
4	भौतिक, जन्तु एवं वनस्पति विज्ञान प्रति विषय	30,000/–	75,000/–	10,000/–	1000/–
5	रसायन विज्ञान (गैस व डिस्टिल्ड वाटर सहित)	40,000/–	1.5 लाख	15,000/–	1,500/–
6	कम्प्यूटर विज्ञान, बी0सी0ए0 आदि	40,000/–	5.0 लाख	25,000/–	10,000/–
7	भूगर्भ विज्ञान	30,000/–	40,000/–	5,000/–	500/–
8	कृषि एग्रोनामी, सांख्यिकी, कृषि प्रसार, कृषि तकनीकी, कृषि दुग्ध विज्ञान प्रति विषय	8,000/–	2.0 लाख	1,000/–	500/–
9	कृषि पादप रोग, विज्ञान, जेनेटिक्स उद्यान तथा कृषि रसायन प्रति विषय	15,000/–	15,000/–	2,000/–	500/–
10	म्युजियम प्रति विषय जहां अनिवार्य है	8,000/–	20,000/–	5,000/–	500/–
11	अन्य प्रति अतिरिक्त कृषि विषय	7,000/–	10,000/–	2,000/–	500/–
12	शिक्षा प्रशिक्षण (पूरे संकाय हेतु)	15,000/–	7,000/–	2,000/–	500/–

8– स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम स्वीकृत करने का मानक

स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम केवल उन्हीं महाविद्यालयों में स्वीकृत किये जायें जहां–

1. महाविद्यालय को स्नातक स्तर के विषयों में सम्बद्धता प्राप्त हुए तीन वर्ष बीत चुके हों। तीनों वर्षों तक उसकी व्यवस्था, प्रबन्धन तथा शिक्षण स्तर उत्तम रहा हो।

2. महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा–2(एफ) में पंजीकृत हो चुका हो।

3. विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल अविच्छिन्न रूप से उत्तम रहा हो तथा 60 प्रतिशत से कम न हो। महाविद्यालय में परीक्षा कार्य का संचालन विश्वविद्यालय के नियमानुसार होता रहा हो।

4. महाविद्यालय की छात्र संख्या महिला महाविद्यालय की दशा में 300 से अधिक हो एवं सह शिक्षा युक्त महाविद्यालय की दशा में यह संख्या 500 हो चुकी हो।

5. महाविद्यालय द्वारा स्नातक स्तर पर पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं में क्रमशः पुस्तकें, उपकरण आदि पूर्ववर्ती वर्षों में मानकानुसार क्रय किये गये हों।

6. महाविद्यालय में निर्धारित अर्हता धारक शिक्षक नियुक्त किये गये हों एवं प्रत्येक शिक्षक की नियुक्ति पर विश्वविद्यालय के कुलपति का अनुमोदन प्राप्त कर दिया गया हो अथवा शिक्षक उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा चयनित एवं कार्यरत हो।

7. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रस्तावित महाविद्यालय के 15 किलोमीटर की परिधि के अन्दर किसी अन्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम नहीं हो।

8. उक्त मानक पूर्ण होने पर ही स्नातकोत्तर स्तर पर प्रस्तावित नवीन पाठ्यक्रम में एक शैक्षिक सत्र में अधिकतम दो नवनी पाठ्यक्रमों में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की संस्तुति की जा सकेगी।

9– स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त सेक्शन सीटों की वृद्धि हेतु मानक

1. पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अवस्थापना सम्बन्धी सभी मानक पूर्ण हों।

2. सम्बन्धित स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में महाविद्यालय कम से कम एक बैच पास–आउट हो चुका हो तथा परीक्षाफल 60 प्रतिशत से कम न रहा हो।

3. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मांग/आवश्यकता का आधारभूत आंकड़ों के अनुसार औचित्य हो।

4. सम्बन्धित विशय में नियुक्त शिक्षक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं शासन द्वारा निर्धारित अर्हता धारण करते हो तथा उनकी नियुक्ति पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो।

10– **<u>सम्बद्धता विस्तरण हेतु मानक</u>**

(1) महाविद्यालय की स्थापना से सम्बन्धित अवस्थापना सम्बन्धी मानक तथा पूर्व में निर्गत सम्बद्धता प्रदान करने सम्बन्धी आदेश में उल्लिखित शर्तें पूर्ण कर ली गयी हैं।

(2) शिक्षकों की नियुक्ति यू.जी.सी./शासन द्वारा निर्धारित अर्हताओं के अनुरूप की गयी हो।

(3) विगत वर्षों (अधिकतम तीन वर्ष) का परीक्षाफल 60 प्रतिशत से कम न रहा हो।

(4) संस्था का पंजीकरण अद्यावधिक विधिमान्य हो।

(5) महाविद्यालय द्वारा शासन एवं विश्वविद्यालय के निर्देशों का पालन किया जा रहा हो।

(6) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की अवधि में सामूहिक नकल का आरोप न हो।

(7) सम्बद्धता विस्तरण का प्रस्ताव विश्वविद्यालय की संस्तुति सहित सम्बद्धता समाप्त होने की अवधि से तीन माह पूर्व शासन तथा महामहिम कुलाधिपति कार्यालय को प्राप्त होना चाहिए।

11– **<u>स्थायी सम्बद्धता हेतु मानक</u>**

(1) महाविद्यालय की स्थापना से सम्बन्धित समस्त अवस्थापना एवं शैक्षिक मानकों की पूर्ति कर लेने का समुचित प्रमाण हो।

(2) विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल 60 प्रतिशत से न्यून न रहा हो।

(3) निर्धारित योग्यता धारक प्राचार्य तथा समस्त शिक्षकों की नियुक्ति निर्धारित प्रक्रियानुसार कर दी गयी हो तथा यथावश्यक नियुक्ति पर कुलपति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो।

(4) अध्यापकों को नियमित रूप से वेतन भुगतान किया जा रहा हो।

(5) स्थायी सम्बद्धता का प्रस्ताव विश्वविद्यालय के माध्यम से निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं संस्तुति सहित अस्थायी सम्बद्धता समाप्त होने की अवधि के तीन माह पूर्व शासन/कुलाधिपति को प्राप्त हो जाये।

(6) संस्था का पंजीकरण अद्यावधिक विधिमान्य हो।

(7) प्रबन्ध तंत्र में किसी प्रकार का विवाद न हो तथा प्रबन्ध तंत्र के विश्वविद्यालय से अनुमोदित होने का प्रमाण हो।

(8) सामूहिक नकल का कोई आरोप न हो।

12– प्रवेश प्रक्रिया

प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में समय–समय पर शासन/विश्वविद्यालय द्वारा नीति के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

13– शुल्क का निर्धारण

विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु समय–समय पर शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क ही विश्वविद्यालय एवं सहयुक्त/सम्बद्ध महाविद्यालयों के छात्रों से लिया जायेगा।

14– सम्बद्धता हेतु समय सारणी

सम्बद्धता के सम्बन्ध में शासन एवं महामहिम कुलाधिपति कार्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ हैं कि सामान्य प्रक्रिया प्राभूत की राशि भूमि, भवन, पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं के अनावर्तक तथा आवर्तक व्यय फर्नीचर एवं उपकरण हेतु आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को प्राप्त करने हेतु मानकों तथा पूर्व संचालित स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों अतिरिक्त सेक्शन/सीटों में वृद्धि किये जाने से सम्बन्धित पूर्व में निर्गत शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

निर्वाधन (क्लीयरेंस)/अनापत्ति (एन.ओ.सी.) तथा सम्बद्धता हेतु आवेदन करने के लिए दो अलग–अलग प्रपत्र संलग्न हैं।

संलग्नक – यथोक्त।

भवदीय

आर0 रमणी

प्रमुख सचिव

संख्या 3075(1)/सत्तर–2–2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय/प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, श्री कुलाधिपति/श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
5. प्रविधिक शिक्षा अनुभाग–1, सचिवालय, लखनऊ।
6. उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

बी0डी0 जोशी

संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या : 3075/सत्तर–2–2002–2(166)/2002 दिनांक 27 सितम्बर, 2002 का संलग्न–1

निर्वाधन (क्लीयरेन्स)/अनापत्ति (एन.ओ.सी.) हेतु आवेदन का प्रारूप

1. संस्थान/महाविद्यालय का नाम
2. संचालक सोसायटी/ट्रस्ट का नाम
3. सोसायटी/ट्रस्ट के पंजीकरण/नवीनीकरण की स्थिति सप्रमाण
4. पाठ्यक्रम का नाम जिसके लिए निर्वाधन/अनापत्ति वांछित है।
5. महाविद्यालय/संस्थान पुराना है तो चल रहे समस्त सम्बद्धता प्राप्त पाठ्यक्रमों का विवरण
6. जिस स्थान महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है उसक पास 15 किमी. की परिधि में कितने महाविद्यालय हैं?
7. प्रस्तावित स्थान से उनकी दूरी क्या है?
8. उस क्षेत्र में 15 किलोमीटर की परिधि में स्थित महाविद्यालयों में क्या–क्या पाठ्यक्रम संचालित हैं?
9. उस क्षेत्र में उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति विद्यमान महाविद्यालयों को देखते हुए किस सीमा तक अपूर्ण रह जाती है।
10. क्या प्रस्तावित स्थान पर नवीन महाविद्यालय खोलने से उस क्षेत्र में विद्यमान महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु स्वीकृत छात्र संख्या पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव के प्रस्तावित नये महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में न्यूनतम 100 छात्र उपलब्ध हो सकेंगे?

11. क्या विद्यमान महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की संस्तुति करने पर क्षेत्र के अन्य महाविद्यालयों पर बिना किसी कुप्रभाव के स्नातक स्तर पर 60 छात्र तथा स्नाताकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 30 छात्र उपलब्ध हो सकेंगे?
12. महाविद्यालय/संस्थान के नाम के साथ राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, अखिल भारतीय या इसके समतुल्य नाम अंकित तो नहीं है तथा महाविद्यालय/संस्थान का नाम जीवित व्यक्ति या जाति विशेष के नाम पर तो नहीं है :–
13. महाविद्यालय/संस्थान को संचालित करने वाली संस्था/ट्रस्ट के आय के स्त्रोत, पूर्ववर्ती तीन वर्षों में अर्जित वार्षिक आय का सप्रमाण विवरण।
14. यदि महाविद्यालय पूर्व में संचालित है तो स्नातक/परास्नातक स्तर पर कितने विषयों/पाठ्यक्रमों में कब से शिक्षण हो रहा है तथा प्रत्येक पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की संख्या
15. पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों का विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल का विवरण
16. पूर्व में संचालित पाठ्यक्रमों में नियुक्त शिक्षकों का अर्हता सहित प्रत्येक शिक्षक की नियुक्ति की प्रकृति (उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से चयनित, विनियमित अथवा कुलपति का अनुमोदन प्राप्त) का विवरण :–
17. महाविद्यालय, संस्थान/सोसायटी या ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि का विवरण (क्षेत्र के किसी राजस्व अधिकारी से सत्यापित अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ)

18. प्रस्तावित पाठ्यक्रम हेतु उपलब्ध भवन का स्पष्ट विवरण (भवन का छाया चित्र नक्श सहित)
19. यदि परास्नातक पाठ्यक्रम के लिए निर्वाधन/अनापत्ति वांछित है तो उससे संबंधित स्नातक स्तरीय विषय की मान्यता की अवधि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा–2एफ में पंजीकरण का प्रमाण सहित विवरण तथा प्रस्तावित महाविद्यालय/ संस्थान/पाठ्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र या नगर निगम क्षेत्र में संचालित होने का सप्रमाण विवरण तथा प्रस्तावित महाविद्यालय से निकटवर्ती महाविद्यालय/महाविद्यालयों का नाम जहां उक्त पाठ्यक्रम पूर्व से संचालित हों तथा उनकी दूरी का स्पष्ट उल्लेख किया जाये।

विश्वविद्यालय द्वारा नामित दो सदस्यीय निरीक्षण मण्डल की तथ्यात्मक आख्या एवं स्पष्ट संस्तुति।

निरीक्षक मण्डल की हस्ताक्षर, नाम एवं पद नाम सहित

शासनादेश संख्या : 3075/सत्तर–2–2002–2(166)/2002 दिनांक 27 सितम्बर, 2002 का संलग्न–2

अस्थायी सम्बद्धता हेतु आवेदन का प्रारूप

1. संस्थान/महाविद्यालय का नाम
2. संचालक सोसायटी/ट्रस्ट का नाम
3. सोसायटी/ट्रस्ट के पंजीकरण/नवीनीकरण की स्थिति सप्रमाण
4. पाठ्यक्रम का नाम जिसके लिए अस्थायी सम्बद्धता वांछित है।

5. जिस स्थान पर महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है उसके पास 15 किमी. की परिधि में कितने महाविद्यालय हैं?
6. प्रस्वावित स्थान से उनकी दूरी क्या है?
7. उस क्षेत्र में 15 किलोमीटर की परिधि में स्थित महाविद्यालयों में क्या–क्या पाठ्यक्रम संचालित हैं?
8. उस क्षेत्र में उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति विद्यमान महाविद्यालयों को देखते हुए किस सीमा तक अपूर्ण रह जाती है?
9. क्या प्रस्तावित स्थान पर नवीन महाविद्यालय खोलने से उस क्षेत्र में विद्यमान महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु स्वीकृत छात्र संख्या पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव के प्रस्तावित नये महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में न्यूनतम 100 छात्र उपलब्ध हो सकेंगे?
10. क्या विद्यमान महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की संस्तुति करने पर क्षेत्र के अन्य् महाविद्यालयों पर बिना किसी कुप्रभाव के स्नातक स्तर पर 60 छात्र तथा स्नाताकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 30 छात्र उपलब्ध हो सकेंगे?
11. महाविद्यालय / संस्थान के नाम के साथ राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, अखिल भारतीय या इसके समतुल्य नाम अंकित तो नहीं है तथा महाविद्यालय / संस्थान का नाम जीवित व्यक्ति या जाति विशेष के नाम पर तो नहीं है :–
12. यदि महाविद्यालय पूर्व में संचालित है तो स्नातक / परास्नातक स्तर पर कितने विषयों /

पाठ्यक्रमों में कब से शिक्षण हो रहा है तथा प्रत्येक पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की संख्या

13. पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों का विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल का विवरण

14. यदि परास्नातक पाठ्यक्रम के लिए निर्वाधन/अनापत्ति वांछित है तो उससे संबंधित स्नातक स्तरीय विषय की मान्यता की अवधि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा–2एफ में पंजीकरण का प्रमाण सहित विवरण तथा प्रस्तावित महाविद्यालय/संस्थान/पाठ्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र या नगर निगम क्षेत्र में संचालित होने का सप्रमाण विवरण तथा प्रस्तावित महाविद्यालय से निकटवर्ती महाविद्यालय/महाविद्यालयों का नाम जहां उक्त पाठ्यक्रम पूर्व से संचालित हों तथा उनकी दूरी का स्पष्ट उल्लेख किया जाये।

15. **प्राभूत**

मानक अनुसार निर्धारित प्राभूत जमा किये जाने एवं कुल सचिव के पक्ष में बंधक किये जाने की सप्रमाण स्थिति।

16. **भूमि**

(i) संस्था/महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर या वर्ग मीटर में

(ii) उक्त भूमि का विवरण

(क) जनपद

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

(घ) गाटा संख्या जिसके अन्तर्गत भूमि/भूमि का भाग संस्था/महाविद्यालय के नाम अंकित है :—

(ड़) यदि भूमि किसी प्राधिकरण से लीज पर ली गयी हो तो लीज डीड में उपलब्ध भूमि के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार वर्णन।

17. **भवन**

(i) वर्तमान में निर्मित भवन की स्थिति

(क) जनपद

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

(घ) गाटा संख्या जिसमें भवन निर्मित है।

(ii) भवन का कुल क्षेत्रफल

(iii) निर्मित भवन में प्रत्येक कक्षों का माप सहित विवरण

(iv) भवन में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

(क) विद्युत आपूर्ति

(ख) पेयजल

(ग) टेलीफोन

(घ) प्रशाधन

18. फर्नीचर का विवरण

(i) शिक्षण कक्षों हेतु उपलब्ध फर्नीचर का विवरण

(ii) प्रशासनिक कक्षों में फर्नीचर का विवरण

(iii) पुस्तकालय कक्ष में फर्नीचर का विवरण

(iv) प्रयोगशाला कक्ष में फर्नीचर का विवरण

(v) क्या उक्त फर्नीचर संस्था/महाविद्यालय के स्टाक रजिस्टर में मूल्य सहित अंकित है अथवा नहीं

19. पुस्तकालय

(i) पुस्तकालय हेतु क्रय की गयी पुस्तकों की

विषयवार संख्या एवं क्रय मूल्या के प्रमाणिक अभिलेख।

(ii) प्रार्थित विषयों हेतु उपलब्ध पुस्तकें

(iii) पूर्ववर्ती वर्षों में उक्त में से कितनी पुस्तकें क्रय की गयी

(iv) वर्तमान वर्ष में क्रय की गई पुस्तकों का विवरण मूल्य सहित

20. प्रयोगशाला

(i) संबंधित पाठ्यक्रम हेतु मानकानुसार क्रय किये गये उपकरणें का मूल्य सहित विवरण

(ii) क्या क्रया किये गये उपकरण प्रयोगिक विषय के संचालन हेतु पर्याप्त हैं?

(iii) प्रयोगशाला में उपलब्ध रसायन/चार्टस आदि का विवरण एवं क्रय मूल्य

(iv) स्टाक रजिस्टर में क्या उक्त विवरण अंकित हैं या नहीं?

21. प्रबन्ध समिति

(i) प्रबन्ध समिति के गठन एवं विश्वविद्यालय से उसके अनुमोदन की स्थिति

(ii) सोसाइटी/ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति के सदस्यों के नाम

22. शिक्षणेत्तर क्रियाक्लापों हेतु उपलब्ध आवश्यक सुविधायें

(i) क्रीड़ा स्थल क्षेत्रफल सहित

(ii) क्रीड़ा सामग्री का विवरण

(iii) छात्रावास, यदि व्यवस्था हो तो उसका उसका विवरण एवं विद्यार्थियों की क्षमता

23. शिक्षण व्यवस्था

(i) निदेशक/प्राचार्य का नाम, योग्यता व वेतनमान

(ii) संचालित पाठ्यक्रमों में प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु नियुक्त शिक्षकों का शैक्षणिक अर्हता सहित विवरण एवं नियुक्ति का प्रकार (नियमित स्थायी नियुक्ति/संविदा पर नियुक्त)

(iii) नियुक्त शिक्षकों में से कितने शिक्षक आयोग से चयनित हैं तथा कितने शिक्षकों की नियुक्ति पर कुलपति का अनुमोदन प्राप्त है।

(iv) यदि किसी पाठ्यक्रम में शिक्षण हेतु नियुक्ति वर्तमान में नहीं की गयी है, तो भावी योजना क्या है :-

(v) वर्तमान में शिक्षकों के वेतनादि मद में व्यय की गयी मासिक धनराशि का विवरण

(vi) शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की संख्या

(क) तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या

(ख) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या

24. महाविद्यालय को संचालित कर रही संस्था की आर्थिक स्थिति

(i) संस्था की आय के स्त्रोतों का विवरण

(ii) प्रत्येक स्त्रोत से होने वाली आय का वार्षिक विवरण

(iii) वर्तमान में संस्था के नाम बैंक खातों में जमा धनराशि का विवरण

(iv) महाविद्यालय के विभिन्न खातों में जमा धनराशि का विवरण

25. प्रमाण–पत्र

रू. 50.00 के स्टाम पेपर पर शपथ–प्रमाण को संस्था/महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/सचिव तथा प्रबन्ध समिति के एक अन्य सदस्य द्वारा हस्तक्षरित हो तथा नोटरी द्वारा सत्यापित हो।

प्रमाण–पत्र का प्रारूप

हम .... अध्यक्ष/सचिव प्रबन्ध समिति .... सदस्य प्रबन्ध समिति .... (संस्था/महाविद्यालय का नाम), शपथ पूर्वक घोषणा करते हैं कि हमने आवेदन पत्र में जो भी विवरण/प्रविष्टियों अंकित की हैं, वे तथ्यों पर आधारित हैं और सही हैं। अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र में हमारे द्वारा न तो कोई तथ्य छुपाया गया है एवं न हीं असत्य घोषित किया गया है।

यदि हमारे द्वारा सम्बद्धता प्रदान किरने हेतु दिये गये आवेदन पत्र में अंकित किया गया कोई तथ्य गलत, असत्य या छुपाया गया पाया जाये तो हमारे विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

1. हस्ताक्षर
   नाम तथा पूरा पता
2. हस्ताक्षर
   नाम तथा पूरा पता

निरीक्षण मण्डल की आख्या पर संस्तुति महाविद्यालय भवन की पृष्ठभूमि में निरीक्षण मण्डल के सदस्यों के फोटो (चित्र) सहित

निरीक्षण मण्डल के प्रत्येक सदस्य के हस्ताक्षर
नाम/पदनाम तथा पता सहित

संख्या–3411/सत्तर–2–2002–2 (166)/2002

प्रेषक,

आर0 रमणी
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय/
प्राविधिक विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 11 अक्टूबर, 2002

विषय :– उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नोतकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने आदि के सम्बन्ध में मानकों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–3075/सत्तर–2–2002–2(166)/2002, दिनांक 27 सितम्बर, 2002 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के पृष्ठ संख्या–4 पर निरीक्षण मण्डल के गठन से सम्बन्धित प्राविधान के बिन्दु संख्या–2 को निम्नवत् संशोधित किया जाता है :–

वर्तमान व्यवस्था	**प्रतिस्थापित व्यवस्था**
2– प्रत्येक सम्बन्धित विषय का एक विषय विशेषज्ञ न्यूनतम उपाचार्य स्तर का हो, किन्तु कृषि संकाय के विषयों हेतु विशेषज्ञ प्रदेश में अवस्थित कृषि विश्वविद्यालयों से नामित किये जायें।	2– (क)प्रस्तावित नये महाविद्यालय की स्थिति में सम्बन्धित संकाय में से किसी एक विषय का उपाचार्य, किन्तु कृषि संकाय के विषयों हेतु प्रदेश में अवस्थित कृषि विश्वविद्यालयों से नामित विषय विशेषज्ञ।

(ख) पूर्व में स्थापित महाविद्यालयों में अतिरिक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता दिये जाने हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम का एक विषय विशेषज्ञ, जो न्यूनतम उपाचार्य स्तर का हो।

2– उक्त के अतिरिक्त शासनादेश के पृष्ठ संख्या–7 पर अंकित प्राभूत की राशि के प्राविधान से सम्बन्धित बिन्दु संख्या–1 से 13 के पश्चात् बिन्दु संख्या–14, 15 एवं 16 निम्नवत् बढ़ाये जाते हैं :–

क्र. सं.	संकाय / विषय	बुन्देलखण्ड क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों के लिए निर्धारित प्राभूत की धनराशि	बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए निर्धारित प्राभूत की धनराशि
14.	स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय	रू0 2.00 लाख	रू0 1.50 लाख
15.	बी0एड0 तथा बी0पी0एड0	रू0 2.00 लाख	रू0 2.00 लाख
16.	बी0एस0सी0 कृषि संकाय के पाँच विषयों हेतु	रू0 3.00 लाख	रू0 2.50 लाख

3– शासनादेश संख्या–3075 / सत्तर–2–2002–2(166) / 2002, दिनांक 27 सितम्बर, 2002 उक्त सीमा तक संशोधत समझा जाये।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(आर0 रमणी)
प्रमुख सचिव।

संख्या–3411(1)/सत्तर–2–2002–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय/प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

(2) प्रमुख सचिव श्री कुलाधिपति/श्री राज्यपाल, उ0प्र0।

(3) उच्च शिक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(4) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

(5) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1, सचिवालय, लखनऊ।

(6) उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(बी0डी0 जोशी)

संयुक्त सचिव।

संख्या–585 मु0मं0 / सत्तर–2–2005–2(166) / 2002

प्रेषक,

राजीव कुमार,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

(2) कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 21 अक्टूबर, 2005

विषय : उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये महाविद्यालयों / संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों / संस्थानों में स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों / पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने आदि के सम्बन्ध में मानकों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये महाविद्यालयों / संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों / संस्थानों में स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु सामान्य प्रक्रिया, औचित्य निर्धारण, प्राभूत की राशि, भूमि, भवन, पुस्तकालय / प्रयोगशालाओं के अनावर्तक तथा आवर्तक व्यय एवं स्नातकोत्तर स्तर पर नये पाठ्यक्रमों को संचालित करने हेतु मानकों एवं सम्बन्धित पाठ्यक्रम के प्रारम्भ में फर्नीचर एवं उपकरण हेतु आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त सेक्शन / सीटों की वृद्धि किये जाने आदि के सम्बन्ध में नये मानकों का निर्धारण शासनादेश संख्या–3075 / सत्तर–2–2002–2(166) / 2002, दिनांक 27 सितम्बर, 2002 एवं शासनादेश संख्या–3411 / सत्तर–2–2002–2(166) / 2002, दिनांक 11 अक्टूबर, 2002 द्वारा किया गया है।

2— नये स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों/संस्थानों की अभिवृद्धि के साथ उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता एवं उपयुक्त स्तर की अवस्थापना सुविधाऐं बनाये रखा जाना नितान्त आवश्यक है। उपरिसंदर्भित शासनादेश में निर्धारित भूमि के मानक में औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं अन्य निकास प्राधिकरणों के क्षेत्र में स्थापित होने वाले महाविद्यालयों के लिए भूमि का मानक एवं अन्य व्यवहारिक पहलुओं का उल्लेख नहीं किया गया है। इसी प्रकार नये महाविद्यालय की स्थापना व नये विषय खोले जाने के सम्बन्ध में संस्था/ट्रस्ट की आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ता एवं एक सत्र में स्नातक स्तर के अधिकतम विषयों में अनापत्ति/सम्बद्धता दिये जाने आदि को भी परिभाषित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में नये महाविद्यालयों में उपयुक्त स्तर की अवस्थापना सुविधा बनाये रखने एवं उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय उपरिसंदर्भित शासनादेशों द्वारा निर्धारित भूमि, आर्थिक स्थिति एवं पाठ्यक्रमों की संख्या के निर्धारण के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश देते हैं :—

(I) भूमि का मानक

(क) नोयडा तथा ग्रेटर नोयडा (औद्योगिक विकास प्राधिकरणों) के क्षेत्र में उनके द्वारा विकसित भूखण्ड में स्थापित होने वाले महाविद्यालयों/संस्थानों हेतु 'नगर निगम क्षेत्र' के लिए निर्धारित भूमि के मानक तथा इन प्राधिकरणों के विकसित क्षेत्र से इतर क्षेत्र में स्थापित होने वाले महाविद्यालयों/संस्थानों हेतु 'अन्य क्षेत्र' के लिए निर्धारित भूमि के मानक लागू होंगे।

(ख) नोयडा तथा ग्रेटर नोयडा के अतिरिक्त ऐसे विकास प्राधिकरण जहाँ नगर निगम स्थित हैं, वहां के प्राधिकरण द्वारा विकसित भूखण्ड में स्थापित होने वाल महाविद्यालय/संस्थान हेतु 'नगर निगम क्षेत्र' के लिए निर्धारित भूमि के मानक लागू होंगे।

(ग) ऐसे विकास प्राधिकरण जहाँ नगरपालिका परिषद स्थित है, वहाँ के प्राधिकरण द्वारा विकसित भूखण्ड में स्थापित होने वाले महाविद्यालयों/संस्थान हेतु 'नगरपालिका (परिषद) क्षेत्र' के लिए निर्धारित भूमि के मानक लागू होंगे।

(घ) महाविद्यालय के भूमि के सम्बन्ध में कई भू—खण्ड होने की स्थिति

में सभी भूखण्डों के एक ही स्थान पर और परस्पर सटे होने का सक्षम राजस्व अधिकारी का प्रमाण एवं राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित नजरी नक्शा मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(च) विशेष परिस्थितियों में महाविद्यालय के भूखण्डों के मध्य भाग से चकरोट, पहुँच मार्ग, छोटी नहर आदि विद्यमान होने पर अपवादस्वरूप दूसरी ओर क्रीडा–स्थल/खेल का मैदान बनाये जाने की छूट इस शर्त के अधीन प्रदान की जायेगी कि छात्रों की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गयी है। किसी भी स्थिति में रेल मार्ग, राष्ट्रीय मार्ग, राजमार्ग अथवा पोषक नहर के दोनों ओर स्थित भूखण्डों को सम्बद्धता के प्रयोजनार्थ मान्य नहीं किया जायेगा।

(छ) किसी नये पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के प्रस्ताव के समय सम्बन्धित सोसाइटी/ट्रस्ट/निकाय के नाम भूमि अनिवार्य रूप से होगी। राजस्व अधिकारी के रूप में खतौनी तहसीलदार द्वारा सत्यापित होगी तथा प्रस्ताव के साथ खतौनी की मूल प्रति शासन की संदर्भित की जायेगी।

(ज) मानकानुसार अपेक्षित भूमि प्रस्तावित महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में विधितः अन्तरित होने पर ही सम्बद्धता के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। पैतृक संस्था अपने नाम की भूमि को 30 वर्ष के पट्टे पर महाविद्यालय को विधितः अन्तरित कर सकती है किन्तु 30 वर्ष से कम के पट्टे को मान्य नहीं किया जायेगा।

(झ) महाविद्यालय के नगर नियम/नगरपालिका परिषद क्षेत्र में स्थित होने के सम्बन्ध में सम्बन्धित निकायों से प्राप्त मूल प्रमाण पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न किया जायेगा।

(ट) विगत अनेक वर्षों से संचालित होने वाले महाविद्यालयों के नाम अभिलेखों में भूमि न होने के सम्बन्ध में सम्बन्धित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र को यह–निर्देश किया जाता है कि वे महाविद्यालय के प्रयोग में आ रही भूमि का महाविद्यालय के नाम अविलम्ब विधितः अन्तरित करना सुनिश्चित करें।

(ठ) महाविद्यालयों के प्रस्ताव के साथ भूमि का क्षेत्रफल प्रत्येक दशा में वर्ग मीटर में ही उपलब्ध कराया जायेगा।

(II) आर्थिक स्थिति का मानकः–

संस्था/सोसाइटी की आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ता के लिए संकाय/विषयवार संस्था के खाते में न्यूनतम नकद धनराशि का मानक निम्नवत् होगाः–

क्र0	संकाय/विषय	संस्था के खाते के लिए निर्धारित धनराशि
1.	स्नातक स्तर पर कला संकाय क सात विषय हेतु	रू0 5.00 लाख
2.	स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु	रू0 1.00 लाख
3.	स्नातक स्तर के वाणिज्य संकाय हेतु	रु. 7.00 लाख
4.	विज्ञान संकाय के स्नातक स्तर के पाँच परम्परागत विषय हेतु	रू0 10.00 लाख
5.	विज्ञान संकाय के स्नातक स्तर के प्रत्येक नवीन पाठ्यक्रम हेतु	रू0 5.00 लाख
6.	स्नातक स्तर के कृषि स्नातक/बी0बी0ए0/बी0सी0ए0 /बी0पी0ई0 के प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु	रू0 10.00 लाख
7.	विधि (त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु	रू0 10.00 लाख
8.	विधि (पंचवर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु	रू0 10.00 लाख
9.	एम0एड0/एम0पी0एड0 के प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु	रू0 15.00 लाख
10.	बी0एड0/बी0पी0एड0 के प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु	रू0 15.00 लाख
11.	बी0ए0–बी0एड0/बी0एल0एड0 के प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु	रू0 10.00 लाख

विश्वविद्यालय अनापत्ति के प्रस्ताव के साथ पूर्व से संचालित सोसाइटी, ट्रस्ट/कम्पनी/निकाय की विगत तीन वित्तीय वर्षों की चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा ग्रामीण बैलेन्स शीट/तहसीलदार द्वारा प्रमाणित सोसाइटी की वार्षिक आय का मूल प्रमाण तथा बैंक जमा के रूप में बैंक का अभिलेखीय साक्ष्य प्रमाणस्वरूप करेंगे।

(III) पाठ्यक्रम का मानकः–

नये महाविद्यालय के लिए अधिकतम पाठ्यक्रम का मानक निम्नवत् होगाः–

(क) नये महाविद्यालयों को एक सत्र में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकायों में से अधिकतम किन्हीं दो संकायों में ही अनापत्ति/सशर्त सम्बद्धता प्रदान करने पर विचार किया जायेगा। इन पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता (स्थायी) प्राप्त होने के पश्चात् ही नये संकाय/विषय की अनापत्ति प्रदान किये जाने विचार किया जायेगा।

(ख) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की स्वीकृति महाविद्यालय को तभी प्रदान की जायेगी जब उन पाठ्यक्रमों में पूर्व से स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हों और उनको सम्बद्धता (स्थायी) प्राप्त हो। जिन विषयों में स्नातक पाठ्यक्रम संचालित नहीं होंगे उनमें स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की अनापत्ति/स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी। स्नातकोत्तर स्तर पर एक सत्र में अधिकतम दो विषयों के लिए ही अनापत्ति दिये जाने पर विचार किया जायेगा। पूर्व स्वीकृत पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता (स्थायी) प्राप्त होने पर ही अन्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने की अनापत्ति/स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जायेगा।

3– आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा उक्त आदेशों का पूर्णतया अनुपालन किया जाय।

भवदीय
(राजीव कुमार)
सचिव

संख्या–585 मु0म0(1)/सत्तर–2–2005–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) प्रमुख सचिव, श्री कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश।
(2) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(4) अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
(5) उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(राजीव कुमार)
सचिव

संख्या–1359/सत्तर–2–2009–3(3)/96टी0सी0–III

प्रेषक,

प्रभात सिन्हा
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1 निदेशक
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश
इलाहाबाद।

2 वित्त अधिकारी/कुलसचिव
समस्त राज्य विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 13 मई, 2009

विषयः प्रदेश के विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों/उप पुस्तकालयाध्यक्षों/सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों तथा महाविद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतनमानों का पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यू0जी0सी0 की संस्तुति के आधार पर मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र संख्या–1-32-2006-U-11/U-1(i) दिनांक 31–12–2008 (संलग्नक–1) द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमानों को, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा नियंत्रित राज्य विश्वविद्यालयों (कृषि विश्वविद्यालय, चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं प्राविधिक विश्वविद्यालयों को छोड़कर) के सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों/उप पुस्तकालयाध्क्षों तथा उनसे सम्बद्ध एवं सहयुक्त राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों (सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बद्ध महाविद्यालयों को छोड़कर) के पूर्णकालिक पुस्तकालयाध्क्षों के लिए लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन लागू करने का आदेश श्री राज्यपाल एतद्द्वारा प्रदान करते हैं।

संलग्नक – यथोक्त

भवदीय

(प्रभात सिन्हा)
विशेष सचिव

संख्या–1359 / सत्तर–2–2009–तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
3. उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी / अनुभाग।
4. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–11 / बजट–2
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(डॉ0 रामानन्द प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

पृ0सं0डिग्री अर्थन / 1693–2038 / 2009–10 दिनांक 16–5–2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त प्राचार्य / प्राचार्या, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

(डॉ0 रमेश चन्द्र)
संयुक्त निदेशक (उच्च शिक्षा)
कृते निदेशक (उच्च शिक्षा) उ0प्र0
इलाहाबाद

संलग्नक–2

विकल्प का प्रारूप

(1) मैं .... दिनांक 1 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान का चयन करता हूँ।

(2) मैं .... मेरा मूल/स्थानापन्न पद नीचे दिये अनुसार वर्तमान वेतनमान में बने रहने का विकल्प प्रस्तुत करता हूँ जब तक कि:–

मेरी अगली वेतनवृद्धि की तिथि..

मेरी बाद की वेतनवृद्धि की तिथि जिससे मेरा वेतन............................रु0 न हो जाय।

मैं वर्तमान में वेतन प्राप्त करना बन्द न कर दूँ/छोड़ दूँ

वर्तमान वेतनमान..

हस्ताक्षर..................................

नाम..

पदनाम....................................

कार्यालय का नाम

दिनांक:–

स्थान:–

संख्या–1321/सत्तर–2–2009–3(3)/96टी0सी0–II

प्रेषक,

प्रभात सिन्हा
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. कुलपति
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0
इलाहाबाद
3. वित्त अधिकारी/कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 13 मई, 2009

विषयः प्रदेश के विश्वविद्यालयों में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/उप पुस्तकालयाध्यक्ष/पुस्तकालयाध्यक्ष तथा उनसे सम्बद्ध/सहयुक्त शासकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्ष को यू0जी0सी0 द्वारा संस्तुत कैरियर एडवान्समेन्ट योजना का लाभ तथा पदनाम परिवर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या–2452/15–11–95–14(10)/81, दिनांक 29 फरवरी, 1996 द्वारा प्रदेश के विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों/उप पुस्तकालयाध्क्षों/सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों एवं सम्बद्ध/सहयुक्त शासकीय तथा सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमान दिनांक 01–01–1986 से प्रदान किया गया है किन्तु मेरिट प्रमोशन योजना, जो वर्तमान समय में कैरियर एडवान्समेन्ट योजना के नाम से लागू है, का लाभ नहीं दिया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्या–1303 (एस0/बी0)/2005 उत्तर प्रदेश पुस्तकालय संघ बनाम राज्य सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–01–2007 तथा इसके विरुद्ध

योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–14535/2007 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश पुस्तकालय संघ व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–12–2008 के अनुपालन में निम्नानुसार आनुवंगिक एवं अन्य लाभ प्रदान करने का आदेश श्री राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा प्रदान करते हैं:–

(1) शासनादेश संख्या–2452/15–11–95–14(10)/81, दिनांक 29 फरवरी, 1996 के प्रस्तर–1 में उल्लिखित अंश "ये पद धारक शिक्षकों के लिए स्वीकृत मेरिट प्रमोशन योजना से आच्छादित नहीं होंगे" के स्थान पर "ये पद धारक यू0जी0सी0 की अर्हता धारित करने पर कैरियर एडवान्समेन्ट योजना से आच्छादित होंगे" प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया है। शासनादेश दिनांक 29 फरवरी, 1996 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

(2) विश्वविद्यालय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षक शारीरिक, शिक्षा की भांति विश्वविद्यालय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/उप पुस्तकालयाध्यक्ष/पुस्तकालयाध्यक्ष की अधिवर्षता आयु आदेश जारी होने की तिथि से 62 वर्ष होगी। राजकीय महाविद्यालय में शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष दोनों की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष है अतः इसमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

(3) उक्त व्यवस्थाओं को लागू करने हेतु विश्वविद्यालय अपनी परिनियमावली में यथास्थान आवश्यक संशोधन कर लेंगे।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि पुस्तकालय संवर्ग में विद्यमान त्रिस्तरीय सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/उप पुस्तकालयाध्यक्ष/पुस्तकालयाध्यक्ष की व्यवस्था के बजाय भविष्य में कम्प्यूटर प्रशिक्षित जनशक्ति पर आधारित लाइब्रेरी प्रबन्धन की व्यवस्था के परीक्षण की आवश्यकता है, तथा तक इस संवर्ग के रिक्त पद रखे जायेंगे। इस हेतु अलग से कार्यवाही की जायेगी।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–यू0ओ0–ई0–11–1207/दस–2009, दिनांक 13 मई, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(प्रभारी सिन्हा)
विशेष सचिव।

संख्या–1321(1)/सत्तर–2–2009–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
(2) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (आडिट) प्रथम, इलाहाबाद।
(3) समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(6) सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्राचार्या (निदेशक, उच्च शिक्षा के माध्यम से)
(7) उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
(8) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी।
(9) अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
(10) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग।
(11) वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–11
(12) लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(13) सचिव, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद।
(14) सचिव, विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
(15) गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(डा0 रामानन्द प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

पृ0सं0डिग्री0 अर्थन/1347–1692/2009–10 दिनांक 16–6–2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

(डॉ0 रमेश चन्द्र)
संयुक्त निदेशक (उच्च शिक्षा)
कृते निदेशक (उच्च शिक्षा) उ0प्र0
इलाहाबाद

Dr. (Mrs.) Pankaj Mittal
Joint Secretary

University Grant Commission
Bahadur Shah Zafar Marg
New Delhi

No. F.3-1/94(PS)-7

19th October, 2006

The Registrar,
M.J.P. Rohilkhand Univerity,
Dori Lal Agarwal Marg,
Bareilly- 242 001.

Sub.: **Career Advancement Scheme (CAS) for Assistant Librarian/College Librarians/Assistant Director of Physical Education/College Director of Physical Education.**

Sir/Madam

I am directed to inform you that the ministry of Human Resource Development vide its letter No. F 1-9/99-U.I. Dated 22nd September, 2006 has approved the revised CAS for Assistant Librarian/College Librarian/Assistant Director of Physical Education/College Director of Physical Education. The revives scheme as approved by the MHRD is as under

1. Career Advancement Scheme for Assistant Librarian/ College Librarians.

(i) Every Assistant Librarian in a University and a Librarian in a College, who is in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 will be eligible for placement in the Senior Scale of Rs. 10000-325-15200 if he/she has:

(a) completed 6 years of service as University Assistant Librarian/College Librarian after regular appointment.

(b) participated in two refresher courses/summer institutes each of not less than four weeks duration or engaged in other appropriate continuing education programme of comparable quality, as may be specified by the UGC, and consistently satisfactory performance appraisal report.

(ii) Every Assistant Librarian in the Universities who has been placed in the Senior Scale will be eligible for promotion to the post of Deputy Librarian in the scale of pay of Rs. 12000-420-18300 if he/she has:

(a) completed 5 years of service in the Senior scale provided that the requirement of 5 years will be relaxed if his/her total service is not less than 11 years;

(b) obtained a Ph.D. degree or has an equivalent published work;

(c) made significant contribution to the development of Library service in the University as evident from self-assessment, reports of referees, professional improvement in the Library services, etc, as the case may be;

(d) participated in two refresher courses/summer institutes, each of not less than four weeks duration or engaged in other appropriate continuing education programme of comparable quality, as may be specified by the UGC after placement in the Senior Scale; and

(e) consistently satisfactory performance appraisal

reports.

(iii) Promotion to the post of Deputy Librarian will be through a process of selection by a Selection Committee as in the case of promotion to the post of Readers. Post of Deputy Librarians will be created for this purpose by upgrading the post of Assistant Librarian (Senior Scale).

(iv) Those Assistant Librarians in the universities in the Senior Scale who do not have Ph.D. degree or equivalent published work, but fulfill the other criteria, mentioned in para (ii) above, will be placed in the grade of Rs. 12000-420-18300, subject to the recommendations of the Committee They will be designated as Assistant Librarian in the Selection Grade.

(v) The College Librarians who have been placed in the Senior Scale will also be eligible for placement in the Selection Grade of Rs. 12000-420-18300 if they fulfill the criteria prescribed for University Assistant Librarians (Senior Scale) as contained in paras (ii) & (iii) or (iv) above.

(vi) The Deputy Librarian/Assistant Librarian (Selection Grade)/College Librarian (Selection Grade with 5 years as on 1/1/1996 shall be eligible for placement at the minimum of Rs. 14940/- as done in the case of Readers.

2. Career Advancement Scheme for Assistant Director of Physical Education/College Director of Physical Education.

(i) Every Assistant DPE/College DPE who is in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 will be eligible for placement in the Senior Scale of Rs. 10000-375-15200 if he/she has:

(a) Completed six years of service as University Assistant DPE/College DPE after regular appointment;

(b) Passed the physical fitness test;

(c) Consistently good appraisal reports;

(d) Should have attended at least one orientation and one refresher course of not less than four weeks duration each with proper and well-defined evaluation procedure:

(ii) Every Assistant DPE in Universities who has been placed in the Senior Scale will be eligible for promotion to the post of deputy DPE in the scale of pay of Rs. 12000-420-18300 if he/she has:

(a) Obtained a Ph.D. degree in Physical Education, Candidates from outside the university system, in addition, shall also possess at least 55% of the marks or an equivalent grade of 2 in the UGC I point scale at the Mater's degree level.

(b) Five years experience as University Assistant DPE (Senior Scale)/ College DPE (Senior Scale) or in the equivalent post in the same pay scale (excluding three years of research experience for Ph.D.)

(c) Evidence of organizing competitions and conducting coaching camps.

(d) Evidence of having produced good performance teams/athletes for inter-university/combined university and at higher level etc.

(e) Passed the physical fitness test, and

(f) Consistently good appraisal reports

(iii) Promotion to the post of Deputy DPEs will be through a process of selection by a Selection Committee as in the case of promotion to the post of Readers. Posts of Deputy DPE will be created for this purpose by upgrading the post of Assistant DPEs (Senior Scale)

(iv) Those Assistant DPEs in the universities in the Senior Scale who do not have Ph.D. degree or equivalent published work, but fulfill the other criteria, mentioned in Para (ii) above, will be placed in the grade of Rs. 12000-420-18300 subject to the recommendations of the Committee. They will be designated as Assistant DPE in the Selection Grade.

(v) The College DPEs who have been placed in the Senior Scale will also be eligible for placement in the Selection Grade of Rs. 12000-420-18300 if they fulfill the criteria as prescribed for Assistant DPEs (Senior Scale) in Universities as contained in paras (ii) & (iii) or (iv) above. They will be designated as College DPEs in the selection grade.

(vi) The Deputy DPEs/Assistant DPEs (Selection Grade/ College DPEs Selection Grade) with 5 years as on 1.1.1996 shall be eligible for placement at the minimum of Rs. 14940/- as done in the case of Readers.

3. Date of Implementation of the revised Career Advancement Scheme.

The Career Advancement Schemes as mentioned above will be effective, for the present, from 27.7.1998, i.e. the date from

which the CAS for teachers is applicable under the existing orders, vide this Ministry's letter No. F.1-22/97.U.I. dated 27.7.1998.

4. Age of Superannuation

It has been decided that the age of superannuation for Assistant Librarians/College Libraries and Assistant Directors of Physical Education/College Directors of Physical Education would henceforth be 62 years.

The above scheme will come into force with immediate effect. These will be notified as regulations shortly. The Universities are requested to bring this to the notice of all the colleges affiliated to it for necessary action.

Yours faithfully

(Pankaj Mittal)
Joint Secretary

महत्वपूर्ण/फैक्स

संख्या-1230/सत्तर-4-2009-3(15)2009

प्रेषक,

अनिता मिश्र,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,

समस्त राज्य विश्वविद्यालय,

उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 05 मई, 2009

विषयः- विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों से प्रशासनिक/कार्यालयी तथा वित्तीय मामलों का निष्पादन न कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासन के संज्ञान में यह आया है कि कतिपय विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को प्रशासनिक अथवा कार्यालयी कार्यों सहित वित्तीय मामलों के निष्पादन हेतु तैनात कर दिया जाता है, जिसका कुप्रभाव जहाँ एक ओर उनके द्वारा पढायें जा रहे विषयों की शिक्षा-दीक्षा पर पड़ता है वहीं दूसरी ओर उनके द्वारा उच्च स्तरीय शोध कार्य किये जाने में भी अवरोध उत्पन्न होता है जिसके फलस्वरूप उच्च शिक्षा क्षेत्र की गुणवत्ता में भी ह्रास होता है। प्रशासनिक एवं वित्तीय नियमों/विनियमों की समुचित जानकारी के अीााव में शिक्षकों द्वारा ऐसी कार्यवाही सम्पादित कर दी जाती है, जो स्थापित व्यवस्था केप्रतिकूल होती है जिसके कारण विभिन्न प्रकार कर विसंगतियाँ उत्पन्न हो जाती है और कालान्तर में अन्तहीन न्यायिक विवादों को जन्म देती है।

2- उपर्युक्त तथ्यों के अन्तर्गत मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया अपने विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से केवल शिक्षण कार्य ही लिया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें

तथा यदि कोई शिक्षक प्रशासनिक/कार्यालयी अथवा वित्तीय प्रकरणों के निस्तारण हेतु जिम्मेदार बनाया गया हो, तो उसे तत्काल ऐसी जिम्मेदारी से मुक्त कराया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। जिन पदों पर प्रशासनिक/वित्तरय कार्यो हेतु अधिकारी को आवश्यकता हो तो कृपया तद्नुसार अपना सुस्पंष्ट प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय ताकि निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप तैनाती की जा सके।

भवदीया,

(अनिता मिश्र)

विशेष सचिव।

<u>संख्या-1230 (1)/सत्तर-4-2009, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि कुलसचिव/वित्त अधिकारी, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अनिता मिश्र)

विशेष सचिव।

समस्त राजकीय/वित्तपोषित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की सूची

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	स्थापना वर्ष	संचालित विषय/पाठ्यक्रम
	आजमगढ़		
1	शिब्ली नेशनल कालेज, आजमगढ़	1946	**स्नातक-** अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, इतिहास, भूगोल, अरबी, फारसी, राजनीति., संस्कृत, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, सैन्यविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, प्राचीन इतिहास, **बी.एड,**, बी.काम., विधि, भौतिक, रसायन, गणित, प्राणि, वनस्पति, बायोटेक्नोलॉजी, गृहविज्ञान, औद्योगिक रसायन, साँख्यिकी **स्नातकोत्तर-** एम.काम., उर्दू, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, हिन्दी, भूगोल, प्राणि, रसायन, गणित भौतिक, वनस्पति, अंगेजी, दर्शन
2	डी. ए. वी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आजमगढ़	1957	**स्नातक-** अंग्रेजी, इतिहास, हिन्दी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल, सैन्यविज्ञान, बी.काम., भौतिक, रसायन, गणित, प्राणि, वनस्पति, **स्नातकोत्तर-** हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल, गणित
3	श्री कृष्ण गीता महाविद्यालय, लालगंज, आजमगढ़	1974	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, प्रा. इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान, भूगोल, अंग्रेजी, समाजशास्त्र
4	श्री दुर्गाजी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चण्डेसर, आजमगढ़	1958	**स्नातक-** हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, संस्कृत, भूगोल, बी.एस-सी(कृषि), **बी.एड.**, भौतिक, रसायन, प्राणि, वनस्पति, गणित, शिक्षाशास्त्र **स्नातकोत्तर-** एम.एस-सी.(कृषि), वनस्पति, एग्रोनामी
5	गांधी शताब्दी स्मारक महाविद्यालय, कोयलसा, आजमगढ़	1971	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, दर्शनशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, प्राचीन इतिहास, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान **स्नातकोत्तर-** दर्शनशास्त्र, हिन्दी, संस्कृत
6	श्री अग्रसेन महिला स्नात्कोत्तर महाविद्यालय, आजमगढ़	1966	**स्नातक-** हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृत, मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, संगीत, **बी.एड.** **स्नातकोत्तर-** संस्कृत
7	शिवा महाविद्यालय, तेरही, कप्तानगंज, आजमगढ़	1965	**स्नातक-** अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, सैन्यविज्ञान **स्नातकोत्तर-** अर्थशास्त्र, प्राचीन इतिहास
8	कूबा महाविद्यालय, दरियापुर, नेवादा, आजमगढ़	1971	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, प्राचीन इतिहास, मनोविज्ञान ***स्नातकोत्तर-** हिन्दी, अर्थशास्त्र*
9	गाँधी स्मारक त्रिवेणी महाविद्यालय, बरदह, आजमगढ़	1970	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अंग्रेजी, भूगोल, सैन्यविज्ञान, मनोविज्ञान **स्नातकोत्तर-** हिन्दी, मनोविज्ञान, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र
10	श्री गाँधी स्नात्कोत्तर महाविद्यालय, मालटारी, आजमगढ़	1968	**स्नातक-** हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास भूगोल, उर्दू मनोविज्ञान, प्रा.इतिहास, **बी.एड.** **स्नातकोत्तर-** हिन्दी, समाजशास्त्र, भूगोल, प्राचीन इतिहास
11	राजदेव कृषक महाविद्यालय, सठियाँव, आजमगढ	1995	**स्नातक-** हिन्दी, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, संस्कृत, सैन्यविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, भूगोल, **बी.एड., बी.पी.एड.** **स्नातकोत्तर-** समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र
12	चौरी बेलहा महाविद्यालय, तरवाँ, आजमगढ	1995	**स्नातक-** हिन्दी, अंग्रेजी, भूगोल, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र
13	**राजकीय महिला महाविद्यालय, अम्बारी, आजमगढ**	1996	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति., गृहविज्ञान, भौतिकी, रसायन, प्राणि, वनस्पति, गणित
14	पूर्वान्चल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानी की सराय, आजमगढ़	1996	**स्नातक-** हिन्दी, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, शिक्षाशास्त्र, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, **बी.एड.**, अंग्रेजी, संस्कृत, बी.काम., बी.सी.ए. **स्नातकोत्तर-** शिक्षाशास्त्र, भूगोल

15	गौतम बुद्ध पंचशील महाविद्यालय, एदिलपुर, आजमगढ़	1996	**स्नातक**- हिन्दी, समाजशास्त्र, इतिहास, शिक्षाशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान
16	मगरावाँ महाविद्यालय, मगरावाँ, आजमगढ़	1997	**स्नातक**- हिन्दी, उर्दू, अरबी, समाजशास्त्र, अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र
17	ग्राम समाज महाविद्यालय, जयस्थली, बाबू की खजुरी, आजमगढ़	1998	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, गृहविज्ञान, प्रा.इतिहास, सैन्यविज्ञान, **बी.एड.**, शिक्षाशास्त्र, मनोविज्ञान **स्नातकोत्तर**- भूगोल, समाजशास्त्र
18	कृष्णा पटेल महाविद्यालय, रोहूवार, बैदौली, आजमगढ़	1998	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान, भूगोल
19	श्री भवानन्द बालिका महाविद्यालय, पुनर्जी जहानागंज, आजमगढ़	1999	**स्नातक**- संस्कृत, हिन्दी, समाजशास्त्र, इतिहास, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान
20	श्री बाबा साधवराम महाविद्यालय, कोईनहा, बढसरा. आजमगढ़	1999	**स्नातक**- हिन्दी, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, भौतिक, रसायन, जन्तु, वनस्पति, गणित **स्नातकोत्तर**- हिन्दी, समाजशास्त्र
21	श्री कृष्णन महाविद्यालय, बासँगव, आजमगढ़	2000	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, प्रा.इतिहास, मनोविज्ञान, भूगोल, संस्कृत
22	माँ शारदा महाविद्यालय, शम्भूपुर गहजी, आजमगढ़	2000 2006	**स्नातक**- शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, भूगोल, गृहविज्ञान, राजनीतिशास्त्र, हिन्दी, भौतिकी, रसायन, प्राणि, वनस्पति, गणित, **बी.एड.**, संस्कृत, मनोविज्ञान, अंग्रेजी, सैन्यविज्ञान **स्नातकोत्तर**-भूगोल, शिक्षाशास्त्र, रसायन, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, जन्तु विज्ञान **बी.पी.एड.** (50 सीट, 01.07.2007 से एक वर्ष की अवधि के लिये)
23	रामराजी देवी महिला महाविद्यालय, सुराई, आजमगढ़	2000	**स्नातक**- हिन्दी, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, इतिहास, गृहविज्ञान, उर्दू, संस्कृत, **बी.एड.**
24	देवी श्रृगांरमती महाविद्यालय, अनन्तपुर बढ़या, आजमगढ़	2000	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास
25	राम सुभग किसान महाविद्यालय, सरायमीर, आजमगढ़	2001	**स्नातक**- हिन्दी, समाजशास्त्र, भूगोल, प्रा. इतिहास, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, उर्दू
26	राजदेई देवी महाविद्यालय, संग्रामपुर, दीदारगंज, आजमगढ़	2001	**स्नातक**- हिन्दी, समाजशास्त्र, अंग्रेजी, प्रा.इतिहास, राजनीतिशास्त्र, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान
27	श्री हरिशंकर जी महाविद्यालय, रामपुर, जहानागंज, आजमगढ़	2001	**स्नातक**- हिन्दी, समाजशास्त्र, अंग्रेजी, शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, सैन्यविज्ञान, संस्कृत, गृहविज्ञान, भूगोल, **बी.एड.**
28	सीताराम सिंह रामानन्द सिंह स्मारक महावि., समेदा, आजमगढ़	2002	**स्नातक**- हिन्दी, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, प्राचीन इतिहास, गृहविज्ञान
29	कृष्णा महाविद्यालय, बागेश्वर नगर, रोडवेज, आजमगढ़	2002	**स्नातक**- भौतिकी, रसायन, प्राणि, वनस्पति, गणित, हिन्दी, अंग्रेजी, भूगोल, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र
30	श्री कमलनाथ सिंह महाविद्यालय, बरोही, फत्तेहपुर, आजमगढ़	2002	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, गृहविज्ञान, अंग्रेजी
31	स्वामी सहजानन्द जनता महाविद्यालय, हरैया, आजमगढ़	2002	**स्नातक**- हिन्दी, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, .भूगोल, गृहविज्ञान, राजनीतिशास्त्र, **बी.एड.**, संस्कृत, इतिहास **स्नातकोत्तर**- समाजशास्त्र, भूगोल
32	मथुरा राय महिला महाविद्यालय, मालटारी, आजमगढ़	2002	**स्नातक**- हिन्दी, समाजशास्त्र, संस्कृत, प्रा.इतिहास, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान
33	धनपत्ती धर्मा महाविद्यालय, खेमउपुर, आजमगढ़	2003	**स्नातक**- भौतिकी, रसायन, वनस्पति, प्राणि, गणित, **बी.एड.**
34	माँ शारदा विधि महाविद्यालय, शम्भूपुर गहजी, आजमगढ़	2003	**स्नातक**- एल.एल.बी.
35	बाबा नैपाल स्मारक महाविद्यालय, ब्रह्मपुर (लाटघाट), आजमगढ़	2003	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, भूगोल, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान, प्राचीन इतिहास, **बी.पी.एड.** **स्नातकोत्तर**- हिन्दी, संस्कृत
36	फेंकू सिंह महाविद्यालय, चेवार, आजमगढ़	2004	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, प्राचीन इतिहास

37	राजबहादुर सिंह स्मारक महाविद्यालय, हमीदपुर, आजमगढ़	2004	**स्नातक**- हिन्दी, भूगोल, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान, शिक्षाशास्त्र
38	चेरब डिग्री कालेज, एकरामपुर, आजमगढ़	2004	**स्नातक**- हिन्दी, भूगोल, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, उर्द, प्राचीन इतिहास
39	रामदेव मेमोरियल महाविद्यालय, रानीपुर रजमो, मुहम्मदपुर, आजमगढ़	2004	**स्नातक**- हिन्दी, भूगोल, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान, इतिहास, अंग्रेजी, मनोविज्ञान
40	डॉ. सुशीला ग्रामीण महाविद्यालय, रतुआपार लखनडीह, आजमगढ़	2004	**स्नातक**- हिन्दी, भूगोल, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र गृहविज्ञान. प्राचीन इतिहास
41	श्री रामाश्रय जगदम्बा ग्रामीण महाविद्यालय, जमुवां, आजमगढ़	2004	**स्नातक**- हिन्दी, भूगोल, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान. प्राचीन इतिहास
42	श्री शारदा महाविद्यालय, खोर्रमपुर, बेलऊ, आजमगढ़	2004	**स्नातक**- हिन्दी, भूगोल, उर्दू, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, प्राचीन इतिहास, गृहविज्ञान, मनोविज्ञान, भौतिक, रसायन, प्राणि, वनस्पति, गणित **स्नातकोत्तर**- हिन्दी, समाजशास्त्र
43	रामबली धर्मदेव रामसूरत महाविद्यालय, सलारपुर, पवई, आजमगढ़	2004	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, भूगोल
44	रामपूजन स्मारक महाविद्यालय, गोरहरपुर, अतरोलिया, आजमगढ़	2005	**स्नातक**- हिन्दी संस्कृत, प्रा. इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र
45	बाबा विश्वनाथ महाविद्यालय, निबी, मुहम्मदल्ला, आजमगढ़	2005	**स्नातक**- हिन्दी, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान, प्राचीन इतिहास
46	माँ धनावती महाविद्यालय, सिंहपुर, आजमगढ़	2005	**स्नातक**- हिन्दी, समाजशास्त्र, संस्कृत, भूगोल, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान, प्राचीन इतिहास
47	श्री रामदवर पाण्डेय महाविद्यालय, लारादपुर, ओरिल, आजमगढ़	2005	**स्नातक**- हिन्दी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, प्राचीन इतिहास
48	मिर्जा अहसनुल्लाह बेग निस्वॉ बालिका महावि., अन्जान शहीद, आजमगढ़	2005	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, मध्यकालीन इतिहास
49	श्री जगदीश नारायण महेन्द्र प्रसाद महाविद्यालय, रम्घूपुर, आजमगढ़	2005	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गृहविज्ञान, भूगोल, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र
50	माँ बबुना बालिका महाविद्यालय, बड़गहन, आजमगढ़	2005	**स्नातक**- हिन्दी, प्राचीन इतिहास, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल
51	कुमुद सिंह, महाविद्यालय, मसुरियापुर, नैनीजोर, आजमगढ़	2005	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, भूगोल, गृहविज्ञान
52	बाबा रामटहल दास विशाल महाविद्यालय, भरथीपुर, आजमगढ़	2005	**स्नातक**- हिन्दी, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, प्रा. इतिहास, गृहविज्ञान, संस्कृत
53	डॉ. भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय, मऊपरासिन मेहनाजपुर, आजमगढ़	2005	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र
54	माँ. कुब्रा नेशनल महावि. गन्धुवई, निजामाबाद, आजमगढ़	2005	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान
55	भगवान आदर्श महाविद्यालय, चक्रपाणिपुर (कनैला), आजमगढ़	2005	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, गृहविज्ञान, राजनीतिशास्त्र, भूगोल
56	हरि ओम महाविद्यालय, अतरैठ, आजमगढ़	2005	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, गृहविज्ञान, दर्शनशास्त्र, अंग्रेजी, समाजशास्त्र
57	डॉ. राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय, बेलवाना, आजमगढ़	2005	**स्नातक**- हिन्दी, समाजशास्त्र, प्राइतिहास, मनोविज्ञान, भूगोल, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र
58	डेन्टल कालेज, आजमगढ़	2005	**स्नातक**- बी.डी.एस.
59	मैना देवी महाविद्यालय, बैदोली, आजमगढ़	2006	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, भूगोल, गृहविज्ञान, दर्शनशास्त्र
60	राजीव गाँधी महाविद्यालय, बल्देव, मन्दुरी, कप्तानगंज, आजमगढ़।	2006	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, गृहविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र
61	आदर्श देवकली बाबा स्मारक महाविद्यालय, उदैना, अहिरौला, आजमगढ़	2006	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, गृहविज्ञान, भूगोल, प्रा. इतिहास, राजनीतिशास्त्र

62	कोमल साहू स्मारक महाविद्यालय, पूनापर (बड़ागाँव), जीयनपुर, आजमगढ़	2006	**स्नातक-** हिन्दी, अंग्रेजी, भूगोल, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र
63	श्री बद्री प्रसाद महाविद्यालय, आरिफपुर, सगड़ी, आजमगढ़	2006	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, गृहविज्ञान, भूगोल, प्राचीनइतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र
64	सुशीला राय महिला महाविद्यालय, सराय मोहन आजमगढ़	2007	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल, प्राचीन इतिहास
65	माँ मुराती बालिका महाविद्यालय, बलरामपुर आजमगढ़	2007	**स्नातक-** हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान, शिक्षाशास्त्र
66	बाबू नक्की सिंह स्मारक महाविद्यालय, मोहब्बतपुर, शाहगढ़, आजमगढ	2007	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान
67	गंगा गौरी महाविद्यालय, रामनगर, बैजाबारी, आजमगढ़	2007	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, प्राचीन इतिहास
68	स्व. ईशदत्त स्मारक महाविद्यालय, देवारा कदीम, महराजगंज, आजमगढ़	2007	**स्नातक-** हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, भूगोल, गृहविज्ञान
69	जय माँ वैष्णे महाविद्यालय, गहनी, आजमगढ़	2007	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, म.का. इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र
70	इं. राधेश्याम स्मारक महाविद्यालय, सराय सैफ, संजरपुर, आजमगढ़	2007	**स्नातक-** हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति., मध्यकालीन इतिहास
71	बैजनाथ रामनरेश महाविद्यालय, काजीपुर, बड़हजगंज, आजमगढ़	2008	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, प्राचीन इतिहास, गृहविज्ञान
72	रामनाथ धनन्जय स्मारक महिला महाविद्यालय, जगदीशपुर, अतरौलिया, आजमगढ़	2008	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान
73	राम बचन यादव महाविद्यालय, बहाउद्दीनपुर, खुरासों, फूलपुर, आजमगढ़	2008	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, प्राचीन इतिहास, मनोविज्ञान, भूगोल
74	बाबू कमता सिंह महाविद्यालय, लफिया, लालगंज, आजमगढ़	2008	**स्नातक-** हिन्दी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, गृहविज्ञान
75	बाबा सहेरू दास स्मारक (बी.एस.डी.एस.) महाविद्यालय, नन्दांव, आजमगढ़	2008	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान
76	श्री काशी चन्द्रदेव यादव महाविद्यालय, हाजीपुर बम्हौर, आजमगढ़	2008 2008	**स्नातक-** हिन्दी, भूगोल, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, म.का. इतिहास, राजनीतिशास्त्र, उर्दू **स्नातक-** भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान
77	शान्ती सुदामा स्मारक महाविद्यालय, अमौड़ा, आजमगढ़	2008	**स्नातक-** हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, संस्कृत, भूगोल, गृहविज्ञान
78	जमुना केशव सिंह मेमोरियल महाविद्यालय, नुआंवा, सम्मोपुर, आजमगढ़	2008	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, प्रा.इतिहास, भूगोल, गृहविज्ञान
79	योगेन्दर महाविद्यालय, कम्हरिया, खरिहानी, आजमगढ़	2008	**स्नातक-** हिन्दी, भूगोल, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, मनोविज्ञान, राजनीतिशास्त्र
80	पलकधारी सिंह महिला महाविद्यालय, इटौरा, चण्डेश्वर, आजमगढ़	2008	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान, उर्दू
81	एम.के. राय दीप आदर्श बालिका महाविद्यालय, भगवानपुर, ठेकमा, आजमगढ़	2008	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, गृहविज्ञान, म.का. इतिहास
82	रामनयन स्मारक महिला महाविद्यालय, डिबनियां, सिकहुला, कोयलसा, आजमगढ़	2008	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, गृहविज्ञान, प्राचीन इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र
83	देवी श्यामरथी महिला महाविद्यालय, साधवगंज, बरसरा, खालसा, आजमगढ़	2008	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, भूगोल, प्राचीन इतिहास, गृहविज्ञान, सैन्य विज्ञान
84	बाबा बैजनाथ जी महाविद्यालय, गोधपुर, किशुनदासपुर, आजमगढ़	2008	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, गृहविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र

	मऊ		
1	डी.सी.एस.के. महाविद्यालय, मऊ	1966	**स्नातक**- अंग्रेजी, हिन्दी, अर्थशास्त्र, इतिहास, संस्कृत, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, उर्दू, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, भौतिक, रसायन, प्राणि, वनस्पति, गणित, पत्रकारिता एवं जनसंचार **स्नातकोत्तर**- हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू
2	जनता महाविद्यालय, रानीपुर, मऊ	1965	**स्नातक**- अंग्रेजी, हिन्दी, इतिहास, भूगोल, राजनीति., अर्थशास्त्र, संस्कृत, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, उर्दू **स्नातकोत्तर**- हिन्दी, संस्कृत
3	मर्यादा पुरूषोतम महाविद्यालय, भुड़सुरी, रतनपुरा, मऊ	1972	**स्नातक**- हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, प्राचीन इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, सैन्यविज्ञान, संस्कृत
4	**सन्त गणिनाथ राजकीय महाविद्यालय, मोहम्मदाबाद गोहना, मऊ**	1979	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति., अर्थशास्त्र, भौतिक, रसायन, गणित, उर्दू, गृहविज्ञान, मनोविज्ञान, सैन्य विज्ञान, शिक्षाशास्त्र, भूगोल, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान **स्नातकोत्तर**- समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित
5	सर्वोदय डिग्री कालेज, घोसी, मऊ	1971	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, उर्दू, भूगोल, मनोविज्ञान, इतिहास **स्नातकोत्तर**- हिन्दी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र
6	श्री राम लच्छन महाविद्यालय, अमिला, मऊ	1993	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति., अर्थशास्त्र, गृहविज्ञान, भूगोल
7	तालिमुद्दीन निस्वाँ महाविद्यालय, मऊ	1994	**स्नातक**- हिन्दी, उर्दू, शिक्षाशास्त्र, अंग्रेजी, इतिहास, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, मनोविज्ञान, **बी.एड.**
8	डॉ. भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय, इन्दारा, मऊ	1995	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, राजनीति., शिक्षाशास्त्र, **बी.एड.**
9	पार्वती महिला डिग्री कालेज, दोहरीघाट, मऊ	1998	**स्नातक**- हिन्दी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, गृहविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, **बी.एड.** **स्नातकोत्तर**- गृहविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, हिन्दी, समाजशास्त्र
10	बाबा थानीदास बालिका, महाविद्यालय, गोफा, अमिला, मऊ	1999	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान
11	शिवानन्द महाविद्यालय, इन्दारा, मऊ	2000	**स्नातक**- हिन्दी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, भूगोल, शिक्षाशास्त्र, संस्कृत, गृहविज्ञान, भौतिकी, रसायन, प्राणि विज्ञान, वनस्पति, गणित
12	नामवर खुद्दन किसान महाविद्यालय, सिरसा, चिरैयाकोट, मऊ	2001	**स्नातक**- हिन्दी, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र
13	बिन्देश्वरी महावि. धनरियासाथ, मऊ	2001	**स्नातक**- हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृत, इतिहास, गृहविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, **बी.एड.**, अंग्रेजी, भूगोल
14	किसान मजदूर महाविद्यालय, भीटी, मऊ	2001	**स्नातक**- भौतिक, रसायन, जन्तु, वनस्पति, गणित, हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, गृहविज्ञान
15	ऋषि राम नरेश औषक महाविद्यालय, मोलनापुर, दुबारी, मऊ	2001	**स्नातक**- हिन्दी, समाजशास्त्र, भूगोल, गृहविज्ञान, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, इतिहास
16	केशव मा. बैजनाथ महाविद्यालय, चकविलायत, दरगाह, मऊ	2001	**स्नातक**- हिन्दी, समाजशास्त्र, भूगोल, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, अंग्रेजी, प्राचीन इतिहास
17	पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय, मऊ	2001	**स्नातक**- हिन्दी, समाजशास्त्र, भूगोल, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, प्राचीन इतिहास, **बी.एड.**, भौतिक, रसायन, प्राणि, वनस्पति, गणित
18	कृषक महाविद्यालय, कोइरियापार, मऊ	2001	**स्नातक**- हिन्दी, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, इतिहास, **बी.एड.**
19	पब्लिक महिला सहर महविद्यालय, बरामदपुर, मोहम्मदाबाद, मऊ	2002	**स्नातक**- हिन्दी, समाजशास्त्र, गृहाविज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, इतिहास, **बी.एड.**, शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, बी.सी.ए. **स्नातकोत्तर**- गृहविज्ञान, समाजशास्त्र

20	रामनवल सिंह स्मारक महाविद्यालय, चिरैयाकोट, मऊ	2002 2008	**स्नातक-** हिन्दी, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, संस्कृत, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, प्राचीन इतिहास, **बी.एड., बी.पी.एड.** **स्नातकोत्तर-** गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, **एम.एड.**
21	रामसुन्दर पाण्डेय महाविद्यालय, गजियापुर, मऊ	2003	**स्नातक-** हिन्दी, समाजशास्त्र, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, राजनीति., प्राचीन इतिहास,
22	रामधारी चौहान महाविद्यालय, खिरिया, मऊ	2003	**स्नातक-** हिन्दी, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, संस्कृत, भूगोल, गृहविज्ञान, इतिहास,
23	जगरूप यादव स्मारक विधि महाविद्यालय, इन्दारा मऊ	2003	**स्नातक-** एल.एल.बी.
24	राजीव गाँधी महिला महाविद्यालय, परदहां, मऊ	2004	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अंग्रेजी, इतिहास, गृहविज्ञान
25	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी महेन्द्र महाविद्यालय, हलधरपुर, मऊ	2004	**स्नातक-** हिन्दी, भूगोल, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान
26	श्री कृष्णा अम्बेडकर महाविद्यालय, मधुवन, मऊ	2004	**स्नातक-** हिन्दी, भूगोल, प्रा. इतिहास, समाजशास्त्र, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान
27	श्री शिवबाबा महाविद्यालय, दादनपुर, अल्लुपुर, पिड़सई, मऊ	2004	**स्नातक-** हिन्दी, भूगोल, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र
28	वी.एस.एस. महाविद्यालय, कोपागंज, मऊ	2004	**स्नातक-** हिन्दी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, संस्कृत, गृहविज्ञान, इतिहास, शिक्षाशास्त्र
29	महादेव महाविद्यालय, नरूबाडीह, गहना, मऊ	2005	**स्नातक-** हिन्दी, समाजशास्त्र, संस्कृत, शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, प्राचीन इतिहास, भूगोल
30	मजिदुन निशा गर्ल्स डिग्री कालेज, कोपागंज, मऊ	2005	**स्नातक-** हिन्दी, गृहविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, उर्दू, मध्यकालीन इतिहास, भूगोल
31	लक्ष्मी नारायण महाविद्यालय, कुशमौर, पखईपुर, मऊ	2005	**स्नातक-** हिन्दी, समाजशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान
32	महर्षि बाबा लोदीदास महाविद्यालय, खुरहट, मऊ	2005	**स्नातक-** हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, शिक्षाशास्त्र
33	रामधन दामोदर महाविद्यालय, कसारा, मऊ	2005	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, भूगोल, राजनीतिशास्त्र
34	राम लगन महाविद्यालय, जमालपुर, मिर्जापुर, घोसी, मऊ	2005	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, भूगोल, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान, उर्दू, अंग्रेजी, शिक्षाशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित **स्नातकोत्तर-** गृहविज्ञान, समाजशास्त्र
35	नागेश्वर पाण्डेय महाविद्यालय, पीपरसाथ, मऊ	2005	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, गृहविज्ञान, राजनीतिशास्त्र
36	माता दूजा देवी निकुम्भ महिला महाविद्यालय, कुशमौर, कैथवली, मऊ	2005	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान
37	श्रीमती इंदिरागांधी महाविद्यालय, डमुरी, मर्यादपुर, मऊ (महिला से सहशिक्षा)	2005	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, भूगोल, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र **स्नातकोत्तर-** उर्दू, गृहविज्ञान
38	डी.एस.एस.ए. बालिका महाविद्यालय, दादनपुर, अहिरौली, मऊ	2006	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, मनोविज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र
39	डॉ. भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय, चकरा, बासुनगर, दरगाह, मऊ	2006	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, प्रा.इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी
40	**राम बचन सिंह राजकीय महिला महाविद्यालय, बगली पिजड़ा, मऊ**	2006	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र
41	छोटे लोहिया महाविद्यालय, जमुनीपुर चकेसर, काशीधाम, सूरजपुर, मऊ	2006	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र, भूगोल
42	हरिपाल जी स्मारक महाविद्यालय, दरौरा, मऊ	2007	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीति., गृहविज्ञान
43	शान्ति महिला महाविद्यालय, भोपौरा, मऊ	2007	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीति., अंग्रेजी

44	कुमार परमार्थ बाबा गोविन्द महाविद्यालय, कल्याणपुर, मऊ	2007	**स्नातक-** हिन्दी, भूगोल, संस्कृत, गृहविज्ञान, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र
45	लालसर औषक महाविद्यालय, टकटेउवा, रामपुर, मऊ	2007	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, प्रा. इतिहास, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र
46	राजनाथ महाविद्यालय, शुक्ल पट्टी, कठतराँव, मऊ	2007	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, भूगोल, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र
47	राम उग्रह मुनेश्वरी महाविद्यालय, कझा कोठी, मऊ	2008	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, भूगोल, गृहविज्ञान, सैन्य विज्ञान, मनोविज्ञान
48	मुसाफिर प्रभावती महाविद्यालय, सलाहाबाद (बचौना), मऊ	2008	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, भूगोल, गृहविज्ञान, म.का. इतिहास, राजनीतिशास्त्र
49	रामदेव रामहर्ष किसान महाविद्यालय, चिरैयाकोट मऊ	2008	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, म.का. इतिहास, गृहविज्ञान
50	सुखराम सिंह महाविद्यालय, सरवां, मऊ	2008	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, भूगोल, प्राचीन इतिहास, गृहविज्ञान, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र
51	एच.एम. महाविद्यालय, पीवाताल, मऊ	2008	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, गृहविज्ञान, उर्दू
	गाजीपुर		
1	किसान महाविद्यालय, बघाँव, गाजीपुर	1991	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल, दर्शनशास्त्र, सैन्यविज्ञान, **बी.पी.एड.**, मनोविज्ञान, **बी.एड.** **स्नातकोत्तर-** समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास
2	हिन्दू डिग्री कालेज, जमानियाँ, गाजीपुर	1957	**स्नातक-** अंग्रेजी, हिन्दी, अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, संस्कृत, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, भौतिक, रसायन, गणित
3	स्वामी सहजानन्द महाविद्यालय, गाजीपुर	1972	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, मनोविज्ञान, सैन्यविज्ञान, प्राचीन इतिहास, दर्शनशास्त्र, उर्दू, बी.काम. **स्नातकोत्तर-** हिन्दी, राजनीतिशास्त्र
4	मल्किपुरा डिग्री कालेज, मल्किपुरा, गाजीपुर	1973	**स्नातक-** हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, संस्कृत, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, शिक्षाशास्त्र, सैन्यविज्ञान, मनोविज्ञान, बी.काम. **स्नातकोत्तर-** एम.काम., भूगोल
5	समता स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सादात, गाजीपुर	1978	**स्नातक-** हिन्दी, इतिहास, अंग्रेजी, भूगोल, समाजशास्त्र, संस्कृत, गणित, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, अर्थशास्त्र, सैन्यविज्ञान, **बी.पी.एड.** (50 सीट) **स्नातकोत्तर-** हिन्दी, भूगोल, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र
6	**राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर**	1979	**स्नातक-** प्राचीन इतिहास, गृहविज्ञान, राजनीतिशास्त्र, संगीत, अर्थशास्त्र, इतिहास, अंग्रेजी, उर्दू, हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र, चित्रकला, रसायन, प्राणि, वनस्पति, भूगर्भशास्त्र **स्नातकोत्तर-** अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, हिन्दी, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, प्राचीन इतिहास,
7	खरडीहा महाविद्यालय, खरडीहा, गाजीपुर	1973	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, भूगोल
8	म.ग.श. स्मारक महाविद्यालय, गरुआ मकसूदपुर, गाजीपुर	1972	**स्नातक-** हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, संस्कत, दर्शनशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, अंग्रेजी, समाजशास्त्र
9	महन्थ रामाश्रय दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भुडकुडा, गाजीपुर	1972	**स्नातक-** हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, प्रा. इतिहास, संस्कृत, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, सैन्यविज्ञान, गृहविज्ञान, **बी.एड.**, बी.काम., भौतिक, रसायन, प्राणि, वनस्पति, गणित **स्नातकोत्तर-** भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, हिन्दी, अर्थशास्त्र
10	गदाधर श्लोक महाविद्यालय, रेवतीपुर, गाजीपुर	1991	**स्नातक-** हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, भूगोल
11	**पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय, सैदपुर, गाजीपुर**	1988	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, भौतिक, रसायन, जन्तु, वनस्पति, गणित

12	बाबा गजाधरदास बालिका महाविद्यालय, आतमपुर, छपरा, गाजीपुर	1991	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान, प्राचीन इतिहास, **बी.एड.** **स्नातकोत्तर**- हिन्दी, गृहविज्ञान
13	स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर	1957	**स्नातक**- अंग्रेजी, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, हिन्दी, भूगोल, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृत, मनोविज्ञान, सैन्यविज्ञान, संगीत, **बी.एड.**, बी.एस.सी.(कृषि), भौतिक, रसायन, प्राणि, वनस्पति, गणित, बी.पी.ई., सेरीकल्चर, कम्प्यूटर एप्लीकेशन **स्नातकोत्तर**- हिन्दी, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, संस्कृत, गणित, वनस्पति, पर्यावरण सांइस, कृषि वनस्पति, अर्थशास्त्र, कीट विज्ञान, उद्यान विज्ञान, अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र
14	बापू महाविद्यालय, सादात्, गाजीपुर	1993	**स्नातक**- भौतिक, रसायन, प्राणि, वनस्पति, गणित, हिन्दी, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, प्रा. इतिहास, सैन्यविज्ञान
15	राजकिशोर महाविद्यालय, बरूईन, गाजीपुर	1993	**स्नातक**- **बी.एड.**, हिन्दी, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल, दर्शनशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, संस्कृत, गृहविज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान **स्नातकोत्तर**- हिन्दी, समाजशास्त्र
16	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर कृषक महाविद्यालय, जलालाबाद, दुल्लहपुर, गाजीपुर	1993	**स्नातक**- हिन्दी, इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र
17	श्री रमाशंकर बाल गोपाल महाविद्यालय, नसीरपुर, गाजीपुर	1994	**स्नातक**- हिन्दी, समाजशास्त्र, भूगोल, शिक्षाशास्त्र, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र, भौतिक, रसायन, वनस्पति, गणित, जन्तु
18	महन्थ पवाहारी श्रीबाल. कन्या महाविद्यालय, हथियाराम, गाजीपुर	1994	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, प्रा. इतिहास, राजनीतिशास्त्र, कम्प्यूटर एप्लीकेशन **स्नातकोत्तर**- हिन्दी, गृहविज्ञान
19	हनुमान सिंह महाविद्यालय, देवकली, गाजीपुर	1994	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, प्रा.इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, गृहविज्ञान
20	**शहीद स्मारक राजकीय महाविद्यालय, युसुफपुर, गाजीपुर**	1995	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, मनोविज्ञान, भूगोल, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र
21	संत बूला सत्यनाम दास बीरबल महाविद्यालय, अमारी, दुल्लहपुर, गाजीपुर	1995	**स्नातक**- **बी.एड.**, **बी.पी.एड,**, हिन्दी, भूगोल, प्राचीन इतिहास, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, संस्कृत, गृहविज्ञान, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र **स्नातकोत्तर**- समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, भूगोल, राजनीतिशास्त्र
22	श्री रामकरन महाविद्यालय, इशोपुर, गाजीपुर	1995	**स्नातक**- हिन्दी, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, प्राचीन इतिहास, अंग्रेजी, गृहविज्ञान, शिक्षाशास्त्र
23	माँ कामाख्या महाविद्यालय, गहमर, गाजीपुर	1996	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, उर्दू
24	राम रहीम महाविद्यालय, गहमर, गाजीपुर	1996	**स्नातक**- उर्दू, अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीति., अर्थशास्त्र, इतिहास,
25	महाविद्यालय अकराँव, शादियाबाद, गाजीपुर	1996	**स्नातक**- हिन्दी, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास
26	श्री राधारमण महाविद्यालय विद्यापीठ, रुहीपुर, गाजीपुर	1997	**स्नातक**- हिन्दी, भूगोल, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र
27	श्री बंशी बालगोपाल महाविद्यालय, सगरा, गाजीपुर	1997	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, भूगोल, सैन्यविज्ञान, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, **बी.एड.**
28	डॉ. राममनोहर लोहिया महाविद्यालय, झोटारी, धामूपुर, गाजीपुर	1998	**स्नातक**- भौतिक, रसायन, प्राणि, वनस्पति, गणित, सैन्यविज्ञान, **बी.एड.**, हिन्दी, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, भूगोल, इतिहास, मनोविज्ञान, राजनीतिशास्त्र, संस्कृत **स्नातकोत्तर**- रसायन, वनस्पति, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान
29	माँ बागेश्वरी देवी महिला महाविद्यालय, गाजीपुर	1998	**स्नातक**- हिन्दी, समाजशास्त्र, संस्कृत, गृहविज्ञान, भूगोल, मनोविज्ञान
30	शबरी बालिका महाविद्यालय, सिखड़ी, गाजीपुर	1999	**स्नातक**- हिन्दी, मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, **बी.एड.**

31	रामनगीना किसान महाविद्यालय, मुडियारी, जखनियाँ, गाजीपुर	1999	**स्नातक**- हिन्दी, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, संस्कृत, कम्प्यूटर एप्ली., **बी.एड.** **स्नातकोत्तर**- समाजशास्त्र, भूगोल, प्राचीन इतिहास, गृहविज्ञान
32	कृषक महाविद्यालय, उकराँव, बहरियाबाद, गाजीपुर	1999	**स्नातक**- हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, प्राचीन इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, **बी.एड.**
33	प्रभु नारायण सिंह महाविद्यालय, बघेलवंशीय, आश्रम, गाजीपुर	1999	**स्नातक**- हिन्दी, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, **बी.एड.**
34	श्री मेघबरन सिंह महाविद्यालय, भदैला, करमपुर, गाजीपुर	1999	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, प्राचीन इतिहास, गृहविज्ञान, भूगोल
35	महामण्डलेश्वर श्री बालकृष्ण यति महाविद्यालय, बिन्द्रावन, गाजीपुर	2000	**स्नातक**- हिन्दी, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, प्राचीन इतिहास
36	संत लखनदास नागबाबा पचोत्तर, महाविद्यालय, मरदह, गाजीपुर	2000	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, मध्यकालीन इतिहास, अंग्रेजी, गृहविज्ञान, **बी.एड,, बी.पी.एड.**
37	श्री रामदास महाविद्यालय, दुल्लहपुर, गाजीपुर	2001	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, भूगोल
38	गुरू फूलचन्द महाविद्यालय, दौलतपुर, गाजीपुर	2001	**स्नातक**-हिन्दी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, शिक्षाशास्त्र, भूगोल, गृहविज्ञान, **बी.एड.** **स्नातकोत्तर**- गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, **एम.एड.**
39	गोपीनाथ महाविद्यालय, देवली, सलामतपुर, गाजीपुर	2001	**स्नातक**-हिन्दी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, शिक्षाशास्त्र, भूगोल, गृहविज्ञान, **बी.एड.**, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत **स्नातकोत्तर**- भूगोल, गृहविज्ञान, हिन्दी, समाजशास्त्र, मध्यकालीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र
40	डॉ. राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय, ढोटारी, अध्यात्मपुरम, गाजीपुर	2001	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, बी.एड
41	पं. रामस्वरूप द्विवेदी महाविद्यालय, करण्डा, गाजीपुर	2001	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सैन्यविज्ञान, **बी.एड.**
42	श्री हरिशंकर महाविद्यालय, जमुवारी, बहलोलपुर, गाजीपुर	2001	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, मनोविज्ञान, उर्दू **स्नातकोत्तर**- गृहविज्ञान, समाजशास्त्र
43	शास्त्री दीपन चौधरी महाविद्यालय, भदेव प्रेमक्र पुरा. गाजीपुर	2002	**स्नातक**- हिन्दी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अंगेजी, भूगोल, संस्कृत, गृहविज्ञान
44	श्री शिव महाविद्यालय, फरीदहां, खानपुर, गाजीपुर	2002	**स्नातक**- हिन्दी, समाजशास्त्र, इतिहास, अंग्रेजी, भूगोल, अर्थशास्त्र, गृहविज्ञान **स्नातकोत्तर**- समाजशास्त्र, गृहविज्ञान
45	मुखराम किसान महाविद्यालय, डहराकला, गाजीपुर	2002	**स्नातक**- हिन्दी, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, संस्कृत, भूगोल, अर्थशास्त्र, गृहविज्ञान
46	हरिश्चन्द्र महाविद्यालय, कवला, जखनियाँ, गाजीपुर	2003	**स्नातक**- हिन्दी, समाजशास्त्र, इतिहास, संस्कृत, भूगोल, गृहविज्ञान, शिक्षाशास्त्र
47	श्री महन्थ मणिराजदास बलिराज महाविद्यालय, नसरतपुर, बरही, गजीपुर	2003	**स्नातक**- हिन्दी, समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान
48	बाबा जंगली महाविद्यालय सलेमपुर वाजिदपुर, गाजीपुर	2003	**स्नातक**- हिन्दी, समाजशास्त्र, इतिहास, संस्कृत, भूगोल, गृहविज्ञान, शिक्षाशास्त्र
49	बल्देव श्रीधर विधि महाविद्यालय मगरहां, गाजीपुर	2003	**स्नातक**- एल.एल.बी.
50	किसान विधि महाविद्यालय मुड़ियारी जखनियाँ, गजीपुर	2003	**स्नातक**- एल.एल.बी.
51	सुखदेव किसान महावि. फूलपुर बुढ़ानपुर, गाजीपुर	2004	**स्नातक**- हिन्दी, अर्थशास्त्र, संस्कृत, भूगोल, गृहविज्ञान, राजनीति., समाजशास्त्र
52	ओम विश्वनाथ स्वर्णमासुख महाविद्यालय, खुदाबक्सपुर, दुल्लहपुर, गाजीपुर	2004	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, संस्कृत, भूगोल, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र
53	पचोत्तर महाविद्यालय, मरदह, गाजीपुर	2004	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान, समाज., प्राचीन इतिहास
54	काशीनाथ महाविद्यालय, नरायनपुर कक्रही, दौलतपुर, गाजीपुर	2004	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, शिक्षाशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र

55	कृष्ण सुदामा महाविद्यालय, मरदापुर, दौलतनगर, गाजीपुर	2004	**स्नातक**- हिन्दी, इतिहास, संस्कृत, शिक्षाशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, **बी.एड.** **स्नातकोत्तर**- शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान
56	लोदी सिंह द्वारिका सिंह कौशिक महाविद्यालय, अठगाँवा, गाजीपुर	2004	**स्नातक**- हिन्दी, इतिहास, संस्कृत, मनोविज्ञान, भूगोल, प्रा.इतिहास, समाजशास्त्र
57	विमला रमाशंकर महाविद्यालय, युसुफपुर, शाहपुर, गाजीपुर	2004	**स्नातक**- **बी.एड.**, हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र
58	लुटावन महाविद्यालय, सकरा, जैतपुरा, गाजीपुर	2004	**स्नातक**- हिन्दी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, गृहविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, प्राचीन इतिहास
59	बल्देव श्रीधर महाविद्यालय, भवरहा, पाण्डेयपुर राधे, गाजीपुर	2004	**स्नातक**- **बी.एड.**, हिन्दी, संस्कृत, गृहविज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र
60	हरिश्चन्द्र महाविद्यालय, मौधिया, गाजीपुर	2004	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, गृहविज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र
61	सरजू राय मेमोरियल डिग्री कालेज, गाँधी नगर, गाजीपुर	2004	**स्नातक**- हिन्दी, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र
62	श्री शिवपूजन गोकुल महाविद्यालय, गहरपुर, रामपुर, बलभद्र, गाजीपुर	2004	**स्नातक**- हिन्दी, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीतिशास्त्र
63	स्व, किशुन चन्द्र पखारी बाबा महाविद्यालय, तियरा, बिरनो, गाजीपुर	2004	**स्नातक**- हिन्दी, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, गृहविज्ञान
64	शिवव्रत महाविद्यालय, मंगारी, गाजीपुर	2004	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, गृहविज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीतिशास्त्र
65	जोखन महाविद्यालय, इकरा, गाजीपुर	2005	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, गृहविज्ञान, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र,
66	महाविद्यालय कुसुम्ही खुर्द, सिरगिथा, गाजीपुर (श्री धनेश्वर महाविद्यालय, कुसुम्ही खुर्द...)	2005	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, भूगोल, इतिहास, राजनीतिशास्त्र
67	मटुक स्मारक महाविद्यालय, डढ़वल, गाजीपुर	2005	**स्नातक**- हिन्दी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, गृहविज्ञान, संस्कृत, प्राचीन इतिहास
68	रामकरन शिवकरन आदर्श महाविद्यालय, सियावाँ भितरी, गाजीपुर	2005	**स्नातक**- हिन्दी, उर्दू, भूगोल, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान
69	देवचन्द्र दलसिंगार भारतीय विद्यापीठ महावि., आर्यनगर, मुहम्मदपुर, गाजीपुर	2005	**स्नातक**- भौतिक, रसायन, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित
70	चौधरी चरण सिंह किसान महावि. नेवादा दुर्ग विजय राय जखनियां, गाजी.	2005	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, गृहविज्ञान
71	मातृ गंगाजली महाविद्यालय, मौधिया, गाजीपुर	2005	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान
72	मुखराम महाविद्यालय, जगदीशपुर, रव्हीपुर, गाजीपुर	2005	**स्नातक**- हिन्दी, गृहविज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, संस्कृत, मध्यकालीन इतिहास
73	श्री बाबू नन्दन आदर्श महाविद्यालय, रामपुर, बन्तरा, गाजीपुर	2005	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, गृहविज्ञान, मध्यकालीन इतिहास
74	बाबा चन्द्रिका महिला महाविद्यालय, ब्लाक रोड, मरदह, गाजीपुर	2005	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, शिक्षाशास्त्र
75	राजदेव महाविद्यालय, सिपाह, जहूराबाद, गाजीपुर	2005	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान
76	संत लखनदास विधि महाविद्यालय, तपेश्वरीनगर, मरदह, गाजीपुर	2005	**स्नातक**- एल.एल.बी.
77	तकनीकी शिक्षा एवं शोध संस्थान पी.जी. कालेज, गाजीपुर	2005	**स्नातक**- बी.बी.ए., बी.सी.ए.
78	बीजू पटनायक सोनकर बालिया डिग्री कालेज, देवचन्दपुर, गाजीपुर	2005	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, गृहविज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, समाजशास्त्र
79	राजीव गाँधी महाविद्यालय, मंदरा, जखनियाँ, गाजीपुर	2005	**स्नातक**- **बी.एड.**, हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल, राजनीतिशास्त्र
80	मोहन मेमोरियल प्रयाग महाविद्यालय, शिवदासी चक, बासू चक, गाजीपुर	2006	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, इतिहास

81	महिला महाविद्यालय, हेतिमपुर, जमानियाँ, गाजीपुर	2006	स्नातक- हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान, मनोविज्ञान, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र
82	आशा महाविद्यालय, धिरजीजोत, सिखड़ी, गाजीपुर	2006	स्नातक- हिन्दी, संस्कृत, भूगोल, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र
83	मूलचन्द महाविद्यालय, होलीपुर, गाजीपुर	2006	स्नातक- हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गृहविज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र
84	सूर्यवंशी महिला महाविद्यालय, डाहीं, गाजीपुर	2006	स्नातक- हिन्दी, संस्कृत, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र
85	रामजग महाविद्यालय, मरदानपुर, गाजीपुर	2007	स्नातक- हिन्दी, अंग्रेजी, गृहविज्ञान, मनोविज्ञान, भूगोल, संस्कृत, समाजशास्त्र
86	जनभारती महाविद्यालय, डिलिया, तलवल, गाजीपुर	2007	स्नातक- हिन्दी, संस्कृत, भूगोल, अर्थशास्त्र, गृहविज्ञान, अंग्रेजी, शिक्षाशास्त्र
87	सर्व सेवा महाविद्यालय, आबादान, बैरान, गाजीपुर	2007	स्नातक- हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, भूगोल, गृहविज्ञान, राजनीतिशास्त्र
88	जंग बहादुर राय महाविद्यालय, लौवाडीह, गाजीपुर	2008	स्नातक- हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, म.का. इतिहास, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र
89	उमाशंकर शास्त्री महाविद्यालय, हैंसीपारा, गाजीपुर	2008	स्नातक- हिन्दी, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, प्राचीन इतिहास, गृहविज्ञान
90	स्वधर्म महाविद्यालय, कटया, सराय गोकुल, गाजीपुर	2008	स्नातक- हिन्दी, संस्कृत, भूगोल, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान, मध्यकालीन इतिहास
91	स्व. द्वारिका सिंह महाविद्यालय दुर्खशी, मरदह, गाजीपुर	2008	स्नातक- हिन्दी, अंग्रेजी, भूगोल, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान, मध्यकालीन इतिहास
92	बहन मायावती महाविद्यालय, चौकड़ी, चौरा, गाजीपुर	2008	स्नातक- हिन्दी, संस्कृत, मध्यकालीन इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल, गृहविज्ञान, राजनीतिशास्त्र
93	माता बेहफइया सोगरा महाविद्यालय, कुतुबपुर, कासिमाबाद, गाजीपुर	2008	स्नातक- हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान
94	जनता आदर्श महाविद्यालय, मकसूदनपुर, मुबारकपुर, गंगौली, गाजीपुर	2008	स्नातक- हिन्दी, भूगोल, गृहविज्ञान, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, उर्दू
95	**डॉ. अम्बेडकर कुमार पहलवान महाविद्यालय, पाण्डेयपुर राधे, गाजीपुर**	2009	स्नातक-हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, म.इतिहास, भूगोल, गृहविज्ञान
96	**पशुपति नाथ स्मारक महाविद्यालय, शेरपुर कलां, गाजीपुर**	2009	स्नातक-हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, प्रा. इतिहास, भूगोल, गृहविज्ञान
	चन्दौली		
1	**शहीद हीरा सिंह राजकीय महाविद्यालय, धानापुर, चन्दौली**	1979	स्नातक- हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृत, इतिहास, रसायन, भौतिक, वनस्पति, गणीत, प्राणि विज्ञान
2	**सावित्री वाई फूले राजकीय महाविद्यालय, चकिया, चन्दौली**	1977	स्नातक- हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र **स्नातकोत्तर**- हिन्दी, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति., समाजशास्त्र
3	**पं. कमलापति त्रिपाठी राजकीय महाविद्यालय, चन्दौली**	1973	स्नातक- हिन्दी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, इतिहास, अंग्रेजी, राजनीति., समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, मनोविज्ञान **स्नातकोत्तर**- अर्थशास्त्र, अंग्रेजी
4	सकलडीहा महाविद्यालय, सकलडीहा, चन्दौली	1965	स्नातक- अंग्रेजी, हिन्दी, गणित, संस्कृत, अर्थशास्त्र, राजनीति., भूगोल, इतिहास, मनोविज्ञान, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, सैन्यविज्ञान, **बी.एड.** **स्नातकोत्तर**- भूगोल, हिन्दी, राजनीति
5	लालबहादुर पी.जी. कालेज, मुगलसराय, चन्दौली	1969	स्नातक- हिन्दी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, इतिहास, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, उर्दू, **बी.एड.** **स्नातकोत्तर**- अर्थशास्त्र, हिन्दी
6	देवेन्द्र नाथ जनता महाविद्यालय, हसनपुर, चन्दौली	1995	स्नातक- हिन्दी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, संस्कृत, शिक्षाशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, उर्दू, **बी.एड़** **स्नातकोत्तर**- हिन्दी, भूगोल

7	**झारखन्डेय सिंह बालिका महाविद्यालय, देवकली, चन्दौली**	**1995**	**स्नातक**- हिन्दी, समाज, राज, इतिहास, गृहवि, संस्कृत **(महाविद्यालय स्थायी रूप से बन्द)**
8	माँ खण्डवारी महाविद्यालय, चहनियाँ, चन्दौली	1996	**स्नातक**- बी.एड., हिन्दी, संस्कृत, गृहविज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, उर्दू, प्रा.इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, अंग्रेजी, दर्शनशास्त्र, रसायन, भौतिक, गणित, जीवविज्ञान, वनस्पति, **बी.एड.** **स्नातकोत्तर**- गृहविज्ञान, समाजशास्त्र
9	लोकनाथ महाविद्यालय, रामगढ़, चन्दौली	2000	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, प्रा. इतिहास, **बी.एड.**, उर्दू, संस्कृत, मनोविज्ञान
10	जटाधारी महाविद्यालय, मारूफपुर, चन्दौली	2000	**स्नातक**- हिन्दी, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, **बी.एड़**, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, **स्नातकोत्तर**- भूगोल, समाजशास्त्र
11	श्री कृष्ण महिला महाविद्यालय, हसनपुर, चन्दौली	2000	**स्नातक**- हिन्दी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान, प्रा. इतिहास, शिक्षाशास्त्र
12	विक्रम सिंह कन्या महाविद्यालय, नई सट्टी मुगलसराय, चन्दौली	2001	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान, कम्प्यूटर अप्ली., **बी.एड.**
13	हरिनन्दन महाविद्यालय, सराय रसूलपुर (हतवापर), चन्दौली	2003	**स्नातक**- हिन्दी, भूगोल, प्रा. इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान,
14	बसन्त रामनगीन महाविद्यालय, धरांव, चन्दौली	2003	**स्नातक**- हिन्दी, भूगोल, संस्कृत, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, उर्दू, गृहविज्ञान, भौतिक, रसायन, गणित, वनस्पति, प्राणि
15	**सकलडीहा बी.एड. कालेज, सकलडीहा, चन्दौली**	**2003**	**स्नातक- बी.एड़ (महाविद्यालय स्थायी रूप से बन्द)**
16	माँ खण्डवारी विधि महाविद्यालय, चहनियाँ? चन्दौली	2004	**स्नातक**-एल.एल.बी. त्रिवर्षीय
17	विश्वनाथ सिंह महाविद्यालय, परशुरामपुर, चन्दौली	2004	**स्नातक**- हिन्दी, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीतिशास्त्र
18	छत्रधारी महाविद्यालय, दयालपुर, सदलपुरा, चन्दौली	2004	**स्नातक**- हिन्दी, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, प्रा. इतिहास, राजनीतिशास्त्र
19	माँ भवानी महाविद्यालय, सोगाई, चन्दौली	2003	**स्नातक**- हिन्दी, शिक्षा, संस्कृत, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, भूगोल, राजनीतिशास्त्र
20	मारकण्डेय महाविद्यालय, तारापुर सदलपुर, चन्दौली	2004	**स्नातक**- हिन्दी, गृहविज्ञान, संस्कृत, इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल, राजनीतिशास्त्र
21	माँ मंशा देवी महाविद्यालय, बरहनी, चन्दौली	2005	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, प्रा. इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान
22	माँ गायत्री महिला महाविद्यालय, हिंगतरगढ़, चन्दौली	2006	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल, इतिहास
23	अम्बिका प्रसाद डिग्री कालेज, बबुरा, धीना, चन्दौली	2006	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, भूगोल, समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र,
24	स्वामी शरण महाविद्यालय, जमुरखा, जनौली, कमालपुर, चन्दौली	2006	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, भूगोल, प्रा.इतिहास, गृहविज्ञान
25	यमुना देवी महाविद्यालय, पूरा बलुआ, चन्दौली	2007	**स्नातक**- हिन्दी संस्कृत, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, म.क्र. इतिहास, गृहविज्ञान
26	शहीद कैप्टन विजय प्रताप सिंह महाविद्यालय, आवाजापुर, सकलडीहा, चन्दौली	2008	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र, साहित्यिक अंग्रेजी, गृहविज्ञान, बी.काम.
27	बाबा जागेश्वर नाथ महाविद्यालय, हेतिमपुर, चकिया, चन्दौली	2008	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल
28	सूर्यनाथ महाविद्यालय, निदिलपुर, चन्दौली	2008	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान, भूगोल
	वाराणसी		
1	डॉ. राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय, भैरव तालाब, वाराणसी	1971	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास **स्नातकोत्तर**- राजनीतिशास्त्र, मनोविज्ञान

2	महाराज बलवन्त सिंह महाविद्यालय, गंगापुर, वाराणसी	1972	**स्नातक-** हिन्दी, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, उर्दू, भूगोल, अंग्रेजी, शिक्षाशास्त्र, एल.एल.बी,, बी.सी.ए., गृहविज्ञान, सैन्यविज्ञान. संगीत (गायन), कम्प्यूटर एप्लीकेशन, दर्शनशास्त्र, प्राचीन इतिहास **स्नातकोत्तर-** एल.एल.एम., मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, इतिहास, संस्कृत
3	**राजकीय महाविद्यालय, जक्खिनी, वाराणसी**	1973	**स्नातक-** अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र, हिन्दी, अर्थशास्त्र, इतिहास, संस्कृत, समाजशास्त्र, बी.एस-सी.(कृषि)
4	जगतपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगतपुर, वाराणसी	1971	**स्नातक-** हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, भौतिक, रसायन, गणित, वनस्पति, प्राणि, सैन्यविज्ञान, बी.काम., गृहविज्ञान, सांख्यिकी, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, इण्डस्ट्रियल माइक्रोबायोलाजी, पत्रकारिता, मनोविज्ञान, भूगोल, शिक्षाशास्त्र, बायोटेक्नोलॉजी, बी.सी.ए. **स्नातकोत्तर-** समाजशास्त्र, इतिहास, अंग्रेजी
5	कालिकाधाम महाविद्यालय, सेवापुरी, वाराणसी	1973	**स्नातक-** हिन्दी, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, संस्कृत, बी.पी.एड., मनोविज्ञान **स्नातकोत्तर-** समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, हिन्दी
6	हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी	1973	**स्नातक-** इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अंग्रेजी, हिन्दी, मनोविज्ञान, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, भूगोल, सांख्यिकी, विधि, **बी.एड.,** बी.काम., भौतिकी, रसायन, गणित, वनस्पति, प्राणि, मॉस कम्युनिकेशन एण्ड वीडियो प्रोडेक्शन, बी.बी.ए. **स्नातकोत्तर-** हिन्दी, वाणिज्य, सांख्यिकी, गणित, रसायन, प्राणि, वनस्पति, राजनीतिशास्त्र
7	श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय, बुलानाला, वाराणसी	1973	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, प्रा. इतिहास, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, संगीत, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, बायोटेक्नोलॉजी, रसायन, वनस्पति, प्राणि, भौतिक, गणित, सांख्यिकी, बी.काम. **स्नातकोत्तर-** समाजशास्त्र, हिन्दी, मनोविज्ञान, प्राचीन इतिहास, प्राणि, वनस्पति, गृहविज्ञान, रसायन
8	बलदेव डिग्री कालेज, बड़ागाँव, वाराणसी	1965	**स्नातक-** अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, भौतिक, रसायन, प्राणि, वनस्पति, गणित **स्नातकोत्तर-** गणित, रसायन, वनस्पति, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, हिन्दी, अर्थशास्त्र
9	सुधाकर महिला महाविद्यालय, खजुरी, पाण्डेयपुर, वाराणसी	1995	**स्नातक-** हिन्दी, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, प्रा. इतिहास, गृहविज्ञान, मनोविज्ञान, संस्कृत, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, **बी.एड.,** भौतिक, रसायन, प्राणि, वनस्पति, गणित, बी.काम. **स्नातकोत्तर-** हिन्दी, समाजशास्त्र.
10	स्कूल आफ मैनेजमेंट सांइसेज, खुशीपुर बच्छाँव वाराणसी	1996	**स्नातक-** बी.बी.ए., बी.सी.ए., बी.काम.
11	महारानी बनारस महिला महाविद्यालय, रामनगर, वाराणसी	1996	**स्नातक-** हिन्दी, इतिहास, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, मनोविज्ञान, राजनीतिशास्त्र, संस्कृत
12	ग्राम्यांचल महिला विद्यापीठ महाविद्यालय, गंगापुर, मंगारी, वाराणसी	1996	**स्नातक- बी.एड.,** हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, मनोविज्ञान, प्रा. इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान, भौतिक, रसायन, वनस्पति, प्राणि, गणित
13	इस्टीट्यूट आफ कम्प्यूटर सांइस, नीबिया, बच्छाँव, वाराणसी	1999	**स्नातक-** बी.सी.ए., बी.काम., बी.बी.ए.
14	राजर्षि स्कूल आफ मैनेजमेन्ट टेक्नोलॉजी, वाराणसी	1999	**स्नातक-** बी.बी.ए., बी.सी.ए.
15	आर्दश कन्या डिग्री कालेज, दारागंज, वाराणसी	1999	**स्नातक-** हिन्दी, गृहविज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीतिशास्त्र
16	**डी.एल.डब्लू राजकीय महिला, महाविद्यालय, वाराणसी**	1999	**स्नातक-** हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र
17	सनबीम कालेज फॉर वीमेन, भगवानपुर, वाराणसी	2000	**स्नातक-** भौतिक, रसायान, *प्राणि, वनस्पति, गणित, बी.काम.,* बी.सी.ए., हिन्दी, अंग्रेजी, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, प्राचीन इतिहास, अर्थशास्त्र

18	सरदार बल्लभ भाई पटेल महाविद्यालय, बच्छाँव, वाराणसी	2000	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास
19	उदय प्रताप कालेज, वाराणसी	1960	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, गणित, प्राचीन इतिहास, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृत, मनोविज्ञान, सांख्यकी, सैन्यविज्ञान, इतिहास, बी.काम., **बी.एड.**, बी.एस.सी.(कृषि), भौतिक, रसायन, गणित, वनस्पति, प्राणि, **स्नातकोत्तर**- हिन्दी, अर्थशास्त्र, भूगोल, सांख्यिकी, भौतिक, प्राणि, रसायन, वनस्पति, गणित, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, प्रा.इतिहास, एम.काम., कृषि अर्थशास्त्र, हसबेन्ड्री, डेरी साइंस, हाटि कृषि रसायन, मृदा विज्ञान
20	महारानी गुलाब कुँवरि महिला महाविद्यालय, पिण्डरा, वाराणसी	1998	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, गृहविज्ञान, प्रा. इतिहास, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र
21	डॉ. घनश्याम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सोयेपुर, लालपुर, आजमगढ़ रोड, वाराणसी	2001	**स्नातक**- हिन्दी, प्राचीन इतिहास, सामजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, मनोविज्ञान, भौतिक, रसायन, गणित, प्राणि विज्ञान, वनस्पति, कम्प्यूटर साइंस, बी.काम., **बी.एड.**, बायोटेक्नोलॉजी, गृहविज्ञान, बी.बी.ए., बी.सी.ए. **स्नातकोत्तर**- रसायन, वनस्पति, हिन्दी, समाजशास्त्र
22	**दीन दयाल उपाध्याय राजकीय महिला महाविद्यालय, सेवापुरी. वाराणसी**	2001	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, सामजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान
23	सरस्वती उच्च शिक्षा एवं तकनीकि महाविद्यालय, गहनी, वाराणसी	2002	**स्नातक**- हिन्दी, प्राचीन इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, **बी.एड.**, **बी.पी.एड.**
24	महादेव महाविद्यालय वरियासनपुर, वाराणसी	2002	**स्नातक**- हिन्दी, प्रा. इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, प्राणि, वनस्पति, रसायन, भौतिक, गणित, संस्कृत, अंग्रेजी
25	धीरेन्द्र महिला महाविद्यालय, कर्मजीतपुर, सुन्दरपुर, वाराणसी	2003	**स्नातक**- **बी.एड.**, कला संकाय, **बी.पी.एड.**, **बी.एड.** (अतिरिक्त 100 सीट)
26	सुधाकर महिला विधि महाविद्यालय, पाण्डेयपुर, वाराणसी	2003	**स्नातक**- एल.एल.बी.
27	माँ सरस्वती महिला महाविद्यालय, चाँदपुर इन्डस्ट्रीयल स्टेट, वाराणसी	2003	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, अर्थशास्त्र, संस्कृत **स्नातकोत्तर**- हिन्दी, गृहविज्ञान
28	सुधा देवी महाविद्यालय, पचराँव, वाराणसी	2003	**स्नातक**- हिन्दी , संस्कृत, प्राचीन इतिहास, भूगोल, गृहविज्ञान, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र
29	श्यामा हरिवंश महाविद्यालय, राजवारी, वाराणसी	2003	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, प्रा. इतिहास, भूगोल, संस्कृत, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र
30	लोकबन्धु राजनारायण विधि महाविद्यालय, मोतीकोट, गंगापुर, वाराणसी	2004	**स्नातक**- एल.एल.बी.
31	जीवनदीप (महिला) महाविद्यालय, बड़ा लालपुरा, वाराणसी	2004	**स्नातक**- बी.काम., **बी.एड.**
32	एम.पी. इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एण्ड कम्प्यूटर अप्लीकेशन, भगतुआ, चिरईगाँव, वाराणसी	2004	**स्नातक**- बी.बी.ए., बी.सी.ए., **बी.एड.**
33	बनारस इंस्टीट्यूट आफ टीचर्स एजूकेशन, निवाह, पिण्डरा. वाराणसी	2004	**स्नातक**- **बी.एड.**, हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, बी.काम.
34	स्वतन्त्रता सेनानी श्री प्रभु नारायण सिंह महावि., चोलापुर, वाराणसी	2004	**स्नातक**- राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र,
35	श्री दर्शनमुनि महाविद्यालय, मगरहुआ, वाराणसी	2004	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, शिक्षाशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र
36	वाराणसी गर्ल्स डिग्री कालेज, वाराणसी	2004	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र
37	अभय महाविद्यालय, तरना, वाराणसी	2004	**स्नातक**- **बी.एड.**, हिन्दी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान,
38	जय प्रकाश महाविद्यालय, उमरहा, वाराणसी	2004	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, भूगोल, गृहविज्ञान, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, गणित, रसायन, भौतिक, प्राणी, वनस्पति

39	**राजकीय महाविद्यालय, पलही पट्टी, वाराणसी**	2004	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, गृहविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र
40	इंस्टीट्यूट आफ एजूकेशन, नीबिया, बच्छाँव, वाराणसी	2004	**स्नातक**- **बी.एड.**, बी.सी.ए., बी.काम., **बी.एड.** (अतिरिक्त 100 सीट) **स्नातकोत्तर**- **एम.एड.** (25 सीट)
41	रजिया मुखराम स्मारक महाविद्यालय, तिलमापुर, वाराणसी	2005	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, गृहविज्ञान, भूगोल, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र
42	बसमती देवी संकठा प्रसाद महाविद्यालय, भेड़हा, खोचवाँ, वाराणसी	2005	**स्नातक**- हिन्दी, प्राचीन इतिहास, अंग्रेजी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र
43	संजय मेमोरियल वोमेन्स कालेज, केराकतपुर, वाराणसी	2005	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, बायोटेक्नोलॉजी, कम्प्यू. एप्लीकेशन, रसायनशास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान
44	बाबा डोमनदेव महाविद्यालय, कपिसा दानगंज, वाराणसी	2005	**स्नातक**- हिन्दी, समाजशास्त्र, इतिहास, अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र, संस्कृत, शिक्षाशास्त्र
45	श्रीराम कालेज आफ कामर्स एण्ड एजूकेशन, दनियालपुर, पंचकोशी, वाराणसी	2005	**स्नातक**- बी.काम.
46	श्याम तारा महिला महाविद्यालय, मिर्जामुराद, वाराणसी	2005	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान
47	श्री कृष्ण महाविद्यालय, रौना खुर्द, वाराणसी	2005	**स्नातक**- हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल, गृहविज्ञान, अर्थशास्त्र
48	श्री अमरनाथ डिग्री कालेज, कटिराँव, वाराणसी	2005	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र
49	आर.एस. बनारस लॉ कालेज, कर्माजीतपुर, वाराणसी	2004	**स्नातक**- एल.एल.बी.
50	चन्द्रमा सिंह महाविद्यालय, हरहुआ, वाराणसी	2006	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान
51	संकट मोचन महाविद्यालय, बहरामपुर, चौबेपुर, वाराणसी	2007	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र, प्रा. इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र
52	श्री टुन्नू राम महिला महाविद्यालय, मकसूदन पट्टी, ताड़ी, वाराणसी	2007	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, मनोविज्ञान
53	गौरव महाविद्यालय, देवराई, सुल्तानीपुर, वाराणसी	2007 2008	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र **स्नातक**- बी.बी.ए., बी.सी.ए.
54	**सारनाथ बोधिसत्व महाविद्यालय, मुनारी, सारनाथ, वाराणसी**	2009 2009	**स्नातक**- हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र संस्कृत, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र **स्नातक**- बी.काम.
	भदोही		
1	**के.एन. पी.जी. कालेज. ज्ञानपुर, भदोही**		**स्नातक**- मनोविज्ञान, गृहविज्ञान, चित्रकला, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, अंग्रेजी, दर्शन, संस्कृत, भूगोल, हिन्दी, अर्थशास्त्र, संगीत, रसायन, वनस्पति, गणित, भौतिक, वाणिज्य, **बी.एड.**, कार्यालय प्रबन्ध एवं सचिवीय पद्यति, **स्नातकोत्तर**- अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, गणित, भूगोल, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, भौतिक, रसायन, प्राणि, वनस्पति, वाणिज्य, प्राचीन इतिहास, इतिहास, मनोविज्ञान, गृहवि., चित्रकला
2	फलाहे उम्मत गर्ल्स कालेज, भदोही	1996	**स्नातक**- उर्दू, अंग्रेजी, अरबी, समाजशास्त्र, इतिहास, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान
3	घनश्याम दूबे महाविद्यालय, सुरियाँवा, भदोही	1997	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीतिशास्त्र, दर्शनशास्त्र, प्राचीन इतिहास, **बी.एड.**
4	**डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महावि., संत रविदास नगर, भदोही**	1999	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, भूगोल, संस्कृत इतिहास, समाजशास्त्र, भौतिक, रसायन, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, गणित
5	रामदेव डिग्री कालेज, जंगीगंज, भदोही	2000	**स्नातक**- हिन्दी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, प्रा. इतिहास, दर्शनशास्त्र, बी.सी.ए., **बी.एड़** **स्नातकोत्तर**- प्रा. इतिहास, समाजशास्त्र

6	**केशव प्रसाद मिश्र राजकीय महिला महावि., औराई, भदोही**	2001	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, गृहविज्ञान रसायन, वनस्पति, प्राणि, भौतिक, गणित
7	केशव प्रसाद राल्ही महाविद्यालय, नरधवा, औराई, संत रविदास नगर, भदोही	2004	**स्नातक-** हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीतिशास्त्र, प्राचीन इतिहास, भूगोल, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र
8	श्रीमती कांती सिंह लॉ कालेज, ज्ञानपुर, भदोही	2005	**स्नातक-** एल.एल.बी.
9	अनुश्री कॉलेज, कैड़ा, सुरियावाँ, संत रविदास नगर, भदोही	2007	**स्नातक-** हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, प्राचीन इतिहास, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान
10	श्रीमती जगवन्ती देवी हीरानन्द महाविद्यालय, बेरवां, पहाड़पुर, संत रविदास नगर, भदोही	2008	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान
11	**ओम उच्च शिक्षा संस्थान, बिट्ठलपुर, गोपीगंज, संत रविदास नगर, भदोही**	2009	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, बी.सी.ए.
	जौनपुर		
1	तिलकधारी महाविद्यालय, जौनपुर	1948	**स्नातक-** अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, संस्कृत, सैन्यविज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति., प्राचीन इतिहास, संगीत, शिक्षाशास्त्र, बी.एस.सी.(कृषि), बी.काम., विधि, **बी.एड.,** भौतिक, रसायन, प्राणि, वनस्पति, गणित **स्नातकोत्तर-** संस्कृत, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र, हिन्दी, भूगोल, गणित, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र, **एम.एड.,** कृषि कीट, शस्य विज्ञान, एम.काम., पादप रोग, रसायन, भौतिक, प्राणि, वनस्पति, कृषि रसायन, कृषि वनस्पति, औषि अर्थशास्त्र, एल.एल.एम. सैन्यविज्ञान
2	नागरिक डिग्री कालेज, जंघई, जौनपुर	1970	**स्नातक-** हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, भगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र, मनोविज्ञान, **बी.एड.** **स्नातकोत्तर-** हिन्दी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, प्राचीन इतिहास
3	हिमताज महाविद्यालय, नेवढियाँ, जौनपुर	1991	**स्नातक-** भौतिक, रसायन, प्राणि, वनस्पति, गणित, बी.काम., **बी.एड.,** हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र
4	श्री गणेशराय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोभी, जौनपुर	1964	**स्नातक-** हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, सैन्यविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, बी.काम., **बी.एड.,** बी.एस.सी.(कृषि), गृहविज्ञान, भौतिक, रसायन, प्राणि, वनस्पति, गणित **स्नातकोत्तर-** सैन्यविज्ञान, गणित, भूगोल, रसायन, एम.काम., राजनीतिशास्त्र, इतिहास, कृषि शस्य, रसायन, गृहविज्ञान
5	राजा श्रीकृष्ण दत्त महाविद्यालय, जौनपुर	1959	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, भौतिकी, रसायन, गणित, **बी.एड.,** पत्रकारिता, वनस्पति, प्राणि विज्ञान **स्नातकोत्तर-** समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, हिन्दी, गणित, **एम.एड.**
6	गोविन्द बल्लभ पंत महाविद्यालय, प्रतापगंज, जौनपुर	1964	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, प्रा.इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, सैन्यविज्ञान, मनोविज्ञान, **स्नातकोत्तर-** इतिहास, प्राचीन इतिहास
7	कुटीर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चक्के, जौनपुर	1971	**स्नातक-** हिन्दी, अंगेजी, भूगोल, मनोविज्ञान, संस्कृत, अर्थशास्त्र, भौतिक, रसायन, प्राणि, वनस्पति, गणित, औद्योगिक रसायन, जैव प्रौद्योगिकी, **बी.एड.** **स्नातकोत्तर-** रसायन, प्राणि विज्ञान
8	राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय, सिंगरामऊ, जौनपुर	1965	**स्नातक-** हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, रसायन, भौतिक, प्राणि, वनस्पति, गणित, **बी.एड.** **स्नातकोत्तर- एम.एड.,** हिन्दी, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र
9	सहकारी पी.जी. कालेज, मिहिरावाँ, जौनपुर	1970	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र, प्राचीन इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल **स्नातकोत्तर-** समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र

10	बयालसी महाविद्यालय, जलालपुर, जौनपुर	1970	**स्नातक**- हिन्दी, प्राचीन इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र
11	सल्तनत बहादुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बदलापुर जौनपुर	1973	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, **बी.एड.**, संस्कृत, भूगोल **स्नातकोत्तर**- हिन्दी, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल
12	मड़ियाँहू महाविद्यालय, मड़ियाहूँ जौनपुर	1969	**स्नातक**- अंग्रेजी, हिन्दी संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, दर्शनशास्त्र, प्राचीन इतिहास, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, भौतिक, रसायन, गणित, प्राणि, वनस्पति, **बी.एड.**, पुस्तकालय, सूचना विज्ञान. बी.काम. **स्नातकोत्तर**- हिन्दी, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र, दर्शनशास्त्र, भूगोल, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र
13	राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जमुहाई, जौनपुर	1972	**स्नातक**- सैन्यविज्ञान, मनोविज्ञान, भूगोल हिन्दी, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, भौतिक, रसायन, प्राणि ,वनस्पति, गणित **स्नातकोत्तर**- प्राचीन इतिहास, प्राणि विज्ञान, रसायन, समाजशास्त्र, सैन्यविज्ञान
14	राम अवध यादव गन्ना कृषक महाविद्यालय, ताखा, शाहगंज, जौनपुर	1977	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, भूगोल, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, **बी.एड.** **स्नातकोत्तर**- समाजशास्त्र
15	गाँधी स्मारक महाविद्यालय, समोधपुर, जौनपुर	1961	**स्नातक**-अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, भौतिक, रसायन, गणित, **बी.एड.** **स्नातकोत्तर**- हिन्दी, इतिहास
16	राजबहादुर महाविद्यालय, गुलालपुर, जौनपुर	1991	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, **बी.एड.**, भौतिक, रसायन, प्राणि, वनस्पति, गणित **स्नातकोत्तर**- प्राचीन इतिहास, हिन्दी, समाजशास्त्र
17	भारती महिला महाविद्यालय, जौनपुर	1993	**स्नातक**- **बी.एड.**, हिन्दी, प्रा. इतिहास, शिक्षाशास्त्र समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, संगीत, गृहविज्ञान, दर्शनशास्त्र संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, चित्रकला, भूगोल **स्नातकोत्तर**- गृहविज्ञान, शिक्षाशास्त्र
18	राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सुजानगंज, जौनपुर	1992	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र **स्नातकोत्तर**- मनोविज्ञान, प्राचीन इतिहास, हिन्दी, समाजशास्त्र
19	राजाराम महाविद्यालय, तरियारी, केराकत, जौनपुर	1993	**स्नातक**- हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, दर्शनशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, **बी.एड.**, मनोविज्ञान, प्राचीन इतिहास, गृहविज्ञान, सैन्यविज्ञान, **स्नातकोत्तर**- समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, प्राचीन इतिहास, भूगोल
20	मोहम्मद हसन पी.जी. कॉलेज, जौनपुर	1994	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, उर्दू, दर्शनशास्त्र, सैन्यविज्ञान, प्राचीन इतिहास, मनोविज्ञान, **बी.एड.**, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, चित्रकला, भौतिक, रसायन, प्राणि, वनस्पति, गणित, बी.एस.सी.(कृषि), राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, कम्प्यूटर साइंस, संस्कृत, पत्रकारिता, बायोटेक्नोलॉजी, बी.काम. **स्नातकोत्तर**- उर्दू,, सैन्यविज्ञान, गृहविज्ञान, म.का. इतिहास, शिक्षाशास्त्र, अंग्रेजी
21	डॉ. अख्तर हसन रिजवी शिया डिग्री कालेज, जौनपुर	1994	**स्नातक**- भौतिक, रसायन, प्राणि, वनस्पति, गणित, बी.काम., **बी.एड.**
22	सार्वजनिक महाविद्यालय, मुँगरा बादशाहपुर, जौनपुर	1994	**स्नातक**- हिन्दी, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, संस्कृत, अंग्रेजी, दर्शनशास्त्र, भौतिक, रसायन, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, **बी.एड.** **स्नातकोत्तर**- प्राचीन इतिहास, मनोविज्ञान, हिन्दी, समाजशास्त्र
23	मुस्लिम गर्ल्स कालेज, जौनपुर	1995	**स्नातक**- हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र

24	अब्दूल अजीज अंसारी महाविद्यालय, मजडीहा, शाहगंज, जौनपुर	1996	**स्नातक**- हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति., **बी.एड.**, गृहविज्ञान, शिक्षाशास्त्र
25	इन्द्रपति महाविद्यालय, गैरवाह, जौनपुर	1996	**स्नातक**- हिन्दी, शिक्षाशास्त्र, प्राचीन इतिहास, भूगोल, राजनीति., समाज, दर्शन, संस्कृत बी.एड. (100 सीट, 01.07.2006 से एक वर्ष की अवधि के लिये)
26	गोकुल दूबे महाविद्यालय, ढेमा, जौनपुर	1996	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, प्रा. इतिहास, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र
27	**राष्ट्रीय डिग्री कालेज, महरेव, पुरेव, जौनपुर**	**1998**	**स्नातक**- हिन्दी, भूगोल, अर्थशास्त्र, प्रा. इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र **(महाविद्यालय स्थायी रूप से बन्द)**
28	मुक्तेश्वर प्रसाद महाविद्यालय, जौनपुर	1998	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास
29	डॉ. सत्य प्रकाश सिंह महाविद्यालय, जमुनियाँ, जौनपुर	1999	**स्नातक**- हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, प्राचीन इतिहास, संस्कृत, अंग्रेजी, समाजशास्त्र
30	सुखमय महाविद्यालय, बेहड़ा, जौनपुर (परिवर्तित नाम- सुखमय महिला महाविद्यालय, बेहड़ा, जौनपुर)	1999	**स्नातक**- हिन्दी अंग्रेजी, गृहविज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, **बी.एड.**, संस्कृत, शिक्षाशास्त्र **स्नातकोत्तर**- हिन्दी, गृहविज्ञान
31	भोलानाथ मिश्र महाविद्यालय, भोलानगर, जौनपुर	1999	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, राजनीति., समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास
32	संत मथुरा सिंह महाविद्यालय, मदारपुर, जौनपुर	1999	**स्नातक**- भौतिक, रसायन, प्राणि, वनस्पति, गणित, हिन्दी, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान. सैन्यविज्ञान, भूगोल, **बी.एड.**
33	बजरंग महाविद्यालय, घनश्यामपुर, जौनपुर	1999	**स्नातक**- हिन्दी अंग्रेजी, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, शिक्षाशास्त्र **स्नातकोत्तर**- हिन्दी, भूगोल
34	गुलाबी देवी महाविद्यालय, सिद्दीकपुर, जौनपुर	1999	**स्नातक**- हिन्दी, संगीत, प्रा. इतिहास, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, संस्कृत, भूगोल
35	बाल्थर डिग्री कालेज, रामपुर, जौनपुर	2000	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास
36	सुमित्रा महाविद्यालय, शेरवाँ, जौनपुर	2000	**स्नातक**- हिन्दी, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, प्राचीन इतिहास, अंग्रेजी, दर्शन, शिक्षाशास्त्र
37	श्रीमती जानकी रामपाल महाविद्यालय, भन्नौर, जौनपुर	2000	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, इतिहास, प्राचीन इतिहास, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान, राजनीतिशास्त्र, संस्कृत
38	तिलकधारी महिला महाविद्यालय, जौनपुर	1996	**स्नातक**- हिन्दी, मनोविज्ञान, प्राचीन इतिहास, दर्शनशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र, संस्कृत
39	कौशल्या महाविद्यालय, दिलावरपुर, मडियाहूँ, जौनपुर	2001	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र, संस्कृत, समाज, शिक्षाशास्त्र, **बी.एड.**
40	राज गौरव महाविद्यालय, खुटहन, जौनपुर	2002	**स्नातक**- हिन्दी, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, प्रा. इतिहास, शिक्षाशास्त्र, संस्कृत
41	बिहारी महिला महाविद्यालय, मछलीशहर, जौनपुर	2002	**स्नातक**- हिन्दी, उर्दू, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, प्रा. इतिहास, अर्थशास्त्र, संस्कृत, **बी.एड.**
42	उदासीनाचार्य जगतगुरू श्रीचन्द जी महावि. पिलखिनी, गौराबादशाहपुर,जौनपुर (यू.जे.एस.जे.)	2003	**स्नातक**- हिन्दी, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, प्रा. इतिहास, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, संस्कृत, **बी.एड.**
43	संकल्प महिला महाविद्यालय, सोनहिता, जौनपुर	2003	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, प्रा.इतिहास, अंग्रेजी, गृहविज्ञान
44	के.डी.एम. महाविद्यालय, सुभाषपुर पाली जौनपुर	2003	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, प्रा.इतिहास, अंग्रेजी, दर्शन
45	सैनिक गिरिजाशंकर महाविद्यालय, केराकत, जौनपुर	2003	**स्नातक**- हिन्दी, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, प्राचीन इतिहास, अर्थशास्त्र. दर्शनशास्त्र, **बी.एड.**, संस्कृत, भूगोल, गृहविज्ञान
46	रामदेव महाविद्याल, मीरगंज, जौनपुर	2003	**स्नातक**- हिन्दी,, समाज, राजनीतिशास्त्र, प्रा इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शन, गृहविज्ञान,बी.एड.

47	बाबा गणेश दत्त महाविद्यालय, रत्तीपुर, जौनपुर	2003	**स्नातक**- हिन्दी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, प्राचीन इतिहास, अर्थशास्त्र, इतिहास, संस्कृत
48	शिवानी गौरव मेमोरियल लॉ कालेज, जौनपुर	2003	**स्नातक**- एल.एल.बी.
49	रामझारी महाविद्यालय, गभिरन, जौनपुर	2004	**स्नातक**- हिन्दी, भूगोल, शिक्षाशास्त्र, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र
50	श्री हरि महाविद्यालय, लहंगपुर, जौनपुर	2004	**स्नातक**- हिन्दी, भूगोल, शिक्षाशास्त्र प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र. राजनीतिशास्त्र
51	वीरबल महाविद्यालय, रसूलपुर, मछलीशहर, जौनपुर	2004	**स्नातक**- हिन्दी, भूगोल, अंग्रेजी, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, राजनीतिशास्त्र
52	राम अधीन महाविद्यालय, टेकारडीह, जियरामऊ, जौनपुर	2004	**स्नातक**- हिन्दी, भूगोल, अंग्रेजी, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीतिशास्त्र
53	सूर्यबली यादव महाविद्यालय, देवकली, सरायख्वाजा, जौनपुर	2004	**स्नातक**- हिन्दी, भूगोल, अंग्रेजी, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र
54	जनता महाविद्यालय, रतनूपुर, जौनपुर	2004	**स्नातक**-हिन्दी, भूगोल, संस्कृत, इतिहास, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान
55	उमानाथ सिंह विधि महाविद्यालय, फरीदपुर, जौनपुर	2005	**स्नातक**- एल.एल.बी.
56	राष्ट्रीय बी.पी.एड. कॉलेज, सुजानगंज, जौनपुर	2005	**स्नातक- बी.पी.एड.**
57	राहुल महाविद्यालय, कलवारी, शेरवाँ, जौनपुर	2005	**स्नातक**- हिन्दी, प्राचीन इतिहास, अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान
58	जंगी महाविद्यालय, असवरनपुर, जौनपुर	2005	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, गृहविज्ञान, भूगोल, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र
59	सर्वोदय विद्यापीठ महाविद्यालय, मीरगंज, जौनपुर	2005	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, समाज, प्राचीनइतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान
60	माता प्रसाद आदर्श महाविद्यालय, भभौरी, शेरवाँ, जौनपुर	2005	**स्नातक**- हिन्दी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, गृहविज्ञान, संस्कृत, प्राचीन इतिहास
61	वंशा देवी महाविद्यालय, गजाधरपुर, गद्दोपुर, जौनपुर	2005	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, संस्कृत, भूगोल, प्राचीन इतिहास
62	बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय, सिद्दीकपुर, जौनपुर	2005	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र,
63	समरजीत (एस.जे.) महाविद्यालय, वीरभानपुर, जौनपुर	2005	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, भूगोल
64	रामलखन सिंह महाविद्यालय, रामपुर, जौनपुर	2005	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, प्रा. इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, सैन्यविज्ञान, समाजशास्त्र
65	डॉ. भीमराव अम्बेडकर बालिका डिग्री कालेज, महाराजगंज, जौनपुर	2005	**स्नातक**- हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र
66	ठा. जगन्नाथ सिंह महाविद्यालय, नुआव, बराई, जौनपुर	2005	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गृहविज्ञान, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल
67	शिवांगी महिला महाविद्यालय, पंचहटिया, जौनपुर	2005	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, प्रा. इतिहास, संगीत, गृहविज्ञान, राजनीतिशास्त्र
68	जयबजरंग महिला महाविद्यालय, मुँगरा बादशाहपुर, जौनपुर	2005	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, प्रा. इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान गृहविज्ञान
69	श्रीराम महाविद्यालय, आदमपुर, निगोह, जौनपुर	2005	**स्नातक**- हिन्दी, समाजशास्त्र, अंग्रेजी, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र गृहविज्ञान
70	राजेश कुमार महाविद्यालय, कोहडे, सुल्तानपुर, जौनपुर	2005	**स्नातक**- हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, अर्थशास्त्र, प्राचीन इतिहास
71	मुनेश्वर महाविद्यालय, विश्वपालपुर, बरईपार, जौनपुर	2006	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, **बी.एड.**
72	फरीदुल हक ममोरियल डिग्री कालेज, सबरहद, जोनपुर	2006	**स्नातक**- अंग्रेजी, उर्दू, मध्यकालीन इतिहास, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, मनोविज्ञान
73	सृजन महाविद्यालय, भटेवरा, मछलीशहर, जौनपुर	2006	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, प्राचीन इतिहास
74	जनहित महाविद्यालय, गोमती नगर, महिमापुर, जलालपुर, जौनपुर	2006	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र, मनोविज्ञान

75	सरोज विद्याशंकर सरस्वती मंदिर कन्या महावि., कोदई का पूरा, बालवरगंज, सुजानगंज, जौनपुर	2006	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान
76	बाबा प्रसिद्ध नारायण महाविद्यालय, बगथरी, मुरारा, केराकत, जौनपुर	2007	**स्नातक-** हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र
77	दियावाँ नाथ केवला शंकर महाविद्यालय, दताँव, जौनपुर	2007	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, प्रा. इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र
78	प्रभुदेवी महाविद्यालय, मछलीगाँव, जौनपुर	2007	**स्नातक-** हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल
79	सरजू प्रसाद महाविद्यालय, कजगाँव, जौनपुर	2007	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, प्राचीन इतिहास, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र
80	राजाराम महाविद्यालय, रामनगर, जौनपुर	2007	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान
81	स्व. बहादुर सिंह महाविद्यालय, बनकट, जौनपुर	2008	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र
82	जटाशंकर गुप्त डिग्री कॉलेज, कटवार, जौनपुर	2008	**स्नातक-**हिन्दी, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान
83	श्री राम दुलार पहलवान महाविद्यालय, सेमरी, शाहपुर, जौनपुर	2008	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल, राजनीतिशास्त्र
84	माँ गुजराती महाविद्यालय, चुरावनपुर, बक्शा, जौनपुर	2008	**स्नातक-** हिन्दी, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, संस्कृत, गृहविज्ञान
85	यशोदा महाविद्यालय, पतरहीं, जौनपुर	2008	**स्नातक-** हिन्दी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, गृहविज्ञान
86	श्रीमती राजदेई सिंह महिला महाविद्यालय, ताखा (पश्चिम), शाहगंज, जौनपुर	2008	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, प्रा.इतिहास, भूगोल, गृहविज्ञान
87	आचार्य बलदेव कॉलेज, कोपा, पतरहीं, जौनपुर	2008	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र,गृहविज्ञान
88	आर.डी.एस. महाविद्यालय, कुशांव, भाऊपुर, जौनपुर	2008	**स्नातक-** हिन्दी, गृहविज्ञान, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, अंग्रेजी, समाजशास्त्र,प्राचीन इतिहास
89	**द्वारिका प्रसाद यादव महाविद्यालय, मिश्रमऊ, साड़ी, जौनपुर**	2009	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, प्रा.इतिहास, भूगोल, गृहविज्ञान
90	**महामाया राजकीय महाविद्यालय, मुफ्तीगंज, जौनपुर**	2009	**स्नातक-** हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान, शिक्षाशास्त्र
	सोनभद्र		
1	अवधूत भगवान राम स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अनपरा, सोनभद्र	1990	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, बी.काम., भौतिक, रसायन, जन्तु विज्ञान, वनस्पति, गणित, गृहविज्ञान, मनोविज्ञान, बी.बी.ए., बी.सी.ए. **स्नातकोत्तर-** एम.काम., वनस्पति विज्ञान, प्राचीन इतिहास, हिन्दी
2	**राजकीय महाविद्यालय, ओबरा, सोनभद्र**	1982	**स्नातक-** अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति., समाजशास्त्र, भौतिक, रसायन, प्राणि, वनस्पति, गणित, बी.काम. **स्नातकोत्तर-** भौतिक, रसायन, अर्थशास्त्र, समाज, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, हिन्दी।
3	**भाउराव देवरस राजकीय महाविद्यालय, दुद्धि सोनभद्र**		**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, गणित, भौतिक, रसायन, प्राणि, वनस्पति, बी.काम
4	संत कीनाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कैमूरपीठ, रार्बटसगंज, सोनभद्र	1993	**स्नातक-** हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशा.समाज, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, **बी.एड.,** एल.एल.बी., भौतिक, रसायन, प्राणि, वनस्पति, गणित, बी.काम. **स्नातकोत्तर-** हिन्दी
5	संत कीनाराम महिला महाविद्यालय, कैमूरपीठ, रार्बटसगंज, सोनभद्र	2002	**स्नातक-**हिन्दी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, गृहविज्ञान, प्रा.इतिहास, मनोविज्ञान. बी.काम.
6	वनवासी महिला महाविद्यालय, डाला सोनभद्र	2003	**स्नातक-** हिन्दी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, संस्कृत, गृहविज्ञान, इतिहास, शिक्षाशास्त्र

7	बाबूराम सिंह महाविद्यालय, खाड़पाथर, मुर्धवा (रेनुकूट), सोनभद्र	2004	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, गृहविज्ञान, प्रा. इतिहास, समाज, **बी.एड., बी.पी.एड.**
8	एम.एस. आदर्श महाविद्यालय, पोलवा, महुली, सोनभद्र	2004	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, प्रा. इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र
9	जय माँ भगवती सोनांचल महाविद्यालय, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र	2005	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, दर्शनशास्त्र, प्रा. इतिहास, मनोविज्ञान, संस्कृत, गृहविज्ञान **स्नातकोत्तर**- समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र
10	श्याम महाविद्यालय, सेन्दुरिया, चोपन, सोनभद्र	2005	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, अर्थशास्त्र, गृहविज्ञान, भूगोल, राजनीतिशास्त्र
11	विन्ध कन्या महाविद्यालय, उरमौरा, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र	2006	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, इतिहास, गृहविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र
12	सुभाष बालिका महाविद्यालय, औड़ी, अनपरा, सोनभद्र	2006	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान, प्राचीन इतिहास, भूगोल
13	जे.एस.पी. महाविद्यालय, कसयाँ कला, सोनभद्र	2006	**स्नातक**- हिन्दी, शिक्षाशास्त्र, संस्कृत, गृहविज्ञान, म.का. इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र
14	चौधरी गोविन्द सिंह महाविद्यालय, खजुरी, शाहगंज, सोनभद्र	2006	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, राजनीतिशास्त्र
15	माँ शिव देवी महाविद्यालय, बेलाटाड, शाहगंज, सोनभद्र	2007	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, म.का. इतिहास, गृहविज्ञान
16	**राजकीय महिला महाविद्यालय, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र**	2007	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, गृहविज्ञान
17	आर.पी. डिग्री कॉलेज, धरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र	2007	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र, प्राचीन इतिहास, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र
18	नन्हकू राम महाविद्यालय, पढ़री खुर्द, सोनभद्र	2008	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, शिक्षाशास्त्र
19	अरुण कुमार केशरी महिला महाविद्यालय, मधुपुर, सोनभद्र	2009	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, प्राचीन इतिहास
	मिर्जापुर		
1	**श्रीमती इन्दिरा गाँधी राजकीय महाविद्यालय, लालगंज, मिर्जापुर**	1994	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रजी, संस्कृत, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति., भूगोल, रसायन, भौतिक, प्राणि विज्ञान वनस्पति, गणित
2	के.बी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मिर्जापुर	1994	**स्नातक**- अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, प्राचीन इतिहास, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, सैन्यविज्ञान, संगीत, भूगोल, **बी.एड.**, भौतिक, रसायन, प्राणि, वनस्पति, गणित, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान **स्नातकोत्तर**- अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, रसायन, गणित, प्राचीन इतिहास
3	जी. डी. बिन्नानी पी. जी. कालेज, मिर्जापुर	1969	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र गणित, शिक्षा, मनोविज्ञान, बी.काम. **स्नातकोत्तर**- भूगोल, समाजशास्त्र, एम.काम.
4	कमला आर्य कन्या महाविद्यालय, मिर्जापुर	1968	**स्नातक**- हिन्दी, शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, संगीत, संस्कृत, चित्रकला, समाजशास्त्र **स्नातकोत्तर**- इतिहास, समाजशास्त्र
5	**स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी विश्राम सिंह राजकीय महाविद्यालय, चुनार, मिर्जापुर**	1996	**स्नातक**- अंग्रजी, हिन्दी, संस्कृत, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र, भौतिक, रसायन, प्राणि, वनस्पति, गणित **स्नातकोत्तर**- अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, संस्कृत, भौतिक, रसायन, जन्तु, वनस्पति, गणित
6	वनस्थली महाविद्यालय, अहरौरा, मिर्जापुर	1996	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, संस्कृत, अर्थशास्त्र, बी.काम, गृहविज्ञान, भूगोल
7	राजदीप महिला महाविद्यालय, कैलहट, मिर्जापुर	1998	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, प्राचीन इतिहास, संस्कृत, गृहविज्ञान, बी.काम. **स्नातकोत्तर**- हिन्दी, समाजशास्त्र

8	आईडियल एकेडमी ऑफ मैनेजमेन्ट साइंस, शिवाला महन्थ, मिर्जापुर	1999	**स्नातक**- बी.बी.ए.
9	**लालता सिंह राजकीय महिला महाविद्यालय, अदलहाट, मिर्जापुर**	1999	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रजी, गृहविज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, संगीत, संस्कृत **स्नातकोत्तर**- हिन्दी, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र अंग्रेजी
10	राम खेलावन सिंह महाविद्यालय, कलवारी, मडिहान, मिर्जापुर	2004	**स्नातक**- हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, गृहविज्ञान, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, **बी.एड**
11	बोधन राम महाविद्यालय, बनवारीपुर छानबे, मिर्जापुर	2004	**स्नातक**- हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र
12	**नरोत्तम सिंह पदम सिंह राजकीय महाविद्यालय, मगरहा, मिर्जापुर**	2001	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, बी.काम., भौतिक, रसायन, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित **स्नातकोत्तर**- हिन्दी, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीतिशास्त्र
13	रामानुज प्रताप महाविद्यालय, ड्रमण्डगंज, मिर्जापुर	2005	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, शिक्षाशास्त्र
14	श्रीकृष्ण डिग्री कालेज, श्रीपट्टी, चील्ह, मिर्जापुर	2005	**स्नातक**- हिन्दी, मध्यकालीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल
15	औषक महाविद्यालय, राजगढ़, मिर्जापुर	2005	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, भूगोल, अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान
16	शिवलोक श्रीनेत महाविद्यालय, कपसौर, पट्टी, मिर्जापुर	2006	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, प्राचीन इतिहास, भूगोल
17	पुष्पा सिंह विधि महाविद्यालय, बरेंवा, चुनार, मिर्जापुर	2006	**स्नातक**-एल.एल.बी.
18	मुनी जी महाविद्यालय, रूपौधा, नरायनपुर, मिर्जापुर	2006	**स्नातक**- हिन्दी, समाजशास्त्र, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, प्रचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र
19	एस.एस.पी.पी.डी. महिला महाविद्यालय, तिसुही, मड़िहान, मिर्जापुर	2007	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, मध्यकालीन इतिहास, गृहविज्ञान
20	स्वामी गोविन्दाश्रम महाविद्यालय, पैड़ापुर, मिर्जापुर	2007	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, गृहविज्ञान
21	आदर्श जनता महाविद्यालय, कोलना, चुनार मिर्जापुर	2007	**स्नातक**- हिन्दी, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, प्रा. इतिहास, अर्थशास्त्र
22	स्वामी सहजानन्द महाविद्यालय, कच्छवाँ, मिर्जापुर	2007	**स्नातक**- हिन्दी, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, प्रा. इतिहास, अर्थशास्त्र
23	के.जी.एस. महाविद्यालय, जोपा, मिर्जापुर	2007	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र, प्रा. इतिहास, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र
24	माँ नगेसरा देवी महिला महाविद्यालय, रीवाँ, जयपट्टी कला, मिर्जापुर	2007	**स्नातक**- हिन्दी, अर्थशास्त्र, संस्कृत, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, राजनीतिशास्त्र प्रा. इतिहास
25	मथुरा कॉलेज ऑफ लॉ, पुरजागीर, मिर्जापुर	2007	**स्नातक**- एल.एल.बी. त्रिवर्षीय
26	राम ललित सिंह महाविद्यालय, कैलहट, चुनार, मिर्जापुर	2008	**स्नातक कला**- हिन्दी, संस्कृत, गृहविज्ञान, अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित
27	स्व. भगवान सिंह महाविद्यालय, (गड़बड़), पतार कलां, दुबार कलां, मिर्जापुर	2008	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, गृहविज्ञान, अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास
28	विन्ध्यवासिनी महिला महाविद्यालय, मिर्जापुर	2008	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, शिक्षाशास्त्र प्राचीन इतिहास, मनोविज्ञान, बी.काम.
29	**पं. महावीर प्रसाद त्रिपाठी महाविद्यालय, विजयपुर, मिर्जापुर**	2009	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, बी.सी.ए.

	इलाहाबाद		
1	हंडिया पी. जी. कालेज, हंडिया, इलाहाबाद	1973	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, मनोविज्ञान, **बी.एड., बी.पी.एड.**, बी.काम., भौतिक, रसायन, गणित, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, **बी.एड.** (स्ववित्तपोषी) **स्नातकोत्तर**- हिन्दी, मनोविज्ञान, **एम.एड.**, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र शिक्षाशास्त्र
	बलिया		
1	श्री. एम.एम.टी.डी. कालेज, बलिया	1997	**स्नातक**- अंग्रेजी, हिन्दी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, दर्शनशास्त्र, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान,शिक्षाशास्त्र, सैन्यविज्ञान, उर्दू, प्राचीन इतिहास, संगीत, बी.काम., **बी.एड.**, बी.एस-सी.(कृषि), भौतिकी, रसायन, गणित, प्राणि, वनस्पति, सांख्यिकी, बायोटेक्नोलॉजी, **स्नातकोत्तर**- समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, प्राचीन इतिहास, संस्कृत, हिन्दी, प्राणि विज्ञान, कृषि वनस्पति, कृषि अर्थशास्त्र, कृषि रसायन, राजनीतिशास्त्र, एम.काम.
2	गुलाबी देवी महिला महाविद्यालय, बलिया	1969	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, संगीत, मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र **स्नातकोत्तर**- मनोविज्ञान
3	सतीश चन्द्र कालेज, बलिया	1947	**स्नातक**- अंग्रेजी, हिन्दी, अर्थशास्त्र, इतिहास, दर्शनशास्त्र, समाज, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, गणित, मनोविज्ञान, सैन्यविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, प्राचीन इतिहास, **बी.एड.**, भौतिकी, रसायन, प्राणि, वनस्पति **स्नातकोत्तर**- हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, दर्शनशास्त्र, गणित, रसायन
4	अमरनाथ मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दूबे छपरा, बलिया (पूर्व नाम- महाविद्यालय दूबे, छपरा, बलिया)	1973	**स्नातक**- हिन्दी, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृत, अंग्रेजी, सैन्यविज्ञान **स्नातकोत्तर**- भूगोल
5	सुदृष्टिपुरी बाबा महाविद्यालय, रानीगंज, बलिया	1973	**स्नातक**- हिन्दी, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, संस्कृत, उर्दू, मनोविज्ञान **स्नातकोत्तर**- मनोविज्ञान
6	कुँवर सिंह महाविद्यालय, बलिया	1973	**स्नातक**- हिन्दी, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, उर्दू, इतिहास, भूगोल, सैन्यविज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत **स्नातकोत्तर**- राजनीतिशास्त्र, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र
7	कमला देवी बाजोरिया महाविद्यालय, दुबहर, बलिया	1969	**स्नातक**- अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल, प्राचीन इतिहास, शिक्षाशास्त्र
8	मथुरा महाविद्यालय, रसड़ा, बलिया	1972	**स्नातक**- हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, संस्कृत **स्नातकोत्तर**- अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र
9	श्री बजरंग महाविद्यालय, दादर आश्रम, सिकन्दरपुर, बलिया	1971	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, भूगोल, **बी.एड.**, उर्दू, **स्नातकोत्तर**- समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, प्राचीन इतिहास, भूगोल, हिन्दी
10	देवेन्द्र महाविद्यालय, बेल्थरा रोड, बलिया	1978	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, प्राचीन इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान, रसायन गणित, भौतिक, प्राणि, वनस्पति **स्नातकोत्तर**- राजनीतिशास्त्र, प्राचीन इतिहास
11	श्री नरहेजी महाविद्यालय, नरही, रसडा, बलिया	1993	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, भूगोल, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, **बी.पी.एड., बी.एड.**, अंग्रेजी, गृहविज्ञान, इतिहास, भौतिकी, रसायन, प्राणि, वनस्पति, सैन्यविज्ञान, गणित, कम्प्यूटर विज्ञान, शिक्षाशास्त्र, मनोविज्ञान, शारिरीक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना जनसम्पर्क एवं पत्रकारिता, बी.काम. बी.सी.ए. **स्नातकोत्तर**- प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल, संस्कृत, हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान, अंग्रेजी

12	किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रक्सा, रतसर, बलिया	1993	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, उर्दू, सैन्यविज्ञान, गृहविज्ञान, **बी.एड.,** भौतिक, रसायन, गणित, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान **स्नातकोत्तर-** राजनीतिशास्त्र, प्राचीन इतिहास
13	स्वामी रामनारायणाचार्य महाविद्यालय, बेल्थरा, रोड, बलिया	1995	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, उर्दू, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान
14	राधा मोहन किसान मजदूर महाविद्यालय, कन्सो बलिया	1995	**स्नातक-** हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, प्रा. इतिहास, शिक्षाशास्त्र, **बी.एड.** **स्नातकोत्तर-** भूगोल, समाजशास्त्र
15	यशोदा नन्दन महाविद्यालय, मदनपुरा, एकइल, बलिया	1995	**स्नातक-** गृहविज्ञान, हिन्दी, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, प्रा. इतिहास, अंग्रेजी
16	बीर लोरिक सुघर महाविद्यालय, बिगह, चरौवा, बलिया	1996	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, भूगोल, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, प्राचीन इतिहास
17	श्री जमुनाराम महाविद्यालय, चिवबड़ागाँव, बलिया	1999	**स्नातक-** हिन्दी, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, प्राचीन इतिहास, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, भूगोल, **बीएड.** **स्नातकोत्तर-** गृहविज्ञान, शिक्षाशास्त्र
18	शक्तिपीठ महाविद्यालय, दौलतपुर, बलिया	1999	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, प्राचीन इतिहास
19	दूजादेवी महाविद्यालय, सहतवार, बलिया	1999	**स्नातक-** हिन्दी, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, **बी.एड.**
20	उदित नारायण ऋषभ महाविद्यालय, पिण्डारी, बलिया	1999	**स्नातक-** हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, अंग्रेजी, इतिहास, समाजशास्त्र, संगीत, गृहविज्ञान
21	माँ कस्तूरी देवी महाविद्यालय, नवानगर, बलिया	1999	**स्नातक-** हिन्दी, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीतिशास्त्र
22	गाँधी महाविद्यालय, मिड़ढा, बेरूआरबारी, बलिया	2000	**स्नातक-** प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, गृहविज्ञान, अंग्रेजी
23	. महाविद्यालय बाँसडीह, बलिया	2000	**स्नातक-** हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, सैन्यविज्ञान, गृहविज्ञान
24	श्री रामकरण महाविद्यालय, भीमपुरा नं.-1, बलिया	2001	**स्नातक-** हिन्दी, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान, संस्कृत, उर्दू, **बी.एड.** **स्नातकोत्तर-** गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, हिन्दी, भूगोल
25	गौरीशंकर राय कन्या महाविद्यालय, करनई, बलिया	2001	**स्नातक-**हिन्दी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, संस्कृत, गृहविज्ञान, भौतिक, रसायन, प्राणि, वनस्पति, गणित
26	रखन्त बाबा महाविद्यालय, अतरौली, करमौता, बलिया	2002	**स्नातक-** हिन्दी, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, प्रा. इतिहास, संस्कृत, शिक्षाशास्त्र
27	श्री नरहेजी विधि महाविद्यालय, नरही, रसड़ा, बलिया	2002	**स्नातक-** एल.एल.बी.
28	श्री शिवनारायण गंगा प्रसाद महिला महावि., खानपुर, डूमरिया, बलिया	2002	**स्नातक-** हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, गृहविज्ञान
29	विवेकानन्द महाविद्यालय, सेमरी, बलिया	2003	**स्नातक-** हिन्दी, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, प्राचीन इतिहास, संस्कृत, गृहविज्ञान
30	श्रीमती फुलेहरा स्मारक महिला महाविद्यालय, कमतैला, रसड़ा, बलिया	2003	**स्नातक-** हिन्दी, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अंग्रेजी, प्राचीन इतिहास, गृहविज्ञान, संस्कृत, अर्थशास्त्र **स्नातकोत्तर-** गृहविज्ञान, समाजशास्त्र
31	सागर महिला महाविद्यालय, भीमपुरा, बलिया		**स्नातक-** हिन्दी, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, गृहविज्ञान
32	श्रीनाथ बाबा महाविद्यालय, इसारी, सलेमपुर, बलिया	2003	**स्नातक-** हिन्दी, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र प्रा. इतिहास, अंग्रेजी, गृहविज्ञान
.33	हीरानन्द महावि. नारायनपुर, रसूलपुर रसड़ा, बलिया	2004	**स्नातक-** हिन्दी, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, इतिहास, गृहविज्ञान
34	पृथ्वी शिव किसान मजदूर बालिका महाविद्यालय रसड़ा, बलिया	2004	**स्नातक-** हिन्दी, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, गृहविज्ञान **स्नातकोत्तर-** हिन्दी, गृहविज्ञान

35	शिवराज स्मारक महाविद्यालय, रामपुर, बलिया	2004	**स्नातक**- हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृत, भूगोल, प्राचीन इतिहास, गृहविज्ञान, भौतिक, रसायन, जन्तु, वनस्पति, गणित, शिक्षाशास्त्र, अंग्रेजी, उर्दू **स्नातकोत्तर**- हिन्दी, समाजशास्त्र
36	माँ फूला देवी कन्या महाविद्यालय, तितौली बघुड़ी, बलिया	2004	**स्नातक**- हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, अंग्रेजी, प्रा.इतिहास, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान
37	माँ बन्धुई देवराज महाविद्यालय, पशुहारी, बलिया	2004	**स्नातक**- हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृत, प्रा.इतिहास, भूगोल, गृहविज्ञान
38	महाराजा सुहेलदेव महिला महाविद्यालय, गजियापुर, सेमरी, बलिया	2004	**स्नातक**- हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृत, प्रा.इतिहास, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान
39	गोपाल जी महाविद्यालय, रेवती, बलिया	2004	**स्नातक**- हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृत, प्रा.इतिहास, शिक्षाशास्त्र, अर्थशास्त्र
40	श्रीनाथ बाबा जंगली बाबा महाविद्यालय, जाम, बलिया	2004	**स्नातक**- हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, प्रा. इतिहास, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान
41	पन्ना महाविद्यालय, कुशहा ब्राहमण, भीमपुरा, बलिया	2004	**स्नातक**- भौतिक, रसायन, प्राणि, वनस्पति, गणित
42	जनता महाविद्यालय, नगरा, बलिया	2004	**स्नातक**- हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, इतिहास, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान
43	हरिशंकर प्रसाद विधि महाविद्यालय, धर्मस्थली, चितबड़ागाँव, बलिया	2004	**स्नातक**-एल.एल.बी.
44	बाबा मथुरादास सीताराम महाविद्यालय, चिलकहर, बलिया	2005	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, प्राचीन इतिहास, भूगोल, गृहविज्ञान
45	जय मौनी बाबा देवा गिरधारी महाविद्यालय, रोहना, रसड़ा, बलिया	2005	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, भूगोल, उर्दू, अंग्रेजी, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र
46	श्री स्वामीनाथ सिंह सुरेन्द्र महाविद्यालय, धर्मपुर, काजीपुर, बलिया	2005	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, गृहविज्ञान, भूगोल, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र
47	क्वलेश्वर राय महिला महाविद्यालय, बहुआरा, बलिया	2005	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, गृहविज्ञान, भूगोल, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र
48	बिन्देश्वरी महाविद्यालय, मलभ, हरसेनपुर, बलिया	2005	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, भगोल, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान
49	संत ग्राम्यांचल महाविद्यालय, सुरही, बलिया	2005	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, गृहविज्ञान, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र
50	लोकनायक जय प्रकाश महाविद्यालय, रेवती बलिया	2005	**स्नातक**- हिन्दी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, शिक्षाशास्त्र, प्राचीन इतिहास, संस्कृत
51	डॉ. राम मनोहर लोहिया सूबेदार महाविद्यालय, हबसापुर, बलिया	2005	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, प्राचीन इतिहास, गृहविज्ञान
52	स्व. बलराम सिंह स्मारक महाविद्यालय, दिघारगढ़, बलिया	2005	**स्नातक**- भौतिक, रसायन, वनस्पति, जीव विज्ञान, गणित, हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति., शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र
53	महात्मा रतन गुलजार महाविद्यालय, सराय भारती, कोप सिलहटा, बलिया	2005	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, भूगोल, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, गृहविज्ञान
54	रामधारी चन्द्रभान महाविद्यालय, नगपुरा (नफरेपुर), रसड़ा, बलिया	2005	**स्नातक**- हिन्दी, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति, संस्कृत, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान
55.	कुबेर महाविद्यालय, हसनपुर, जजौली नं.-2, बलिया	2005	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान, शिक्षाशास्त्र
56	महर्षि बाल्मीकि कालेज फॉर वीमेन, मिश्रा कालोनी, काजीपुरा, बलिया	2005	**स्नातक**- हिन्दी, अंग्रेजी, संगीत, कला, गृहविज्ञान, प्रा.इतिहास, कम्प्यूटर विषय
57	**शहीद मंगल पाण्डेय राजकीय महाविद्यालय, बलिया**	2005	**स्नातक**- हिन्दी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, संस्कृत, अंग्रेजी, भौतिक, रसायन, जन्तु, वनस्पति, गणित, बी.काम.
58	मु. शहबान मेमोयिल महाविद्यालय, नगरा, बलिया	2006	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, भूगोल, उर्दू, प्राचीन इतिहास, गृहविज्ञान, राजनीतिशास्त्र
59	तिलेश्वरी देवी महाविद्यालय, गौरा पताई, बलिया	2006	**स्नातक**- हिन्दी, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, भूगोल, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र

60	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चौधरी महाविद्यालय, विशुनपुर, बलेश्वर, बलिया	2006	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, प्रा. इतिहास, शिक्षाशास्त्र, भूगोल, राजनीतिशास्त्र
61	श्री सहदेव पयौरिया अम्बेडकर महिला महाविद्यालय, मन्दा, रसड़ा, बलिया	2006	**स्नातक-** भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान
62	गंगा सिंह महाविद्यालय, पटखौली दक्षिण, मनियर, बलिया	2006	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, गृहविज्ञान
63	जय प्रकाश महिला महाविद्यालय, नगरा, बलिया	2007	**स्नातक-** हिन्दी, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, गृहविज्ञान, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, भूगोल
64	श्री रामचन्द्र महाविद्यालय, त्रकालपुर, गड़वार, बलिया	2007	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान,
65	जय माता दुल्मी देवी महाविद्यालय, चोगड़ा, बलिया	2007	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, राजनीतिशास्त्र, प्राचीन इतिहास
66	रामदास महाविद्यालय, सिकरिया, भीमपुरा नं.-1, बलिया	2007	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, इतिहास, गृहविज्ञान, भूगोल, अंग्रेजी
67	इश्तेयाक अहमद मेमोरियल महाविद्यालय, पिपरौली, बड़ागाँव, बलिया	2008	**स्नातक-** हिन्दी, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, गृहविज्ञान, भूगोल, उर्दू, अंग्रेजी
68	बाबा रामदल सूरजदेव स्मारक महाविद्यालय, माधोपुर (पकवाइनार), नवापुरा, रसड़ा, बलिया	2008	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, गृहविज्ञान
69	स्व. केशव प्रसाद महाविद्यालय, ससना, बेल्थरा रोड, बलिया	2008	**स्नातक-** हिन्दी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान
70	देवराज महाविद्यालय, मउरहां, चन्दाडी, बलिया	2008	**स्नातक-** भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान
71	श्री नीलम देवी महाविद्यालय, धतुरी टोल, बैरिया, बलिया	2008	**स्नातक-**हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, प्रा. इतिहास, गृहविज्ञान, भूगोल
72	माँ शान्ती देवी महाविद्यालय, हल्दीरामपुर (बहादपुर), बलिया	2008	**स्नातक-**हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, प्रा. इतिहास, शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, भूगोल
73	**माँ मतुरनी देवी महाविद्यालय, चन्दाडीह, बलिया**	2009	**स्नातक-**हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, प्राचीन इतिहास, भूगोल
74	**आर.एन.सी. महाविद्यालय, चन्दाडीह, बलिया**	2009	**स्नातक-**हिन्दी, संस्कृत, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, प्राचीन इतिहास, भूगोल